खण्ड-333, अंक-2
बुधवार, 20 वैशाख, शक संवत् 1900
(10 मई, 1978 ई0)

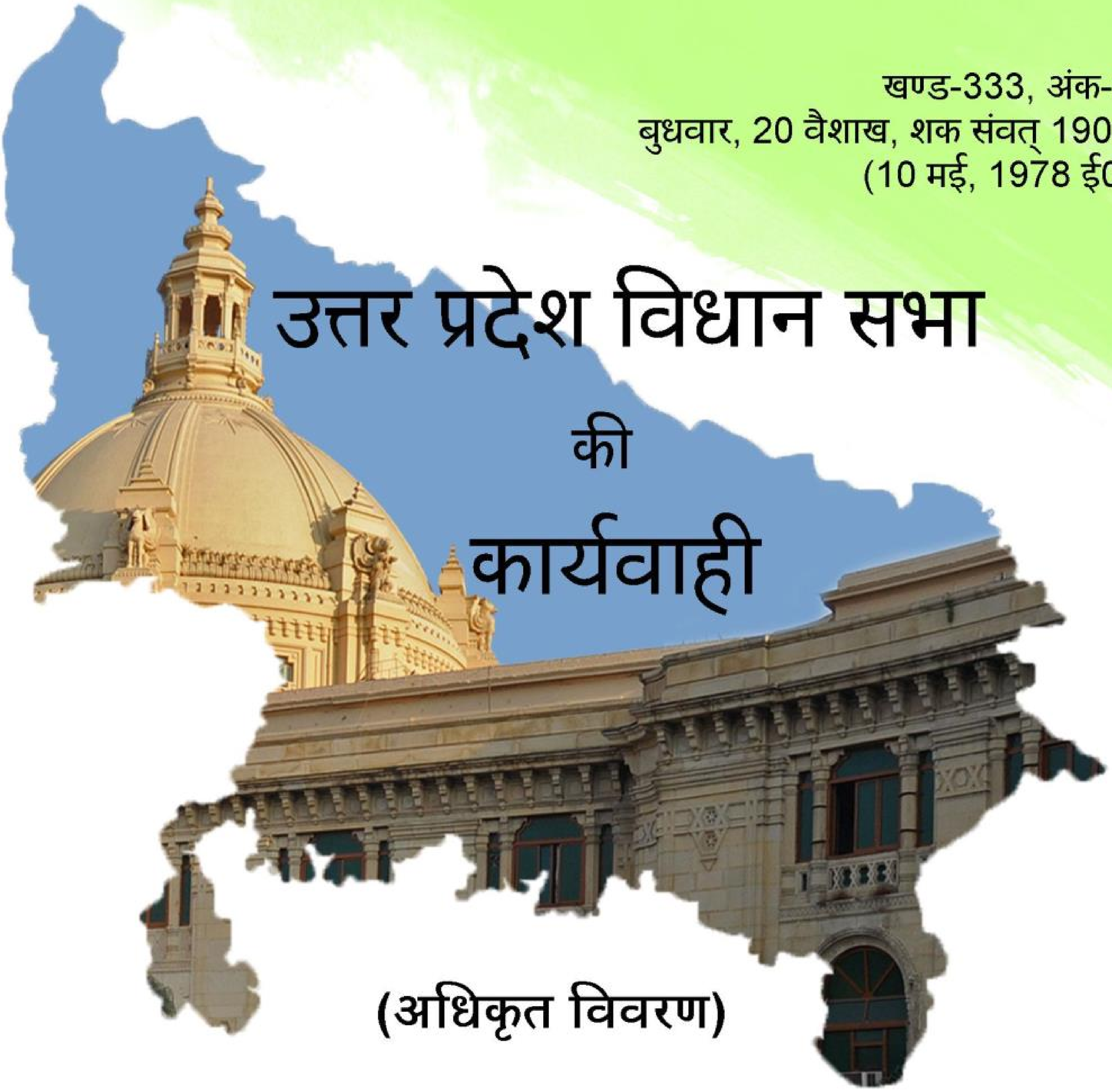

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 333 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	119–122
प्रश्नोत्तर	123–182
श्री मुख्तारअनीस के मंत्रिपरिषद् से त्याग-पत्र देने क संबन्ध में जानकारी की मांग	182–186
राम सनेही घाट (बाराबंकी) के मुहाफिज खाना में अग्निकांड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	187
जिला कानपुर के ग्राम मकरन्दपुर तथा बीरबद्ध में हरिजनों की फसल कुछ अराजक तत्वों द्वारा पी0 ए0 सी0 से मिल कर काटे जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	187
जनपद गोरखपुर व देवरिया में गन्ना काश्तकारों का गन्ना पानी न मिलने से सूख जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	188
सिंचाई विभाग के डिप्लोमा इंजीनियर्स द्वारा विधान मण्डल के सामने अनशन के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	188–189
प्रदेश में आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स कम कर दिये जाने तथा पुनर्नवीनीकरण में हतोत्साहन किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	189
वाराणसी नगर में पेयजल के गम्भीर सकट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	189—190
उत्तर प्रदेश बेसिक स्कूल कर्मचारी (परिवार नियोजन से सम्बन्धित सेवा की विशेष शर्तें) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	190
उत्तर प्रदेश बेसिक स्कूल कर्मचारी (परिवार नियोजन से सम्बन्धित सेवा की विशेष शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977 तथा अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गयी)	190
वित्त (बिक्री कर) अनुभाग–2 की विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	191
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (बारहवां सशोधन) नियमावली, 1978 (सदन के पटल पर रखी गयी)	191
उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एव आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1975–76 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	191
शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	191
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	191–192
स्वतंत्र भारत, नवजीवन, दैनिक जागरण, पायनियर और नेशनल हेराल्ड के सम्पादकों एवं संबंधित संवाददातओं के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	192—193

विषय	पृष्ठ-संख्या
अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा के लिये अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन संबंधी सूचना	193–194
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	194
1977–78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 12–मोटर गाड़ियों, माल तथा यात्रियों पर कर, अनुदान संख्या 63–सिविल विमानन, अनुदान संख्या 68–सड़क तथा जल परिवहन, अनुदान संख्या 69–पर्यटन, अनुदान संख्या 88–सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान सख्या 89–पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	195—240
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	240—241
कुछ व्यक्तियों के सदन में घुस आने तथा नारे लगाने के संबंध में 7 दिन के कारावास का प्रस्ताव (जारी)	241—245
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	245
कुछ व्यक्तियों के सदन में घुस आने तथा नारे लगाने के संबंध में 7 दिन के कारावास की सजा का प्रस्ताव (जारी)	246—249
सदन के समय में पुनः वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	249
कुछ व्यक्तियों के सदन मे घुस आने तथा नारे लगाने के संबंध में 7 दिन के कारावास की सजा का प्रस्ताव (स्वीकृत)	250—255
प्रदेश में आठवीं कक्षा के लाखों छात्रों की परीक्षाएं राज्य सरकार के आदेश से पुनः कराये जाने के कारण शिक्षा क्षेत्र में गम्भीर असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का न लिया जाना	256
नत्थियां	257—279

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुद्धवार, 10 मई, 1978

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--311

अकबर हुसैन श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश नारायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ोनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पांडेय, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशल लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरुप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री

गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोट लाल, श्री
छोटे लाल 'निभय', श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जयराम, श्री
जवाहरलाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हे लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरनचन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीपकुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अंसारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बिहारी लाल हंस, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री

भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकुन्दी सिंह, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरेशी, श्री
मूलचन्द, ठाकुर
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
रघुबर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह जूदेव, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबहादुर यादव, श्री
राज बृजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री

लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत ,श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबनसिंह जीना, श्री
श्यामदत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्य मुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि केवल प्रसाद, श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिशचन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट:—हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

उत्तर प्रदेश सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 10 मई, 1978

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता, श्री जे० के० सक्सेना, श्री उमाकान्त व श्री मदन गोपाल भार्गव की पदोन्नति एवं उनके विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

**1—श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में 3 अधीक्षण अभियन्ता सर्वश्री जे० के० सक्सेना, उमाकान्त व मदन गोपाल भार्गव, जिनकी पदोन्नति अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर जनवरी, 1978 में की गई हैं, के खिलाफ कोई गम्भीर जांच सतर्कता विभाग या विभाग द्वारा चल रही है ? यदि हां, तो क्या यह पदोन्नति के आदेश कार्मिक अनुभाग-1 के आदेश संख्या 19-30-77-कार्मिक, दिनांक 24 दिसम्बर, 1977 के प्रतिकूल नहीं है ? माननीय मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करें कि क्या उक्त अधिकारियों का कुछ वेतन काट कर सरकारी खजाने में जमा करने के आदेश शासन ने पारित किए हैं ? यदि हां, तो क्यों और कितना ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

जी हां, इन तीनों अधिकारियों के विरुद्ध जांच चल रह है। चूंकि यह जांच लम्बे समय से चल रही है और इनका सेवाकाल शीघ्र समाप्त होने वाला है, यह उचित नहीं समझा गया कि अन्तिम समय में इन्हें जांच के कारण पदोन्नति से वंचित रखा जाय। अतः इनकी तदर्थ प्रोन्नति के आदेश जारी कर दिये गये। साथ ही यह बंदिश भी लगा दी गयी कि उन्हें जांच समाप्त होने तक उच्च वेतन का लाभ प्राप्त न होगा और दरमियानी फर्क खजाने में जमा होता रहेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इन तीन अधिकारियों को जो विजिलेंस में जांच होने पर भी पदोन्नति दे दी गयी, तो यह सुविधा बड़े ही अधिकारियों को दी जायगी अथवा नीचे के कर्मचारियों को भी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

यदि विशेष परिस्थिति किसी के साथ आयेगी, तो विचार किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जिन अधिकारियों को यह विशेष तरक्की दी गयी है विशेष परिस्थिति में, तो उनके खिलाफ आरोप क्या-क्या थे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

सन् 73 से जांच चल रही थी। कुछ के खिलाफ यह आरोप था कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा खरीददारी के लिये एप्रूवल दे दिया था। जांच के दौरान कभी यह रिपोर्ट आती थी कि वे निर्दोष है, कभी दूसरी जांच कराई जाय यह निर्णय होता था। फिलहाल जांच अभी कम्पलीट नहीं हुई हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

जिन तीन अधिकारियों की पदोन्नति हुई है, उनके सम्बन्ध में विभागीय जांच के बाद और विजिलेंस की जांच के बाद उन पर मुकदमा चलाने के लिये कोई आदेश पारित हुये थ ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब क्या प्रगति हुई हैं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मुकदमा चलाने के लिये कोई आदेश पारित नहीं हुआ ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या यह सच है कि सतर्कता विभाग ने जांच करने के पश्चात् यह संस्तुति दी कि जो तीन अधिकारी हैं, उनमें से एक पर अदालत में मुकदमा चलाया जाय ? यदि हां, तो किन-किन आरोपों पर ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

उनसे जो एक्सप्लेनेशन मांगा गया था जब उसको देखा गया, तो वे निर्दोष पाय गये । लेकिन उसके बाद कोई आदेश नहीं हुआ कि उनके खिलाफ मुकदमा दाखिल किया जाय ।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे किविजीलेन्स को जो यह इन्क्वायरी सौपी गई तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि प्रागदर्शन में उनके ऊपर चार्जेज सिद्ध हुये थे, तो इस आधार पर सेवा से निलंबित क्यों नहीं किया गया ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कि प्रश्न के मूल उत्तर में कहा गया है कि दरमियानी फर्क खजाने में जमा होता रहेगा । यह किस तरह के आदेश थे कि फर्क खजानें में जमा होता रहेगा ? साथ ही मंत्री जी यह भी बतायें कि कितनी बार यह जांच हुई और किन-किन लोगों ने यह जांच की ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको सामने रखते हुये उनको प्रोमोशन दिया गया था । एक चीज यह भी सामने आयी कि 6/7 साल से यह इन्क्वायरी चल रही थी और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था । फाइलें चलती रहीं । इसलिये यह निर्णय लिया गया कि इनको प्रोमोशन दे दिया जाय और जो फर्क हो, उसे सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

मैं अध्यक्ष पीठ से एक प्रश्न करना चाहता हूं । क्या आपको मालूम है कि सितम्बर, 1977 से पहले सरकार की नीति थी कि जब तक किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई जांच पूरी न हो जाय या उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही निश्चित न हो जाय अथवा निलंबित करने की कार्यवाही निश्चित न हो जाय तब तक न तो उसकी पदोन्नति रोकी जायगी और न स्थायीकरण रोका जायगा ? क्या आपको मालूम है कि इस तरह के आदेश जनता सरकार जब आयी थी उसके गृह मंत्री ने अगस्त के महीने में जारी किये थे ? क्या इसी नीति के मातहत आपने यह निर्णय लिया है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

14-7-77 का एक जी० ओ० सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है ।

श्री अध्यक्ष---

वह क्या है ? जब तक किसी अधिकारी के खिलाफ जांच पूरी नहीं होगी, विभागीय कार्यवाही करने या निलंबित करने की कार्यवाही निश्चित नहीं होगी तब तक उसकी पदोन्नति या स्थायीकरण नहीं रोका जायेगा । इस तरह की नीति पिछली सरकार की थी जिसको बाद में सितम्बर में दूसरे सरकुलर द्वारा बदल दिया गया ?

श्री मोहम्मद मसूद खां ---

14-7-77 का इस तरह का एक जी0 ओ0 है । जब तक चार्जशीट फ्रेम न हो जाय, तब तक कन्फरमेशन न रोका जाय और न पदोन्नति रोकी जाय ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह इन्क्वायरी कौन सी एजेन्सी के द्वारा हो रही है है और उसको समाप्त करने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां---

हर एक का अलग-अलग हैं । एक विजीलेन्स के द्वारा, एक ला डिपार्टमेंट के द्वारा की जा रही है और एक मैनेजिंग डारेक्टर के द्वारा हो रही हैं ।

श्री संगमलाल (जिला प्रतापगढ़)---

माननीय मंत्री जी ने बताया कि इन अधिकारियों की कई बार जांच की गई और हम यह मानकर चलते है, क्योंकि ये बड़े अधिकारी हैं, इसलिये जांच अधिकारियों को भी प्रभावित करते है । उन लोगों के खिलाफ मंत्री जी क्या कार्यवाही कर रहे हैं जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां---

जब फाइनल रिपोर्ट आ जायेगी, उसके बाद विचार किया जायेगा ।

श्री देव बहादुर सिंह---

मैं जानना चाहता हूं कि इन अधिकारियों के खिलाफ जो जांच हुई वह कब आपके सामने आयी और कब उनको पदोन्नति दी गई ?

श्री मोहम्मद मसूद खां---

जनवरी, 1978 में उनको पदोन्नति हुई ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चहता हूं कि किसी अधिकारी की प्रोन्नति के लिये यह जरूर है कि उसका करैक्टर रोल और चरित्र पंजिका को देखा जाय ? यदि आरोप हैं और जांच बैठाई गई है और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, तो फिर क्यों प्रोन्नति दी गई ?

श्री अध्यक्ष--

क्या उनके कैरेक्टर रोल में विपरीत प्रविष्टि दी गई है ? यदि हां, तो फिर क्यों पदोन्नति की गई ?

श्री मुहम्मद मसूद खां---

कैरेक्टर रोल की कोई बात नहीं थी, खाली इन्क्वायरी की वजह से यह हुआ ।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी जिनके खिलाफ विभिन्न प्रकार के आरोप लगे हों और इन्क्वायरी चल रही हो और उनका प्रोमोशन कर दिया जाय, तो क्या मंत्री जी महसूस करते हैं कि पदोन्नति अवैध हो जावेगी ? यदि हां, तो उनकी पदोन्नति को निरस्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपका सुझाव है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मंत्री जी ने सरकुलर का हवाला दिया और उसके अन्तर्गत प्रोन्नति की गई, तो फिर उनके वेतन को खजाने में जमा करनेका क्या आधार है ?

श्री अध्यक्ष —

वह तो उन्होंने उत्तर दे दिया कि पदोन्नति इस शर्त पर की गई कि जितना वेतन बढ़ेगा और जितना वेतन वह पायेंगे उसके अन्तर की राशि खजाने में जमा होगी और जब वह क्लीयर हो जायेंगे, तो वे दे देंगे।

रुद्रपुर-देवरिया मार्ग के निर्माण के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

**2—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया) तथा श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रुद्रपुर-देवरिया मार्ग के निर्माण में 4 लाख रुपए के घोटाले के विषय पर श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, संसद् सदस्य, गोरखपुर द्वारा की गई शिकायत से बचने के लिये विभागीय अधिकारी ने 6 अप्रैल, 1978 की रात में 20 ट्रक गिट्टी सड़क पर गिराने की योजना बनाई और वे ट्रकें गिट्टी गिराती हुई पुलिस द्वारा पकड़ी गईं ? यदि हां, तो इस जाल फरेब तथा घोटाले के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अविलम्ब कार्यवाही करेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

प्रश्नगत मार्ग पर निर्माण के सम्बन्ध में निर्दिष्ट तारीख में गिट्टी गिराये जाने के मामले में अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा जांच करायी जा रही है। उक्त तारीख को प्रश्नगमत मार्ग पर गिट्टी गिराते हुये पुलिस द्वारा पकड़े जाने की कोई सूचना नहीं है। जांच के बाद दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री श्रीनारायण—

रुद्रपुर-देवरिया 20 कि0 मी0 मार्ग पर दो फुट गिट्टी गिराई गई। इस मार्ग पर काफी धांधली हुई, जब जांच में यह पकड़ में आ गयी, तो गिट्टी गिराने के लिये रात में 20 ट्रक नौतनवा से गिट्टी लाये। उनकी फोटो भी है, थाने में वह ले जाये गये। इसके पहले जो जांच हुई, उस जांच अधिकारी की क्या रिपोर्ट है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, इसकी जांच एस0 ई0 कर रहे हैं।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि "उक्त तारीख को प्रश्नगत मार्ग पर ट्रक से गिट्टी गिराते हुए पुलिस द्वारा पकड़े जाने की कोई सूचना नहीं है। मैं मंत्री जी से

जानना चाहूंगा कि क्या 7-4-78 को रुद्रपुर थाने में पुलिस द्वारा ट्रकों को गिरफ्तार कर ले जाया गया और थाने से ट्रक छुड़ाये गये इसकी कोई सूचना उनके पास है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

पुलिस के द्वारा हमको कोई सबूत नहीं मिली है। लेकिन विशारद जी की शिकायत मिली है कि इस तरह का वाकया हुआ है।

श्री शारदा प्रकाश जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय लोक सभा सदस्य ने दरखास्त दी है कि भारी कमी पायी गई, तो उसके आधार पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि गोरखपुर के एस0ई0 ने कमेटी बनायी है उसकी जांच कम्प्लीट नहीं हुई है उसी बीच में उसके खिलाफ शिकायत आयी। यहां के ऐडीशनल चीफ इंजीनियर के जरिये से दूसरी कमेटी जांच कर रही है। उसका नतीजा आने पर अगर मालूम होगा कि कमेटी ने भूल किया है, तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी। लेकिन पहले जांच कम्प्लीट होगी।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि जो इस सड़क के निर्माण में घपले की बात है, उसमें सही बात यह है कि जो जूनियर इंजीनियरों में खाने-पीने की बात को ले कर आपस में झगड़ा हुआ, क्या यह सही है कि जिस जूनियर अभियन्ता ने वहां का चार्ज लिया था वह छः महीने से अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

दोनों इंजीनियरों में वहां जरूर झगड़ा है। किस बात को लेकर झगड़ा है यह जांच होने के बाद बताया जा सकता है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

जिस जूनियर इंजीनियर को चार्ज दिया गया, वह चार्ज लेने के बाद अपनी ड्यूटी से लापता है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

इस बारे में कोई इत्तला नहीं है। जहां तक इत्तला है, दोनों हैं।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा मंत्री जी को कोई सूचना नहीं मिली लेकिन माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद ने पत्र लिख कर सूचना दी। क्या मंत्री जी ने पुलिस से उसके बाद सूचना प्राप्त करने की कोशिश की कि रुद्रपुर थाने में ट्रकें बन्द हुयीं या नहीं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

यह पत्र के साथ जो लोग जांच कर रहे हैं उनके यहां भेज दिया गया है कि इसके बारे में भी देख लें।

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री श्रीनारायण—

दो प्रश्न करने का अधिकार दिया है। अभी एक प्रश्न बाकी है।

श्री अध्यक्ष—

और लोगों ने पूछ लिया है। माननीय रवीन्द्र सिंह का भी नाम था।

बहराइच जिले के प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों के वेतन का भुगतान

**3—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या शासन को यह जानकारी है कि बहराइच जिले में जनवरी, 1978 से 20 अप्रैल, 1978 तक प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक वेतन न देने का क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)—

बहराइच जिले में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीनस्थ प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को जनवरी, 1978 से मार्च, 1978 तक का वेतन दे दिया गया है। अप्रैल माह के वेतन वितरण के लिये भी मई 4 व 5, 1978 की तिथियां निश्चित की गयी थी और आशा है निर्धारित तिथियों को वेतन का भुगतान कर दिया गया होगा।

प्राथमिक शिक्षक संघ, ब्लाक लखीमपुर के अध्यापकों का क्रमिक अनशन

**4—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

क्या शिक्षा मन्त्री को यह जानकारी है कि प्राथमिक शिक्षक संघ, ब्लाक लखीमपुर के अध्यापकों का क्रमिक अनशन दिनांक 17 अप्रैल, 1978 से चल रहा है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उनको पूरा करने में क्या कठिनाई है ?

श्री काली चरण—

जी नहीं। अध्यापकों का क्रमिक अनशन दिनांक 17 अप्रैल, 1978 से 27 अप्रैल, 1978 तक चला।

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, 11 दिन तक जो क्रमिक अनशन प्राथमिक शिक्षक संघ का चला उस अनशन को लेकर क्या मांगें थी, क्या उन मांगों को माननीय मंत्री सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, अध्यापकों की कुछ स्थानीय समस्यायें थीं जिसमें से प्रमुख हैं—भविष्य निधि का लेखा-जोखा समस्त शिक्षकों को अविलम्ब दिया जाय। महिला शिक्षिकाओं की संशोधित ग्रेडेड लिस्ट का प्रकाशन अविलम्ब किया जाय। प्राथमिक शिक्षकों की ग्रेडेड लिस्ट का प्रकाशन भी अविलम्ब किया जाय। जूनियर बेसिक विद्यालयों एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त स्थानों की पूर्ति अविलम्ब की जाय। शिक्षकों के चिकित्सा अवकाश के कारण काटे गये वेतन का भुगतान अविलम्ब किया जाय। कन्या पाठशालाओं में अध्यापिकाओं के नये पद सृजित करके नियुक्ति की जाय। इस वर्ष खोले गये नवीन विद्यालयों में स्थायी शिक्षकों की व्यवस्था अविलम्ब की जाय। जिन प्राथमिक शिक्षकों को अगस्त, 1972 का वेतन नहीं दिया है, अविलम्ब दिया जाय। राजकीय आदेशानुसार प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में उनको वेतन वितरण किया जाय। शासनादेश की प्रतिलिपियां शिक्षकों को भी दी जायं। दिसम्बर, 1976 में काटे गये 100 रुपये प्रति सहायक अध्यापक व 150 रुपये प्रति प्रधान अध्यापक के वेतन का अविलम्ब भुगतान किया जाय। सेवा निवृत्त अध्यापकों के समस्त देय का शीघ्र भुगतान किया जाये।

श्री नरेश चन्द्र—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो मांगें माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत की है क्या उनको पूरा कर दिया गया है या नहीं ?

श्री कालीचरण—

श्रीमन, इन अध्यापकों के प्रतिनिधियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से उनकी इन समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ, जिनमें से कुछ की पूर्ति कर दी गयी है और कुछ की निकट भविष्य में पूरी करने का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया है जिससे अध्यापकों ने अपना आन्दोलन समाप्त कर दिया है।

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि मांग-पत्र में जिन-जिन मांगों को पूरा किया जा चुका है। वह मांग कौन-कौन हैं और जब मांगे पूरी नही की गयी है, वह कौन-कौन हैं ?

श्री कालीचरण—

मैं फिर से बताये दे रहा हूं। पहली मांग 1975 तक भविष्य निधि के लेखे की पोस्टिग हो गयी है। और आगे की शीघ्र ही पूरा करने का आश्वासन दिया है। उनकी वरीयता सूची महिला शिक्षकों की पूर्ण हो गयी है। और उस पर एतराज दाखिल करने के लिये 15 मई का समय दिया है, उनके एतराज आने पर 31 तक पूर्णरूप से करने का किया है। इसी तरह से शिक्षकों के बारे में उनकी वरीयता सूची अप्रैल में प्रकाशित कर दी गयी थी और उनसे मई, 1978 तक एतराज मागे गये हैं और उसके बाद पूरा करने की बात कही गयी है। अध्यापकों की नियुक्तियों को कर दिया गया है। केवल 6 पद जो अनुसूचित जन जाति और विकलांगों के अध्यापकों के लिये सुरक्षित थे, उनके न मिलने पर उन 6 पदों की भी नियुक्तियां कर दी जायेंगी। चिकित्सा अवकाश के सम्बन्ध में स्वस्थता के लिये अध्यापकों के प्रमाण-पत्र मांगे गये हैं। यह उपलब्ध होने के बाद उनको भुगतान कर दिया जायेगा। बालिका जूनियर हाई स्कल के प्रधानाचार्य के पद के सृजन के लिये कार्यवाही चल रही है। जो स्कूल खोले गये हैं। उनमें जब तक अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक के लिये अस्थायी व्यवस्था के आदेश कर दिये गये हैं। उनके समस्त देय जो बकाया हैं उनके भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। 1976 में जो वेतन में कटौती की गयी थी उसे 29 अप्रैल को पूरी कर दी गयी है। सेवा निवृत्त अध्यापकों को उनके सारे अभिलेख तैयार करके उनके भुगातन की व्यवस्था की जा रही है।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा कि यह अनशन कुछ स्थानीय मांगों को लेकर की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनमें से कितनी मांगें स्थानीय हैं और कितनी मांगें प्रान्तीय स्तर की हैं।

की कालीचरण—

यह सम्पूर्ण मांगें जिला स्तर की हैं।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री ने कहा कि कुछ मांगें मान ली गयी हैं और कुछ के बारे में आश्वासन दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई ऐसी भी मांग है जिसे माननीय मंत्री जी ने न माना हो, तो क्या माननीय मंत्री जी मानते हैं कि मांगें उचित हैं और मानी नहीं गयी हैं ?

श्री कालीचरण—

श्रीमन्, अगर किसी मांग को न मानना होता तो उन्हें पूरा करने का आश्वासन न दिया जाता। कुछ को तो मान लिया गया है और कुछ को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, जितनी मांगें थी, उनके लिये 'कुछ कुछ' का शब्द आ रहा है। अगर यह कहा जाता है कि कुछ को मान लिया गया है और बाकी के लिये आश्वासन दिया जा रहा है। हर जगह कुछ कुछ जगह का शब्द आ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी भी मांगे थी जिनको नहीं माना गया ? यदि हां, तो क्या उस मांग को उचित मानते हुये भी नहीं माना गया ?

श्री कालीचरण—

जिसको माना नहीं जाता उसको पूरा करने का आश्वासन दिया ही नहीं जा सकता। सब बातें औचित्यपूर्ण थीं कुछ को स्वीकार कर लिया गया कुछ पर विचार हो रहा है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय के कनिष्ठ उप लेखक एवं प्रालेखक की प्रतियोगिता परीक्षा

*1—श्री राम गोबिन (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बतालाने की कृपा करेगें कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग अनुसचिवीय सेवा नियमावली, 1971 के पैरा 5 (ग) (ख) में किये गये प्राविधान के अनुसार मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय में कनिष्ठ उपलेखक एवं प्रालेखक के पद की 50 प्रतिशत रिक्तियां प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती से भरी जाती है ? यदि हां, तो यह परीक्षा कब हुई थी तथा कितने पद भरे गये व भविष्य में परीक्षा कब होगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

जी नहीं। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग अनुसचिवीय सेवा नियमावली, 1971 के नियम 5-ग(ख) में मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग के कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ उपलेखक एवं प्रालेखक के संबंध में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

सुल्तानपुर जिले के नलकूप विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मांग

*2—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सुल्तानपुर जनपद के नलकूप विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 28 मार्च, 1978 से अपनी मागों के लिये धरना दे रहे है। तथा दिनांक 12 अप्रैल, 1978 से उन्होंनें आमरण अनशन भी प्रारम्भ किया है ? क्या यह सही है कि अपनी मागों, जिनमें 1955 से कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण तथा 1969 से कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों के नियमित करने की मांग भी सम्मिलित है, को लेकर अनेकों वर्षों से विभाग का दरवजा खटखटा रहे है तथा कई बार आन्दोलन कर चुके हैं, किन्तु उनका कोई समाधान नहीं किया गया ? क्या स्थिति की गम्भीता को देखते हुये, शासन अविलम्ब उनकी मागों को स्वीकार करेगा ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री शारदा प्रसाद रावत)--

दिनांक 12-4-78 से आमरण अनशन प्रारम्भ करने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में एक व्यक्ति श्री केदार नाथ श्रीवास्तव का पत्र आया था जिसका उत्तर संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा देकर स्थिति से अवगत करा दिया गया है। प्रश्नकर्ता को भी विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही से दिनांक 3-5-78 को अवगत करा दिया गया है।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल---

मान्यवर, मंत्री जी ने मेरे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने अपने प्रश्न में पूछा था कि क्या 28 मार्च 1978 से वे अपनी मांगों के लिये धरना दे रहे हैं तथा 12 अप्रैल, 1978 से उन्होंने आमरण अनशन भी प्रारम्भ किया है और क्या यह सही है उनकी मागों, जिनमें 1955 से कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण तथा 1969 से कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी सम्मिलित है उनका कोई उत्तर न देकर यह कहा गया है कि "एक व्यक्ति श्री केदार नाथ श्रीवास्तव का पत्र आया था जो कि सुल्तानपुर राज्य से संयुक्त परिषद् के अध्यक्ष हैं" तो मैं आपसे प्राथना करता हूं कि आप मेरे मूल प्रश्न का उत्तर दिलवा दें ताकि मैं अनूपूरक प्रश्न कर सकूं।

श्री शारदा प्रसाद रावत---

जिस परिषद् के सुल्तानपुर के अध्यक्ष के होने की बात कही गयी है जो जानकारी अब तक प्राप्त हुई है सम्भवत: उक्त संगठन मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिये एक व्यक्ति की बात कही गयी है। जहां तक 1955 से कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रश्न है इस सम्बन्ध में जो पहला पत्र मिला वह 28 मार्च का मिला। फिर आमरण अनशन की बात थी। इस पत्र में ट्यूबवेल आपरेटर्स जो वर्कचार्ज में थे उनकी बात नहीं थी। वर्ष 1970-74 के बीच के ही ट्यूबवेल आपरेटर्स वर्क चार्ज्ड एस्टेब्लिशमेंट में हैं। वर्ष 1955 तथा 1969 से कौन से लोग वर्क चार्ज्ड स्टेब्लिशमेंट में हैं, उसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल---

मान्यवर, उन्होंने 12 अप्रैल, 1978 से अनशन करने की नोटिस दी। विभाग के उच्च अधिकारी ने 24 अप्रैल, 1978 को इसे टलवाने का आश्वासन दिया। फिर 3 मई, 1978 के बारे में मैंने माननीय सिंचाई मंत्री को सूचना दी। अब फिर मुझे टेलीग्राम मिला है कि फिर वे 12 मई तक हो गया है। 13 तारीख से वे आमरण अनशन करने जा रहे हैं। उस तार की प्रतिलिपि माननीय मंत्री जी को भी मिली होगी, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब वह मांगों को न्यायोचित मानते हैं, तो उसके लिए कोई समय निर्धारित कर सकेंगे कि इतने समय के अन्दर जो उनकी मांगें न्यायोचित होंगी उनको पूरा कर देंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत---

श्रीमन्, उनकी मांगों के औचित्य को मानते हुए दिसम्बर, 1977, में मुख्य अभियन्ता ने 50 रेगुलर और 50 परमानेंट आपरेटरों के पदों की मांग शासन से की है। जून, 1977 में भी यह मांग की गयी थी किन्तु शासन स्तर पर कुछ ऐसी जिज्ञासाएं मांगी गयीं, वित्त विभाग से कि जिसके कारण यह अभी तक संभव नहीं हो सका। हम स्वीकार करते हैं कि चूंकि यह नया डिवीजन संगठित हुआ है, सुल्तानपुर के नल-कूपों का और यहां परमानेंट और रेगुलर स्टाफ नहीं हो पा रहा है, तो इस मांग को पूरा कराने के लिए हम कार्यवाही कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी स्वीकृति मिल जायगी, तो हम तैयार हैं भरने के लिए।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

मैंने यह जानना चाहा था कि कोई निश्चित आश्वासन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीनें का मंत्री जी दे सकेंगे मांगों को स्वीकार करने का, वह नहीं दिया गया ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

आशा अवश्य है कि 3 महीने के अन्दर यह 50 रेगुलर और 50 परमानेंट आपरेटरों के सुल्तानपुर में जो पद मांगे हैं, उनके लिए स्वीकृति मिल जायगी।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

जैसा कि उत्तर दिया कि आशा है कि 3 महीने के अन्दर यह चीज मालूम हो जायगी, तो एक चीज और कर दी कि यह मामला फाइनेंस में पड़ा हुआ है, तो मैं जानना चाहूंगा कि अगर किसी वजह से फाइनेंस अपनी मंजूरी न दे और मंत्री जी उनकी मांगों के औचित्य को मानते हैं, तो उस परिस्थिति में मंत्री क्या करेंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

श्रीमन्, वित्त विभाग कोई अलग सरकार का विभाग नहीं है। मैंने जो आश्वासन दिया है वह इस विश्वास के साथ दिया है और उस जिम्मेदारी के साथ दिया है कि हम जो काम कर रहे हैं, वह वित्त विभाग से उसकी स्वीकृति भी हम ले लेंगे और जो आश्वासन दिया है वह पूरा करने की दृष्टि से दिया है कोई ऐसी बात नहीं है।

छोटी गंडक नदी पर पुल निर्माण हेतु सिंचाई विभाग से सार्वजनिक निर्माण विभाग को धनराशि का स्थानान्तरण

*3--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि 31 मार्च, 1978 को गन्डक निर्माण मन्डल तृतीय द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को एक करोड़ पचहत्तर लाख रुपया व्यय दिखलाने के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही सरकार करने जा रही है ?

श्री बलबीर सिंह--

छोटी गण्डक नदी पर आवागमन हेतु 8 पुलों के निर्माण कार्य को निक्षेप कार्य के रुप में किये जाने हेतु शासन के सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्वीकृति दिनांक 30 मार्च, 1978 को प्राप्त हुई। तदनुसार शासन के वित्तीय नियमों के अनुसार सिंचाई विभाग द्वारा एक करोड़ पचपन लाख रुपये की धनराशि सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में उपरोक्त निर्माण-कार्य को निक्षेप कार्य के रुप में दिये जाने हेतु दिनांक 31 मार्च, 1978 को स्थानान्तरित की गयी।

उपरोक्त कार्यवाही जनहित में शासन के वित्तीय नियमों के अनुसार की गयी और इसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई जिले के भारतीय हायर सेकेन्ड्री स्कूल व हामिद अली, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिहानी के हाईस्कूल का परीक्षाफल

*4--श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई) तथा श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)--

क्या शिक्षा मन्त्री को यह जानकारी है कि हरदोई जनपद के भारतीय विद्यालय, पिहानी तथा हामिद अली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिहानी इन दोनों विद्यालयों का वर्ष 1976-

77 का हाई स्कूल का परीक्षा फल अभी तक नहीं घोषित हुआ है जिससे सैकड़ों छात्रों का भविष्य अंधकारमय है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री काली चरण—

हरदोई जनपद के भारतीय हायर सेकेंडरी स्कूल, पिहानी तथा हामिद अली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिहानी के हाई स्कल परीक्षा, 1977 के किसी भी परीक्षार्थी का परीक्षाफल घोषित होना शेष नहीं है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अशोक बाजपेयी—

मैं जानना चाहूंगा कि सन 1977, में कितने विद्यार्थी हाई स्कूल परीक्षा में शामिल हुए उसमें कितने उत्तीर्ण हुए, कितने अनुत्तीर्ण हुए है?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, उक्त केन्द्र पर कुल 304 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, लेकिन कितने उत्तीर्ण और कितने अनुत्तीर्ण हुए यह नया प्रश्न है। इसकी जिज्ञासा नहीं हुई।

श्री अशोक बाजपेयी—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि अभी तक 132 विद्यार्थियों का परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ ? क्या यह बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री काली चरण —

मैंने बताया कि इस समय परीक्षार्थियों का परीक्षा फल जो घोषित कर दिया है उसका विवरण अगर माननीय सदस्य चाहते हैं,तो श्रीमन्, गणित प्रथम प्रश्न पत्र में उक्त केन्द्र पर सामूहिक रूप से अनुचित साधन के प्रयोग की शिकायत थी। जिसके कारण वहां का परीक्षाफल रोका गया था। जांच के दौरान जो परीक्षार्थी निर्दोष पाये गये उनका परीक्षाफल घोषित कर दिया गया और जो दोषी पाये गये उनका परीक्षाफल निरस्त कर दिया गया।

श्री सन्त बख्श रावत—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी का उत्तर सही नहीं है। मेरी निश्चित जानकारी है कि लगभग 20 छात्र, जिनमें इस माननीय सदन के सदस्य श्री अशोक बाजपेयी के अनुज भ्राता श्री अजय कुमार भी शामिल हैं, के परीक्षाफल घोषित नहीं हुए हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी पुनः जांच कराकर सदन के पटल पर उसे रखेंगे ?

श्री काली चरण—

जहां तक मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य की जानकारी निश्चित नहीं है। वे किसी कही हुई बात पर ही कह रहे हैं। अभिलेखों के आधार पर मैं पूरा विवरण बता सकता हूं। उससे माननीय सदस्य को यकीन हो जायेगा कि उनकी जानकारी सही नहीं है। 432 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे। शुरु में इसलिए परीक्षाफल रोका गया था क्योंकि एक तरह से सामूहिक नकल की शंका थी। जिन विद्यार्थियों ने अन्य विषयों में 55 प्रतिशत या इससे अधिक नम्बर पाये थे, उनके परीक्षाफल पर विचार करके उनका घोषित कर दिया गया। इसका निर्णय 12-8-77 को लिया गया था।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने जो विशेष प्रश्न पूछा है उसी का उत्तर दें कि क्या कोई परीक्षाफल रोका गया है या नहीं ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, अब कोई परीक्षाफल रोका नहीं है, सम्पूर्ण परीक्षाफल घोषित कर दिया है।

श्री अशोक बाजपेयी--

मंत्री जी ने बताया कि 55 प्रतिशत या इससे अधिक जिन छात्रों ने नम्बर पाये, उनका परीक्षाफल घोषित कर दिया गया। शेष का निरस्त कर दिया गया। मंत्री जी ने यह भी बताया कि सामूहिक रूप से नकल हुई, तो जब सामूहिक रूप से नकल हुई, तो वह कौन सा पैमाना था जिसके आधार पर कुछ लोगों का परीक्षाफल घोषित किया गया और उनको उत्तीर्ण किया गया और कुछ को फेल कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो उत्तर दे चुके हैं कि किसी का रोका नहीं गया है।

श्री अशोक बाजपेयी--

श्रीमन्, यह कहा है कि 55 प्रतिशत से कम वालों का घोषित नहीं किया गया, इससे ज्यादा नम्बर जिन छात्रों ने पाये थे, उनका घोषित किया गया।

श्री कालीचरण--

श्रीमन्, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की एक परीक्षा समिति होती है जो जिनका परीक्षाफल रोका जाता है उनके रोकने के औचित्य पर विचार करती है। जो परीक्षार्थी निर्दोष पाये जाते हैं उनका परीक्षाफल घोषित कर देती है और जो दोषी पाये गये उनका परीक्षाफल यह समिति निरस्त कर देती है। मेरे पास इसका पूरा विवरण है। आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे सदन के समक्ष रख दूं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

जिन छात्रों का परीक्षाफल रोका गया है क्या उनके संरक्षकों को इस बात से अवगत करा दिया गया है कि नकल करने की वजह से अमुक छात्र का परीक्षाफल रोका गया है।

श्री काली चरण--

मैंने बताया कि किसी छात्र का परीक्षाफल रोका नहीं है। नकल करने के कारण जिन परीक्षार्थियों का परीक्षाफल निरस्त किया गया उसकी सूचना उनको दी गयी है।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संबंध में। मंत्री जी ने कहा कि उस सेंटर पर गणित के प्रथम पत्र में सामूहिक नकल की गयी, तो मैं एक जानकारी चाहता हूं कि उस प्रश्न पत्र पर, जहां पर सामूहिक नकल हुई थी, तो क्या कोई ऐसा विद्यार्थी हुआ जिसको पास किया गया है ?

श्री काली चरण--

यह तो मैंने पहले ही बताया कि कितने विद्यार्थी पास किये गये और कितने फेल किये गये।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मैं अपना प्रश्न दोहरा रहा हूं। मंत्री जी ने अभी सदन को अवगत किया कि उस सेंटर पर गणित प्रथम पत्र में सामूहिक नकल हुई। और नकल के आधार पर कार्यवाही की गयी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जितने भी पास हुये उनमें से ऐसा व्यक्ति जो उस सामूहिक नकल में शामिल था, उसका परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

मास कापिंग में जो शामिल थे, उसका परीक्षा फल घोषित किया गया है ?

श्री काली चरण--

मैंने बताया कि 432 परीक्षार्थी उस परीक्षा केन्द्र के शामिल हुये थे। शंका के कारण पूरे केन्द्र का परीक्षाफल रोका गया। जांच पड़ताल हुई और जांच पड़ताल होने के बाद परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया और जिनका निरस्त कर दिया गया उनको अलग-अलग सूचना दी गयी।

शिया इन्टर कालेज, लखनऊ के हाई स्कूल का परीक्षाफल

*5--श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि शिया इन्टरमीडिएट कालेज, लखनऊ के हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 1976 के कुछ परीक्षाफल अभी तक घोषित नहीं किए गए है जिससे छात्रों एवं उनके अभिभावकों में असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार तत्काल क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री काली चरण--

शिया इंटर कालेज, लखनऊ के हाई स्कूल परीक्षा, 1976 के किसी भी परीक्षार्थी का परीक्षाफल घोषित होना शेष नहीं है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बिहारी लाल हंस--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि मैं कोई ठोस प्रमाण इस बात का आपके सम्मुख रखूं और वह सही हो, यह 9 तारीख का है। प्रिंसिपल ने लिख कर दिया है कि यहां पर अभी तक कुछ लोगों के नतीजे नहीं आये हैं, तो क्या गलत बयानी करने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री कालीचरण--

श्रीमन्, निश्चित रूप से अगर माननीय सदस्य इसका ठोस प्रमाण दे दें, जैसा उन्होंने कहा, तो जिसने गलत सूचना दी है, उसके विरुद्ध जरूर कार्यवाही की जायेगी।

श्री बिहारी लाल हंस--

ऐसा है मेरे पास कुछ नाम हैं और इस प्रकार से है। सैयद शबीदुल हसन, आलिम हुसैन, हसन रजा, जावेद आलम तो पांच छः नाम ऐसे हैं हमारे पास बराबर आते रहते हैं। 25 लड़के और हैं जिनका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। प्रिंसिपल ने लिखकर दिया है कि इन लोगों का रिजल्ट प्राप्त नहीं है। (माननीय सदस्य ने एक पत्र दिखाया) मेरे पास रिसीट है, अगर आप चाहें तो मैं दे दूं।

श्री अध्यक्ष--

आप दे दीजियगा। आप प्रश्न पूछिये।

श्री बिहारी लाल हंस--

तो क्या मेरी जानकारी को सही मानकर आप उनके खिलाफ जिन्होंने गलत बयानी की है, कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो आश्वासन दे चुके हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इनका 1976 के परीक्षाफल के साथ घोषित किया गया या बाद में इनका परीक्षाफल घोषित किया गया था ?

श्री काली चरण--

शिया इंटर कालेज के छात्र लखनऊ के नेशनल इंटर कालेज केन्द्र की परीक्षा में शामिल हुये थे। जिसमें गणित में सामूहिक अनुचित साधन के प्रयोग के संबंध में 36 का परीक्षाफल रोक लिया गया। जांच के बाद 6 परीक्षार्थी निर्दोष साबित हुये उनका परीक्षाफल घोषित कर दिया गया। इसके बाद आरोप प्रमाणित होने पर 16 परीक्षार्थी 1976 की परीक्षा निरस्त करने और 5 परीक्षार्थियों को 1976 की परीक्षा निरस्त करने में और 1977 की परीक्षा में बठने से वंचित कर दिया गया। इसकी सूचना भी 17-11-76 को प्रेषित कर दी गयी। 9 परीक्षार्थी जांच के समय अनुपस्थित थे इसलिये उनके विरुद्ध डाक से आरोप पत्र भेजे गये। उनका निर्णय होने के बाद 26-12-76 को संबंधित विद्यालयों को उसकी सूचना भेजी गयी और अब कोई परीक्षाफल अनिर्णीत नहीं है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस विद्यालय के छात्रों के संबंध में भी यही प्रत्तिक्रिया अपनाई गयी कि 55 प्रतिशत से अंक ज्यादा जिन्होंने पाये थे, उनको उत्तीर्ण घोषित किया गया ? दूसरे यह देखते हुये कि जिसने अधिक नकल किया और 55 प्रतिशत सेअधिक नम्बर पाये इसलिये क्या उनको उत्तीर्ण घोषित कर दिया ?

श्री अध्यक्ष--

दलील प्रश्नों में नहीं दी जाती है। आप यह प्रश्न करें कि क्या इन विद्यार्थियों को भी यदि 55 प्रतिशत नम्बर मिले हैं, तो उनको पास करेंगे ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, सम्पूर्ण परीक्षार्थियों के साथ एक ही प्रक्रिया अपनाई जाती है।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

मैं जानना चाहता हूं कि जो मंत्री जी ने कहा कि जांच करने के बाद जो छात्र निर्दोष पाये जाते हैं उनको उत्तीर्ण और दूसरों को फेल किया जाता है, तो जांच का क्या माप दंड है और कौन अधिकारी जांच करते हैं ?

श्री कालीचरण--

मैंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद एक स्वायत्त सेवी संस्था है जो परीक्षाओं का संचालन करने के लिये और उसमें की गयी किसी गड़बड़ी के लिये एक परीक्षा समिति, उसकी उत्तरदायी समिति है। वह अपनी समिति के माध्यम से इसकी जांच कराती है। वही समिति इसमें निर्णय लेती है और वह निर्णय अंतिम निर्णय होता है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

क्या मंत्री जी इसको देख कर कि नकल के कारण परीक्षार्थियों के परीक्षाफल देर से निकलते हैं और पुलिस को पहरा देना पड़ता है। इसको देखते हुये नकल को क्या वैधानिक छूट देने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह नहीं।

प्रदेश में सीमेंट का संकट

*6—श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में इस समय सीमेंट का संकट पैदा हो गया है और सीमेंट के अभाव में अधिकांश निर्माण कार्य ठप हो गये है । यदि हां, तो सीमेंट के अभाव को दूर करने के लिये कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री हरिशचन्द्र)—

भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को आवश्यकता से कम सीमेंट आबंटन किये जाने के कारण निर्माण कार्यों की गति धीमी है । प्रदेश का सीमेंट का कोटा बढ़ाने हेतु भारत सरकार को बराबर लिखा जा रहा है इसके अतिरिक्त सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन 'कजरहट–चुनार सीमेंट' परियोजना कार्यान्वित कर रहा है जिसका लक्ष्य प्रति वर्ष 16 लाख टन सीमेंट उत्पादन का है ।

श्री हरि केवल प्रसाद—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1976-77 में कुल कितनी सीमेंट प्रदेश को मिलती थी और इस वर्ष कुल कितनी सीमेंट प्राप्त हुई है ?

श्री हरिशचन्द्र—

मान्यवर, 1977 में कुल सीमेंट 20,52,000 टन और 1978 में दो त्रैमास में 10,45,000 टन सीमेंट प्राप्त हुई है ।

श्री हरि केवल प्रसाद—

क्या माननीय खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार को कब पत्र लिखा गया है और दूसरा सवाल यह है कि क्या यह सही है कि सीमेंट के कारखानों में उत्पादन घट गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

श्री हरिशचन्द्र—

भारत सरकार से जो पत्र-व्यवहार हुए हैं, उनकी संख्या 8 है । टेलेक्स की संख्या एक है, अधिकारियों से मंत्री स्तर पर 9 बार वार्तायें हो चुकी हैं । संसद सदस्यों को भी एक बार पत्र लिखा गया है । इस संबंध में निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं :—

12–12–77 को खाद्य सचिव द्वारा क्षेत्रीय सीमेंट नियंत्रक को एक पत्र लिखा गया, इसी तरह से 19–12–77 को खाद्य मंत्री द्वारा केन्द्रीय उद्योग मंत्री को, 20–12–77 संयुक्त सचिव द्वारा सीमेंट नियंत्रक को, 20–1–78 को मुख्यमंत्री द्वारा प्रधान मंत्री को, 28–2–78 को खाद्य मंत्री द्वारा केन्द्रीय उद्योग मंत्री को, 16–3–78 को खाद्य सचिव द्वारा सीमेंट नियंत्रक को, 16–3–78 को खाद्य मंत्री द्वारा केन्द्रीय उद्योग मंत्री को, 30–3–78 को खाद्य मंत्री द्वारा केन्द्रीय उद्योग मंत्री को, 30–4–78 को खाद्य मंत्री द्वारा केन्द्रीय गृहमंत्री को तथा 7–4–78 को खाद्य मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी ससद सदस्यों को ।

श्री हरि केवल प्रसाद—

मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि प्रदेश के सीमेन्ट कारखानों में सीमेंट के उत्पादन में कितने परसेंट की कमी हुई है यदि हुई है, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ये चुर्क के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या वहां कम उत्पादन हुआ है ? इस बारे में आपको कोई जानकारी है ?

श्री हरिशचन्द्र—

माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे थे। पहले का उत्तर दे रहा था और दूसरे का देने जा रहा था। चुर्क और डल्ला के-दोनों सीमेंट की फैक्टरियों में उत्पादन कुछ कम हो गया है लेकिन इस समय की जो रिपोर्ट है, वह यह है कि उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने केन्द्र सरकार से उत्तर प्रदेश की आवश्यकतानुसार कितनी सीमेंट की डिमान्ड की है ?

श्री हरिशचन्द्र—

इस त्रैमास के लिये 9 लाख टन की डिमांड भेजी गई है, जिसके अगेन्स्ट में 4 लाख 95 हजार टन सीमेंट हमें प्राप्त हुई है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मैं मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि उनके आठ बार पत्र व्यवहार करने के बावजूद प्रदेश को सीमेंट का कम एलाटमेंट हुआ ? इसके क्या कारण थे ?

श्री हरीशचन्द्र—

उत्तर में यह आया है कि उत्पादन बढ़ने पर आपकी डिमांड पर विचार किया जायगा।

श्री श्याम धर मिश्र—

मैं मंत्री जी के उत्तर से संदर्भित एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि प्रदेश के सीमेंट कारखानों में उत्पादन कम हुआ है जो शायद इसलिये हुआ है कि इस बार बिजली की कुछ अधिक कटौती की गई है ? दूसरी बात यह बताने का कष्ट करें कि जैसा कि उन्होंने बजट भाषण में मिनी सीमेंट प्लान्ट्स के लगाने की बात कही है, तो उस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

श्री हरिशचन्द्र—

जैसा कि मैंने निवेदन किया कि चुनार में हम एक सीमेंट की फैक्टरी लगाने जा रहे हैं जिसमें सितंबर, 1979 तक कार्य शुरू हो जायेगा। इसकी उत्पादन क्षमता 16 लाख टन की है।

श्री श्याम धर मिश्र—

मैंने मिनी प्लान्ट्स के बारे में पूछा था ?

श्री अध्यक्ष—

मिनी प्लान्ट्स के बारे में प्रदेश में क्या काम हुआ ?

श्री हरिशचन्द्र—

जी नहीं।

तहसील हाटा जिला देवरिया, के अन्तर्गत निरस्त की गयी सस्ते गल्ले की दुकान

*7—श्री श्रीनारायण—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हाटा जिला दवरिया की 26 (छब्बीस) सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान एक ही साथ दिनांक 29 मार्च, 1978 को निरस्त कर दी गई ? यदि हां, तो किन कारणों से ? इन दुकानदारों के खिलाफ अलग-अलग क्या शिकायतें हैं ? क्या यह सही है कि तहसील हाटा की परामर्शदात्री समिति के चार सदस्यों की संस्तुति पर ये 26 दुकानें एक साथ निरस्त की गई है ?

श्री हरिशचन्द्र—

जी नहीं, एक ही साथ 26 दुकानें निरस्त नहीं हुई है वरन् जनपद देवरिया में हाटा तहसील की 25 सरकारी सस्ते गल्ले/चीनी की दुकानें दिनांक 29 मार्च, 1978 को तथा एक दुकान दिनांक 9/10 फरवरी, 1978 को निरस्त की गई थी। ये सभी दुकाने वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी करने एवं अनियमिततायें बरतने की कुख्याति अथवा तत्संबंधी शिकायतों के कारण हुई स्क्रीनिंग/जांच के फलस्वरूप तहसील खाद्य परामर्शदात्री समिति द्वारा अपनी दिनांक 15 मार्च, 1978 की बैठक में कृत संस्तुतियों के आधार पर निरस्त की गई थीं। निरस्त की गई दुकानों के विरुद्ध शिकायतों का विवरण संलग्न तालिका में दिया है। यह सही है कि तहसील खाद्य परामर्शदात्री समिति की उक्त दिनांक 15 मार्च, 1978 को हुई बैठक में समिति के चार गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 257 पर।)

श्री श्रीनारायण—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि श्री जय नारायण गर्ग के खिलाफ कौन-कौन सी शिकायतें थीं ? और वे शिकायतें किसने की हैं ?

श्री हरिशचन्द्र—

मान्यवर, जय नारायण गर्ग के विरुद्ध यह आरोप था कि यह कुख्यात चीनी वितरण में है...

श्री श्रीनारायण—

हमारा प्रश्न यह है कि कौन सी शिकायतें थी। असलियत यह है कि कोई भी शिकायत नहीं थी, खाद्य समिति के लोगों ने खाली यह नोटिस दी कि आपकी दुकान कुख्यात है, इसी आधार पर इनकी दुकान निरस्त की गई, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन दूकानदारों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी, उनको फिर से चालू कराने का कष्ट किया जायेगा ?

श्री हरिशचन्द्र—

जिसकी दूकान निरस्त हुई है उसको सुविधा है कि वह इसके विरुद्ध अपील कर सकते है।

श्री श्रीनारायण—

जब गर्ग के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी, तो क्या सरकार अपनी तरफ से जांच करने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

उत्तर आ गया है।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि बिना जांच किये हुए ही और केवल अभियोग समिति के सदस्यों के आरोप पर इनका निलम्बन किया गया ?

श्री हरिशचन्द्र—

मान्यवर, जो आरोप लगाय गये उसके संबंध में शो काज नोटिस दी गयी थी और उसका उत्तर आने के बाद समिति और एस0 डी0 एम0 उससे संतुष्ट नहीं हुए इसलिये निरस्त कर दी गयी ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो यह 26 दूकानदार निरस्त कर दिये गये खाद्य समिति की संस्तुति पर, तो खाद्य समिति ने क्या रिपोर्ट दी थी, कौन-कौन सी गड़-बड़ियां बतलाई थीं जिस पर जिलाधिकारी ने उनके खिलाफ ऐक्शन लिया, इसको स्पष्ट बतलायें । मान्यवर, मुझे यह बतायें कि वे दुकानें निरस्त हुई हैं, तो क्यों निरस्त हुई है । उन दूकानों को निरस्त करने के लिये जो प्रार्थना-पत्र दिया गया है, वह भी किसी ऐसे खास व्यक्ति के द्वारा नहीं दिया गया है । उन दूकानों के निरस्त हो जाने के कारण चीनी वितरण में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गई है और इस कारण से जनता में बड़ा हाहाकार मचा हुआ है और जनता को चीनी नहीं मिल रही है । यह समय शादी विवाह का समय है, अतः तत्काल उन दूकानों को चलाने के आदेश माननीय खाद्य मंत्री जी क्या देने की कृपा करेंगे जिससे कि शादी विवाह में जनता को कठिनाई न हो ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य इसको प्रश्न की शक्ल में रखें । क्या माननीय मंत्री जी इस पर भी विचार करेंगे कि जो दुकान निरस्त की गई है, उनकी पुनः जांच के आदेश देंगे और यदि जांच के उपरान्त उनके विरूद्ध आरोप निराधार पाये जायं तो क्या पुनः उन दूकानों को चलाने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री हरिशचन्द्र—

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि उन्हें अधिकार है कि वह उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में कर सकते हैं । उसमें 3 दूकानें निलंबित थीं, जो निरस्त हुई है और 6 दूकानें ऐसी थीं, जिन पर ब्लैक मारकेटिंग करने के आरोप थे तथा 5 दूकानों में अनियमिततायें पाई गई है और 12 दूकाने में स्क्रीनिंग में कैंसिल की गई है । मान्यवर, मैं इस सारी स्थिति की जांच करवा लूंगा ।

तहसील हाटा, जिला देवरिया में लेवी चीनी का आबंटन

*8—श्री श्रीनारायण—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की हाटा तहसील में अप्रैल, 1978 मास का चीनी का कोटा नहीं दिया गया जिससे रामनवमी के अवसर पर चीनी का वितरण सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से नही हुआ ? क्या यह सही है कि आर0 एफ0 सी0 गोदाम से ही चीनी की निकासी नहीं हुई थी ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री हरिशचन्द्र—

जिला देवरिया की तहसील हाटा में कोटेदारों को लेवी चीनी का आबंटन 10 अप्रैल, 1978 को किया गया था । रामनवमी के पहले 31 कोटेदारों ने भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से चीनी उठाकर आंशिक वितरण भी कर दिया था । क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक के गोदाम से चीनी की निकासी नहीं होती है। इस कारण शेष प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के कतिपय जिलों में लगाये गये युवक शिविरों पर व्यय की गयी धनराशि

*9—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1978 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 25 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि "सार्वजनिक धन के दुरुपयोग एवं अपव्यय" के लिये जिम्मेदार कौन लोग है एवं शासन उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री बलवीर सिंह—

उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने एवं संबंधित व्यक्तियों क विरुद्ध मुकदमा कायमी आदि के संबंध में महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश से राय ली जा रही है ।

नलकूप खंड भदोही, वाराणसी में इश्यू किया गया कालम पाइप

*10—श्री बेचू राम (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि 1 जनवरी, 1977 से 31 मार्च, 1978 तक वाराणसी की तहसील ज्ञानपुर में कितने कालम पाइप इश्यू हुए, उनमें से कितने कार्यरत है, कितने नीलाम कर दिये गये और कितने स्टोर में मौजूद है ? क्या सरकार सेंट्रल स्टोर की जांच किसी अभिकरण द्वारा कराएगी ?

श्री बलवीर सिंह—

वाराणसी जनपद की तहसील ज्ञानपुर के नलकूपों पर 1-1-77 से 31-3-78 तक विभिन्न साइज एवं प्रकार का 773-30 मीटर कालम पाइप इशू किया गया, इनमें से सभी कार्यरत है । दिनांक 1-4-78 को नलकूप प्रखंड भदोही में कुल 594-30 मीटर कालम पाइप विभिन्न प्रकार के अवशेष है । अतः जांच का प्रश्न ही नहीं उठता ।

ज्ञानपुर तहसील वाराणसी के नलकूपों की सिविल एवं मेकेनिकल पंजिका

*11—श्री बेचूराम—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी जनपद के ज्ञानपुर तहसील में अधिकांश नलकूप ऐसे है, जहां एक जनवरी, 1977 से 31 मार्च, 1978 तक सिविल पंजिका एवं मकेनिकल पंजिका में सामानों के बदलने, नालियों की सफाई आदि का विवरण अंकित नहीं हैं ? यदि हां तो क्यों? कितने ? कौन-कौन ? और यदि नहीं, तो प्रत्येक राजकीय नलकूप का उपरोक्त सन्दर्भ में पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री बलवीर सिंह—

वाराणसी जनपद के ज्ञानपुर तहसील के सभी नलकूपों पर दिनांक 1-1-1977 से 31-3-1978 तक सामानों के बदलने तथा नालियों के सफाई आदि का विवरण सिविल एवं मेकेनिकल पंजिका में अंकित हैं ।

बाराबंकी, हैदरगढ़-सुबेहा सड़क हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

*12—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर), श्री राम आसरे वर्मा, श्री गुलाब सहरा तथा श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी में तहसील हैदरगढ़ से सुबेहा तक बनी सड़क के लिये ग्राम लोदीपुर के निकट रहने वाले किसानों की भूमि 1975-76 में अधिग्रहीत की गई थी जिसका मुआवजा किसानों को अब तक नहीं दिया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में दिनांक 15 अक्तूबर, 1977 एवं 4 नवम्बर, 1977 का प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही न किए जान का क्या कारण है और मुआवजा का भुगतान किसानों को कब तक कर दिया जाएगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण के लिये स्थाई रूप से 25.20 एकड़ भूमि अर्जित की गयी थी जिसका 54,013 रुपया 90 पैसा प्रतिकर का भुगतान भू-स्वामियों को कर दिया गया है और शेष 5,077 रुपया 71 पैसा प्रतिकर की धनराशि को भू-स्वामियों के उपस्थित न होने के कारण आर० डी० के मद में जमा कर दिया गया है। इसी प्रकार अस्थाई रूप से 22.35 एकड़ अधिग्रहीत की गयी भूमि का 660 रुपये 39 पैसे प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है और 888 रुपये 11 पैसे प्रतिकर की धनराशि को भू-स्वामियों के उपस्थित न होने के कारण आर० डी० के मद में जमा कर दिया गया है।

इस संबंध में एक प्रार्थना-पत्र अक्टूबर, 1977 में तथा उसकी एक प्रतिलिपि जनवरी, 1978 में प्राप्त हुई। उक्त प्रार्थना-पत्रों पर जांच कराई गयी और यह ज्ञात हुआ कि उक्त मार्ग के निर्माण के लिये मरुई ग्राम में मो०शाकिर तथा दो अन्य भू-स्वामियों की आराजी ली गयी है किन्तु मूल भूमि अर्जन प्रस्ताव में भूल से शामिल होने से रह गयी। अब विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बाराबंकी को उक्त भूमि के पूरक प्रस्ताव इस माह प्रस्तुत कर दिये जायेंगे और प्रश्नगत भूमि अर्जन सम्बन्धी कार्यवाही करने के बाद मोहम्मद शाकिर तथा अन्य को मुआवजा जल्द से जल्द दे दिया जायेगा।

गोरखपुर जिले के ग्राम चौरंगपुर मदरहा, कपरौली तथा बेतवा का नलकूप

*13—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निचलौल ब्लाक जनपद गोरखपुर के ग्राम सभा चौरंगपुर, बेतवां कामरौली में सिंचाई विभाग द्वारा जो नलकूप लगाए गये थे, खराब होने के कारण फरवरी, 1978 में उखाड़ लिए गए, जिसके पुनः न लगाने से से हजारों एकड़ गन्ने तथा गेहूं का फसल सूख रही है? यदि हां, तो सरकार अविलम्ब नलकूप लगाने की व्यवस्था करेगी?

श्री बलवीर सिंह—

जनपद गोरखपुर के निचलौल ब्लाक के ग्राम चौरंगपुर मदरहा गंडक कमांड क्षेत्र में आता है। चूंकि गंडक कमांड क्षेत्र में सामान्य नलकूप लगाना प्रस्तावित नहीं है। अतएव दिनांक 1-8-77 को चौरंगपुर मदरहा का नलकूप फेल हो जाने पर उसका पाइप फरवरी, 78 में निकाल लिया गया। इसके निर्माण का प्रस्ताव नहीं है।

इटहिया ग्राम के राजकीय नलकूप से बेतवा ग्राम की आपासी होती है। कपरौली ग्राम में, न कि कापरौली ग्राम सभा में राजकीय नलकूप है। उपरोक्त दोनों नलकूप कार्यरत हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर जिले में अध्यापकों के पद का विज्ञापन

*1—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिला विद्यालय निरीक्षक को अध्यापकों की नियुक्ति हेतु किन-किन विद्यालयों ने जिला विद्यालय निरीक्षक का आवेदन-पत्र आमन्त्रित करने का अधिकार प्राप्त होने की तिथि से 31 अगस्त, 1977 तक नियुक्ति हेतु लिखा है? उसमें से किन-किन विद्यालयों में किस-किस विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र मांगे गए और उसमें से कितने-कितने पदों पर नियुक्तियां की गई हैं? क्या यह सही है कि इन नियुक्तियों में विलम्ब हुआ है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है?

श्री काली चरण—

संलग्न सूची के अनुसार गोरखपुर के 34 विद्यालयों ने 135 पदों की विज्ञापित करने की अनुमति हेतु 31–8–77 तक विद्यालय निरीक्षक को लिखा।

सभी 34 विद्यालयों में उक्त सूची के अनुसार 135 पदो को विज्ञप्तियां किया। उनमें से 41 पदों पर नियुक्तियां की गई और 88 पदों पर तदर्थ रूप से कार्यरत अध्यापकों की सेवायें नियमित की गईं। शेष 8 पदों के प्रकरण विवादास्पद होने के कारण उन पर नियुक्तियां नहीं की गईं।

जी हां, उपरोक्त 41 नियुक्तियों में से 5 मामलों में विलम्ब हुआ जो अभ्यर्थियों को देव गुणांक का त्रुटिपूर्ण आगणन होने तथा उसकी जांच में समय लगने के कारण हुआ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 258–263 पर)

हीरालाल राम निवास डिग्री कालेज, बस्ती मे तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था किये जाने की मांग

*2—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 25 सितम्बर, 1975 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री (डा0 रामजीलाल सहायक) ने हीरालाल राम निवास डिग्री कालेज, खलीलाबाद, बस्ती के वाणिज्य संकाय एवं कबीर शोध संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर यह घोषणा की थी कि इस महाविद्यालय में तकनीकी शिक्षा के पठन–पाठन की व्यवस्था की जाएगी? यदि हां, तो उसे सरकार कब तक कार्यान्वित करने जा रही है?

श्री काली चरण—

इस घोषणा की कोई सूचना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी, शारदा सहायक नहर पर पुल निर्माण हेतु खनबाहा के निवासियों का प्रार्थना पत्र

*3—श्री मोहम्मद शमीम अन्सारी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम खनबाहा ब्लाक देवा, जिला बाराबंकी के निवसियों के प्रार्थना–पत्र नवनिर्मित नहर पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में सन् 1973 से अब तक समय-समय पर प्राप्त हुए है? क्या सरकार जनहित में पुल बनवाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक बनने की आशा है? यदि नही, तो क्यों?

श्री बलवीर सिह—

जी हां। ग्राम क्या खनबाहा के निवासियों के द्वारा शारदा सहायक पोषक नहर के कि0 मी0 125.25 पर पुल बनाने की मांग की गई थी। चूंकि इस स्थान के ऊपर तथा नीचे की ओर पोषक नहर पर क्रमशः लगभग 1 कि0 मी0 व 2 कि0 मी0 को दूरी पर पुल बने हैं अतएव उक्त स्थान पर पुल बनाने का कोई औचित्य नहीं हैं। स्वीकृत परियोजना के अनुसार इतनी बड़ी क्षमता की नहर पर पुलों की दूरी 3 से 5 कि0 मि0 तक रखी गई है।

कानपुर, तहसील घाटमपुर में चीनी के रिटेलरों की सूची

*4—श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद की घाटमपुर तहसील की खाद्य परामर्शदात्री समिति के निर्णय को मानकर वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने चीनी रिटेलरों की नियुक्तियां मनमानी ढंग से की हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार रिटेलरों की एक सूची सदन के पटल पर रखेगी?

श्री हरिशचन्द्र—

जी नहीं, मनमानी ढंग से नियुक्तियां नहीं की गई। ऐसा कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया जिसमें तहसील खाद्य परामर्शदात्री समिति की संस्तुति को न मान कर किसी रिटेलर की नियुक्ति की गई हो।

रिटेलरों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 264–265 पर)

नेहरू विद्यापीठ इन्टर कालेज, गाजीपुर के प्रबंधक के विरुद्ध थाने में लिखाई गयी गबन की रिपोर्ट

*5—श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेहरू विद्यापीठ इन्टर कालेज, रेवतीपुर, गाजीपुर के प्रबन्धक (श्री शिवशंकरसिंह यादव) के विरुद्ध सितम्बर, 1975 में जिला विद्यालय निरीक्षक ने 13,422.27 रु0 के सार्वजनिक धन के अपहरण की प्रथम सूचना पुलिस को दी थी तथा सन् 1977 में विद्यालय के नामिका निरीक्षण में उनके विरुद्ध 10,425.73 रु0 के सार्वजनिक धन का अपहरण पाया गया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई?

श्री कालीचरण—

जी हां।

विशेष सम्परीक्षण कराया गया जिसमें आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

जय नारायण इन्टर कालेज, लखनऊ की प्रबन्ध समिति की मीटिंग में लिया गया निर्णय

*6—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1975 में शासन ने (उप शिक्षा निदेशक ने) लखनऊ जनपद के जय नारायण इन्टर कालेज की "विद्यालय प्रशासन व्यवस्था" (स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन) को त्रुटिपूर्ण एवं उसमें संशोधन अपेक्षित बताया था? क्या यह सही है कि विद्यालय की वर्तमान प्रबन्ध समिति का गठन उसी के आधार पर हुआ है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वर्ष 1976 तथा 1978 के दिनांक 28 फरवरी, तक उक्त गठित प्रबन्ध समिति की कितनी मीटिंग्स हुई और उसमें लिए गए सभी निर्णयों का कार्यान्वयन हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कालीचरण—

जी हां।

वर्तमान प्रबन्ध समिति का गठन पूर्व अनुमोदित प्रशासन योजना के अनुसार हुआ है।

इस अवधि में विद्यालय की प्रबन्ध समिति की 14 मीटिंगें हुई जिसमें 120 प्रस्ताव पारित हुये। एक प्रस्ताव जो अध्यापकों के प्राविडन्ट फंड के गबन की धनराशि का अध्यापकों द्वारा विवरण प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में था, को छोड़ कर सभी निर्णय कार्यान्वित हो चके हैं। प्राविडेन्ट फंड के प्रकरण को शीघ्र निपटाने हेतु, प्रबन्धाधिकरण को लिखा जा रहा है।

इंजीनियरिंग कालेज इलाहाबाद के प्रधानाचार्य, डा० जगदीश लाल, द्वारा गाजियाबाद में स्थापित कम्पनी

*7—श्री गुरु प्रसाद तथा डाक्टर जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के प्रधानाचार्य डा० जगदीश लाल ने अपनी कम्पनी सर्व इंजीनियरिंग में बिजली प्राप्त करने के लिये अधिशासी अभियन्ता विद्युत, गाजियाबाद को दिनांक 23 नवम्बर, 1973 को अन्य सम्बन्धित कागजातों सहित प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या उन्हे नौकरी में होते उद्योग लगाने की अनुमति दी गई थी ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मनोकरण कन्या जूनियर हाईस्कूल, शाहजहांपुर के कर्मचारियों एवं अध्यापिकाओं के वेतन का भुगतान

*8—श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि मनोकरण कन्या जूनियर हाई स्कूल, शाहजहांपुर की अध्यापिकाओं और कर्मचारियों के वेतन का गत कई मासों से भुगतान नही किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त स्टाफ के वेतन का भुगतान शीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

किसान इन्टर कालेज, सीतापुर के प्रधानाचार्यों के विरुद्ध थाने में लिखाई गयी रिपोर्ट

*9—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान इंटर कालेज, सरैया, जनपद सीतापुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध दिनांक 4 सितम्बर, 1967 को थाना रामपुर कलां में विद्यार्थी सहकारी उपभोक्ता भंडार के गबन के संबन्ध में क्या कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काली चरण—

जी हां। पुलिस अधीक्षक, सीतापुर ने सूचित किया है कि प्रकरण पर कोआपरेटिव सल लखनऊ द्वारा विवेचना हो रही है।

लोक सेवा अधिकरण के निर्णय के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों की प्रोन्नति

*10—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा अधिकरण क्लेम नं 01452/11-76, दिनांक 8 दिसम्बर, 1977 के निर्णयानुसार बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को ही प्रोन्नति का अधिकारी माना गया है ? यदि हां, तो इस निर्णय से पूर्व जिन राजकीय अध्यापकों की प्रोन्नति की गयी है उन्हें रद्द कर परिषदीय अध्यापकों की प्रोन्नति के आदेश दे दिए गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण—

(क) जी हां,

(ख) जी हां,

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रतापगढ़ जिले के लघु माध्यमिक विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनमान में असमानता

*11—श्री राम देव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत विभिन्न योजनान्तर्गत खोले गए लघु माध्यमिक विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनक्रम दिया जा रहा है किन्तु जिला परिषदों से हस्तांतरित अन्य लघु माध्यमिक विद्यालयों के इसी श्रेणी के कर्मचारियों को अभी पुराना वेतन-मान ही दिया जा रहा है जबकि दोनों प्रकार के कर्मचारी पूर्ण कालिक हैं और एक ही प्रकार का कार्य सम्पादन करते हैं ? यदि हां, तो ऐसी विषमता क्यों ? क्या सरकार अविलम्ब ही इन्हें पुनरीक्षित वेतन-मान देने की कृपा करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण—

पंचम पंचवर्षीय योजनान्तर्गत खोले गये लघु माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का पद स्वीकृत नहीं है। कार्य की सुविधा की दृष्टि से जिलास्तर पर आयोजनेतर पक्ष में नियुक्त विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से आयोजनागत विद्यालयों में कार्य कराया जाता है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र स्थित किसी भी विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन-मान में वेतन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अभी यह प्रश्न शासन के सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

[10 मई, 1978 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

राजकीय पालीटेकनिक, बस्ती के कर्मशाला भवन का निर्माण

*1—श्री सुखपाल पांडे (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय पालिटेक्निक, बस्ती के कर्मशाला भवन का मानचित्र कितने लागत का बना था? क्या यह यही है कि कर्मशाला भवन की फर्श का निर्माण अब तक नहीं कराया गया और भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध सरकार कौन-सी कार्यवाही करने को सोच रही है ?

श्री कालीचरण—

राजकीय पालीटेकनिक, बस्ती के कर्मशाला भवन का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है । उसके मानचित्र में दिखाया हुआ निर्माण कार्य का विस्तृत आगणन रु 07,44,000 का स्वीकृत हुआ था । सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार कर्मशाला भवन के फर्श को अभी पक्का नहीं कराया गया है और न इस कार्य के लिये भुगतान ही किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले के गंडक नहर के मंझरिया पुल का क्षतिग्रस्त पाया और ध्वस्त पुल की जांच रिपोर्ट

*2—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद में पडरौना तहसील के सेवहरी टाउन से पांच किलोमीटर पश्चिम मुख्य गण्डक नहर पर मंझरिया स्केप का पाया जुलाई, 1976 के चतुर्थ सप्ताह में ध्वस्त हो गया था जिससे कसिया-फाजिल नगर-देवरिया-पडरौना का यातायात अवरुद्ध हो गया था ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है ?

श्री बलबीर सिंह—

प्रथम भाग

(1) जी हां, मंझरिया स्केप के पुल का एक पाया दिनांक 21-7-1976 को ध्वस्त हो गया था।

(2) इस पुल के एक पाये के ध्वस्त होने से कसिया फाजिल नगर व देवरिया के यातायात में कोई अन्तर नहीं आया क्योंकि यह मार्ग अलग है। प्रश्नगत पुल पडरौना से तमकुही/सेवरिया के रास्ते में है। यहां भी यातायात अवरुद्ध नहीं हुआ क्योंकि स्केप की सर्विस रोड पर यातायात चलता रहा।

द्वितीय भाग

प्रश्नगत पुल के बायें किनारे का पाया ध्वस्त हुआ था, पाये का पुनः निर्माण कराकर यातायात अक्तूबर, 1977 में चालू कर दिया गया है।

*3—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सिंचाई मन्त्री को यह भी जानकारी है कि उक्त पुल के निर्माण में दस लाख रुपए से अधिक धनराशि खर्च हुई थी ? यदि हां, तो क्या उसने अल्पकाल में पुल के ध्वस्त होने के कारणों की तकनीकी जांच उच्च विशेषज्ञों से कराई तथा पुल निर्माण से सम्बद्ध अधिकारियों, कर्मचारियों तथा ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलबीर सिंह—

जी नहीं। पुल की मूल निर्माण लागत 3.73 लाख रुपये है।

प्रश्नगत पुल के ध्वस्त होने की जांच तीन अधीक्षण अभियन्ताओं की एक कमेटी द्वारा कराई गई। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित अभिशासी अभियन्ता श्री कृष्ण चन्द्र सरीन को चेतावनी दी गई तथा श्री के0 डी0 शुक्ला, सहायक अभियन्ता व श्री क्षेत्रपाल तिवारी, अवर-अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

खाद्यान्नों के मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण

*4—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि सरकार खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो वह प्रभावी कदम क्या है ?

श्री हरिशचन्द्र—

खाद्यान्नों के खुले बाजार में मूल्यों पर नियंत्रण रखने एवं उन्हें उचित स्तर से अधिक बढ़ने से रोकने के लिये शासन पहले से ही जागरूक है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय समय पर जो मुख्य कदम उठाये गये हैं उनका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ 266 पर)

*5—श्री सुखपाल पांडेय—

[दिनांक 19-4-78 को तारांकित प्रश्न संख्या 61 द्वारा उत्तरित]

राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों की हड़ताल की अवधि के वेतन का भुगतान

*6—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के हड़ताल की अवधि (अक्तूबर, नवम्बर, 1977 में की गई हड़ताल) का वेतन दिलाने सम्बन्धी जो राजाज्ञायें जारी की जा चुकी हैं उनके परिपालन के बाद भी जिन्हें वेतन देना सम्भव नहीं हो सका उन्हें वेतन दिलाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कालीचरण—

प्रश्नगत हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान समस्त सम्बन्धित अध्यापकों को किया जा चुका है।

क्वींस कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य श्री प्रकाश नारायण मिश्र के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अधीन निर्मित विनिमय संस्था, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत क्वींस कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कोई जांच समिति 1 दिसम्बर, 1977 को गठित की गई ? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं तथा शिकायतों को प्राग्दर्शन में सही पाकर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री काली चरण—

जी हां।

विद्यालय में नियुक्त प्रशासक द्वारा 1-12-77 को जांच समिति गठित की गई थी।

विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री प्रकाश नारायण मिश्र के विरुद्ध आर्थिक अनियमितता कर्त्तव्य उपेक्षा, अस्वस्थ प्रशासन तथा पक्षपात व दुराशय के संबंध में शिकायतें थीं। श्री मिश्र को 3-12-77 को निलम्बित कर दिया गया था। जांच समिति द्वारा उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच की जा रही है। श्री मिश्र का निलम्बन 7-3-78 को समाप्त कर दिया गया है। दिनांक 8-3-78 का कार्यभार ग्रहण करने पर आरोप-पत्र उनको हस्तगत कराया जा चुका है। अभी श्री मिश्र का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है जिस प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

बी० टी० सी० अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी पत्र

*8—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेरोजगार प्रशिक्षित बी० टी० सी० अध्यापकों की नियुक्तियों में हुई गड़बड़ियों के बारे में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 9 जनवरी, 1978 का पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही हैं और प्रदेश के ऐसे बरोजगार प्रशिक्षित अध्यापकों को क्या सरकार शीघ्र रोजगार सुलभ करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

जी हां।

संदर्भगत पत्र में किसी जिले का नाम न होने के कारण जांच संभव नहीं थी। प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी के निवारण हेतु वर्ष 1977–78 में 16022 अध्यापकों की नियुक्तियों हेतु आदेश दिये गये। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी।

बी० टी० सी० प्रशिक्षण केन्द्रों को हायर सेकेन्डरी स्कूलों में बदलने संबंधी कथित पत्र

*9—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के बी० टी० सी० प्रशिक्षण केन्द्रों को हायर सेकेंडरी स्कूलों में बदलने अथवा प्रदेश भर के बेरोजगार बी० टी०सी० प्रशिक्षित लोगों को अविलम्ब नए स्कूल खोलकर रोजगार देने के बारे में शिक्षा मन्त्री को सम्बोधित प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 24 जनवरी, 1978 का पत्र मिला है? यदि हां, तो ऐसा करने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है?

श्री कालीचरण—

जी नहीं।

गोरखपुर के शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ की हड़ताल एवं मांग

*10—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ शिक्षा विभाग द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के कार्यालय के समक्ष दिनांक 4 नवम्बर, 1977 को भूख हड़ताल और 6 नवम्बर, 1977 को प्रदर्शन किया गया था? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और शासन ने उस विषय में क्या किया?

श्री काली चरण—

प्रश्नगत संघ द्वारा दिनांक 4–11–77 को भूख हड़ताल की गई थी। जो पारस्परिक विचार विमर्शोपरान्त दिनांक 5–11–77 को समाप्त हो गई। दिनांक 6–11–77 को कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। संघ द्वारा प्रस्तुत मांगों एवं तद्विषयक कार्यवाही का विस्तृत विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 267–269 पर)

रायबरेली जिले की भेला फीडर के निर्माण संबंधी प्रार्थना-पत्र

*11—श्री देवकुमार (जिला बांदा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मलियापुर गांव जिला रायबरेली के पास से निकाली जाने वाली भेला फीडर नहर को न बनाने की बाबत मलियापुर-रायपुर-टप्पा, हवेली, सराय, दिलावरपुर, मधुकरपुर, नरसवां, खरगपुर, कुरमियाना, विकास खंड डलमऊ, जिला रायबरेली के निवासियों ने दिनांक 3 जनवरी, 1977 से लेकर 11 जनवरी, 1978 तक भारत सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार को आवेदन-पत्र दिये हैं? यदि हां, तो मांगों का पूरा विवरण क्या है और सरकार ने इन मांगों की बाबत क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां।

जनपद रायबरेली के कथित गांव के निवासियों द्वारा भेजे गये प्रार्थना पत्रों में भेला फीडर न बनाने की मांग की गई है। मांगों का विवरण निम्न प्रकार है:—

(1) भेला फीडर न बनाई जाये।

(2) भेला फीडर का समरेखण बदल दिया गया है।

(3) भेला फीडर के निर्माण से इन व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि इनके खेत नहर में चले जायेंगे।

(4) दो बड़ी झीलों का पानी रुक जायेगा जिससे उनके मकान गिर जायेंगे।

(5) निजी नलकूप बेकार हो जायेंगे।

ग्राम वासियों की मांगों पर विचार करने पर यह पाया गया कि भेला फीडर का बनाया जाना जनहित में आवश्यक है। इससे इन ग्रामों के आगे की 51,590 एकड़ कृषि योग्य भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इसके निर्माण से झीलों के पानी के बहाव में कोई अवरोध उत्पन्न न होगा। चूंकि एक साइफन व एक एक्वीडेक्ट का निर्माण प्रस्तावित है। इसके बनने से निजी नलकूप भी नष्ट नहीं होंगे।

मुरादाबाद के ग्राम रानी नागल के चीनी विक्रेता, श्री रईस अहमद को पाकवाड़ा के चीनी कोटा का आवंटन

*12—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14 सितम्बर, 1977 को बीवर्स एसोसियेशन पाकवाड़ा ब्लाक सिटी, मुरादाबाद की 42 बोरी चीनी ग्राम रानी नागल ब्लाक मगतपुर तहसील मुरादाबाद के चीनी कोटा होल्डर (श्री रईस अहमद) को एस0 डी0 एम0, मुरादाबाद द्वारा आवंटित की गयी ? यदि हां, तो उस आवंटन का आधार क्या था ? क्या यह सही है कि उक्त दुकानदार ने चीनी को ब्लैक में बेच दिया ?

श्री हरिशचन्द्र—

जी हां।

न्याय पंचायत पाकवाड़ा की तीनों चीनी की दूकानें निलम्बित होने के कारण उप-प्रमुख प्रधानों एवं अन्य व्यक्तियों की संस्तुति पर तीनों कोटों की 42 बोरी चीनी ग्राम रानी नागल के चीनी विक्रेता श्री रईस अहमद से सम्बद्ध करने हेतु परगनाधिकारी ने आदेश दिया था।

चीनी वितरण खण्ड विकास अधिकारी के समक्ष कराया गया है। अतः चीनी ब्लैक करने की शिकायत सत्य नहीं है।

जवाहर नेहरू स्मारक डिग्री कालेज, गोरखपुर के विरुद्ध हरिजन छात्रों से शिक्षण शुल्क लेने की शिकायत

*13—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जवाहर नेहरू स्मारक डिग्री कालेज, महाराजगंज, जिला गोरखपुर के प्रबन्धक श्री लाल शासनादेश के विरुद्ध बी0 एड0 के हरिजन छात्रों से शिक्षा शुल्क एवं अवैध धन वसूल करते हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कालीचरण—

इस प्रकार की शिकायत कालेज के छात्रसंघ द्वारा शासन से की गयी थी। आवश्यक जांच कराने के आदेश दिये जा चुके हैं।

सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता, श्री मनोहर लाल भारद्वाज, हसनगंज, लखनऊ, की दुकान का निलम्बन

*14—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता (श्री मनोहर लाल भारद्वाज) वार्ड हसनगंज न्यू हैदराबाद, लखनऊ की दुकान का आवंटन दिनांक 19 जनवरी, 1977 को जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा रद्द कर दिया गया था ? क्या यह भी सही है कि आयुक्त, लखनऊ मण्डल ने दिनांक 15 मार्च, 1977 को जिलाधिकारी, लखनऊ को उक्त आदेश को रद्द करते हुए उसे पुनः बहाल किये जाने के आदेश दिये थे? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में खाद्य मन्त्री को भी उक्त दुकानदार ने दिनांक 1 सितम्बर, 1977 को कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ?

श्री हरिशचन्द्र—

जी हां, परन्तु प्रश्नगत दुकान 19—1—77 को नहीं अपितु 17—1—77 को निरस्त की गई है।

आयुक्त, लखनऊ मंडल ने 15 मार्च, 1977 को नहीं बल्कि 11 अप्रैल, 1977 को जिलाधिकारी, लखनऊ के आदेश को निरस्त किया था। जिलाधिकारी का उक्त आदेश अनुबन्ध पत्र की धारा 16 के अन्तर्गत पारित किया गया था मंडलायुक्त का आदेश अनुबन्ध पत्र की धारा 17 के ऊपर आधारित था। जिलाधिकारी ने मंडलायुक्त के आदेश का यह अर्थ निकालते हुए कि अन्तिम निर्णय धारा 17 की कार्यवाही के बाद ही लिया जायेगा नोटिस प्रसारित किये। दुकानदारों का स्पष्टीकरण लिया गया है। जिलाधिकारी को मामले में शीघ्र अन्तिम आदेश पारित करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

जी हां, 1 सितम्बर, 1977 को एक प्रार्थना-पत्र मुझे प्राप्त हुआ था।

*15—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[9 वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*16—श्री शिवानन्द नौटियाल तथा श्री मुकुन्दी सिंह—

[9 वें बुधवार के लिय स्थगित।]

कार्यालय रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाएं, इलाहाबाद के कर्मचारियों की सेवा नियमावली एवं स्थायीकरण

*17—श्री शिवानन्द नौटियाल तथा श्री मुकन्दी सिंह (जिला बिजनौर)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कार्यालय, रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के अब तक, कर्मचारियों की सेवा नियमावली के अभाव में लगभग 70—80 कर्मचारियों के करीब 12 साल से स्थायीकरण, परमोशन तथा अनुमोदन के मामले रुके पड़े हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कोई निर्णय ले लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

बरला इन्टर कालेज, मुजफ्फरनगर की बन्दी एवं प्रशासक की नियुक्ति की कार्यवाही

*18—श्री बशीर अहमद (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के बरला इन्टर कालेज, बरला जो पिछले कई माह से लगातार बन्द है, के सुचारु रूप से संचालन के विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कालीचरण--

विद्यालय दिनांक 17-3-78 से सुचारु रूप से चल रहा है।

*19--श्री बशीर अहमद--

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के बरला इन्टर कालेज, बरला की प्रबन्ध समिति को भंग कर प्रशासक नियुक्त करने की संस्तुति जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर ने की है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त संस्तुति पर क्या निर्णय लिया है?

श्री कालीचरण--

जी हां। जिला विद्यालय निरीक्षक ने नियमानुसार शिक्षा निदेशक की संस्तुति की है। इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट की धारा 16 डी (2) के अन्तर्गत शिक्षा निदेशक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

कानपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग का विश्राम गृह

*20--श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)--

क्या सरकार को पता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के कानपुर निरीक्षण भवन को एक अधिकारी द्वारा आवास गृह की तरह प्रयोग किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या यह अधिकारी भवन का किराया देते हैं? अगर नहीं तो इस में किस हैसियत से रह रहे हैं?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

कानपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई निरीक्षण भवन नहीं है बल्कि एक विश्राम गृह है। उसका कोई कक्ष या कमरा किसी भी अधिकारी द्वारा आवास गृह की तरह प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

आगरा, फतेहाबाद-रिहावली मार्ग के पक्के निर्माण की मांग

*21--श्री हुक्म सिंह परिहार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहाबाद, ब्लाक जिला आगरा में फतहाबाद से रिहावली मार्ग जो जिला परिषद का मार्ग है, उसे निर्माण विभाग द्वारा पक्का करने का विचार है? अगर हां, तो यह मार्ग कब तक पक्का हो जाएगा?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*22--श्री श्याम सुन्दर गुप्त

[9 वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*23--श्री बाबू राम वर्मा

[8 वें बुधवार के लिए स्थगित।]

श्री जे० पी० चौधरी, कर्मशाला अधीक्षक, राजकीय पाली टेक्निक, बस्ती के वेतन मान का निर्धारण

*24—श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जे० पी० चौधरी, कर्मशाला अधीक्षक, राजकीय पालीटेक्निक, बस्ती के वेतन मान का निर्धारण 1965 से आज तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो वेतन निर्धारण करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री कालीचरण—

श्री जे० पी० चौधरी कर्मशाला अधीक्षक, राजकीय पालीटेक्निक, बस्ती के वेतन मान के नियमानुसार निर्धारण कर दिया गया है।

श्रीमती जमुना देवी, बालिका विद्यालय, इन्टर कालेज, कानपुर की अध्यापिकाओं का निर्धारित वेतन-मान

*25—श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती जमुनादेवी बालिका विद्यालय इन्टर कालेज, कृष्णा नगर, कानपुर की अध्यापिकाओं (सुश्री पदमा अरोड़ा, सरला शुक्ला, मधु भाटिया, मनु पांडेय, आशा भाटिया, आशा शुक्ला, फूला देवी तथा सुदेश मल्होत्रा) को निर्धारित वेतनमान जिसकी यह अध्यापिकायें अधिकारी है, मिलता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण—

जी हां।

प्रश्न का शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, लखनऊ के पद पर श्री फूलचन्द्र की अनुसूचित जाति के कोटे में प्रोन्नति

*26—श्री श्रीनारायण

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, लखनऊ, (श्री फूलचन्द्र) की प्रोन्नति अनुसूचित जाति के कोटे में दिनांक 14 जुलाई, 1977 को की गई ? और उन्होंने उसी दिन क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, लखनऊ का कार्य भार ग्रहण कर लिया ? क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्रीय अधिकारी (श्री फूलचन्द्र) अनुसूचित जाति (गोंड) जो दिनांक 27 जुलाई, 1977 से अनुसूचित जाति मानी गई है, के न होकर पिछड़ी जाति (गोंड) के हैं ? यदि हां, तो क्या विभाग इनकी अनुसूचित जाति के कोटे से प्रोन्नति रद्द करने के विषय में विचार करेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र—

जी हां। श्री फूलचन्द्र की प्रोन्नति क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के पद पर दिनांक 14-7-77 को अनुसूचित जाति के कोटे में अतिरिक्त जिलाधिकारी, वाराणसी के प्रमाण-पत्र के आधार पर की गयी और उन्होंने उसी दिन लखनऊ में उक्त पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया था।

तदुपरान्त उनके अनुसूचित जाति के होने में संदेह व्यक्त किया गया है जिसकी जांच की जा रही है। जांच समाप्त होने पर यदि यह पाया गया कि यह अनुसूचित जाति के नहीं हैं तो यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

*27—श्री अशफाक—

[9वें बुधवार के लिये स्थगित।]

लोकमान्य तिलक इन्टर कालेज, गोंडा के कर्मचारियों की अनिवार्य जमा योजना की धनराशि

28—श्री बिंदू लाल (जिला गोंडा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोकमान्य तिलक इन्टर कालेज, पचपेड़वा, जनपद गोंडा के सभी कर्मचारियों के अनिवार्य जमा योजना की किस्त का भुगतान अभी तक नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री काली चरण—

जी हां।

विद्यालय अधिकारियों द्वारा अपेक्षित मांग-पत्र प्राविडेन्ट फंड कमिश्नर, कानपुर को न भेजने के कारण ही अनिवार्य जमा की किस्त का भुगतान नहीं हो सका है।

श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी, सहायक अध्यापक, रायबरेली की पुर्नानियुक्ति एवं उनका वेतन

*29—श्री तेजभान सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लोक सेवा अधिकरण में क्लेम नं0 75 (टी)/3-77 आदेश दिनांक 4 अप्रैल, 1977 के अनुसार श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी नामक सहायक अध्यापक नगर बेसिक शिक्षा परिषद रायबरेली का स्थानान्तरण व निष्कासन रद्द कर उन्हें पूर्व सेवा पर कार्यरत माना गया है ? यदि हां, तो क्या उनको बकाया वेतन सहित पूर्व स्थान पर नियुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण—

लोक सेवा अधिकरण के निर्णय दिनांक 4 अप्रैल, 1977 के अनुपालन में श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी सहायक अध्यापक रायबरेली को पुन: उनके मूल पद पर पदारूढ़ किया गया है। बकाया वेतन के लिये निर्देश दे दिये गये है।

मेसर्स गैन्जेज फ्लोर मिल व शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी, कानपुर के स्टाकों की जांच

*30—श्री तेजभान सिंह—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21 मार्च, 1978 को कानपुर स्थित गैन्जेज फ्लोर मिल व शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी, शक्कर पट्टी के स्टाकों की जांच आर0 एफ0 सी0 के अधिकारियों द्वारा की गयी ? यदि हां, तो उक्त संस्थानों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिशचन्द्र—

जी हां, दिनांक 21 मार्च, 1978 को कानपुर स्थित मैसर्स गैन्जेज फ्लोर मिल व शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी शक्कर पट्टा के स्टाकों की जांच क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, कानपुर के अधिकारियों द्वारा की गयी। जांच में पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर मैसर्स गैन्जेज फ्लोर मिल, कानपुर के मिलिंग लाइसेंस की प्रतिभूति की धनराशि में से 3750 रु0 की धनराशि तथा शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी के खाद्यान्न लाइसेंस की प्रतिभूति की धनराशि मेंसे 1000 रुपये की धनराशि शासन के पक्ष में जब्त कर ली गयी है।

एन0 सी0 सी0 विभाग का पुनर्गठन एवं कर्मचारियों का समायोजन

*31—श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि एन0 सी0 सी0 विभाग के पुनर्गठन के फलस्वरूप अप्रैल, 1977 से कितने कार्यालय समाप्त कर दिये गये हैं तथा उनमें कार्यरत कर्मचारियों का निस्तारण अभी तक नहीं किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण—

एन0 सी0 सी0 विभाग के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 ग्रुप मुख्यालय तथा 22 यूनिट कार्यालय अप्रैल, 1977 से समाप्त कर दिये गये हैं। उनमें कार्यरत कर्मचारियों के निस्तारण के संबंध में निदेशक, एन0 सी0 सी0 को यह आदेश दिये जा चुके हैं कि जब तक इन कर्मचारियों का समायोजन न हो जाय तब तक विभाग में कोई नयी नियुक्तियां न की जायं।

के0 जी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मिर्जापुर के प्राध्यापकों का बकाया वेतन

*32—श्री राज नाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री को यह जानकारी है कि मिर्जापुर स्थित के0 जी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राध्यापकों का दिसम्बर, 1974, जनवरी एवं फरवरी, 1975 के तीन माह का वेतन बकाया है ? यदि हां, तो उक्त अवधि का बकाया वेतन भुगतान करने की जिम्मेदारी क्या सरकार पर नहीं है जबकि विद्यालय सितम्बर, 1974 से ही सरकारी नियन्त्रण में है ?

श्री काली चरण—

जी हां।

जी नहीं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रतापगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण एंव आख्या रिपोर्ट और शिकायती-पत्र

*33—श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30 जनवरी, 1978 को उन्होंने प्रतापगढ़ जनपद में विभाग का आकस्मिक निरीक्षण किया ? क्या उन्होंने कोई मुआइने की आख्या नोट लगा कर भेजा ? यदि हां, तो उस आख्या के अनुसार आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां।

संबंधित एक सहायक अभियन्ता एवं एक अवर अभियन्ता तथा एक लिपिक का प्रतापगढ़ से स्थानान्तरण के आदेश जारी कर दिये गये है। एक कैशियर को चेतावनी दे दी गई है तथा साथ-साथ निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं के लिये उक्त सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*34—श्री विद्या शंकर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5 अक्तूबर, 1977 को प्रतापगढ़ जनपद के चार विधायकों ने अपने संयुक्त हस्ताक्षरों से कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र उनके पास भेजा ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रार्थना-पत्र की शिकायतों पर कोई जांच कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

कतिपय विधायकों का प्रश्नगत शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर जांच करायी जा रही है।

*35—श्री दयाराम भास्कर—

(8 वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

बी० टी० सी० अध्यापकों की नियुक्ति हेतु आदेश

*36—श्री कन्हैयालाल गुप्त (जिला मथुरा)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा जुलाई-अगस्त, 1977 में बेरोजगार बी० टी० सी० अध्यापकों को शासकीय सेवा में लेने की घोषणा की गई थी ? क्या उसके अनुसार कोई संख्या ऐसे अध्यापकों को सेवा नियोजित करने हेतु नियत की गई थी ? यदि हां, तो क्या और कितने अध्यापक नियुक्त किये गये हैं ?

श्री काली चरण—

जी नहीं परन्तु शिक्षित बेरोजगारी के निर्धारण हेतु अगस्त, 1977 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन 10 900 सहायक अध्यापक की रिक्तियों को भरने के लिये कतिपय प्रतिबन्धों सहित आदेश प्रदान किये गये थे तथा नये स्कूलों के खोले जाने के फलस्वरूप 5122 नियुक्तियां और होनी थी। इस प्रकार 16022 अध्यापक नियुक्त किये गये थे जिनमें से अब तक 11429 अध्यापक/अध्यापिकायें नियुक्त की जा चुकी हैं।

आजमगढ़, पंचायत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खानपुर के प्रशासक के संबंध में प्रबंध समिति का आवेदन-पत्र

*37—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित पंचायत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खानपुर, सरायमीर, आजमगढ़ में रिसीवर को निरस्त करने एवं प्रबन्ध समिति निर्वाचित कराने के बारे में प्रबन्ध समिति के सदस्यों ने दिनांक 6 अगस्त, 1977 को मुख्य मंत्री, शिक्षा मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री, उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ आदि को आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री काली चरण—

जी हां। प्रबन्ध समिति की वैधता की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जा रही है। प्रबन्ध समिति को मान्यता देने के पश्चात् प्राधिकृत नियंत्रक को हटाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

फैजाबाद मण्डल के अरबी मदरसों का अनुदान

*38—श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि वर्ष 1976–77 में फैजाबाद मण्डल के सहायता प्राप्त अरबी के मदरसों को शासन द्वारा विशेष अनुदान मिलना शुरू हुआ था जो वर्ष 1977–78 में समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां तो किस आधार पर ये अनुदान देना शुरू किए गए और उसे समाप्त करने के क्या कारण हैं ? क्या अरबी भाषा को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार उक्त अनुदान पुनः जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी हां।

वर्ष 1976-77 में त्रुटिवश ऐसा हो गया था जिसका समायोजन वर्ष 1977-78 में कर लिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*39--श्री सुरेन्द्र पाल--

[8 वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 62 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बांदा जिले में बांदा-सतना रोड पर वागे नदी के पुल निर्माण की मांग

*40--श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगें कि बांदा जिले की नरैनी तहसील में स्थित वागे नदी में बांदा-सतना रोड पर सेतु निगम द्वारा पुल बनवाने के सम्बन्ध में 2 फरवरी, 1978 को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां,तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या सरकार अविलम्ब पुल बनवाने पर विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां। धनाभाव के कारण फिलहाल इस पुल का निर्माण सम्भव नहीं है।

महाविद्यालयों के छात्रों की ट्यूशन फीस में कमी करने संबंधी आदेश

*41--श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आपातकाल में महाविद्यालयों के छात्रों की जो ट्यूशन फीस बढ़ा दी गयी थी उस सम्बन्ध में वर्तमान सरकार द्वारा आदेश दिया गया था कि अप्रैल,1977 से पुन: फीस पुरानी दर से ली जाय ? क्या ऐसी स्थिति में छात्रों की बढ़ी फीस जो वसूल की गयी थी उन्हें वापस कराई गयी ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी हां।

बढ़ी हुई ट्यूशन फीस को पुराने दर से लिए जाने वाले आदेश में स्पष्टरूप से विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश, को यह निर्देश दिये गये थे कि शिक्षण शुल्क के रूप में जो अतिरिक्त धनराशि 1 अप्रैल, 1977 से 30 जून, 1977 की अवधि में छात्रों से वसूल की गयी है उसे उन्हें यथास्थिति या तो वापस कर दिया जाय या उनकी आगामी फीस में समायोजित कर दिया जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

*42--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[9 वें बुधवार के लिए स्थगित।]

नारी शिक्षा निकेतन इन्टर कालेज, लखनऊ में अनियमितताओं की जांच

*43--श्री मुहम्मद रफी खां --

क्या सरकार को जानकारी है कि 1971-72 में नारी शिक्षा निकेतन,लखनऊ, इन्टर कालेज में गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई जांच रीजनल इन्सपेक्टर आफ गर्ल्स स्कूल ने की ? अगर हां, तो इस जांच के आधार पर प्रबन्धक मण्डल के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

जी हां। 16-डी की कार्यवाही की जा रही है।

नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ में एल0 टी0 ग्रेड में प्रवक्ता की तदर्थ नियुक्ति

*44—श्री मन्ना लाल (जिला खीरी)—

क्या सरकार को जानकारी है कि नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ में 1971–77 तक कितनी तदर्थ नियुक्तियां एल0 टी0 ग्रेड और प्रवक्ता ग्रेड में ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड अध्यापिकाओं की हुई है? और इन अनट्रेन्ड अध्यापिकाओं को रखे जाने का आधार क्या है?

श्री काली चरण—

केवल एल0 टी0 वेतन-क्रम में एक तदर्थ नियुक्ति की गई। किसी अन्ट्रेन्ड अध्यापिका की तदर्थ नियुक्ति नहीं की गई।

नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ में हड़ताल के समय में वैकल्पिक अध्यापकों की नियुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण

*45—श्री मन्ना लाल—

क्या सरकार को जानकारी है कि नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ के प्रबन्धक ने 5 जनवरी, 1978 को शिक्षकों की हड़ताल के दौरान में आर0 आई0 जी0 एस0, लखनऊ द्वारा नियुक्त वैकल्पिक अध्यापकों को कार्य नहीं करने दिया? अगर हां, तो जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी?

श्री काली चरण—

हड़ताल के दौरान वैकल्पिक अध्यापिकाओं की नियुक्ति जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, लखनऊ द्वारा की गई थी। प्रधानाचार्य के अवकाश पर होने के कारण शिक्षिकाओं को कार्यभार ग्रहण में असुविधा होने पर उन्हें विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण कराने की व्यवस्था कर दी गई थी। प्रधानाचार्यों को वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत नवनियुक्त अध्यापिकाओं से कार्य लेने हेतु समुचित आदेश दिये गये थे।

नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ को स्वीकृत अनुदान

*46—श्री मन्ना लाल—

क्या सरकार को जानकारी है कि नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ के इन्टर कालेज को 1973, 1974, 1975, 1976 और 1977 में किस-किस मद में कितना-कितना अनुदान दिया गया? क्या सरकार इसके व्यय की जांच कराएगी?

श्री काली चरण—

स्वीकृत अनुदान संलग्नक में अंकित है। इस व्यय की जांच कराने की अभी तक कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 270 पर)

एच0 बी0 टी0 आई0, कानपुर को चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये जाने की मांग

*47—श्री बाबूराम शुक्ल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एच0 बी0 टी0 आई0, कानपुर को चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध (अफिलिएट) करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह कब तक हो जायगा?

श्री काली चरण--

जी नहीं।

इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है परन्तु अप्रैल, 74 में एच0 बी टी0 आई0, कानपुर को चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध (अफिलिएट) करने का नहीं बल्कि उसमें विलय (मरजर) का प्रस्ताव शासन के विचारार्थ आया था।

उक्त प्रस्ताव पर जून, 1977 में राष्ट्रपति शासनकाल में विचारोपरान्त 2 वर्ष के लिए विचार स्थगित करने का निर्णय ले लिया गया था।

गोसाईगंज रजबहे को शारदा सहायक पोषक नहर से पानी न मिलने की शिकायत

*48--श्री सन्त बक्श रावत तथा श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कष्ट करेंगे कि गोसाईगंज रजबहे को शारदा सहायक से पानी देने के लिए दिनांक 15 जनवरी, 1978 को काट दिया गया था और शारदा सहायक से आज तक उसमें पानी नहीं दिया गया ? जिसके कारण किसानों की रबी की फसल की सिंचाई नहीं हो सकी और फसल सूख गई ? यदि हां, तो यह किसकी लापरवाही से हुआ ? क्या सरकार किसानों को मुआवजा देने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह--

गोसाईगंज रजबहा को पुरानी शारदा नहर प्रणाली से अलग कर दिनांक 15-1-78 को शारदा सहायक की पोषक नहर से जोड़ दिया गया। पोषक नहर में उपरोक्त स्थल पर पानी पहली बार 26-1-78 को पहुंचा। पोषक नहरों में पानी की गहराई धीरे-धीरे सावधानी से बढ़ाई गई। पुरानी प्रणाली से उक्त रजबहे को अलग कर नई प्रणाली से सम्बद्ध करने में कुछ समय लगना तथा फलस्वरूप पानी देने में कुछ कठिनाई होना स्वाभाविक था। इस फसल में गोसाईगंज रजबहा 32 दिन पुरानी शारदा नहर प्रणाली से पोषित हुआ तथा 15 दिन शारदा सहायक से पोषित हुआ। इस फसल में समय-समय पर वर्षा होती रहने के कारण फसल सूखने की कोई सम्भवना नहीं रही।

*49--श्री झाम लाल अहेरवार--

[9वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*50--51--श्री नेतराम सिंह--

[9वें बुधवार के लिये स्थगित।]

पीलीभीत जिले में खोले गये जूनियर हाईस्कूल

*52--श्री मुनीन्द्र पाल सिंह, डा0 बाबूराम प्रभाती तथा श्री किशन लाल (जिला पीलीभीत)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिला पीलीभीत में 1977-78 तथा 1978-79 में कुल कितने जूनियर हाई स्कूल किन-किन स्थानों पर खोले जा रहे हैं ? और इन स्कूलों के खोले जाने का माप दण्ड क्या हैं ?

श्री काली चरण—

वर्ष 1977–78 में जिला पीलीभीत के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित स्थानों पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा जूनियर हाई स्कूल खोले गये :—

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	विकास क्षेत्र का नाम
1	निजामडांडी ..	.. ललौरी खेड़ा
2	मुगलखेड़ा चठिया ..	.. अमरिया
3	नगरिया कालोनी ..	.. अमरिया
4	पंचपेड़ा सहपुरा ..	.. बरखेड़ा
5	अर्जुनपुर ..	.. बीसलपुर
6	कसगंजा ..	.. पुरनपुर
7	परेवा वैश्य ..	.. अमरिया

शासन द्वारा नये जूनियर हाई स्कूलों की स्वीकृति प्रदान करते समय स्कूल खोलने का आधार तृतीय शैक्षिक सर्वेक्षण में इंगित स्थानों में से चुनाव करने का निम्नलिखित मापदंड देखा गया था :—

(1) क्षेत्रीय असमानता दूर करना तथा प्रदेशीय साक्षरता प्रतिशत से पिछड़ापन दूर करना ;

(2) छात्र संख्या की दृष्टि से पिछड़े हुए जनपदों को प्राथमिकता देना ;

(3) जहां की संख्या 1000 या इससे अधिक हो और अभी तक जूनियर हाई स्कूल की स्थापना न हो पाई हो ;

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में 20 प्रतिशत विद्यालयों की स्थापना ;

(5) तीन किलोमीटर की परिधि में कोई अन्य जूनियर हाई स्कूल का न होना ;

(6) ग्रामीण जनता एवं ग्राम सभाओं का अपन प्रयास से निर्धारित माप का भवन बनवाकर देने को तैयार होना ।

जहां तक वर्ष 1978–79 में जूनियर हाई स्कूल खोले जाने का प्रश्न है इसकी अभी तक कोई स्वीकृति नहीं दी गई है ।

गोंडा जिले के अध्यक्ष, सिविल अभियंत्रण राजकीय पालीटेक्निक, श्री आर० जी० अग्रवाल का स्थानान्तरण

*53—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार को जानकारी है कि अध्यक्ष, सिविल अभियंत्रण राजकीय पालीटेक्निक, गोण्डा (श्री आर० जी० अग्रवाल) का स्थानान्तरण 30 सितम्बर, 1977 को फैजाबाद के लिये हुआ परन्तु वहां चार्ज नहीं मिला, फिर गोण्डा वापस आए जहां दूसरे सज्जन कार्यभार ग्रहण कर कार्यरत रहे ? 17 नवम्बर, 1977 को उनका खुर्जा के लिये पुनः स्थानान्तरण हुआ वहां भी चार्ज नहीं लेने दिया गया ? 11 जनवरी, 1978 को गोरखपुर फिर स्थानान्तरण हुआ जहां वे इस समय है परन्तु वहां भी उनको अब तक चार्ज नहीं मिला है और साथ ही छः महीने से वेतन भी नहीं उनको मिला ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री काली चरण---

जी हां । प्रश्न में उल्लिखित तीन बार अध्यक्ष सिविल अभियंत्रण राजकीय पालीटेकनिक, गोन्डा (श्री आर0 जी0 अग्रवाल) के स्थानान्तरण प्रशासकीय कारणों से हुये ।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री आर0 जी0 अग्रवाल अध्यक्ष, सिविल अभियंत्रण राजकीय पालीटेकनिक गोरखपुर 16-1-1978 से 31-3-1978 तक अपना वेतन आहरित कर चुके हैं ।

बलिया के ग्राम भरौली की भूमि का बक्सर पुल तथा सड़क में अधिग्रहण एवं मुआवजा

*54---श्री शिवलाल मित्तल (जिला बस्ती), श्री कृपा शंकर आर्य (जिला देवरिया) श्री हरिकेवल प्रसाद तथा श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत बक्सर पुल तथा सड़क में ग्राम भरौली के किन-किन किसानों की कितनी-कितनी भूमि ली गयी और उन किसानों को कितनी-कितनी धनराशि मुआवजा के रूप में दी गयी है, कितने को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है और क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां---

प्रश्नगत कार्य के लिये ग्राम भरौली के 143 भू-स्वामियों की 11.23 एकड़ भूमि स्थाई रूप से अर्जित की गयी थी जिसका 83,676 रु0 (राउन्ड) प्रतिकर 141 भू-स्वामियों को बांट दिया गया और शेष 2,572 रुपया (राउन्ड) प्रतिकर की धनराशि को भू-स्वामियों के उपस्थिति न होने क कारण आर0 डी0 क मद में जमा कर दिया गया है । इसी कार्य के लिये अस्थाई रूप से 332 भू-स्वामियों की 64.63 एकड़ भूमि 3 वर्ष के लिये अधिग्रहीत की गयी थी जिसका प्रतिकर भू-स्वामियों द्वारा पुराने नियम के अनुसार लिये जाने से इन्कार कर दिय जाने पर आर0 डी0 के मद में जमा कर दिया गया । इन भू-स्वामियों को संशोधित दरों से प्रतिकर दिये जाने का प्रश्न सरकार क विचाराधीन है ।

प्रश्नगत भू-स्वामियों तथा उनकी अर्जित भूमि व उन्हें दी गयी प्रतिकर की धनराशि की सूची बड़ी लम्बी तथा विस्तृत है । अतएव माननीय सदस्य चाहें तो उसे विभाग में देख सकते हैं ।

मेडिकल कालेज, मेरठ के आपरेशन थियटर एवं इनडोर वार्ड का निर्माण एवं हस्तान्तरण

*55---श्री धर्मवीर सिंह (जिला मेरठ)---

क्या शासन को जानकारी है कि मेडिकल कालेज, मेरठ के आपरेशन थियेटर व तृतीय इन्डोर वार्ड का निर्माण तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, मेरठ द्वारा विगत तीन वर्षों के अन्दर किया गया परन्तु उक्त भवनों का हस्तांतरण मेडिकल कालेज को अभी तक न दिये जाने का क्या कारण है ? और क्या तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता उक्त निर्माण संबंधी गबन के मामले में मुअत्तिल हुये थे ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां---

मेडिकल कालेज, मेरठ के प्रश्नगत आपरेशन थियेटर व तृतीय इन्डोर वार्ड का निर्माण-कार्य ठेकेदार द्वारा क्रमश: 28-6-74तथा 31-12-74 को पूरा होना था किन्तु उक्त निर्माण-कार्य अपूर्ण, निम्नकोटि एवं त्रुटिपूर्ण पाये जाने से मेडिकल कालेज को हस्तान्तरण करने में उत्पन्न कठिनाईयों के कारण देरी हुई किन्तु अब प्रश्नगत भवन मेडिकल कालेज को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं और उनके प्रयोग में आ रहे हैं । तत्कालीन अधिशासी अभियंता, सतर्कता जांच के कारण शासन द्वारा निलंबित किये गये थे किन्तु बाद में उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त होने पर निलंबन आदेश वापस ले लिये गये ।

मोतीलाल नेहरू रीजनल औद्योगिक संस्थान, इलाहाबाद की स्थापना एवं शिक्षण कार्य और श्री संजय गांधी द्वारा उद्घाटन पर व्यय की गई धनराशि

*56—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोतीलाल नेहरू रीजनल औद्योगिक संस्थान की स्थापना कब हुई थी ? और कब से शिक्षण कार्य चालू हुआ है ?

श्री काली चरण—

मोतीलाल नेहरू रीजनल औद्योगिक संस्थान मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद (जो इसी नाम को सोसायटी द्वारा संचालित एक स्वशासी संस्था है) से सम्बद्ध एक प्रोजेक्ट है, शासन के अभिलेखों में उपलब्ध सूचना के अनुसार उक्त संस्थान की स्थापना सन 1973–74 में हुई और उसमें प्रशिक्षण का कार्य सन् 1974 में प्रारम्भ हुआ ।

*57—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या यह सही है कि 16 अक्तूबर, 1976 को उक्त संस्थान में उद्घाटन पत्थर श्री संजय गांधी द्वारा रखा गया था ? और उस पर हुये व्यय का विवरण क्या है ?

श्री काली चरण—

जी हां, कालेज से प्राप्त सूचना के अनुसार उस पर हुये व्यय का विवरण यह है :—

1	शिलालेख	रु0 505
2	निमंत्रण-पत्र	रु0 172
	कुल रु0	677

रिग्स प्रखंड, वाराणसी की मशीनों के रख रखाव में एम0 ऐन्ड आर0 मद में व्यय की गयी धनराशि और लगाये गये नलकूप एवं सहायक अभियन्ता की तैनाती

*58—श्री देव राम (जिला गाजीपुर)—

विधान सभा के 29 मार्च, 1978 के तरांकित प्रश्न संख्या 56 के उत्तर के क्रम में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फेलिंग रिंग नं0 1 फलिंग रिंग नं0 2 पर और एण्ड आर0 मद के अन्तर्गत वर्ष 1972–73, 1973–74 एवं 1974-75 (31–8–75) तक प्रत्येक मशीन पर कितना व्यय हुआ ?

श्री बलवीर सिंह—

मशीनों पर आर एण्ड आर मद पर कोई व्यय नहीं होता । प्रखंड वाराणसी में फेलिंग नं0 1 एवं फेलिंग नं0 2 पर वर्ष 1972–73, 3–74 एवं 9 4–75 (31–8–75) तक इन मशीनों के रख-रखाव में एम0 एण्ड आर0 मद पर निम्न व्यय हुआ

वर्ष	फेलिंग रिंग नं0	फेलिंग रिंग नं0
1972–73	2,83,216–28	2,78,078–22
1973–74	2,26,991–79	2,43,897–33
1974–75	2,19,767–63	1,73,321–36
1975–76 (31–8–75)	11,873–60	14,943–35

उपरोक्त व्यय में कार्य प्रभारित कर्मचारियों का वेतन तेल एवं मरम्मत पर हुआ व्यय भी शामिल है ।

*59—श्री देव राम—

विधान सभा के 29 मार्च, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 56 के उत्तर के क्रम में क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पर कुशन रिंग नं0 28 जिसका मूल्य 2,00,000 रु0 दर्शाया गया है उस पर 15 मई, 1972 से 31 अगस्त, 1974 तक 3,78,632 रु0 व्यय हुये और उक्त अवधि में केवल दो ही नककूप निर्मित हुए और दोनों ही असफल रहे ? क्या सम्बन्धित सहायक अभियन्ता आज भी रिंग प्रखंड में ही तैनात हैं ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां ।

जी नहीं । संबंधित सहायक अभियन्ता इस समय रिग्स प्रखंड मुजफ्फरनगर में कार्यरत हैं ।

*60—श्री रामदेव यादव—

[19-4-78 को तारांकित प्रश्न संख्या 65 द्वारा उत्तरित] ।

ललितपुर जिले के ग्राम करमई में पकड़ा गया सीमेंट

*61—श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, ललितपुर का करमई गांव में 173 बोरी सीमेंट सन् 1977 में पकड़ा गया था ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलवीर सिंह—

सन् 1977 में करमई ग्राम में 173 बोरी सीमेंट जो परगनाधिकारी ललितपुर नें पकड़ा था उसका सिंचाई विभाग अथवा अधिशासी अभियन्ता से कोई संबंध नहीं है । अतः इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

शारदा सहायक परियोजना में कथित निजी ट्रैक्टर द्वारा लिया गया कम्पेक्शन कार्य

*62—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सन् 1977 में कुछ निजी व्यक्तियों के ट्रैक्टर शारदा सहायक परियोजना के खण्ड 42 और 12 में कम्पेक्शन हेतु किराये पर लगाये गये ? यदि हां, तो उसमें उद्यमकर्त्ताओं को काम क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बलबीर सिंह—

मुख्य अभियन्ता (शारदा) के पत्र दिनांक 18-12-75 द्वारा शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत कम्पेक्शन का कार्य निजी ट्रैक्टरों द्वारा न कराये जाने के आदेश दिये गये थे । शासनादेश दिनांक 6-4-77 द्वारा निजी ट्रैक्टर केवल उसी कार्य पर लगाने के आदेश दिये गये जिनकी माप संभव हो । कम्पेक्शन का कार्य इस श्रेणी में नहीं आता । इन आदेशों के पश्चात् वर्ष 1977 में शारदा सहायक खण्ड-42, रायबरेली एवं शारदा सहायक खण्ड-12 लखनऊ में निजी ट्रैक्टर कम्पेक्शन के कार्य पर लगाये जाने के विषय में विवरण प्राप्त किया जा रहा है ।

* 63—श्री मोहन सिंह (देवरिया)—

[11-4-78 को तारांकित प्रश्न संख्या 3 द्वारा उत्तरित]

गिरनाइट ग्रिट की आपूर्ति संबंधी बुन्देलखंड विकास निगम का पत्र

*64—श्री रणवीर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड विकास निगम का एप्रूव्ड क्रेशर अपने पत्रांक सं0 4425, दिनांक 23 फरवरी, 1978 के अनुसार ग्रिड सप्लाई 80.00 रुपए प्रति घन मीटर देने को तैयार था परन्तु उससे न लेकर दूरस्था स्थान झांसी झार पहाड़ से 117 रुपये से लेकर 121 रुपए प्रति घन मीटर के हिसाब से लिया गया ? यदि हां, तो किन विशेष परिस्थितियों में ? टेंडर का रेट रु0 80.83 प्रति घन मीटर आया उसे स्वीकार न करके उपरोक्त रेट पर किन कारणों से लिया गया ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

बुन्देलखंड विकास निगम ने अपने पत्र दिनांक 23-2-78 द्वारा 10 एम0 एम0 गिरनाइट ग्रिट की दर 80 रु0 प्रति सैकड़ा घन फुट सूचित की थी न कि प्रति घनमीटर। इसके अतिरिक्त क्रेशर से मौके तक ढुलाई की दरें उनके द्वारा अलग दी गई थी। किन्तु प्रयास करने के बावजूद भी उपरोक्त प्रस्तावित दर पर ग्रिट सप्लाई के लिये नियम द्वारा अनुबन्ध नहीं किया गया। इसलिये 4-3-78 को न्यूनतम टेन्डर दाता की दर रु0 115.40 प्रति घन मीटर स्वीकार की गई।

शारदा सहायक परियोजना के रेगुलेटर के निर्माण संबंधी अनुबंध

*65—श्री गोकरननाथ प्रसाद (जिला सीतापुर) तथा श्री लाल दास (जिला सीतापुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत फीडर चैनल 26.30 किलोमीटर पर रेगुलेटर के निर्माण सम्बन्धी अनुबन्ध के मुताबिक काम न कराकर अतिरिक्त काम कराया गया है। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री बलबीर सिंह—

शारदा सहायक पोषक नहर के कि0 मी0 26.30 पर क्रास रेगुलेटर के निर्माण हेतु अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य के परिकल्प के आधार पर मात्राओं या विशिष्टयों में हुये परिवर्तन के अनुसार कार्य कराये जाने का प्राविधान था तथा ठेकेदार द्वारा उसी के अनुसार अतिरिक्त मदों का कार्य भी कराया गया।

बसनही ड्रेन पर पुल एवं बांध निर्माण संबंधी पत्र

*66—श्री मन्नू राम (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बसनही ड्रेन पर पुल पर निर्माण के सम्बन्ध में पत्रांक 683 एफ/78-23 सि0—6 सिंचाई (6) अनुभाग, दिनांक 27 फरवरी, 1978 के सम्बन्ध में अब तक इस पर पुल एवं बांध किस कारण से नहीं बनाया गया ? क्या यह सत्य है कि प्रतिवर्ष इस पुल एवं बांध के न बनाने से लाखों रूपए की क्षति होती हैं ? क्या यह कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न हो जायेंगे ?

श्री बलबीर सिंह—

शासन के पत्र सं0 683 एफ/78-23-सि0-6, दिनांक 27 फरवरी, 1978 द्वारा प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 24 नवम्बर, 1977, जिसमें बसनही ड्रेन पर पुल निर्माण के लिए अनुरोध किया गया था, मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था।

पुल का निर्माण पुराने ड्रेन पर बनाने की मांग की गई है। इस तरह का निर्माण बाढ़ मद से साधारणत: नहीं किया जाता है। प्रश्नगत क्षेत्र में बांध एवं पुल बनाने का इस समय पर कोई प्रस्ताव नहीं है। पुल के न बनने से आर्थिक क्षति होने का कोई प्रश्न नहीं है।

महानगर, लखनऊ में महराज कुमार मोहम्मद महमूद हसन खां, महमूदाबाद की भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

*67—श्री देव कुमार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि महानगर क्षेत्र, जिला लखनऊ में भूमि अधिग्रहण विज्ञप्ति संख्या 2349/जी XXIII-118/सी0 बी0 46 तथा 4910 सी0 बी0 XXIII 118 सी0 बी0-47 के अन्तर्गत आबादी महानगर में महराज कुमार मोहम्मद महमूद हसन खान, पुत्र स्व0 महाराजा आफ महमूदाबाद के कौन-कौन प्लाट अधिग्रहीत किये गये थे और उनके लिए कितना-कितना मुआवजा अदा किया गया था? उन प्लाटों के अमले (कंसट्रक्शन) का मुआवजा किन-किन व्यक्तियों को दिया गया, उसका विवरण क्या है? क्या यह सही है कि इसमें काफी प्लाटों पर अभी तक कब्जा नहीं लिया गया है? यदि हां, तो कब तक लिया जायगा?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*68—श्री झाम लाल अहेरवार—

[9वें बुधवार के लिये स्थगित।]

दिल्ली स्थित रेजीडेन्ट कमिश्नर, उत्तर प्रदेश के कार्यालय का किराया

*69—श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली स्थित रेजीडेन्सी कमिश्नर का आफिस यू0 पी0 निवास में है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उन्होंने कैनाट प्लेस, 12 खम्भा रोड पर भी दफ्तर के लिये दो कमरे का फ्लैट ले रखा है? यदि हां, तो उनका प्रति माह किराया क्या है और उसकी साज-सज्जा पर कितना रुपया खर्च हुआ है?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

दिल्ली स्थित रेजीडेन्ट कमिश्नर, उत्तर प्रदेश का कार्यालय यू0 पी0 निवास में नहीं अपितु बारह खम्भा रोड, नई दिल्ली पर स्थित है। इसका प्रतिमाह किराया रु0 5,112.50 पैसे हैं और उसकी साज-सज्जा पर 2,43,000 रुपया खर्च हुआ है।

अतारांकित प्रश्न

1-2—श्री श्री नारायण—

[पुनरावृति के आधार पर लिखा]

राजकीय बालिका इन्टर कालेज, हमीरपुर के भवन एवं राजकीय बालिका इन्टर कालेज, बांदा के आवास निर्माण की मांग

3—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय बालिका इन्टर कालेज, महोबा, जिला हमीरपुर के भवन निर्माण तथा राजकीय बलिका इण्टर कालेज, बांदा की अध्यापिकाओं क आवास निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह कब तक पूर्ण हो जाएगी?

श्री कालीचरण—

राजकीय बालिका इन्टर कालेज, महोबा, जिला हमीरपुर के भवन निर्माण की योजना तो विचाराधीन है परन्तु उपयुक्त भूमि के अभाव में भवन का निर्माण कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बांदा की अध्यापिकाओं के आवास निर्माण की कोई योजना नहीं है।

झांसी मंडल के माध्यमिक विद्यालयों (बालिका व बालक) में रिक्त पी0 टी0 अध्यापकों के पद एवं खेल-कूद शुल्क

4—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी मण्डल के प्रत्येक जिले के माध्यमिक बालक व बालिका विद्यालयों में कब से खेलकूद अध्यापक व अध्यापिकाओं के स्थान रिक्त हैं ? सरकार यह भी बतावें कि वर्ष 1976–77 व 1977–78 में जिन-जिन बालक व बालिका विद्यालयों ने जनपदीय खेल कूद समारोह में भाग नहीं लिया है ? क्या वहां छात्र छात्राओं से क्रीड़ा शुल्क वसूला गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

खेल-कूद अध्यापक के नाम से कोई पद किसी भी विद्यालय में नहीं है। विद्यालयों में खेल-कूद का काम या तो पी0 टी0 अध्यापक अथवा अन्य अध्यापक जो खिलाड़ी रह चुके हैं, को सौंपा जाता है। झांसी मण्डल के प्रत्येक जिले के माध्यमिक बालक और बालिका विद्यालय में संलग्न सूची में उल्लिखित विद्यालयों में उनके सम्मुख अंकित सत्र से पी0 टी0 के अध्यापिकाओं के स्थान रिक्त हैं। जहां तक क्रीड़ा शुल्क वसूले जाने का प्रश्न है उसे नियमानुसार समस्त शिक्षण संस्थाओं से वसूला गया है। क्योंकि शिक्षा संहिता की धारा 81 (ग) के अनुसार शिक्षा संस्थाओं के प्रधानों को प्रत्येक विद्यार्थी से खेल अथवा शारीरिक व्यायाम के लिये खेल कूद (क्रीड़ा) शुल्क लेने हेतु अधिकृत किया गया है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 271 पर)

सिंचाई खंड, बहराइच में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी

5—श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड बहराइच में कुल कितने अधिकारी और कर्मचारी हैं ?

श्री बलबीर सिंह—

सिंचाई खण्ड, बहराइच में वर्तमान समय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या 72 है। जिसमें 5 अधिकारी हैं और 67 कर्मचारी हैं।

गोरखपुर जिले के कोल्हई-बृजमनगंज मार्ग का निर्माण

6—श्री श्याम नारायण तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के बृजमनगंज कस्बे में जाने वाली नैपाल को मुख्य मार्ग बृजमनगंज के सटे उत्तर करीब 800 गज लम्बे अर्से से अभी तक क्यों नहीं बन पाया ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जिला गोरखपुर के कोल्हई बृजमनगंज मार्ग (17.71 किलोमीटर लम्बाई में) पर मिट्टी का कार्य किया जा चुका है तथा 17.00 किलो मीटर भाग पेन्ट किया जा चुका है। 710 मीटर लम्बाई में भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूरी न होने के कारण तथा गोरखपुर न्यायालय के स्थागनादेश के कारण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है।

श्री बच्छराज लाल श्रीवास्तव, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, कृषक इंटर कालेज गौर बस्ती के वेतन से कटौती एवं वेतन का भुगतान

7---श्री सुखपाल पाण्डेय---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बच्छराज लाल श्रीवास्तव, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य कृषक इण्टर कालेज, गौर, जिला बस्ती के वेतन से जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती द्वारा सितम्बर, 1974 से जून, 1977 तक कटौती की गयी है ? यदि हां तो यह कटौती किसके आदेश से की गयी तथा किस शासनादेश के आधार पर श्री श्रीवास्तव को उपरोक्त अवधि का पूरा वेतन भुगतान नहीं किया गया? श्री श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त होने की तिथि तक उनके वेतन से कुल कितनी धनराशि काटी गयी ? क्या काटी गयी धनराशि श्री श्रीवास्तव को भुगतान कराने के लिये सरकार सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री काली चरण---

जी हां। आडिट आपत्ति के फलस्वरूप कटौती करके आपत्ति का निराकरण किया गया।

आडिट आपत्ति के अनुपालनार्थ निरीक्षक द्वारा देय वेतन का नियमानुसार भुगतान किया गया।

रु0 19,680 की धनराशि काटी गई। यह प्रश्न निदेशालय के विचाराधीन है।

मिर्जापुर में गंगा नदी के पुल पर पथकर की वसूली दर

8---श्री श्यामधर मिश्र---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि गंगा पर निर्मित मिर्जापुर, इलाहाबाद व वाराणसी सेतु पर टोल टैक्स किस दर से लगाया जा रहा है?

श्री मोहम्मद मसूद खां---

वाराणसी तथा इलाहाबाद में गंगा नदी पुल पर पथकर की वसूली नहीं की जाती है। जिला मिर्जापुर में गंगा नदी के पुल पर टोल टैक्स अधिसूचना संख्या 2174/23-सा0 नि0 दो-62/76, दिनांक 2 जून, 1976 के अनुसार लगायी जाती है, जो निम्न प्रकार है :—

		रु0
1	प्रत्येक गाड़ी जो पशुओं द्वारा खींची जाती है	0.5
2	प्रत्येक मोटर साइकिल एवं स्कूटर रिक्शा	1.00
3	टैम्पो तथा कार टैक्सी	5.00
4	निजी कार, जीप, पिकअप, स्टेशन वैगन, लैण्ड रोवर	3.00
5	टैक्टर	1.50
6	लदा हुआ या बिना लदा हुआ ट्रैलर	1.00
7	मोटर, लारी, बसें आदि या अन्य भारी मशीन जैसे अर्थ मूविंग मशीनरी	10.00
8	ट्रक	15.00
9	पशुओं द्वारा खींची जाने वाली सवारी गाड़ियां (तांगा, इक्का) ..	शून्य
10	मोटर साइकिल, स्कूटर	00.75
11	मिनी बस	7.00

टिप्पणी:---पथकर की निर्धारित दर की सात गुनी राशि देकर कोई भी निजी गाड़ी का स्वामी मासिक पास बनवा सकता है। यह सुविधा टैक्सियों, टैंपो, स्कूटर, रिक्शा, मिनी बस, ट्रकों तथा बसों के लिये उपलब्ध नहीं होगी।

नौगढ़ तहसील बस्ती, के भवन विहीन प्राइमरी पाठशालाएं

9—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में कौन-कौन बेसिक प्राइमरी पाठशालाएं हैं जिनके पास भवन नहीं हैं क्या सरकार को ऐसे पाठशालाओं के लिये भवन बनवाने की व्यवस्था करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री काली चरण—

जनपद बस्ती के नौगढ तहसील के जिन बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं के भवन नहीं हैं उनके नाम संलग्न सूची में दर्शाये गये हैं ?

जी हां ।

1000 प्राइमरी स्कूल भवन निर्माण की स्वीकृति 31 मार्च, 1978 को दी गई है । जनपद बस्ती में ही उक्त संख्या में से कुछ भवन निर्माण कराये जाएगे ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे 272-273 पृष्ठ पर ।)

फैजाबाद जिले के असहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान

10—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में कितने असहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को सन् 1976-77 की क्षति पूर्ति की धनराशि अभी तक नहीं मिली है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा सम्बन्धित विद्यालयों को यह धनराशि कब तक मिल जायेगी ?

श्री काली चरण—

53 विद्यालयों को नहीं मिली ।

दोष का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु जांच की जा रही है ।

विद्यालयों को जांचो परान्त देय धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा ।

बाराबंकी, राम सहाय जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य का निलम्बन

11—श्री अशरफी लाल यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, सन् 1975 में जूनियर हाई स्कूल राम सहाय जनपद बाराबंकी के प्रधान अध्यापक को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो निलम्बन का आधार क्या था ।

श्री काली चरण—

जी हां, निलंबन का आधार प्रधानाध्यापक के विरुद्ध विद्यालय से अनुपस्थित रहने की शिकायत थी ।

प्रदेश में अधिग्रहीत निजी प्रबंधकों द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूलों के सेवा मुक्त अध्यापक

12—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 दिसम्बर, 1977 से प्रदेश में जो जूनियर हाई स्कूल खोले गये हैं, उनमें ऐसे विद्यालयों की संख्या कितनी है, जो कि पहले से निजी प्रबन्धों के द्वारा गैर मान्यता प्राप्त रूप में चल रहे थे ?

13—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विद्यालयों में कार्यरत ऐसे अध्यापकों की संख्या कितनी है जो नौकरी से निकाल दिए गए हैं ? क्या उन्हें किन्हीं भी शर्तों पर सेवा में रखने के बारे में सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के प्रतिवेदन एवं अपीलों की जांच

14—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

सप्तम विधान सभा के द्वितीय सत्र 1978 के 6 ठें बुध के अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अपीलों की जांच अधीक्षक अभियन्ता, फैजाबाद से कराई गई है ? उसमें असाधारण विलम्ब का क्या कारण है ? उक्त अपीलों का निर्णय कब तक होने की आशा है ।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

श्री कुलदीप नारायण सक्सेना के प्रत्यावेदनों पर अधीक्षण अभियन्ता से रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता को प्राप्त हो गई है परन्तु सभी सम्बन्धित अभिलेखों के अभाव में निर्णय नहीं हो सका । इनके निपटारे करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है ।

सीतापुर जिले के पम्पिंग सेट विहीन राजकीय नलकूप

15—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद के विकास खण्ड खैराबाद, परसेन्डी तथा एलिया में ऐसे राजकीय नलकूप कौन-कौन हैं जिनकी बोरिंग तो हो चुकी है परन्तु पम्पिंग सेट के अभाव में सिंचाई हेतु पानी नहीं दे पा रहे हैं ? तथा उनकी बोरिंग कब तक पूर्ण हुई थी ? पंपिंग सेट कब तक लगा दिए जायेंगे ?

श्री बलवीर सिंह—

सीतापुर जनपद के विकास खंड, खैराबाद, परसेन्डी तथा एलिया में निम्नलिखित नलकूपों की बोरिंग पूर्ण हो चुकी है परन्तु जिन्हें पम्पिंग सेटों के अभाव में चालू नहीं किया जा सका ।

क्रम-संख्या	विकास खंड का नाम	नलकूप संख्या		बोरिंग तथा विस्तारण पूर्ण होने का समय
1—खैराबाद	.. ..	111	सीतापुर	10/77
		110	,,	10/77
		109	,,	11/77
		108	,,	5/77
		107	,,	5/77
		98	,,	12/77
		97	,,	2/77
2—परसेन्डी	.. ..	101	,,	3/77
3—एलिया	.. ..	104	,,	5/77
		105	,,	577

पम्पिंग सेट अब उपलब्ध हो गया है और शीघ्र लगा दिये जायेंगे ।

16-17—श्री सुखपाल पांण्डेय—

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिये ।]

हमीरपुर, छानी-इंगोहटा मार्ग का निर्माण

18—श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हमीरपुर जिले का छानी-इंगोहटा मार्ग पिछले कितने वर्षों से निर्माणाधीन है ? कितना धन उसमें अभी तक लग चुका है ? किन परिस्थितियों के कारण इसका निर्माण पूरा नहीं हो सका है ? कब तक निर्माण पूरा होने की सम्भावना है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

इस मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 1972 में शुरू किया गया था ।

फरवरी, 1978 तक 15.78 लाख रुपया खर्च हो चुका है ।

वर्ष 1976-77 एवं 1977-78 में कम अनुदान के कारण प्रगति धीमी रही । मजदूरी की दरों में तथा सामग्री के मूल्यों में वृद्धि के कारण स्वीकृत लागत 15.20 लाख रुपये में 18 किलोमीटर की लम्बाई में कार्य पूरा नहीं हो सकता था । बढ़ी हुई लागत की पुनरीक्षित स्वीकृति देने पर कार्यवाही की जा रही है ।

कार्य पूरा होने में लगभग 2 साल और लगेंगे ।

बस्ती जिले में राजकीय नलकूप का छिद्रण

19—श्री मथुरा प्रसाद पांण्डेय—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में इस वर्ष कितने नलकूप लगेंगे तथा उनमें से कितने राजकीय नलकूप नौगढ़ तहसील में लगाने का शासन ने निश्चय किया है?

श्री बलबीर सिंह—

वर्ष 1977-78 में बस्ती जनपद में 50 राजकीय नलकूपों का आवंटन किया गया था जिनमें से 7 नलकूप नौगढ़ तहसील में छिद्रित किये गये हैं ।

वर्ष 1978-79 में जनपद वार नलकूपों का आवंटन नहीं हुआ है फिलहाल 7 राजकीय नलकूप निर्माणाधीन है ।

देवरिया जिले के राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय में चहारदिवारी निर्माण की मांग और छात्रावास

20—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद में राजकीय दीक्षा विद्यालय, पडरौना को तोड़कर राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय के रूप में चलाया जा रहा है ? क्या यह सही है कि विद्यालय में कोई चहरदीवारी नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र चहर-दिवारी की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कालीचरण—

जी हां । यह भी सही है कि विद्यालय भवन में चहारदिवारी नहीं है । चहारदीवारी की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है क्योंकि भूमि तथा भवन जिला परिषद् के हैं ।

21—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या शिक्षा मन्त्री को यह भी जानकारी है कि उक्त कन्या दीक्षा विद्यालय के लिए होस्टल बौड़ी नदी के किनारे सुनसान जगह पर है जहां कन्याओं का रहना संकटपूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार होस्टल की कहीं अन्य व्यवस्था करेगी ?

श्री कालीचरण—

जी हां ।

छात्रावास बौड़ी नदी के किनारे सुनसान स्थान पर है ।

किन्तु अब उसे छोड़ दिया गया है और सम्पत्ति दीक्षा विद्यालय में ही छात्राओं के निवास की व्यवस्था कर दी गई है ।

किसान महाविद्यालय, बहराइच में प्रवक्ताओं की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार

22—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री को यह जानकारी है कि किसान महाविद्यालय, बहराइच में बी० एड० विभाग, हिन्दी एवं बनस्पति तथा अंग्रेजी विभाग में प्रवक्ताओं के पद की नियुक्ति हेतु अन्तिम नवम्बर, 1977 में साक्षात्कार किया गया है जिसमें योग्यतम अभ्यर्थियों की उपेक्षा की गयी है ? क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1977 में उक्त नियुक्तियों के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री एवं शिक्षा मन्त्री को श्री राजमणि सिंह व मोहन चन्द्र त्रिपाठी आदि, निवासी बहराइच का खुला एवं रजिस्ट्री डाक द्वारा शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है और अब तक उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कालीचरण—

जी हां ।

किन्तु चयन समिति द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की गयी हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जूनियर हाई स्कूल, महोली, सीतापुर के अध्यापक, श्री सिद्धेश्वर सिंह की पेंशन

23—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् सीतापुर (अब बेसिक शिक्षा परिषद्) के जूनियर हाई स्कूलों के जिन अध्यापकों ने वर्ष 1978 में अवकाश ग्रहण किया है उनमें से वह अध्यापक कौन-कौन हैं जिन्हें अभी तक पेंशन मिलना नहीं प्राप्त हुआ है और न मिलने का कारण क्या है ?

श्री काली चरण—

जिला परिषद्, सीतापुर (अब बेसिक शिक्षा परिषद्) के जूनियर हाई स्कूल, महोली के सहायक अध्यापक श्री सिद्धेश्वर सिंह ने वर्ष 1968 में अवकाश ग्रहण किया है जिन्हें अभी तक पेंशन नहीं प्राप्त हुआ है और पेंशन न मिलने का कारण यह है कि इन्होंने पेंशन से संबंधित वांछित प्रपत्रों को पूरा नहीं किया था तथा पेंशन पत्रजातों के साथ जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं संलग्न की थी । अध्यापक ने जन्म-तिथि के सम्बन्ध में अब हलफनामा दे दिया है जिसके आधार पर इस प्रकरण को निस्तारित कर दिया जायेगा ।

सीतापुर जिले की रहीमाबाद पम्प नहर के टेल क्षेत्र में लगाये गये नलकूप

24—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में रहीमाबाद पम्प कैनाल की सफल न होने के कारण तथा क्षेत्र में सिंचाई कार्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय विधायक द्वारा इस आशय का कोई पत्र दिसम्बर, 1977 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ है कि उक्त कमान्ड एरिया में कुछ राजकीय नलकूप लगा दिए जायं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां, रहीमाबाद पम्प नहर के टेल क्षेत्र में जहां पानी पहुंचने में कठिनाई थी, सिंचाई सुविधा देने हेतु पहले ही चार राजकीय नलकूपों का छिद्रण किया जा चुका है । शेष ऐसे क्षेत्र जिसमें पम्प नहर के पानी पहुंचने में कठिनाई है, सर्वेक्षण कराया जा रहा है तथा इसके बाद ही नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ताओं की हड़ताल एवं वैकल्पिक अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति की मांग

25—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा वर्ष 1974 जनवरी से अप्रैल के बीच अवर अभियन्ताओं की हड़ताल के समय जिन नव नियुक्ति अवर अभियन्ताओं ने कार्य किया था तथा हड़ताल समाप्ति पर उन्हें सेवा निवृत्ति कर दिया गया उनको नौकरी में ले लिए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ले लिया जायगा ? यदि नहीं, तो एब्जार्ब न करने का कारण क्या है जब कि जल निगम तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एब्जार्ब कर लिया है ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां ।

जो अवर अभियन्ता डिप्लोमा धारक थे उन्हें सामान्य अभ्यर्थियों के मुकाबले में 15 प्रतिशत प्राप्तांक में वेटेज देकर नियुक्ति की कार्यवाही चल रही है ।

खीरी जिले में लगाये गये नलकूप

26—श्री नरेश चन्द्र—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष 1977 जनपद खीरी में कितने नलकूप लगाए गए और क्या सरकार बताएगी कि सर्वे के अनुसार कितने नलकूपों की आवश्यकता है ?

श्री बलबीर सिंह—

वर्ष 1977–78 में जनपद लखीमपुर खीरी में 34 नलकूप लगाये गये हैं ।

खीरी जनपद में कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल में से 1,14,000 एकड़ क्षेत्र को राजकीय नलकूपों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है । शेष क्षेत्र के लिये अन्य सिंचाई योजनाओं को ध्यान में रखते हुये नलकूपों हेतु कुल आवश्यकता का सर्वेक्षण कराया जा रहा है । सर्वेक्षण के उपरान्त ही नलकूपों की आवश्यकता का आंकलन सम्भव होगा ।

आगरा जिले के ग्राम दतावली का नलकूप

27—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद आगरा के विकास क्षेत्र फिरोजाबाद में राजकीय नलकूप संख्या 79 का छिद्रण गत वर्ष में हुआ लेकिन इस नलकूप को चालू अब तक न किए जाने के क्या कारण है ?

श्री बलबीर सिंह—

जनपद आगरा के विकास क्षेत्र फिरोजाबाद के ग्राम दतावली के अन्तर्गत राजकीय नलकूप संख्या 79 फिरोजाबाद समूह का निर्माण (छिद्रण) माह 7/76 में हुआ था परन्तु कूप का विद्युतीकरण न हो सकने के कारण माह 12/77 तक चालू नहीं किया जा सका। इस नलकूप का विद्युतीकरण माह 2/78 में हो गया है एवं चालू है।

बस्ती जिले की तहसील नौगढ़ में बाढ़ नियंत्रण हेतु योजनायें

28—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में विभिन्न नदियों द्वारा हर वर्ष बाढ़ के प्रकोप के निवारणार्थ सरकार ने कोई योजना स्वीकार की ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां।

परियोजनाओं का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 274 पर)

बांदा जिले के कालींजर बघेला-वारी मार्ग का निर्माण

29—श्री सुरेन्द्र पाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में नरैनी तहसील में कालींजर बघेला वारी मार्ग का निर्माण कार्य धीमी गति से क्यों चल रहा है ? क्या जून, 1978 तक यह कार्य पूरा होगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

यह मार्ग 26.15 किलो मीटर लम्बा है तथा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा में पड़ता है। किलोमीटर 1 से 4, 9 से 11 एवं 14–15 में गांव वालों द्वारा आपत्ति किये जाने तथा भूमि अध्याप्ति न हो सकने के कारण कार्य की गति धीमी है।

जी नहीं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग सीतापुर के नेशनल हाई वे के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र

30—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्व श्री प्रेम शंकर तथा विजय कुमार मिश्र द्वारा सीतापुर नेशनल हाई-वे (सार्वजनिक निर्माण विभाग) के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र अक्तूबर अथवा नवम्बर, 1977 के प्रथम पखवारे में मिला ? यदि हां, तो शिकायतें क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

प्रश्नगत शिकायती पत्र अक्तूबर, 1977 में प्राप्त हुये। उक्त शिकायती-पत्रों में की गई शिकायतें निम्नलिखित है:—

(1) अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खंड, सीतापुर ठेकेदारों के साथ कार्यों के कराने तथा भुगतान करने में पक्षपात करना।

(2) कम ऊंचाई के चट्टों को अधिक माप कर लाभ पहुंचाना।

(3) ऊंची दर पर कार्य का कराया जाना।

(4) कि0 मी0 399 व 400 की पटाई ठीक न होने से ट्रकों का फंसना।

(5) कि0 मी0 426, 427, व 430 में कुटाई का कार्य विभाग से न कराकर ठेके पर कराना।

(6) कि0 मी0 424 में ली गई 5 ट्रक मौरंग में से डेढ़ ट्रक दूसरे कि0मी0 में संभवतः प्रयोग होना।

(7) कि0 मी0 422 में पत्थर की गिट्टी के चट्टे की ली गई माप से कम ऊंचाई के लगाये जाना।

इन शिकायतों की जांच संबंधित अधीक्षण अभियन्ता से करायी गई तथा जांच आख्या के आधार पर सभी आरोप निराधार पाये गये।

पडरौना विकास खंड के कतिपय ग्रामों की सिंचाई हेतु जमुनिया राजबहा से नहर निकालने की मांग

31—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि पडरौना विकास खण्ड में गोपालपुर (मोती ललहा) धीर पट्टी, चौराखास (बांसगांव) गांगकानी, बन्दी छापर, मटिहनियां, पकड़ी खां में सिंचाई की कोई सुविधा न होने से 1,500 (पन्द्रह सौ एकड़) क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष फसलें सूख जाती है? यदि हां, तो जमुनिया राजबहा से नहर की कोई शाखा निकाली जायगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री बलबीर सिंह—

जी नहीं। जमुनिया राजबहा से कोई माइनर या शाखा निकालने का प्रश्न नहीं उठता।

पडरौना विकास खंड के मौजा सिधुवा में राजकीय नलकूप लगाने की मांग

32—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या मन्त्री को यह भी जानकारी है कि पडरौना विकास खंड के सिधुवा मौजा में सिंचाई का साधन न होने से एक हजार एकड़ क्षेत्रफल असिंचित है? यदि हां, तो राजकीय नलकूप या गंडक नहर की कोई शाखा निकाली जायगी?

श्री बलबीर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले के कुबेर नाथ संस्कृत पाठशाला का निलंबित अनुदान

33—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि देवरिया जनपद के पडरौना तहसील में लगभग एक शताब्दी पुरानी कुबेर नाथ संस्कृत पाठशाला को प्राप्त होने वाला अनुदान शिक्षा विभाग द्वारा निलम्बित है ? यदि हां, तो अनुदान निलम्बन का कारण क्या है ?

श्री कालीचरण—

जी हां ।

आर्थिक अनियमितताओं के कारण ।

सुरीली बुजुर्ग पम्प नहर, हमीरपुर की लागत एवं सिंचन क्षमता

34—श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर जिले की सुरीली बुजुर्ग पम्प नहर की लागत कितनी है तथा उसकी सिंचाई क्षमता कितनी है और वर्तमान वर्ष में कितनी सिंचाई हो रही है ?

श्री बलबीर सिंह—

सुरीली बुजुर्ग पम्प नहर रु0 28.69 लाख की लागत से 6,400 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई सुविधा देने हेतु प्रस्तावित है तथा पत्यौरा पम्प नहर रु0 36.53 लाख की लागत से 7,600 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई सुविधा देने हेतु प्रस्तावित है। इन दोनों नहरों को मिलाकर एक कर दिया गया है तथा इस नहर के हेड पर 20 क्यूसेक्स के पम्प विद्युतिकृति हो चुके हैं। इस सम्मिलित योजना द्वारा वर्ष 1976–77 में 31 एकड़ तथा वर्ष 77–78 में शून्य सिंचाई हुई है।

नगर महापालिका, लखनऊ के अध्यापकों की पेंशन व ग्रेच्युटी

35—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1976 में नगर महापालिका, लखनऊ के अधीन चलने वाले प्राइमरी पाठशालाओं के जिन सहायक अध्यापकों न अवकाश ग्रहण किया, उनमें से ऐसे कौन-कौन अध्यापक हैं जिन्हें अभी तक पेंशन तथा ग्रच्युटी का पैसा नहीं दिया गया है ? न देने का कारण क्या है तथा कब तक दे दिया जायगा ?

श्री कालीचरण—

जून, 1976 में नगरमहापालिका लखनऊ के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं के निम्नांकित 14 अध्यापक/अध्यापिकाओं ने अवकाश ग्रहण किया:—

(1) श्री भगवती प्रसाद
(2) श्री विशेश्वर प्रसाद
(3) श्री विष्णु नारायण
(4) श्री मेवालाल
(5) श्री आनन्द स्वरूप
(6) श्री परशु राम वर्मा
(7) श्री गोवर्द्धन प्रसाद दीक्षित
(8) श्री जगन्नाथ प्रसाद
(9) श्री अम्बिका प्रसाद

(10) श्री भगवान बख्श सिंह
(11) सुश्री सुखदा सिन्हा
(12) सुश्री बीरन बाई
(13) सुश्री पुष्पा चटर्जी
(14) सुश्री आमना बेग

ऊपरिवर्णित अध्यापकों/अध्यापिकाओं में से श्री विशेश्वर प्रसाद, श्री मेवालाल, श्री आनन्द स्वरूप, श्री गोवर्द्धन प्रसाद दीक्षित, श्री भगवान बख्श सिंह, सुश्री पुष्पा चटर्जी का सेवाकाल अप्रशिक्षित होने के फलस्वरूप अस्थायी रहा है अथवा सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त करने पर सेवा की अवधि पेंशन हेतु अनुमोदित निर्धारित न्यूनतम अवधि से कम होने के कारण उन्हें पेंशन देना सम्भव नहीं हो सका।

श्री भगवती प्रसाद, श्री विष्णु नारायण, श्री परशुराम वर्मा, श्री जगन्नाथ प्रसाद, श्री अम्बिका प्रसाद, सुश्री सुखदा सिंहा, सुश्री बीरनबाई सुश्री आमना बेगम के सम्बन्ध में आवश्यक पत्रजात पूर्ण करके पेंशन/ग्रेच्युटी भुगतान हेतु शीघ्र प्रबन्ध किया जा रहा है।

सीतापुर में नवीन प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त अध्यापकों में कतिपय आरक्षण का कोटा

36—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1977 से जो नवीन प्राइमरी पाठशालाएं सीतापुर जनपद में खोली गयी है उनमें अध्यापन करने हेतु नियुक्त किए गए अध्यापकों में वह अध्यापक एवं अध्यापिकाएं कौन-कौन हैं जिन्हें अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, स्वतंत्रता तथा जनतन्त्र संग्राम सेनानी, अपंग तथा सेना के व्यक्तियों को प्राप्त संरक्षण के अधीन नियुक्त किया गया है ?

श्री कालीचरण—

दिसम्बर, 1977 से सीतापुर जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन खोले गये 135 नवीन मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों में अध्यापन करने हेतु नियुक्त किये गये अध्यापकों में से संलग्न सूची में उल्लिखित अध्यापक/अध्यापिकाओं को अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, स्वतंत्रता तथा जनतंत्र संग्राम सेनानी, अपंग तथा सेना के व्यक्तियों को प्राप्त संरक्षण के अधीन नियुक्त किया गया है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 275—276 पर)

स्वामी देवानंद डिग्री कालेज, देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र

37—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वामी देवानन्द डिग्री कालेज, मठलार, देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, शासकीय आदेशों की अवहेलना सम्बन्धी कुछ शिकायती पत्र वर्ष 1977 के उत्तरार्ध में शासन को मिले हैं ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं एवं उन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कालीचरण—

जी हां। शिकायतें कालेज के प्रबन्धक के विरुद्ध वित्तीय गबन, कतिपय शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की अनियमित सेवा समाप्ति, स्वामी देवानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य श्री त्रिवेणी दत्त त्रिपाठी द्वारा पूर्व में स्नातक महाविद्यालय में प्रवक्ता पद पर अनियमित वेतन लेना, सरकारी चीनी को ब्लैक में बेचना तथा प्रबन्धक कांग्रेसी तथा भूतपूर्व प्रधान मंत्री के भक्त होने के कारण गलत काम करने के सम्बन्ध में है।

जांच कराने के आदेश दिये जा चुके हैं।

केन्द्रीय सज्जा मंडल, सिंचाई विभाग, लखनऊ एवं अन्य यांत्रिक अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा स्टार्टर एवं पुर्जों की खरीद

38—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 जनवरी, 1976 से अब तक केन्द्रीय सज्जा मण्डल, सिंचाई विभाग, लखनऊ तथा अन्य यांत्रिक अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा मेसर्स कटलर हेमर तथा मेसर्स अजीत एसोसियेट्स, मेरठ द्वारा किस-किस क्षमता के कितने-कितने स्टार्टरों तथा उनके पुर्जों का क्रय किया गया तथा उनका कुल मूल्य कितना है ?

श्री बलवीर सिंह—

केन्द्रीय सज्जा मंडल सिंचाई विभाग, लखनऊ तथा अन्य यांत्रिक अधीक्षक अभियन्ताओं द्वारा मेसर्स कटलर हेमर तथा मेसर्स अजीत एसोसियेट्स, मेरठ से 1-1-76 से अब तक क्रय किये गये स्टार्टरों एवं उनके पुर्जों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 277 पर)

ब्लाक पिण्डरा व बड़ागांव, वाराणसी के कतिपय ग्रामों में नलकूप लगाने की मांग

39—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव गडखड़ा द्वितीय बरवां देउजी, प्रतिराजपुर, द्वितीय, विक्रमपुर, कटरवां, कहरका, ब्लाक पिण्डरा तथा पश्चिमपुर भरथीपुर, खररियां तालुके विरांव, हमीरापुर, कैथेउली ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में चार सौ एकड़ से ऊपर सिंचाई क्षेत्र होते हुए भी अब तक नलकूप नहीं लगाया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्न कर्त्ता ने 2 अक्टूबर, 1977 को इन स्थानों में स्पेशल ट्यूबवेल का कोटा एलाट करने हेतु एक पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां।

यह सभी ग्राम शारदा सहायक की प्रस्तावित नहरों के कमाण्ड में आते हैं अतः इन ग्रामों में राजकीय नलकूपों का लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्नकर्त्ता का इस सम्बन्ध में दिनांक 2-10-77 का पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

रिग्स डिवीजन, वाराणसी की रिग्स मशीनें एवं नलकूपों का छिद्रण

40—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी रिग्स डिवीजन में इस वक्त कितनी रिग्स मशीने हैं और सितम्बर, 1977 से लेकर दिसम्बर, 1977 तक कितने नलकूपों की बोरिंग की गयी और इस बीच में कितनी मशीनें खराब होकर वर्कशाप में पड़ी रही ? क्या यह सत्य है कि वाराणसी में ट्यबवेलों की बोरिंग सन्तोषजनक नहीं है ? क्योंकि स्थान बसनी ब्लाक बड़ागांव में तारीख 25 दिसम्बर, 1977 को ही रिग्स मशीन भेजना दिखाया गया है और 29 दिसम्बर, 1977 तक उक्त रिग्स मशीन वर्कशाप में पड़ी रही ?

श्री बलवीर सिंह—

रिग्स प्रखंड, वाराणसी में इस वक्त 10 रिग्स मशीनें हैं जिनमें से 7 चालू एवं 3 सर्वेरिमोटेड हैं। सितम्बर, 77 से लेकर दिसम्बर, 77 तक इन मशीनों ने 42 नलकूपों की बोरिंग किया। सितम्बर, 77 से दिसम्बर, 77 में दो रिग मशीने विभिन्न अवधियों में मरम्मत में रहीं।

यह सत्य नहीं है कि वाराणसी में नलकूपों की बोरिंग संतोषजनक नहीं है। रिंग मशीन वर्कशाप से दिनांक 29-12-77 को ठीक होकर दिनांक 30-12-77 को ब्लाक बड़ा गांव के स्थान बसनी के छिद्रण हेतु पहुंची थी। अतएव उक्त रिंग मशीन का 25-12-77 को स्थल पर भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राजकीय दीक्षा विद्यालय, सुल्तानपुर क अध्यापक, श्री मु0 मुस्तफा खां क वेतन का निर्धारण

41—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 28 अक्तूबर, 1977 का पत्र श्री मु0 मुस्तफा खां, स0 अ0 एल0 टी0 वेतन-क्रम, राजकीय दीक्षा विद्यालय, सुल्तानपुर, के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कालीचरण—

जी हां।

प्रसंगत वेतन निर्धारण प्रकरण का विधिवत निस्तारण किया जा चुका है।

सिंचाई विभाग में तदर्थ रूप (एडहाक रूप) से नियुक्त किये गये सहायक अभियन्ता (सिविल)

42—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967 से लेकर वर्ष 1977 तक सिंचाई विभाग में प्रत्येक वर्ष कितने सहायक एडहाक अभियन्ता (सिविल) थे एवं प्रत्येक वर्ष में कितनी नियुक्ति की गयी थी ? इसमें से कितने सहायक अभियन्ता प्रोन्नति द्वारा अवर अभियन्ता से भरे गए थे ?

श्री बलवीर सिंह—

वर्ष 1967 से लेकर वर्ष 1977 तक सिंचाई विभाग में प्रत्येक वर्ष (तदर्थ रूप) एडहाक रूप से कार्यरत सहायक अभियन्ता (सिविल) की संख्या एवं प्रत्येक वर्ष में कितनीं नियुक्तियां की गयीं थीं तथा उनमें से कितने सहायक अभियन्ता के पद प्रोन्नति द्वारा अवर अभियन्ता से भरे गये थे, की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 278 पर)

गनपत सहाय डिग्री कालेज, सुल्तानपुर के प्रवक्ता, श्री नगेन्द्र नाथ पाण्डेय के वेतन का भुगतान

43—श्री हरि चरण यादव (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री नगेन्द्र नाथ पाण्डेय, प्रवक्ता, राजनीति विज्ञान विभाग गनपत सहाय डिग्री कालेज, सुल्तानपुर का दिनांक 12 अगस्त, 1969 ई0 से 31 दिसम्बर, 1973 तक 3,260 रु0 (तीन हजार दो सौ साठ रुपये) वेतन का अवशेष है ? यदि हां, तो भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री कालीचरण—

जी नहीं।

श्री शफ़ीउद्दीन सिद्दीकी, लिपिक, नगरपालिका, फ़िरोजाबाद की रिश्वत के संबंध में गिरफ्तारी

44—श्री राम लखन (जिला इटावा)—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शफीउद्दीन सिद्दीकी लिपिक, बेसिक शिक्षा परिषद नगरपालिका, फिरोजाबाद को 20 दिसम्बर, 1976 को रिश्वत लेते हुये सी० ओ०, फिरोजाबाद द्वारा पकड़ा गया था ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण—

जी हां, पुलिस द्वारा श्री शफीउद्दीन सिद्दीकी के विरुद्ध रिश्वत के आरोप की रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है ।

फैजाबाद जिले के बेसिक अध्यापकों की अनिवार्य जमा की धनराशि एवं प्राविडेन्ट फंड का भुगतान

45—श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के कितने बेसिक शिक्षकों के एरियर एवं अनिवार्य जमा योजना की प्रथम किश्त का तथा रिटायर्ड व मृतक शिक्षकों के फंड का भुगतान अभी (8-9-77) तक नहीं किया गया है और क्यों तथा भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री काली चरण—

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जनपद फैजाबाद में 8 सितम्बर, 1977 तक 202 अध्यापकों का अवशेष, समस्त अध्यापकों का अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा धनराशि की प्रथम किश्त तथा 33 अवकाश प्राप्त तथा मृतक शिक्षकों के उत्तराधिकारियों को प्राविडेन्ट फन्ड का भुगतान नहीं किया जा सका था परन्तु 20 मार्च, 1978 को 202 अध्यापकों में से 125 अध्यापकों का अवशेष तथा समस्त अध्यापकों को अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत देय प्रथम एवं द्वितीय किश्त का भुगतान किया जा चुका है। 77 अध्यापकों के अवशेष तथा 33 अध्यापकों के फंड के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा जा रही है ।

पार्लियामेंटरी स्कीम के अन्तर्गत फैजाबाद जिले में सड़कों का निर्माण

46—श्री श्रीराम द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78 में फैजाबाद जनपद में पार्लियामेंटरी स्कीम के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें निर्माणाधीन हैं ? हैदरगंज बाजार से चौरे बाजार मार्ग पर 5 कि० मी० सड़क क्या पार्लियामेंटरी स्कीम के अन्तर्गत प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इस सड़क के निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

वर्ष 77-78 में पार्लियामेन्ट्री स्कीम के अन्तर्गत फैजाबाद जनपद में निर्माणाधीन मार्गों की सूची संलग्न है । है दरगंज बाजार से चौरे बाजार मार्ग, चौरा-हैदरगंज-मीटी मार्ग के नाम से 5 किलोमीटर की लम्बाई में पार्लियामेन्ट्री स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत है । इस मार्ग पर 10 प्रतिशत से कम प्रगति होने के कारण निर्माण कार्य बन्द था जिसे पुन: चालू किये जाने की लिये नवम्बर, 77 के अन्त मे आदेश दिये गये हैं । अब कार्य प्रगति में है ।

वर्ष 77-78 में इस कार्य के लिये केवल 0.50 लाख रुपये का अनुदान दिया जा सका । वर्ष 78-79 का बजट अभी पारित नहीं हुआ है जिसके पारित हो जाने के बाद अतिरिक्त धन आवंटन किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 279 पर)

राजकीय दीक्षा विद्यालय, अमेठी, सुल्तानपुर के अध्यापक, श्री मुस्तफा खां का वेतन और उनका प्रार्थना-पत्र

47—श्री हरि चरण यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुस्तफा खां, सहायक अध्यापक सामान्य एल0टी0 राजकीय दीक्षा विद्यालय, अमेठी, सुल्तानपुर भूतपूर्व प्रसाराध्यापक कृषि सी0टी0 वेतनक्रम को नियुक्ति के समय से 3 दिसम्बर, 1959 तक 90 रु0 वेतन मिलता था तथा 4 दिसम्बर, 1959 से दीक्षा विद्यालय में आने पर 75 रु0 वेतन दिया जाने लगा ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

श्री काली चरण—

जी हां।

श्री मुस्तफा खां 3-12-1959 तक प्रसार अध्यापक के असंवर्गीय पद पर सेवारत थे। 4-12-59 को वह सी0टी0 वेतनक्रम के संवर्गीय पद पर नियुक्त हुए थे। तदनुसार वेतन-क्रम का प्रारम्भिक वेतन रु0 75 दिया गया था।

48—श्री हरि चरण यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुस्तफा खां उपरोक्त के प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 8 सितम्बर, 1975 को शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने 4 दिसम्बर, 1959 से कटौती का 15 रु0 का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

जी नहीं, क्योंकि प्रसंगत वेतनक्रम का प्रारम्भिक वेतन रु0 75 ही देय था।

शारदा नहर सीतापुर, की चितहरी ग्राम की टूटी पुलिया की मरम्मत

49—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री को इसकी जानकारी है कि शारदा नहर की सीतापुर शाखा पर चितहरी ग्राम के पास नहर की एक पुलिया गत 6 मास से टूटी पड़ी है परन्तु अभी तक बनवाई नहीं गई जिससे कि ग्रामीणों को आवागमन में अतीव असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो इस ढिलाई के लिये दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलवीर सिंह—

चितहरी ग्राम के पास नहर की पुलिया टूटने की जानकारी दिनांक 18-11-77 को सहायक अभियन्ता को दौरे के समय हुई। पुलिया की मरम्मत कराके दिसम्बर, 1977 में आवागमन के लिये खोल दिया गया है और अब यातायात में कोई असुविधा नहीं हो रही है। अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग के निलंबित सहायक अभियन्ता एवं जीवन निर्वाह भत्ता

50—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में इस समय कितने सहायक अभियन्ता निलम्बित हैं ? निलम्बित करने का क्या कारण है ? कितने को आरोप-पत्र दिए गए हैं उन पर जीवन निर्वाह भत्ता प्रति माह कितना व्यय किया जा रहा है कितने पर आरोप-सिद्ध है ? आरोप सिद्ध न होने वाले सहायक अभियन्ताओं को बहाल किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह—

प्रश्न में विस्तृत ब्योरे की जानकारी मांगी गयी है। प्रत्येक निलम्बित सहायक अभियन्ता के निलम्बन के कारण, आरोपों, जीवन निर्वाह भत्ता तथा उनकी बहाली के बारे में सूचना मांगी गयी है तो काफी सहायक अभियन्ता इस समय निलम्बित होने के कारण प्रत्येक के मामले में अलग-अलग होगी। अतः इस प्रकार की सूचना एकत्रित करने में अत्यधिक श्रम, समय तथा धन व्यय होगा जो जनहित मेंनहीं है।

सिंचाई विभाग के अधिकारियों के निलम्बन के मामले के निस्तारण संबंधी निर्धारित अवधि

51—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या शासन कृपया बताएगा कि उसने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के निलम्बन के मामलों में निर्णय लेने के लिये कोई अधिकतम अवधि निर्धारित की है तथा इस अवधि का व्यावहारिक रूप में पालन किया जाता है? यदि नहीं, तो शासन का इस विषय में कोई निर्णय लेने का विचार है?

श्री बलवीर सिंह—

कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। प्रत्येक मामले में मैरिट के आधार पर विचार किया जाता है। कोई विचार नहीं है।

राम नाथ उमाशंकर इण्टर कालेज, फुलमनहा लेहरा, गोरखपुर में प्रधान कर्णिक के पद पर श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव की नियुक्ति

52—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामनाथ उमाशंकर इण्टर कालेज, फुलमन हा लेहरा, गोरखपुर के प्रधान कर्णिक श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव के पिता श्री वासदेव लाल श्रीवास्तव उक्त विद्यालय के प्रबन्ध समिति के सदस्य हैं और श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रधान कर्णिक का चुनाव जिस उप समिति द्वारा हुआ था उसके भी उनके पिता श्री वासदेव लाल जी सदस्य थे? यदि हां, तो इस अवैधानिक नियुक्ति के खिलाफ सरकार कानूनी कार्यवाही करेगी?

श्री काली चरण—

जी हां।

जी हां।

माध्यमिक शिक्षा संशोधन अधिनियम में कर्णिक की ऐसी नियुक्ति पर कार्यवाही करने का कोई प्राविधान नहीं है।

राजकीय बालिका दीक्षा विद्यालय, इटावा में मैट्रन का कार्य

53—श्री हाकिम लाल (जिला मैनपुरी)—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद इटावा के राजकीय बालिका दीक्षा विद्यालय में मैट्रन का कार्य वहां की प्रधानाचार्या स्वयं कर रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री काली चरण—

जी नहीं।

अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

54—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री हरिकेवल प्रसाद—

[9 वें बुधवार के लिये स्थगित]

देवरिया जिले के हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति

55—श्री श्रीनारायण—

क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि देवरिया जिले के किन–किन हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कब–कब साधिकार नियन्त्रक नियुक्त किए गए हैं और उन विद्यालयों को पुन: प्रबन्ध समितियों के हाथों में वापस देने के विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री काली चरण—

जी हां। निम्नांकित पांच उच्चतर माध्यमिक विद्यायालयों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों से प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त हैं:–

(1)	गोस्वामी तुलसीदास इन्टर कालेज, पडरौना, देवरिया ..	25–10–69
(2)	फतेह मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तमकोही राज, देवरिया,	17–12–62
(3)	छितौनी इन्टर कालेज, छितौनी, देवरिया ..	23–7–75
(4)	पंडित जवाहर लाल इन्टर कालेज, महुआबारी, देवरिया ..	3–1–78
(5)	एस0 एस0 बी0 एल0 इन्टर कालेज, देवरिया। ..	4–3–78

इस समय प्रबन्ध समिति में विवाद एवं न्यायालय में वाद चलने के कारण उक्त विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के हाथ में प्रशासन वापिस देना सम्भव नहीं है।

लखनऊ जिले के मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को क्षतिपूर्ति अनुदान

56—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970 तथा इसके बाद से लखनऊ जिले में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में ऐसे विद्यालय कितने हैं जिनको अभी तक क्षतिपूर्ति अनुदान का पूरा भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक कर दिया जायगा ?

श्री काली चरण—

वर्ष 1970–71 तथा उसके बाद से लखनऊ जनपद में किसी भी मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल का क्षतिपूर्ति अनुदान शेष नहीं है जिसने कि आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुख्तार अनीस के मंत्रि परिषद् से त्याग-पत्र देने के संबंध में जानकारी की मांग

*श्री शतरूद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 276 के अन्तर्गत मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल स्पष्ट रूप से प्रात:काल आकाशवाणी से यह सामाचार प्रकाशित हुआ है कि श्री मुख्तार अनीस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो कि मंत्री पद पर रहें हैं। यह भी पता लगा है कि उनको अब राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था जिसको कि उन्होंने अस्वीकार कर दिया है और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्तार अनीस ने किन कारणों से अपने मंत्रिपद से इस्तीफा दिया है और वह इस सदन में किस हैसियत से बैठे हुए हैं। वे इस सदन में क्या उपमंत्री की हैसियत से बैठे हैं या राज्य मंत्री की हैसियत से बैठे हुए हैं, आखिर वह किस हैसियत से इस सदन में बैठे हुए हैं। अत: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें कि आखिर वे क्या कारण हैं जिनसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको इस्तीफा देना पड़ा और इस समय वे किस हैसियत से इस सदन में बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा था कि श्री सत्य प्रकाश मालवीय की बर्खास्तगी अलोकतांत्रिक है।

श्री अध्यक्ष—

जब तक उनके त्याग पत्र के संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से विज्ञप्ति नहीं हो जाती है तब तक वह डिप्टी मिनिस्टर हैं और उन्होंने शपथ ली नहीं है। जहां तक त्याग-पत्र देने के सम्बन्ध में वक्तव्य देने का प्रश्न है, मेरे पास नियम 276 के अन्तर्गत कोई भी वक्तव्य नहीं भेजा गया है और न उसकी प्रतिलिपि माननीय मुख्य मंत्री जी को भेजी है। यदि त्याग-पत्र दिया है तो उसकी स्वीकृति होगी, विज्ञप्ति होगी। यदि मेरे पास वक्तव्य के लिये भेजेंगे, तो मैं अवश्य ही सदन को सूचित करूंगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपना त्याग-पत्र दिया है या नहीं और वह किस हैसियत से इस सदन में इस समय बैठें हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यदि इस्तीफा दे दिया गया होता और वक्तव्य देना चाहते तो वक्तव्य के लिये मेरे पास भेजते। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य संसदीय पद्धति के ज्ञाता हैं। मैं अब इस संबंध में इजाजत नहीं दूंगा। आप यदि कोई और प्रश्न उठाना चाहते हैं तो मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जब तक मैं माननीय सदस्यों को अनुमति न दूं, तब तक वे न बोलें। साथ ही साथ मैं रिपोर्टर्स को भी यह आदेश देता हूं कि जो व्यक्ति मेरी इजाजत के बगैर बोलेगा, वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है .....

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य किस नियम के अन्तर्गत बोलना चाहते हैं और किस विषय पर बोलना चाहते हैं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरा आग्रह आपसे यह होगा कि जब कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है। यह सदन की शुरु से परम्परा रही है कोई नई परम्परा नहीं है जो प्रश्नोत्तर काल के समाप्ति के तुरन्त बाद ऐसे प्रश्नों की, जो महत्व के हैं, प्रदेशीय महत्व के हों चाहे विरोधी पक्ष की ओर से हों या किसी भी माननीय सदस्य की ओर से हो, शासन से स्पष्टीकरण कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जितना सुन्दर उत्तर शासन दे सकता है ऐसे प्रश्नों का आप चाहे तो नहीं दे सकते। चूंकि यह प्रश्न उठ गया है और वह प्रदेशीय शासन से संबंधित है इसलिये में चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी अवश्य स्पष्टीकरण दें कि क्या यह सही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ही केवल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

स्पष्टीकरण दे सकते हैं। इस प्रश्न का उल्लेख हो चुका है। आपने व्यवस्था दी है। मैं चाहता हूं कि व्यवस्था से पहले यह स्पष्ट हो जाय कि क्या यह सही है कि माननीय उप मंत्री और प्रोन्नत राज्य मंत्री श्री मुख्तार अनीस ने कोई त्याग पत्र भेजा है माननीय मुख्य मंत्री जी को। दूसरा, यदि त्याग पत्र भेजा है तो क्या उसे स्वीकार करने की संस्तुति कर रहे हैं या वापस करा रहे हैं। तीसरा श्रीमन्, मेरे पास मेज पार्लियामेंन्ट्री प्रेक्टिस रखी है इसमें यह नहीं लिखा है, कि जब त्याग-पत्र मंजूर हो जाय तभी त्याग-पत्र माना जाय। त्याग-पत्र एक व्यक्ति जरूर दे रहा है ऐसे त्याग-पत्र के संबंध में वक्तव्य दिया जा सकता है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रकार का कोई स्पष्टीकरण देंगे, मैं इसकी जानकारी चाहता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, इसकी कोई आवश्यकता मैं नहीं अनुभव करता हूं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

आप को श्री मुख्तार अनीस को त्याग-पत्र की कोई प्रतिलिपि प्राप्त हुई या नहीं इस को कृपा कर आप स्पष्ट कर दें ?

श्री अध्यक्ष—

अभी जब मैं सदन के अन्दर आया तो एक पत्र माननीय मुख्तार अनीस ने मुझे दिया है जो माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा है उसकी प्रतिलिपि है। वह मैंने अभी तक देखा नहीं। उन्होंने यहीं पर आ करके मुझे दिया है। उनको चाहिये था कि मेरे कक्ष में देते। क्योंकि प्रश्न शुरू हो गये थे इसलिये मैंने वह पत्र देखा नहीं ..... (शोर) .... रियासत हुसैन साहब आप किस नियम पर व्यवस्था चाहते हैं ?

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

जैसा अभी आप ने यह कहा कि आप सदन में आ रहे थे तो आपको एक पत्र मिला जो असल में माननीय मुख्य मंत्री जी को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि है। उन्होंने आप के पास पत्र भेजा है तो माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने जो प्रश्न उठाया है उससे यह जुड़ जाता है कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का स्पष्टीकरण देंगे कि माननीय मुख्तार अनीस ने कोई त्याग पत्र उनको दिया है। यदि मिला है तो क्या उसकी रिकमन्डेशन, संस्तुति मंजूरी के लिये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस को आवश्यक नहीं समझता हूं। नारायण दत्त तिवारी जी ने प्रश्न उठाया है और वह सदन के विचाराधीन है इसलिये उन को जबाव देना चाहिये पत्र मिला है या नहीं, सिफारिश कर रहे हैं या नहीं ?

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह आप बिना अनुमति के बोलते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी एक पत्र अभी जब प्रश्नों का घण्टा शुरू हुआ तो माननीय मुख्तार अनीस ने आ करके मुझे दिया। उस पर लिखा है माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र की प्रतिलिपि। क्यों कि प्रश्न शुरू हो गये मैंने उसका पूरा मजमून नहीं पढ़ा। उसकी हैडिंग पर लिखा था। क्या इस प्रकार का त्याग-पत्र से संबंधित कोई पत्र आप को मिला है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम नरेश यादव---

मान्यवर, जब मैं सदन को आ रहा था अभी, तो एक पत्र मिला उनका। . . (शोर)

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)---

जब तक उस पर विचार नहीं हो जाता, तब तक सदन की और माननीय अध्यक्ष को इसकी सूचना नहीं दी जाती कि उसमें क्या लिखा है,क्या कार्यवाही की गयी ? जहां तक आपने पूछा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि उनको पत्र मिला है, तो जैसा आपने कहा कि प्रश्नोत्तर काल में आपको पत्र मिला, वैसे ही उनको भी मिला है। अब उसे देखना पडेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, तभी वह सदन के सामने आ सकता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि माननीय मुख्य मंत्री उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। जैसा संसदीय कार्य मंत्री ने कहा पत्र आपको भी मिला है। आप हमारे इस सदन के अध्यक्ष हैं और आपने कहा कि आपको पत्र मिल गया और उस पत्र की एक प्रतिलिपि माननीय मुख्य मंत्री को दी गयी है यह आपने बतलाया। तो मैं चाहता हूं कि आप उस पत्र को पढ़ें क्योंकि वह सदन की सम्पत्ति हो गयी। मैं गुजारिश करूंगा अगर आप उसे नहीं पढ़ेंगे तो संसदीय इतिहास में इस माननीय सदन का वह सबसे बड़ा अपमान होगा।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सदन की कार्यवाही हो वह कार्य संचालन नियमावली में जो उपबन्ध किये गये हैं उनके तहत होनी चाहिये। माननीय सदस्य ने कोई पत्र दिया है तो वह व्यक्तिगत पत्र भी हो सकता है या वह पत्र प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के किस नियम के अधीन है इसे देखा जायगा। उसमें विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना है, नियम 51 अथवा नियम 49 की सूचना है। जो पत्र श्री मुख्तार अनीस ने आपको दिया है वह किसी नियम के अन्तर्गत होना चाहिये। यदि उसमें त्याग-पत्र देने की बात है तो त्याग-पत्र देने के लिये जो स्थान है वहां उसे देना चाहिये। अगर नियम 276 के अधीन त्याग-पत्र देने के पश्चात वक्तव्य देने को बात है तो उसमें वक्तव्य देने की आवश्यकता होगी। लिहाजा जो पत्र आपको दिया गया है वह सदन की सम्पत्ति नहीं है। वह आपको व्यक्तिगत पत्र मिला है। नियमों के अनुसार आप उस पर आचरण करें। फिर मुख्तार अनीस ने जो पत्र माननीय मुख्य मंत्री को दिया है तो यह हमारे दल का मामला है। त्याग-पत्र की बात है लेकिन मुख्तार अनीस चुपचाप बैठे हैं और अन्य लोग बातें उठा रहे हैं। (कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

मैं कोई विवाद की अनुमति नहीं दे सकता। आप लोग बैठ जाइये।

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी तक इस बात की जानकारी किसी को नहीं हो पाई कि उस पत्र में क्या लिखा है। मान्यवर ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब वह अध्यक्ष पीठ पर बैठ गये तो प्रश्नोत्तर काल में मुख्तार अनीस ने उनको एक पत्र दिया। वह पत्र त्याग-पत्र है या नहीं इस पर यहां विवाद चल रहा है जिसको आपने देखा नहीं तो कैसे आप यह समझ गये कि वह त्याग पत्र है, जब कि स्वयं यह जानकारी आपने सदन को दी कि उसको आपने देखा नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

मुख्य मंत्री जी ने भी अभी सम्पूर्ण सदन को जानकारी दी कि जब वे आ रहे थे तो रास्ते में माननीय मुख्तार अनीस नें उनको भी एक पत्र दिया । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि वह अब सदन की प्रापर्टी हो गई है । उनका पत्र आपके पास भी आया है और उनके पास भी आया है । जैसा माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने कहा वह पत्र जनता पार्टी से संबंधित नहीं है, प्रदेश के शासन से संबंधित है तो मेरा निवेदन है कि आप मुख्य मंत्री जी को निर्देश दें कि वह तत्काल यह बतावें कि उसमें, क्या लिखा हुआ है ।

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, जो भी कार्यवाही आपको करनी है वह नियमों के अन्तर्गत हीकरनी है । उन्होंने जो त्याग-पत्र दिया वह क्या था यह तो आप बतायेंगे या मुख्य मंत्री बतायेंगे । आप आज नहीं बतायेंगे तो किसी समय बतायेंगे । लेकिन मैं नियम 276 पढ़ता हूं जिसमे लिखा है मंत्री का वक्तव्य जिन्होंने पद त्याग किया है-। . . . "अध्यक्ष की सम्मति से अपने त्याग-पत्र के स्पष्टीकरण में एक व्यक्तिगत वक्तव्य देने का अधिकार है" । तो अनीस साहब को वक्तव्य देने का अधिकार है । वह खड़े हो जायं और कहें । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं जैसा कि 276 (2) में लिखा है "ऐसा वक्तव्य प्रश्नों के अनन्तर और दिन की कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व दिया जायेगा" । अगर आज नहीं ला सकते तो कल ले आयें । इस पर आप निर्णय दें । आप 276 के अन्तर्गत ही तो लायेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

अब इस पर मैं बहस की अनुमति नहीं देता । जो एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है उसमें नियम यह है कि अगर अध्यक्ष चाहें तो दूसरे सदस्यों से मदद ले सकते हैं । जो प्रश्न उठाया गया उसमें अध्यक्ष को किसी मंत्रि-परिषद् के सदस्य का त्याग-पत्र संबोधित नहीं होता । त्याग-पत्र मुख्य मंत्री को दिया जाता है । मेरे पास जितने पत्र आते है उन सबको पढ़ने की यहां पर न तो परिपाटी रही है और न पत्रों को पढ़ा जाता है । अगर यह मान लिया जाय कि जितने पत्र अब अध्यक्ष के पास आते हैं उनको पढ़ा जाय तो सदन की कार्यवाही इन पत्रों को पढ़ने तक ही सीमित हो जायेगी जैसा श्यामधर जी ने कहा कि नियम 276 के अन्तर्गत जब हमें उन्होंने त्याग-पत्र दिया है तो उनको वक्तव्य देने का अधिकार है और वह दो-एक दिन पहले अध्यक्ष के पास आना चाहिये । उसकी प्रतिलिपि मुख्य मंत्री जी को जानी चाहिये और अध्यक्ष यदि अनुमति दें तो उन वक्तव्य को प्रश्नों के बाद पढ़ा जा सकता है अखबारों के आधार पर प्रत्येक प्रश्न को आन्दोलित करना या उठाना उचित नहीं है । मुख्तार अनीस स्वयं बैठे हुये हैं । यदि उनका वास्तव में कोई त्याग पत्र मुख्य मंत्री जी को दिया गया है तो वह स्वयं मुझसे अनुमति मांगते वक्तव्य देने के लिये और प्रश्नों के समय उनका जो पत्र मुझे मिला है उसमें मेरे लिये आवश्यक नहीं है कि मैं वह पढ़कर सुनाऊं । आज वे अगर लिखकर देंगे तो मैं कल उनको अवसर दे सकता हूं । ऐसा लगता है कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त । यहां पर मुख्तार अनीस बैठे हुये हैं । इसलिये मैं अनुमति नहीं देता ।

पशु धन उप मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)---

मान्यवर, मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री चन्द्रशेखर को अपना इस्तीफा दिया था और उसकी एक प्रतिलिपि माननीय मुख्य मंत्री जी को दी है और आपको भी दी है । वह मेरा त्याग-पत्र है और मैं अपना वक्तव्य फिर कभी दूंगा ।

श्री अध्यक्ष---

अब यह मामला समाप्त हुआ ।

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया ।

राम सनेही घाट (बाराबंकी) के मुहाफ़िज खाना में अग्निकांड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बाराबंकी जनपद की तहसील राम सनेहीघाट के मुहाफिज खाना (रिकार्ड आफिस) में हुये भीषण अग्निकांड की ओर आकर्षित करते हुये कहना चाहता हूं कि दिनांक 2—5—78 को तहसील राम सनेहीघाट के मुहाफिज-खाना में एकाएक आग की लपटें देखी गयीं और देखते-देखते समस्त नये पुराने आवश्यक कागजात जल कर राख हो गये। इस अप्रत्याशित अग्निकांड से उस क्षेत्र की जनता में चिंता व्याप्त है। चिंता की बात यह है कि जलने वाले कागजातों में लोगों के बयनामा के दस्तावेज तथा भूमि संबंधी अन्य तमाम जरूरी कागजात शामिल हैं।

श्रीमन्, इस अग्निकांड का कारण अभी तक रहस्यपूर्ण बना हुआ है। आम चर्चा तो यह है कि तहसील रामसनेही घाट में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार चल रहा था। कर्मचारियों एवं अधिकारियों के फंसने की उम्मीद थी। अपने पाप को छिपाने के लिये उन कर्मचारियों में से किसी ने मुहाफिजखाना में आग लगा दिया जिसके फलस्वरूप सारे रिकार्ड जलाकर नष्ट कर दिये गये।

मान्यवर, इस अग्निकांड के रहस्योद्घाटन के लिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पूरे कांड की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराई जाय ताकि वास्तविकता का पता चल सके और लोगों में उक्त तहसील के प्रति विश्वास कायम हो।

जिला कानपुर के ग्राम मकरन्दपुर तथा बीरबद्ध में हरिजनों को फसल कुछ अराजकतत्वों द्वारा पी0 ए0 सी0 से मिल कर काटे जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, जिला कानपुर तहसील घाटमपुर थाना सबेती के अन्तर्गत ग्राम कुटरा मकरन्दपुर के राजनैतिक संरक्षण प्राप्त अराजक तत्वों के गिरोह ने उसी गांव में ही तैनात पी0 ए0 सी0 पुलिस को साथ लेकर अप्रैल, 78 के प्रारम्भ में उनकी कटी फसल लाही, धनियां आदि को बलपूर्वक उठा ले गये।

पुनः तैयार गेहूं की फसल को लेने व काटने हेतु पी0 ए0 सी0 पुलिस को साथ लेकर पहुंची किन्तु वहां के किसानों ने गेहूं की फसल ले जाने का विरोध किया। अतः उनके विरोध के फलस्वरूप अराजक तत्वों व पी0 ए0 सी0 पुलिस ने बड़ी मात्रा में उन पर गोलियां चलायीं। उपरोक्त आतंक की वजह से अब भी वहां की फसल काटने को खड़ी है और बरबाद हो रही है।

यही नहीं जिला कानपुर तहसील घाटमपुर थाना सबेती ग्राम बीरबद्ध की अकबरपुर में भी करीब ढाई सौ बीघा जमुना कछार की भूमि गांव के लगभग 125 हरिजनों को आबंटित की गई थी उनकी तैयार फसल को भी उपरोक्त कटरा मकरन्दपुर के अराजक तत्वों ने पी0 ए0 सी0 पुलिस के सहयोग से बलपूर्वक कटवा लिया।

मान्यवर, उक्त घटनाओं से क्षेत्र की जनता में व्यापक असंतोष, आतंक क्षोभ एवं भय की भावना व्याप्त है, स्थिति अति चिन्ताजनक एवं विस्फोटक है। पुलिस पी0 ए0 सी0 द्वारा सहयोग करके हरिजनों को दी गई जमीन पर से फसल कटवाना अत्यन्त गम्भीर मामला है। आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि शासन उपरोक्त घटना की विस्तृत रिपोर्ट सदन को दे तथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद गोरखपुर व देवरिया में गन्ना काश्तकारों का गन्ना पानी न मिलने से सूख जाने के विषय को नियम 30 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद गोरखपुर, देवरिया में 40,000 गन्ना काश्तकारों का गन्ना नहर में पानी न देने से सूख रहा है। लाखों एकड़ गन्ने की फसल, जो करोड़ों की सम्पत्ति है नष्ट हो रही है। जिसके नष्ट होने से निकट भविष्य में चीनी उत्पादन पर भाक प्रभाव पड़ने के साथ-साथ राष्टीय क्षति भी है।

मान्यवर, जब कि गन्ने की सिंचाई के लिये माह अप्रैल से पानी को नहर में देना चाहिये किन्तु ऐसा नहीं किया गया है। आज दिनांक 9—5—78 तक पानी नहीं छोड़ा गया है। अधिकारियों से सम्पर्क करने पर पता चलता है कि पूरे माह मई में पानी मिलने की सम्भावना नहीं है। एक ओर गन्ना काश्तकार इस वर्ष गन्ने के भुगतान, गन्ने की सप्लाई न होने से सरकार से असंतुष्ट है और आज सिंचाई की सुविधा होते हुये पानी नहर में न छोड़ने से काश्तकारों में असंतोष है। इसका असर स्थानीय चुनाव पर पड़ सकता है।

अतः अनुरोध है कि तत्काल माननीय मंत्री जी गन्ने की सिंचाई के लिये नहर में पानी देने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे तथा हमें भी सूचित करेंगे।

सिंचाई विभाग के डिप्लोमा इंजीनियर्स द्वारा विधान मण्डल के सामने अनशन के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, उ0 प्र0 सिंचाई विभाग के डिप्लोमा इंजीनियर्स द्वारा विधान भवन के सामने दीर्घकाल से उपेक्षित कुछ औचित्यपूर्ण मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये विगत 1 मई से क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं और अपने घोषित कार्यक्रम के अनुसार आगामी 11 मई से अनिश्चितकाल के लिये सामूहिक अनशन आरम्भ करने वाले हैं। दिनांक 15 मई से उनका शान्तिपूर्ण आन्दोलन प्रदेश के समस्त जनपदों में फैल जायगा। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त डिप्लोमा इंजीनियर्स के मांग-पत्र में अनेक मांगे ऐसी हैं जिन्हें सरकार द्वारा पहले ही स्वीकार किया जा चुका है और तद्नुसार सरकार द्वारा शासनादेश भी जारी किये जा चुके हैं परन्तु उन पर विभाग द्वारा अमल नहीं किया जा रहा है, उदाहरणतः सहायक अभियन्ताओं के पद पर नियुक्तियों में सेवारत डिप्लोमा इंजीनियर्स को 25 प्रतिशत स्थानों की पूर्ति का अवसर दिया जाना तथा सलेक्शन ग्रेड के पदों में 20 प्रतिशत स्थान डिप्लोमा इंजीनियर्स को दिया जाना चाहिये।

सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ता (सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स) ऐसे कर्मचारी हैं जो निर्माण स्थल पर स्वयं मौजूद रह कर सारा कार्यभार और उत्तरदायित्व वहन करते हैं जब कि उनसे ऊंचे अधिकारीगण कवल निगरानी का कार्य करते हैं। उनकी मांग है कि विद्युत् विभाग में डिप्लोमा इंजीनियर्स को जो वेतनमान तथा यात्रा भत्ता दिया जाता है, वही समानता के आधार पर उन्हें भी दिया जाय।

सरकार द्वारा सिंचाई विभाग के डिप्लोमा इंजीनियर्स की मांगों पर इसलिये भी शीघ्र विचार किया जाना चाहिये क्योंकि उन्होंने अन्य श्रमिकों व कर्मचारियों की भांति हड़ताल का ध्वन्सात्मक मार्ग नहीं अपनाया बल्कि विनम्रतापूर्वक गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण आन्दोलन कर रहे हैं, जिसकी विशेषता यह भी है कि उनकी मांगों में, सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के निराकरण हेतु महत्वपूर्ण सुझाव तथा प्रशासकीय मितव्ययिता के लिये व्यावहारिक कार्य प्रणाली का निरूपण भी शामिल है।

अतएव दिनांक 1 मई से विधान भवन के सामने चल रहे डिप्लोमा इंजीनियर्स के क्रमिक अनशन तथा 11 मई से आरम्भ होने वाले अनिश्चित कालीन सामूहिक अनशन से उत्पन्न गम्भीर स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध है कि यथा समय डिप्लोमा इंजीनियर्स के प्रतिनिधियों को माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा वार्ता का अवसर प्रदान कर सामाजिक न्याय की दृष्टि से विवाद को निपटाया जाय ।

प्रदेश में आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स कम कर दिये जाने तथा पुनर्नवीनीकरण में हतोत्साहन किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान प्रदेश में आग्नेयास्त्रों (बन्दूक) जके लाइसेंस के पुर्ननवीनकरण में हतोत्साहन एवं नये लाइसेंसों के दिये जाने में अभूतपूर्व कमी से उत्पन्न गम्भीर स्थिति की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । प्रदेश में शांति एवं व्यवस्था की हालत अत्यन्त सोचनीय हो गया है । वस्तुत: जन जीवन असुरक्षित हो गया है । ऐसी स्थिति में आग्नेयास्त्रों के पुनर्नवीकरण एवं नये लाइसेंसों में कड़ाई तथा हतोत्साहन से स्थिति और भी गम्भीर हो गयी है । जब कि शासन ने स्पष्ट आदेश जारी किये थे कि प्रत्येक गांव में कम से कम दो बन्दूक के लाइसेंस अवश्य दिये जायेंगे परन्तु उक्त शासनादेश के बावजूद इस दिशा में प्रगति नगण्य मात्र है । प्रदेश में बंदूक लाइसेंसों के पुनर्नवीनीकरण की व्यवस्था सरल की जानी चाहिये । यह भी शिकायत मिली है कि प्रदेश में अधिकारियों ने मनमाने तरीके पर बड़े पैमाने पर बन्दूकों के लाइसेंसों निरस्त कर दिये हैं । इससे जन जीवन क्षुब्ध हो गया है । इस संदर्भ में सरकार से मेरा अनुरोध है कि सन्देहात्मक व्यक्तियों को छोड़ कर जन साधारण को बन्दूक का लाइसेंस दिये जाने का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । फैजाबाद जनपद में प्रशासन के अधिकारियों ने 25 प्रतिशत कारतूस रिजर्व करवा दिया है तथा लाइसेंसधारियों को बहुत कम मात्रा में कारतूस दिये जा रहे हैं । इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी सुरक्षा समुचित रूप से कर पाने में असमर्थ हैं । प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था के सुधार के लिये बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में बन्दूकों के लाइसेंस दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे ग्रामीण जनता अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि प्रदेश में आग्नेयास्त्रों के पुनर्नवीकरण में बरती जा रही कड़ाई एवं अधिकारियों की मनमानी को समाप्त करा कर इस दिशा में तत्काल कारगर कार्यवाही करें जिससे शान्ति व्यवस्था में सुधार हो सके ।

वाराणसी नगर में पेयजल के गम्भीर संकट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री शतरूद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, पिछले तीन दिनों से सम्पूर्ण वाराणसी नगर में पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है । पेय जल की आपूर्ति बिलकुल ठप हो चुकी है । जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है । सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है । घरों में पानी की आपूर्ति न होने से दैनिक क्रिया अवरुद्ध हो गयी है । प्रात:काल से ही पानी का इन्तजार होता रहता है । लेकिन 12-12 बजे तक पानी की एक बूंद भी नलों में नहीं आती है । यहां तक कि सार्वजनिक नलों में पानी न होने के कारण राह चलते रिक्शा वाले गरीब पानी की तलाश में दर दर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शतरुद्ध प्रकाश]

भटकते रहते हैं। पिछले दो दिन से यह समस्या और भी गम्भीर हो गयी है। इसके कारण सरकारी दफ्तरों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सरकारी कर्मचारी व अधिकारी पानी न होने की वजह से दफ्तरों में उचित समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया है लेकिन विद्युत् एवं अन्य प्रशासनिक गड़बड़ियों के कारण समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। इस सम्बन्ध में स्थानीय समाचार पत्रों ने भी लगातार तीन दिन से सम्पादकीय लिखे हैं। दो मंजिले इमारतों में तो पानी जाता ही नहीं है। कैन्टूनमेंट में साधारण नागरिकों को पानी पीने तक को नहीं मिल रहा है और वहीं पर दूसरी ओर बनारसी होटल में बड़े-बड़े अफसरों व पैसे वालों को नहाने के लिए स्वीमिंग पूल में पानी की आपूर्ति करके हजारों गैलन पानी बहा करके बरबाद किया जा रहा है। नलों में पानी नहीं है और नगर के कुओं का पानी गन्दा हो चुका है। इसके फलस्वरूप वाराणसी नगर में हैजे का प्रकोप आरम्भ हो गया है। पिछले 3 दिनों में करीब आधा दर्जन लोग हैजे का शिकार हो गये हैं। इसके साथ ही साथ लल्लापुर, औरंगाबाद, काजीपुर खुर्द, सदर बाजार शिव पुरवा, चौक सुनारपुरा, आदि मोहल्लों में 3-3 चार चार घन्टे लोग अपनी गगरी व बाल्टी लेकर सार्वजनिक नलों पर सैकड़ों की संख्या में लाइन लगाये रहते हैं किन्तु पानी न मिलने की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ाहट और कुन्ठा व्याप्त होती जा रही है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से शासन से वक्तव्य एवं तत्काल कार्यवाही अपेक्षित है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय स्वशासन मंत्री जी, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है कि पानी की कमी हो गयी है। आप ध्यान दें।

उत्तर प्रदेश बेसिक स्कूल कर्मचारी (परिवार नियोजन से सम्बन्धित सेवा की विशेष शर्तें) नियमावली, 1976†

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)

मैं आपकी अनुमति से शिक्षा अनुभाग--5 की अधिसूचना संख्या 5344/15 (5) 344-76, दिनांक 13 अगस्त, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बेसिक स्कूल कर्मचारी (परिवार नियोजन से सम्बन्धित सेवा की विशेष शर्तें) नियमावली, 1976 जो कि 4 नवम्बर, 1976 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसकी पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान एवं तदुपरान्त विघटन के कारण पूरी नहीं हुई थी, को पुनः उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उप धारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बेसिक स्कूल कर्मचारी (परिवार नियोजन से संबंधित सेवा की विशेष शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977 तथा अधिसूचना†

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)--

मैं आपकी अनुमति से शिक्षा अनुभाग--5 की अधिसूचना संख्या 666/15 (5) 1977, दिनांक 5 फरवरी, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बेसिक स्कूल कर्मचारी (परिवार नियोजन से सम्बन्धित सेवा की विशेष शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977 तथा अधिसूचना संख्या 1312/15-(5)--77, दिनांक 4 मार्च, 1977 जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक स्कूल कर्मचारी (परिवार नियोजन से सम्बन्धित सेवा की विशेष शर्तें) नियमावली, 1976 विखंडित की गयी है, को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयीं।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग–2 की विज्ञप्ति†

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)—

मैं आपकी अनुमति से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग—2 की दिनांक 1 मार्च, 1978 क असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0–2–1274–दस–6 (58)–77 (उ0 प्र0 अधि0) 15/48–आदेश–78 दिनांक 1 मार्च, 1978 को उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3–क की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (बारहवां संशोधन) नियमावली, 1978†

गन्ना विकास मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से उद्योग अनुभाग —5 की अधिसूचना संख्या 7297–5/18–(5)—2050–74, दिनांक 1 फरवरी, 1978 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (बारहवां संशोधन) नियमावली, 1978 को उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 28 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1975–76††

लघु सिंचाई उप मंत्री (श्री छोटे लाल यादव)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1975–76, कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619–ए की धारा 28 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री राम आसरे अग्निहोत्री तथा श्री सुन्दर लाल दीक्षित, सदस्यगण, विधान सभा ने माननीय शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना इस आधार पर दी है कि उन्होंने, 21 सितम्बर, 1977 को विधान सभा में महात्मा गांधी विद्यालय जूनियर हाई स्कूल, कौशलपुरी, कानपुर के सम्बन्ध में गलत वक्तव्य दिया और सदन को गुमराह किया। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 65 (1) (क) के अनुसार विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न किसी हाल ही में ही घटित निश्चित विषय तक निर्बद्ध होना चाहिए। यह वक्तव्य लगभग 7 महीने पूर्व सदन में दिया गया था। अतः नियमानुसार यह सूचना ग्राह्य नहीं है। इसलिए मैं इस प्रश्न को स्वीकार नहीं करता हूं।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री रवीन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा ने माननीय मुख्य मंत्री के खिलाफ इस आधार पर विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है कि दिनांक 8 मई, 1978 को उन्होंने श्री आरिफ मोहम्मद खां को 3 उपवेशनों के स्थान पर सब की अवशिष्ट कालावधि के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव किया और इस प्रकार नियम 299 (3) (ख) के

---

† छापी नहीं गयी।
†† छापा नहीं गया।

[श्री अध्यक्ष]

उपबन्धों की अवहेलना की। इस सम्बन्ध में कल काफी चर्चा हुयी थी और माननीय मुख्य मंत्री ने मेरे कहने पर एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें कि आरिफ मोहम्मद खां के निलम्बन की अवधि को सत्र की अवशिष्ट कालावधि से घटाकर 3 उपवेशनों के लिए कर दिया गया था।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें.....

श्री अध्यक्ष —

आपका इस प्रकार से खड़ा होना अनुचित है। आप बैठ जाइये।

इस सदन में अब तक 44 विशेषाधिकार की सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। इस प्रकार से इस नियम का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। विशेषाधिकार की सूचना के सम्बन्ध में आवश्यकता नहीं है कि किसी से मैं स्पष्टीकरण लूं और विशेष तौर से जिसका विशेषाधिकार से कोई सम्बन्ध न हो। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव यहां पर रखा जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

(बैठे-बैठे) मान्यवर, उन्हें सुन तो लें ?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रकार से सदन का समय, देव बहादुर जी नष्ट नहीं किया जा सकता।

मैं कह रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे कहने पर एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें श्री आरिफ मोहम्मद खां के निलम्बन की अवधि को सत्र की अवशिष्ट कालावधि से घटाकर केवल 3 उपवेशनों के लिए कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

स्वतंत्र भारत, नवजीवन, दैनिक जागरण, पायनियर और नेशनल हेराल्ड के सम्पादकों एवं संबंधित संवाददाताओं के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री शम्भूनाथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा ने 6 अप्रैल, 1978 को नियम 63 के अन्तर्गत स्वतंत्र भारत, नवजीवन, दैनिक जागरण, पायनियर और नेशनल हेराल्ड के सम्पादकों एवं सम्बन्धित सम्वाददाताओं के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना दी थी। उनका कहना है कि 5 अप्रैल, 1978 को वित्तीय वर्ष 1978–79 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में उन्होंने सरकारी सेवाओं में जाति के आधार पर आरक्षण का समर्थन किया था किन्तु उक्त समाचार-पत्रों में उनके भाषण के विपरीत समाचार प्रकाशित किया गया कि उन्होंने जाति के आधार पर सेवाओं में आरक्षण का विरोध किया। उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्र भारत और पायनियर ने उनके नाम भी गलत छापे हैं।

मैंने इस संबंध में उक्त समाचार-पत्रों के सम्पादकों एवं संबंधित सम्वाददाताओं से वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की जो इस प्रकार है:—

स्वतंत्र भारत—

ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि विधायक श्री शम्भू नाथ चौधरी के नाम में मुद्रण की जो भूल हो गयी थी उसका भूल-सुधार पत्र के 12 अप्रैल, 1978 के अंक में पृष्ठ

4 पर प्रकाशित कर दिया गया है। उसमें उनके भाषण का विवरण भी दे दिया गया है। इससे उक्त समाचार से जो भ्रम फैल सकता था उसका पूरी तरह निवारण हो गया है। स्वतंत्र भारत के सम्पादक ने यह भी कहा है कि समाचार में जो भूल हुई उसके पीछे कोई मनोवृत्ति या दुर्भावना कदापि नहीं थी और उन्होंने इस मामले में हुई भूल पर खेद प्रकट किया है।

नवजीवन—

माननीय सदस्य के भाषण की गलत रिपोर्ट छप जाने पर खेद प्रकट किया है और यह कहा है कि वे उसका मार्जन भूल सुधार छाप कर कर रहे हैं।

दैनिक जागरण—

ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि यदि माननीय श्री शम्भूनाथ चौधरी को उनके द्वारा प्रकाशित समाचार में आपत्ति हो तो वे उसका स्पष्टीकरण प्रकाशित कर देंगे। इस पत्र में यह समाचार छपा था कि उन्होंने भी आरक्षण और सरकारी सहायता के लिए जातीयता से ऊपर उठ कर काम करने पर जोर दिया। माननीय सदस्य के भाषण का यह प्रतिवेदन शुद्ध नहीं है। माननीय सदस्य ने जाति के आधार पर आरक्षण पर बल दिया था। अतः मैं दैनिक जागरण के सम्पादक से यह अपेक्षा करूंगा कि वे कृपया अपने पत्र में प्रमुख स्थान पर भूल सुधार छाप दें।

नेशनल हेराल्ड—

के समाचार सम्पादक ने गल्ती पर खेद प्रकट किया है और उन्होंने सम्वाददाता को चेतावनी दी है और यह कहा है कि वे सदस्य के भाषण का शुद्ध रूप छापने के लिये तैयार हैं। मैं नेशनल हेराल्ड के समाचार सम्पादक से यह अपेक्षा करता हूं कि वे कृपया अपने समाचार-पत्र में प्रमुख स्थान पर भूल सुधार छाप दें।

पायनियर—

के समाचार सम्पादक ने सूचित किया है कि उन्होंने प्रश्नगत समाचार भूतपूर्व 'समाचार' एजेंसी द्वारा भेजे गये समाचार के आधार पर प्रकाशित किया था जिसमें श्री शम्भूनाथ चौधरी का नाम श्री शम्भूनाथ चन्द दिया हुआ था और कुछ तथ्य संबंधी गलतियां भी थीं। उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने समाचार-पत्र के 6 मई, 1978 के संस्करण में स्पष्टीकरण छाप दिया है जो पत्र के सब संस्करणों में प्रकाशित हुआ है। उन्होंने उक्त स्पष्टीकरण की प्रति भी संलग्न करके भेजी है।

संबंधित समाचार के स्पष्टीकरण को देखते हुए मैं विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

अवध विश्वविद्यालय, फ़ैजाबाद की सभा के लिये अभ्यर्थियों के नाम-निर्देशन संबंधी सूचना

श्री अध्यक्ष—

यह सदन को मैं सूचित करना चाहता हूं कि अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा के लिए पांच विधान सभा सदस्यों के निर्वाचनार्थ निम्नलिखित अभ्यर्थियों के नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं जो संवीक्षा के उपरान्त वैध पाये गये हैं:—

1—श्री सुखपाल पांडेय, 2—श्री राजपति मिश्र, 3—श्री श्रीराम द्विवेदी, 4—श्री जय शंकर पाण्डेय, 5—श्री गंजेश्वर तिवारी, 6—श्री फजलुलबारी, 7—श्री हरी राम वर्मा, 8—श्री बाबू राम वर्मा, 9—श्री मोहन सिंह (रायबरेली)।

[श्री अध्यक्ष]

नामों की वापसी के लिए दिनांक 11 मई, 1978 को अपरान्ह 4 बजे तक का समय नियत है। अतः उक्त समय तक उक्त सभा में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से जो नाम अतिरिक्त हैं, वे यदि वापस न ले लिये गये तो मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 16 मई, 1978 को पूर्वान्ह साढ़े दस बजे से अपरान्ह 5 बजे तक कमरा नं0 48 में होगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत माननीय श्याम धर मिश्र ने एक नोटिस दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश जनता पार्टी के 70 विधायकों द्वारा कल मुख्य मंत्री तथा उनकी सरकार की नीतियों के विरोध में सदन का परित्याग किया तथा केन्द्र एवं प्रदेश के जिम्मेदार नेताओं द्वारा मंत्रि मंडल की निन्दा किये जाने के कारण जनता में अनिश्चितता का वातावरण व्याप्त है। इस विषय पर काम रोको प्रस्ताव नहीं आ सकता है, इसलिए मैंने इसको अस्वीकार किया है।

दूसरा श्री उदित नारायण शर्मा का समय के बाद प्राप्त हुआ है, उसको भी मैंने अस्वीकार किया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री का एक वक्तव्य पहले अखबारों में प्रकाशित हुआ जिसमें उनका कथन इस प्रकार छपा था कि नो पावर आन अर्थ कैन डिफीट अस इन आजमगढ़' अर्थात् संसार को कोई भी शक्ति हमें आजमगढ़ में पराजित नहीं कर सकती। उनके उक्त कथन का खण्डन भी अभी तक नहीं हुआ है। अब क्या वे अपना त्याग-पत्र देने पर विचार कर रहे हैं?

(व्यवधान—शोर)

श्री अध्यक्ष—

श्री नारायण दत्त तिवारी ने जो प्रश्न किया है, मैं उसकी इजाजत नहीं देता। (व्यवधान) (सिंचाई राज्य मंत्री श्री शारदा प्रसाद रावत के खड़े होकर कुछ कहने पर)

रावत जी, आप एक मंत्री हैं आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया वह अपनी एक निर्वाचन सभा में दिया, उसका यहां से कोई ताल्लुक नहीं है। (व्यवधान) रावत जी आप थोड़ा संयम रखिये, क्योंकि आप मंत्री हैं।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

श्रीमन्, आपने जो यह स्पष्टीकरण दिया कि यह भाषण उन्होंने चुनाव सभा में दिया तो यह स्पष्टीकरण आप उनसे ही करा दें।

श्री अध्यक्ष—

उसका यहां की कार्यवाही से कोई ताल्लुक नहीं है।

1978-79 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 12—मोटर गाड़ियों, माल तथा यात्रियों पर कर, अनुदान संख्या 63—सिविल विमानन, अनुदान संख्या 68—सड़क तथा जल परिवहन, अनुदान संख्या 69—पर्यटन, अनुदान संख्या 88—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान—संख्या 89—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

परिवहन मंत्री (श्री आबिद अली)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12—मोटर गाड़ियों माल तथा यात्रियों पर कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,99,31,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63—सिविल विमानन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68—सड़क तथा जल परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,68,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69—पयटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,86,600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(इस समय 12 बज कर 49 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

मान्यवर, परिवहन का.....

श्री अधिष्ठाता—

एक और ग्रांट है आपने छोड़ दिया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

छूट जाने दीजिये श्रीमन्, उसकी जरूरत नहीं है।

श्री आबिद अली—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 6,97,000 रुपये में अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, परिवहन का जनता से बहुत नजदीकी ताल्लुक है। रेलवे के बाद जितने लोग चलते हैं वह सब बसेज या ट्रक से चलते हैं। इसका पब्लिक से बहुत नजदीकी ताल्लुक है। इस सूबे में 82 हजार कि0 मी0 सड़कें हैं। मुल्क भर में 9 लाख 52 हजार कि0 मी0 सड़कें हैं। सड़कों पर जो गाड़ियां चलती हैं वह कायदे से चलती हैं या नहीं उसको देखने के लिये ट्रांसपोर्ट का एक महकमा है। इसका काम यह है कि वह यह देखे कि जो कायदे बने हुये है उसकी पाबंदी होती है या नहीं। जो गाड़ियां है उनका रजिस्ट्रेशन होता है या नहीं? जो फीस कायम की हुई है वह वसूल होती है या नहीं होती है। रोड टैक्स, पैसेंजर टैक्स गुड्स टैक्स वसूल होता है या नहीं होता है। जो परमिटस हैं वरोज के वह एक रीजन के अन्दर आर0 टी0 ए0 देता है। सूबे के अन्दर देने के लिये एस0 टी0 ए0 है। सन 76 में रोड टैक्स, पैसेंजर टैक्स, गुड्स टैक्स से 41 करोड़ 88 लाख रुपये की आमदनी हुई। 31 मार्च को जो साल खत्म हुआ है उसमें 45 करोड़ 5 लाख रुपये की आमदनी इससे हुयी है। हमारा स्टाफ सतर्क है और कोशिश करता है कि जो गाड़ियां चलें वह कायदे से चलें और इस साल के बजट में कुछ थोड़ा सा इजाफा किया गया है। सड़कों का जो रोड टैक्स होता है उसको सड़कों को मेंटीनेंस के लिये देना, सड़कों का मेटीरियल महंगा हो गया है। लेबर चार्जेज ज्यादा हो गये हैं। मेंटीनेंस का खर्च ज्यादा हो गया है। तो जो गाड़ियां चलती है उनको ज्यादा रोड टैक्स देना चाहिए इस वास्ते रोड टैक्स 10 परसेंट इस साल बजट में ज्यादा किया गया है। इससे करीब डेढ़ करोड़ रुपये की इनकम बढ़ेगी। हालांकि मैं समझता हूं कि सड़कों का मेटीरियल 10 परसेंट से कहीं ज्यादा बढ़ गया है और लेबर चार्जेज भी बढ़ गये हैं। मगर इजाफा 10 परसेंट का किया गया है, वह इसके मुकाबले में मामूली है। चेकिंग करने के लिये इस समय 47 स्क्वाइडस है। गुजिस्ता साल 41 हजार 900 चालान किये गये है और जो पैसा वसूल हुआ है जुरमाने की शक्ल में वह 14 लाख 75870 है। कोशिश यह होती है कि चेकिंग स्कवाड्स जो हैं उनके अलावा स्पेशल चेकिंग की जाय और एक जगह का स्कवाड्स एक जगह न रहने पाये और वह दूसरे रीजन में जाकर भी जो गाड़ियां कायदे से नहीं चल रहीं है उनकी चेकिंग करें। यह चीज भी की गयी है कि मेजिस्ट्रेट को साथ लेकर चेकिंग की जाय। मैजिस्ट्रेट चालान करेगा तो वह वहीं पर जुरमाना करता है और मुकदमा अदालत में नहीं जाता है और वहां उसका डिस्पोजल हो जाता है।

अभी तक यह है कि जो लोग बसों में सफर करते हैं यदि बिना टिकट के पाये जायें तो उन पर पेनाल्टी नहीं लगती है। तो इसमें एक दिन मैंने हाउस के सामने यह चीज पेश किया था लेकिन पास नहीं हो पाया है, इसमें है कि कोई पैसेंजर यदि बिना टिकट के पाये जायेंगे तो उनपर पेनाल्टी लगायी जायेगी। इस तरीके से अब कन्डक्टर की ही जिम्मेदारी नहीं होगी बल्कि पैसेंजर की भी जिम्मेदारी होगी। इसलिये बिना टिकट के यात्री अब कम चलेंगे चूंकि वह डरेंगे कि पकड़े जाने पर जुर्माना और सजा भी हो सकती है।

मान्यवर, इधर सड़कों पर ऐक्सीडेंन्ट हो रहे हैं जिसकी मुझे काफी चिन्ता है इसलिये इस सिलसिले में पहली चीज यह है कि जो एक्सीडेन्ट होते हैं उसमें गलती होती है कि ड्राइवर शराब पिये होते हैं। इसके लिये मैंने एक ब्रेथ एनेलाइजर मगाया है जिससे पता चल जाता है कि ड्राइवर शराब पिये हुए है कि नहीं। उसको मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

आप इसको बगल में लगाकर दिखायें ।

श्री आबिद अली--

यह हाऊस के लिये नहीं है । यह ड्राइवर के लिये है ।

इसमें हमने ड्राइवरों को पकड़ा है । लखनऊ रीजन में 15-20 पकड़े गये हैं और जो पकड़े जायेंगे उनको सख्त सजा दी जायेगी । मैं समझता हूं कि इसके बाद अब ड्राइवर डरेंगे और शराब नहीं पियेंगे ।

मान्यवर, एक चीज और है कि ड्राइवर की आंख कमजोर हो जाती है तो वह मेडिकल सर्टिफिकेट ले कि उसकी आंख ठीक है कि नहीं । यदि आंख ठीक नहीं होती है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जायगा ।

मान्यवर, एक चीज और किया है कि रेफ्रेशर कोर्स ड्राइवर को दिया जा रहा है कि किस तरह से ऐक्सीडेन्ट को एवायड किया जाये । अभी तक 2152 ड्राइवरों को रेफ्रेशर कोर्स दिया गया है । रोडवेज में तो दिया ही जायेगा साथ ही प्राइवेट जो बसों और ट्रकों के आपरेटर्स हैं उनको मजबूर करेंगे कि यह रिफ्रेशर कोर्स लें और आइन्दा जो लाइसेंस दिये जांय वह वो आदमी ट्रेनिंग हासिल किये हों उन्हीं को दिये जांय अन्यथा लाइसेंस न दिये जांय ।

मान्यवर, रास्ते में खड़े होकर देखा जाता है कि रफ्तार तेज तो नहीं गाड़ी की है । यदि गाड़ी तेज चलती है तो उस पर भी कार्यवाही की जाती है । दूसरे गाड़ी में जो कमियां होती हैं उनमें भी एक्सीडेन्ट होते हैं । अभी तक आर० आई० फिटनेस सर्टिफिकेट देते थे लेकिन अब यह कह दिया गया है कि आर० टी० ओ० वेरीफाई करें, उनकी भी जिम्मेदारी होगी । यह नहीं कि नीचे का ही स्टाफ फिटनेस सर्टिफिकेट देने का जिम्मेदार हो ।

मान्यवर, रात में जब ट्रक और बस चलती है तो सामने की लाइट बड़ी सीधी पड़ती है तो उससे भी एक्सीडेन्ट होते हैं । तो यह किया गया है कि रोडवेज और प्राइवेट बसेज के लिये ये आदेश कर दिये गये हैं कि उनकी लाइट का आधा भाग ब्लैक होना चाहिए, जिससे दुर्घटनायें न होने पायें ।

हम एक इलैक्ट्रानिक डिवाइस भी मंगाने जा रहे हैं जिससे अगर कोई गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही है, तो उससे दो तीन किलोमीटर की दूरी से ही उस गाड़ी की रफ्तार मालूम हो जायगी । इस तरह से तेज गाड़ी चलाने वालों का हम चालान कर सकेंगे ।

ऐक्सीडेन्ट के होने का एक कारण खराब सड़कों का होना भी है । आप ने देखा होगा कि तमाम सड़कों की मरम्मत की जा रही है पी० डब्लू० डी से कहा जा रही है कि जहां खराब सड़कें हैं, वहां साइन बोर्ड लगाये जायें जिससे चालक होशियार होकर गाड़ी चलायें ।

सड़कों के किनारे मोल्डर्स जमा हो जाते थे और साथ ही तमाम मरम्मत का सामान सड़कों पर पड़ा होने के कारण रास्ता तंग हो जाता था जिससे दुर्घटनायें हो जाती थीं । अतः इस बात के लिये प्रबन्ध किया गया है कि ये चीज सड़कों से दूर रखी जायें और दुर्घटनायें रोकी जा सकें ।

श्री आबिद अली]

एक चीज और है कि प्राइवेट गाड़ियों में ओवरक्राउडिंग्स उसके लिए अब यह नियम बना दिया गया है कि एवरेज बजाये 120 किलोमीटर के 90 होगा और वर्क लोड 75 प्रतिशत होगा।

रोडवेज के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मई, 1947 में इसे नेशनालाइज किया गया था। सन् 1951 में 1307 बसें थीं जो 15,387 किलोमीटर मार्ग पर चलती थीं अब दिसम्बर 1977 में 5,476 बसेज हो गई हैं और वे 1,74,723 कि0 मी0 मार्ग पर चलती हैं।

पैसेन्जर्स की तादाद मार्च सन् 1951 में तीन करोड़ 81 लाख थी जो अब बढ़ कर 27 करोड़ 14 लाख यानी आठ गुना अधिक हो गई है। तो उस हिसाब से हमारे यहां के डिपोज वर्कशाप्स और रीजन्स में गाड़ियों की तादात ज्यादा हो गई है। प्रारम्भ में जब हमारे डिपोज का निर्माण हुआ, उस समय हमारे पास 3 हजार गाड़ियां थीं जिनके लिहाज से करीब 60–65 डिपो थे, 12 रीजन्स थे मगर जब गाड़ियों की तादाद बढ़ कर साढ़े पांच हजार हो गई तो हमारे डिपोज में इतनी गुंजाइश नहीं रह गई कि उनकी ठीक तरह से मरम्मत हो सके, गाड़ियां ठीक तरह से खड़ी की जा सकें एक-एक डिपो में सौ-सौ बसें हैं, एक-एक रीजन में छः-छः सौ गाड़ियां हैं। जबकि नाम यह है कि एक डिपो में 50 गाड़ियां होनी चाहिए और एक रीजन में 300 से अधिक गाड़ियां नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से हम पांच साल में 50 डिपोज का यानी प्रतिवर्ष दस के हिसाब से निर्माण कर रहे हैं जिससे नाम से ज्यादा गाड़ियां हर डिपो में न खड़ी हों। इसी प्रकार से वर्तमान बारह रीजन्स को बढ़ाकर 18 कर रहे हैं जिसमें इस साल हम मुरादाबाद, इटावा और आजमगढ़ में और अगले साल तीन अन्य रीजनों का दिल्ली, झांसी और फैजाबाद में खोलने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे डिपोज 72 हैं जिनको बढ़ाकर 120 कर देने का हमारा ख्याल है। तो जब 120 डिपो हो जायेंगे, गाड़ियां औसतन 50 हो जायेंगी तो मेरा ख्याल है कि ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, मेंटनेंन्स अच्छा होगा और गाड़ियों की खराब हालत में जो ब्रेकडाउन ज्यादा होता है वह कम हो जायगा।

एक चीज और है जोनल मैनेजर्स जो हुआ करते थे वे तीन थे, एक मेरठ के, एक लखनऊ के और एक पूर्वांचल के और यह लोग यहीं पर रहा करते थे लखनऊ में, उससे कोई फायदा नहीं था। अब ऐसा कर दिया गया है कि जोनल मैनेजर्स अपने हेड क्वार्टर्स पर जाकर रहें। उनको स्टाफ दे दिया गया है, पावर्स दे दी गयी हैं। इस तरीके से वे डे-टू-डे ऐडमिनिस्ट्रेशन पर की चीजों को अच्छी तरीके से देख सकेंगे और उन्हें तय कर सकेंगे। इससे लखनऊ का काम भी हलका हो जायगा। लखनऊ का काम केवल यह रह जायगा कि वह देखे कि पालिसी पर अमल हो रहा है या नहीं। अभी तक तीन जोन्स थे, अब एक और बढ़ा दिया गया है इस में पहाड़ी इलाके, टनकपुर, नैनीताल, लैंसडाउन और देहरादून का काम देख नहीं पाता था इसलिये एक जोन और बढ़ा दिया गया है और चार जोन्स हो जायेंगे। बजाय 12 रीजन के 18 होंगे, 72 डिपो की जगह पर 120 के करीब होंगे, इससे मैं समझता हूं कि एफीसिएन्सी बढ़ेगी। इस समय कानपुर वर्कशाप से गाड़ियों की आने की रफ्तार 100 गाड़ियां है जो कि वहां पर बन रही हैं और रीजन्स को जा रही हैं। पहले वहां पर गाड़ियां बनाने की कैपासिटी थी केवल तीन की लेकिन अब ओवर टाइम आदि देकर चार की कैपासिटी कर दी गयी है और महीने भर में 100 का औसत हो जाता है। एक महीने में लखनऊ में 25 गाड़ियां, बरेली में 15, गोरखपुर में 27 गाड़ियां, मेरठ में 25, इलाहाबाद में 10 गाड़ियां तथा कानपुर में 5 गाड़ियां दी गयी। इस तरीके से देहाती इलाके के लिये हुआ, इसके साथ-साथ यह भी हुआ कि जो अरबन एरिया है, वहां भी कमी हो गयी है, लखनऊ में ज्यादा कमी हुई है इसलिये लखनऊ में 15 नई गाड़ियां डाली गई हैं और इस वक्त काफी गाड़ियां

बढ़ गई हैं । मैं उम्मीद करता हूं कि अगले महीने में जो कवाल टाऊन्स हैं उनकी भी कमी पूरी हो जायेगी । खाली कवाल टाउन्स में ही नहीं बल्कि और भी जगह हैं जैसे फैजाबाद, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, फर्रुखाबाद आदि में भीजो हमारी सिटी बसें चल रही हैं उनमें बढ़ोत्तरी कर देंगे जिससे वहां की पब्लिक को ज्यादा सुविधा होगी ।

इस वक्त पहाड़ी इलाके में आना जाना शुरू हो गया है क्योंकि यात्रा का सीजन शुरू हो गया है इसलिये वहां पर भी 30 नई बसें और दे दी गयी हैं । अगर और आवश्यकता होगी तो और भी दे दी जायगी । वहां के रीजनल मैनेजर्स तथा आर0 टी0 एस0 आफीसर से जिम्मेदार कर दिये गये हैं कि वे गाड़ियां को देखें, ड्राइवर्स पर नजर रखें ताकि वहां पर कोई एक्सीडेन्ट न होने पाये, यह उनकी जातीय जिम्मेदारी कर दी गई है और अगर एक्सीडेंट होता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी । एक चीज और कर दी गई है कि वहांपर पांच यूनियनों की भी गाड़ियां चलती है, उनका एतराज था क्योंकि वहां पर रोडवेज की गाड़ियां चल रही हैं, इस मामले को तय करने के लिये एक कमीशन बना दिया गया है जिसमें विधायक होंगे, आफिसर्स होंगे और मोटर आपरेटर्स के नुमाइन्दे होंगे और यही लोग बैठकर तय करेंगे कि पहाड़ के मुताल्लिक सरकार की क्या पालिसी होनी चाहिए, किन-किन रूट्स पर प्राइवेट आपरेटर्स को चलना चाहिए और किन-किन रूट्स पर रोडवेज को चलना चाहिए । जो कमीशन तय करेगा, सरकार उसी लाइन में देखकर जो मुनासिब होगा वह फैसला करेगी अभी तक टाइमटेबुल कुछ नहीं था और यह नहीं मालूम पड़ता था कि कब गाड़ियां जायेंगी । लोकल टाइम टेबल हुआ करते थे लेकिन वे रीजन में नहीं होते हैं । इस साल टाइम टेबुल भी बनाये जा रहे हैं जो कि बनने के बाद बुकस्टाल पर बिकेंगे । जिस तरह से रेलवेज का टाइम-टेबुल होता है, उस तरह से अब रोडवेज का भी टाइमटेबुल हुआ करेगा ।

मान्यवर, मैं यह भी निवेदन कर दूं कि अभी तक 38 जिले ऐसे हैं जो कि लखनऊ से मिलते हैं और अब उसके अलावा जहां-जहां पर और भी जरूरत होगी उन जिलों को भी लखनऊ से मिला दिया जायेगा । अब जैसे जैसे और जहां जहां पर मुसाफिर मिलते जायेंगे वहां वहां पर हम उसको बढ़ाते चले जायेंगे । डिलक्स बसेज इस वक्त आगरा, दिल्ली, देहरादून, दिल्ली-मसूरी, दिल्ली-रानीखेत दिल्ली-नैनीताल, दिल्ली रूट्स पर चल रही हैं । आगरा और वाराणसी में भी एयर कन्डीशन्ड बसें चल रही हैं तथा मंसूरी और दिल्ली के बीच में भी एयर कन्डीशन्ड बसें चल रही हैं ।

मान्यवर, इसी प्रकार से जो हमारे वर्कर्स हैं, उनका भी ख्याल रखा गया है और अब उनको बोनस में 8.33 प्रतिशत दिया गया है । जब कि इसके पहले साल में केवल 4 प्रतिशत ही उनको दिया गया था । इस तरह से यह रकम 1 करोड़ 25 लाख रुपये के करीब होगी । जो मेडिकल एलाउन्स उनको नहीं मिलता था वह भी अब दिया जायेगा और 55 लाख रुपये के करीब खर्च होगा । पहले नाइट एलाउन्स सिर्फ डेढ़ रूपया दिया जाता था और अब वह 3 रुपये के हिसाब से दिया जायेगा इस तरह से 25 लाख रुपये का खर्च में इजाफा हुआ है । इसके साथ ही साथ एक वेज बोर्ड भी बना दिया गया है जो यह सिफारिश करेगा कि वर्कर्स का स्केल क्या होना चाहिए और उनकी तनख्वाह क्या होनी चाहिये । इसी दौरान में उनकी तनख्वाह में 10 रुपये महीने के हिसाब से इजाफा भी किया गया है । इससे भी करीब 45 लाख 60 हजार रुपया खर्चा बढ़ गया है । डियरनेस एलाउन्स की 4 किश्तें वर्ष 1977 में दी गई थीं और उसके बाद 31 दिसम्बर, 1977 में एक किश्त और दी गई है तथा जनवरी, 1978 में एक किश्त दी गई है । इस तरह से यह कुल मिला कर एक साल में वर्कर्स को

[श्री आबिद अली]

करीब 4 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा दिया गया है। मैं समझता हूं कि इतना पैसा कभी और पहले नहीं दिया गया होगा।

मान्यवर, अब बस स्टेशन्स पर रिटायरिंग और रनिंग रूम्स की भी व्यवस्था की जायेगी जिनमें कन्डक्टर्स और ड्राइवर्स को रुकने और विश्राम करने की सुविधा दी जायेगी। इस तरह से अब इसका भी इन्तजाम किया गया है कि पेसेन्जर्सको और अधिक एमेनिटीज दी जायें और उनके लिए भी ख्याल किया जा रहा है। इस तरह से जो वेटिंग रूम्स हैं, उनमें यह कोशिश होगी कि वहां पर बेन्चेज बनवा कर डलवा दी जायें ताकि पसेन्जर्स को वहां पर आकर बैठने की सुविधा रहे और उनको बैठने की तकलीफ न हो।

मान्यवर, इसी प्रकार से सिटी बस सरविस में अभी तक बहुत से स्थानों पर यात्रियों के लिए बस स्टाप पर शेड्स नहीं थे, जैसे कि दिल्ली वगैरह में और दूसरी जगहों पर होते हैं, तो हमने कवाल टाउन्स में शेड्स भी बनवाने की व्यवस्था की है। ताकि पैसेजर्स को धूप और बारिश में खड़े रहने में तकलीफ न हो और वह उनसे बच सके। ऐसे 50 शेड्स बनवाने का इरादा है।

मान्यवर, इसी तरह से अभी तक स्टेशन्स पर लाउड स्पीकर से वक्त बतलाने की सुविधा नहीं थी कि फलां नम्बर की बस फलां जगह पर जा रही है। इससे बाज वक्त जाहिल लोगों को और बगैर पढ़े लिख पेसेन्जर्स को सही बस पर बैठने में बड़ी दिक्कत होती थी। मैं एक बात बता दूं कि 72 बड़े-बड़े स्टेशन्स पर यह इन्तजाम होगा कि लाउडस्पीकरों की व्यवस्था की जाय और यह बताया जा सके कि फलां नम्बर की बस फलां तरफ जा रही है और इस तरीके से मैं यह समझता हूं कि गलत बस पर बैठने की जो बात थी, वह अब खत्म हो जायेगी।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज कर दूं कि यह सूबा बहुत बड़ा है और बाज वक्त ऐसी भी इमरजेन्सी आ जाती है कि वी0 आई0 पी0 को चीफ मिनिस्टर या किसी सेन्ट्रेल मिनिस्टर को सूबे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना पड़ता है। इसके लिये एक ।वियेशन का भी डिपार्टमेंट है। इस जरूरत के लिए एक हवाई बेड़ा यहां पर है, उसमें दो हेलीकाप्टर्स तथा दो एयर क्रेफ्ट्स/रूट्स भी हैं। मगर दो काफी नहीं हैं। एक और की सेंक्शन गवरमेंट आफ इंडिया से हो गयी है और उसको लेने के लिये कदम उठाये जायेंगे। हिन्द फ्लायिंग क्लब इन जहाजों की देख रेख करता है और उस के ऐवज में दस लाख रुपये दिये जा रहे हैं। पुर्जों के दाम बढ़ गये हैं, खर्चा बढ़ गया है इसलिये इतने रुपये से पूरा नहीं पड़ता था तो अब इस को साढ़े बीस लाख रुपया कर दिया गया है। जो हिन्द फ्लायिंग क्लब है इसका एक काम और है कि वह पाइलेट्स को ट्रेनिंग दे। गवरमेंट आफ इंडिया ने 2800 घंटे साल में मुकर्रर किये थे इन्होंने इन्हें अपनी ट्रेनिंग में पूरा कर लिया है और इस में 57 ट्रेनीज इन्होंने ट्रेन्ड किये। आठ और ऐसे हैं जिन को पाइलेट्स के लाइसेन्स दिये और देने के बाद वह चला रहे हैं।

इस के बाद इस सिलसिले में पर्यटन का जिक्र आता है। पर्यटन बहुत अहम मसला है। हमारा सूबा ऐसा है कि जिस में पर्यटन के लिहाज से हर चीज है। हिमालय के ऊपर देखिये इतनी अच्छी मनोरन्जन की जगह वहां पर है कि मैं समझता हूं कि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश भी अगर डेवेलप हो जायं तो बराबरी कर सकते हैं। हमारे यहां धार्मिक स्थान इतने हैं कि जितने शायद किसी सूबे में नहीं हैं। हमारे यहां महात्मा बुद्ध पैदा हुये। नेपाल वाले कहते हैं कि हमारे यहां पैदा हुये। लेकिन लुम्बिनी असल में हमारे सूबे में है। और भी बुद्धिशत प्लेसेज ज्यादातर हमारे सूबे में हैं। बुद्धिश्त दुनिया के यहां पर आते हैं। ऐसे ही हमारे यहां अयोध्या में श्री राम चन्द्र जी पैदा हुये। चित्रकूट, मथुरा, वृन्दावन, श्रीकृष्ण जी से संबंधित

रहे हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जगहें हैं। ये सब रीलीजियस जगहें हैं। इन के लिये हिन्दुस्तान भर के लोग हमारे यहां आते हैं। इस के बाद हिस्टोरिकल जगहें देखिये एतिहासिक ताजमहल है। उसे देखने के लिये दुनिया के लोग आते हैं और जितने लोग दुनिया के हमारे हिन्दुस्तान में आते हैं उनके चालीस प्रतिशत ताजमहल को देखने के लिये जरूर आते हैं। इससे फारेन एक्सचेन्ज सन् 61 में सिर्फ टूरिस्ट से मिलता था 718 करोड़ और अब वह बढ़ कर 285 करोड़ हो गया है जिस में 40 करोड़ हमारे यहां से आता है। यहां पर वे जो सामान खरीदते हैं हमारे सूबे से उससे भी फायदा होता है। लेकिन इतना जरूर है कि जितना पर्यटन को पैसा मिलना चाहिये उतना नहीं मिला पाता क्योंकि दूसरे मदों में जैसे बिजली सिंचाई आदि में पैसा चला जाता है। इस वजह से जितनी जगहों का डेवलपमेंट करना चाहिये वह नहीं हो पाता। यह जरूर है कि हिल डेवलपमेंट बोर्ड जो पहाड़ी इलाकों में पर्यटन आवास गृह बनते हैं उसके लिये पैसा दे देता है। करीब-करीब 500 आवास गृह बनेंगे। इस के लिये हिल डेवलपमेंट बोर्ड से हम को पैसा मिलेगा और इन को हम बना सकेंगे।

इस साल गवर्नमेंट आफ इंडिया की तजवीज यह थी कि जो धर्मशालायें ऐसी हैं जिनको लोग बनवाते हैं लेकिन सही तरीके से उनका इन्तजाम, रख रखाव नहीं कर पाते हैं। अगर उन्हें हम को देना चाहें तो इस डिपार्टमेंट को दे दें। यह डिपार्टमेंट उन की मरम्मत करेगा, देख-रेख करेगा और उसे ठीक रखेगा। यदि ऐसी धर्मशालाओं के मालिक राजी हो जायं तो यह विभाग उनको बड़ी खुशी से ले लेगा और उनको ठीक तरह से रखेगा। इस सब में आपके सहयोग की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा आप लोग अपने बहुमूल्य सुझाव दें और उसके बाद में उत्तर दे सकूंगा।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12-मोटर गाड़ियों, माल तथा यात्रियों पर कर—के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63-सिविल विमानन—के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68-सड़क तथा जल परिवहन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69-पर्यटन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 88-सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अजीत सिंह सेठी]

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 89-पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मेरा बड़ा भाग्य है कि इतने महत्वपूर्ण अनुदान पर मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। चाहे कांग्रेस सरकार हो अथवा जनता सरकार इसे सभी मानते हैं कि रेल के बाद यह बड़ा भारी उद्योग है परिवहन और इसके अन्दर कम से कम डेढ़ करोड़ के ऊपर व्यक्ति जीविकोपार्जन करते हैं। समस्या नीति की है और हमारे प्रदेश की कर नीति के कारण यह परिवहन उद्योग ठप्प सा पड़ा है। सरकार ने कभी अपनी नीतियों पर ध्यान नहीं दिया कि किन कारणों से यह उद्योग ठप्प पड़ा है? इस सड़क परिवहन के अन्तर्गत निगम आता है, इसके साथ निजी बसें आती हैं। इन दोनों को मिला कर प्रदेश का परिवहन का जो नक्शा है वह बनता है। उसके मुताल्लिक मैं सुझाव रखना चाहता हूं। इसमें बसें एवं टैक्सीज एक महत्वपूर्ण हिस्सा अदा करती हैं। जनता सरकार ने नारा लगाया कि गांव की ओर चलो, ग्रामोद्योग के उत्थान का नारा लगाया। नारा बुलन्द तो कर दिया लेकिन जनता सरकार ने यातायात के प्रति अभी तक क्या सोचा? आपने जनपदों की राज्य सड़कों के बारे में पूरा ध्यान नहीं दिया। गांवों में छोटे-छोटे उद्योग लगाने की बात की जाती है लेकिन उन गांवों में सामान लाने और ले जाने के बारे में भी कभी आपने सोचा। यदि कोई नीति बनायी हो तो बतायें। कोई नीति स्पष्ट नहीं की। यह सरकार की सबसे बड़ी कमी है। वह दिन बहुत शानदार था जब इस प्रदेश में नेशनलाइजेशन का एलान हुआ। मैं उसकी सराहना करता हूं। रास्ता भी बड़ा सुन्दर था और यह विचार हुआ कि सारे परिवहन को नेशनलाइज कर लिया जाय। लेकिन कुछ अर्से के बाद हमने अपने उसूलों को छोड़ना शुरू कर दिया और इस पालिसी ने हमारा सारा ढांचा ही बिगाड़ दिया। उसमें न तो निगम ही पनप सका और न ही नीचे का व्यक्ति पनपा जो इस उद्योग में है। उसमें केवल उस्ताद व्यक्ति ही पनपा है, मंत्री, कमिश्नर और आर० टी० ओ० पनपा है, साधारण इन्सान नहीं पनपा है।

मैं सबसे पहले राज्य सड़क परिवहन को रख रहा हूं। इस प्रदेश में इस राज्य सड़क परिवहन निगम को थोड़ा नहीं, काफी समय मिला है, 6/7 साल हो चुके हैं लेकिन जिस तरह से इसका ढांचा सुधरना चाहिये था, वैसा हुआ नहीं है, जिस तरह से निगम को इसे सम्भालना चाहिये था, सही तरीके से तरमीम करनी चाहिये थी, वह नहीं हो पायी। आज कोई बस में जाने वाला व्यक्ति खुश नहीं है। जिस उम्दा तरीके से यह निगम शुरू हुआ था कि सही समय पर बसें चलेंगी, सहूलियतें दी जायेंगी, जो द्वेष परिवहन के अन्दर है वह दूर होगा, वह कुछ नहीं हो पाया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सम्बन्ध में यात्रियों की क्या राय है। वे क्या सोच रहे हैं। मान्यवर, करीब-करीब 100 विधायक इन गाड़ियों में सफर करते हैं और दूसरे व्यक्ति भी करते हैं। आप देखेंगे कि इनके वर्कशाप्स की क्या हालत है। गाड़ियों में जो गद्दे हैं उनका रख रखाव भी ठीक से नहीं होता। इनको ठीक करने की व्यवस्था वर्कशाप्स मे नहीं है। यह उम्दा गड़ियों की हालत है। समय की यह हालत है कि खुदा ही हाफिज है। गाड़ी का चलना ड्राइवर और कंडक्टर पर मुनहस्सिर करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जनपदों की सड़कों पर जो गाड़ियां खराब हो जाती हैं उनके बारे में फोन करने की कोई सुविधा आपने प्रदान की? क्या आपने टेलीफोन लगाये। छोटे-छोटे डिस्टेंस पर आपने वर्कशाप स्थापित किये? इसमें दोष किसका निकाला जाय। सेवा करने का ध्यान नहीं है बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन ही केवल करना है। इसमें केवल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ही खराब नहीं है मैं तो कहना चाहता हूं कि टोटल मैनेजमेंट में दोष है। इतना ही नहीं सेवा करने की

भावना नहीं है। कितनी खराब गाड़ियां चलती हैं। देहरादून से मेरठ की गाड़ियों को देख लें उनको धक्का लागाना पड़ता है। यह हमारे वर्कशाप की हालत है। रात की शिफ्ट सही नहीं चलती है। अगर सही चलती तो गाड़ियां ठीक होकर वर्कशाप से निकलती। उनकी छोटी मोटी मरम्मत तथा सफाई रात भर में हो सकती है लेकिन हालत यह है कि वर्कशाप में 10, 12 प्रतिशत लोगों को लगा दिया जाता है वह भी सोये रहते हैं। अगर पूरे आदमियों को लगाया जाता तो गाड़ी ठीक हो कर आ सकती है। आज होता क्या है कि जैसे गाड़ी रात में वर्कशाप में गई वैसेही सुबह को निकल आती है यहां तक कि धक्का लगान पड़ता है।

मान्यवर, मैं कहना चहता हूं कि इतना बड़ा यह धंधा है इसमें नुकसान होने का सवाल नहीं है। जब यह व्यापारिक विभाग है तोउसी तरीके से इसे चलाना चाहिये। इतनी बड़ी पूंजी सरकार नेदी हैतो फर्ज है कि जिस तरह से रेलवे का बजट सैपरेट आता है उसी तरह से इसका भी होना चाहिये। मैं पूछना चहता हूं कि जो कार्यकलाप आपने पेश किये हैं उसमें फाइनेंसियल आस्पेक्ट का सारा लेखा जोखा क्यों नहीं दिया, बैलेंशशीट पुट अप करनी चाहिये थी। इसके लिये अलग से चार घंटे हाउस में मिलते तब हम बहस कर सकते हैं। जब बैलेंसशीट हमारे पास हो तभी कुछ कहा जा सकता है वर उसके कैसे जानकारी होगी।

अब मैं करप्शन की बात कहता हूं। हमारे यहां गढ़मुक्तेश्वर में नहान का मेला लगता है। रोडवेज भी उसमें भारी इंतजाम करता है। लेकिन 1977 में मिनी बसों को भी इजाजत दे दी। ठीक है इजाजत दे दी। लेकिन 6 सीटर होने के कारण उनको पैसेंजर टैक्स से मुक्त कर दिया। लेकिन वह 20, 30 पैसेंजर से कम नहीं ले जाते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारी रोडवेज ठप हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि लाखों की संख्या में सरकार को नुकसान हुआ। क्या इसकी कोई जानकारी आपने की। मेरा कहना यह है कि मेलों को सुविधा आप दें लेकिन इसका इन्तजाम ठीक होना चाहिए। मुसाफिरों को सुविधा दें लेकिन उसको कोई नहीं सोचता है सुविधा अपने जेब की होती है। लोगों की सुविधा का और गवर्नमेंट के खजाने का कोई ख्याल नहीं। बड़े-बड़े आफिसर आपस में मिली भगत करते रहते हैं और इसका नक्शा बिगाड़ रहे हैं।

आपके यहां रोडवेज में जो स्टोर है उनके प्रापर मेंटीनेंन्स की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई इंडक्स सिस्टम नहीं है। और नहीं कोई प्रापर स्थान है और न अलग से स्टोर के लिये ड्रम सिस्टम है जिसमें अलग-अलग चीजें रखी हों। लाखों करोड़ों की चीज बसी ही पड़ी हैं उनको कोई सभालता नहीं है। इसलिये घपलेबाजी होती है।

स्टोर्स के रख रखाव का जो बाकायदा सिस्टम है उसके मुताबिक नहीं हो पाता है। उस कारण से स्टोर्स में बहुत घपलेबाजी हो रही है। उनको सही स्थान पर, करीने से, इंडेक्स सिस्टम से रखना चाहिए जिससे उसका निरीक्षण हो सके। अजीब बात है कि निरीक्षण की रिपोर्ट कभी हमारे सामने तो आयी नहीं। क्यो नहीं आयी ? यह बड़ी भारी कमी है। दूसरे यह अजीब बात है कि यहां छोटी इंडस्ट्रीज आटोमोबाइल्स की लगी हुई है। उनसे स्टोर्स परचेज न करके, बाम्बे कलकत्ता को इंडेन्ट करते हैं। और उनका माल न छुड़ाया जाय तो लाखों रुपया डेमरेज का भरें। यह ऐसी व्यवस्था है जिसको तुरन्त सुधारना चाहिए।

[श्री अजीत सिंह सेठी]

राष्ट्रीय मार्गों पर चूंकि यातायात की जरूरत बहुत ही कुदरती है कि हमने उन मार्गों पर प्राइवेट बसेज चलायीं, जरूरत को देखते हुए आपने उनको एलाऊ किया। कुछ लोगों को इससे पहले रियायत मिल जाती है। आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। चूंकि आपकी राष्ट्रीयकृत बसों का स्टेन्डर्ड इतना अच्छा नहीं है, जैसा पंजाब में हो गया है, रोडवेज की बसेज भी चल रही हैं और प्राइवेट बसेज भी चल रही हैं। दोनों का कम्पटीशन हो रहा है जिससे बस की सेवा अच्छी है। बेहतर है। पहले बसेज का टिकट बनवाने वालों की लाइन लगी रहती थी। लेकिन जब से यू0पी0 में दिल्ली ट्रान्सपोर्ट की बसेज को शुरू किया तबसे आज हालत यह है कि कंडक्टर बस में बैठे हुए टिकट देता है। इसलिये जब तक काम्पटीशन नहीं आयेगा तब तक सुधार भी नहीं होगा तो मेरा सुझाव यह है कि जो कमीशन निर्णय करेगा कि किन-किन रूट्स पर रोडवेज की बसेज चलेंगी और किन-किन रूट्स पर प्राइवेट बसेज चलेगी, मेरा सुझाव यह है कि आप हर रूट पर निगम की बसेज भी चलायें और प्राइवेट बसेज को भी इजाजत दें। इससे सर्विस बेटर मिलेगी और निगम अपनी सर्विस में सुधार करेगा और अच्छे ढंग से काम शुरु करके यह दिखलायेगा कि हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)---

डीजल और टायर बेच देंगे प्राइवेट वालों को।

श्री अधिष्ठाता---

आपको मौका मिलेगा।

श्री अजीत सिंह सेठी

अब जरा मुख्यालय की तरफ जाता हूं। आपके मुख्यालय का खर्चा बहुत बढ़ गया है। उसके हिसाब से निरीक्षण और वर्किंग में ज्यादा सुधार होना चाहिए लेकिन वह भी नजर नहीं आया। पहले प्रतिमास तकरीबन 4.5 लाख का खर्चा नजर था अब 5.5 लाख के करीब खर्च प्रति मास कर दिया है। यह इतना बढ़ाना, तो उसको सेवा में बढ़ोतरी नजर आनी चाहिए। क्षेत्रीय कार्यालयों में तो अजीब धांधली है। अधिकारियों की कारों का पेट्रोल का खर्च लाखों रूपये है। इसके ऊपर तो कन्ट्रोल होना चाहिए। यह जो हम आपने प्रदेश के व्यक्तियों पर कर लगाकर रुपया आपके हाथों में देते हैं उसके खर्च पर कन्ट्रोल होना चाहिए।

सिटी बसेज चलायी आपने, बड़ा अच्छा काम किया। जरूरत थी। मेरठ में मैंने देखा, मिनी क्विन बसेज की हाइट बहुत कम है। उनमें ऐक्सीडेन्ट होंगे ही। लटक कर बच्चे जाते हैं। वह गिरते हैं। मैटाडोर बसेज सिटी के लिये ठीक रहीं है। लेकिन मिनी क्विन बसेज छोटी हैं।

आपकी बसें चलें, यह बहुत ही जरूरी है। एक चीज है कि आपके पास बसें होते हुए भी वह रूट्स पर नहीं चलती है और वहां पर दूसरी सवारियां चलती है। इसका मकसद है कि घपलेबाजी होती है।

अब मैं मान्यवर, निजी परिवहन की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं। यह बड़ा भारी उद्योग है। यह लोग टैक्स के बोझ से दबे हुए हैं। और इसको चलाने वाले जो लोग हैं वह बहुत ही सहमे हुए हैं वे टैक्स से दबे हुए हैं। इसमें पिछले तीन साल से कोई वृद्धि नहीं हुई है। क्या इस प्रदेश में यातायात की कमी है और क्या इसकी इस प्रदेश में जरूरत नहीं है, मैं कहता हूं कि बहुत है। लेकिन सवाल यह है कि जो विभाग की

पालिसी है वह साफ नहीं है। इसी कारण इसमें बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मोटर वेहिकिल्स टैक्स, पैसेन्जर टैक्स आदि तमाम प्रकार के टैक्स लगाये जाते हैं।

मान्यवर, इसकी शुरुआत में 50 रुपया परमिट का लिया जाता है। अब इसके लिये मीटिंग बैठती है तब आगे का 160 रुपया लिया जाता है। हालत यह होती है कि मीटिंग बैठती ही नहीं है। इसीलिये मेरी गुजारिश यह है कि इसको आटोमेटिकली हो जाना चाहिए किसी मीटिंग की जरूरत न रहे और वह अपना 160 रुपया जमा कर दिया करे। अगर मीटिंग न बैठे तो उसका कसूर नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि फ्री आवागमन होना चाहिए। इसके लिये कांग्रेस सरकार ने भी सोचा और आप भी सोचें। चुंगी, बैरियर आदि खतम किए जाने चाहिए, लेकिन कागजी कार्यवाही होती है, कोई ठोस काम नहीं होता है। इसके लिये किसी ने कदम नहीं उठाया अगर आप इसको उठावें तो यह बहुत बड़ा कदम होगा। फ्री आवागमन मिलना चाहिए। बड़े-बड़े शहर में ट्रान्सपोर्ट नगर स्थापित करने की बात है। इसको बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया गया था लेकिन यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। किसी भी ट्रान्सपोर्ट नगर में कोई ट्रक भेजे ही नहीं गये हैं। मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि इसकी ओर ध्यान दिया जायें।

अब मैं पुलों के निर्माण की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। जो पुल बनाये जाते हैं, वहां पर टैक्स लगाया जाता है। जब पुल की कीमत निकल आवे तो इस टैक्स को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। अब हाइट का सवाल है, पहले 11 फीट थी लेकिन यह 13 फीट होनी चाहिए।

अब मैं मान्यवर, चालान वगैरह के बारे में बताना चाहता हूं।

(इसी बीच 2 व्यक्ति सदन के दायें ओर के दरवाजे से नारे "डी0 ए0 बी0 कालेज जिन्दाबाद, चन्दू बाबू मुर्दाबाद, के नार लगाते हुए सदन के फ्लोर पर आये)।

श्री अधिष्ठाता—

मार्शल, मार्शल! मार्शल इन्हें कैसे अन्दर आने दिया गया! (कई सदस्यों के खड़े होने पर)।

आप लोग कृपया बैठें यह ड्यूटी मार्शल की है। (इसके उपरान्त इन व्यक्तियों को मार्शल और गार्ड्स सदन से बाहर ले गये)।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं कई दिन से देख रहा हूं... (व्यवधान)।

मेरा निवेदन यह है कि जो दरवाजे हैं, उन पर इतनी भीड़ रहती है कि यहां पर कहीं-कहीं के लोग चले आते हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप इस बात की व्यवस्था करें कि यहां पर कोई भीड़ न हो और कोई बाहरी आदमी यहां पर न खड़ा हो।

श्री अधिष्ठाता—

आज के बाद यही होगा।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, आपसे एक गुजारिश है कि सदन को इससे वाकिफ कराया जाय कि ये लोग सदन में कैसे आये?

श्री अधिष्ठाता—

हमको स्वयं नहीं मालूम है। (श्री रवीन्द्र सिंह के खड़े होने पर)।

रवीन्द्र सिंह जी आप बैठें।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, मैं चालान वगैरह का जिक्र कर रहा था विहिकिल्स आदि का। मेरा कहना यह है कि प्रदेश में लगभग 1 लाख से ऊपर चालान के केसेज पड़े हुए हैं (व्यवधान) जिनका निर्णय नहीं हुआ है। इससे अवाम को काफी तकलीफ हो रही है। महाराष्ट्र में चालान के आइटम्स है। वहां पर अगर कोई चालान होता है तो उसी के हिसाब से उन पर जुर्माना वगैरह हो जाता है। (व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शान्ति बनाये रखें, सदन का काम चलना चाहिए।

श्री अजीत सिंह सेठी—

तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में फिक्सड नौर्म्स हैं उसी प्रकार से यदि इस चीज को सोच कर हमारा परिवहन विभाग भी यहां पर कर दे कि जो छोटे-छोटे मामलों में, जैसे बत्ती आदि को न होने पर चालान कर दिये जाते हैं, उसी समय निर्णय हो जाय और वह पैसा देकर चला जाय और अपना काम करे तो बहुत जल्दी इन चालानों का निर्णय हो जाया करे।

रोड एक्सीडेन्टस के बारे में हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा हैं कि 5789 रोड एक्सीडेन्ट हुए हैं। आज पब्लिक के अन्दर उनके मुतल्लिक बड़ी चिन्ता है। आज टफिक बहुत बढ़ गया है, सड़कें कम चौड़ी हैं। कुछ दिन पहले ये सड़कें साफ हो गयी थीं लेकिन आज फिर उसी तरह से उनको घेर लिया है और सड़क पर कम जगह होने की वजह से रोड एक्सीडेन्टस का होना स्वाभाविक है। राजकीय और नेशनल रोड्स जो हैं, उनकी भी सफाई रखने की बहुत जरूरत है जिससे दुकानदार लोग जाकर उन पर फिर न बैठें। मैं चाहूंगा कि सरकार का इस ओर अवश्य ध्यान जाना चाहिए। इन एक्सीडेन्टस के सम्बन्ध में, कारणों को खोज करने के लिये एक कमेटी बनी थी क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ में बहुत एक्सीडेन्ट्स हो गये थे, रोड बोर्ड के मेम्बर उसके चेयरमैन थे। आज तक भी उस कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त न होने की वजह क्या है? उनके जो सुझाव हों उनको पता लगाना चाहिए ताकि उनको लागू किया जा सके।

अब मैं प्राइवेट बसेज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर बगैर परमिट्स के बसेज का चलन साधारण बात है। और इससे रोडवेज को भी और दूसरों को भी नुकसान है और गवर्नमेन्ट के खजाने का भी नुकसान है। तो स्पष्ट नीति होनी चाहिए, बसों और रोडवेज साथ...

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय हो गया आधा घंटा आप बोल चुके

श्री अजीत सिंह सेठी—

अभी तो 15 मिनट हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मेरे सामने घड़ी लगी हुई है। आप समाप्त करें।

1978–79 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान-संख्या 207 12—मोटर गाड़ियों, माल तथा यात्रियों पर कर, अनुदान संख्या 63—सिविल विमानन, अनुदान संख्या 68---सड़क तथा जल परिवहन, अनुदान संख्या 69---पर्यटन, अनुदान संख्या 88---सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 89—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)---!

अरे सेठी, मैं बोलूंगा तेरे एवज में ।

श्री अजीत सिंह सेठी---

मैं अभी समाप्त कर रहा हूं । परमिटों की बिक्री की बड़ी भारी समस्या है और जो बिक्री होती है उसे किस तरीके से निभा रहे हैं प्राइवेट बस वाले । अगर उसको लीगलाइज कर दिया जाय तो यह घपलेबाजी बन्द हो जायगी और अफसरों पर लानत मलामत पड़ती है कि "ए" और "बी" क्लास की परिमिटों के देने के बारे में तो उससे बेहतर यह है कि 10 हजार और 20 हजार फीस होनी चाहिए, क्योंकि इतना रूपया तो वे देते ही है अफसरों को, तो कम से कम उसका लीगलाइज्ड वे होना चाहिए । इन शब्दो के साथ मान्यवर, आपके कहने के मुताबिक वैसे मेरे पास मैटीरियल है . . .

श्री हरी सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय,. . .

श्री अधिष्ठाता---

हरी सिंह जी, थोड़ा रुक जाय ।

श्री अजीत सिंह सेठी---

मान्यवर, मैं बन्द करने से पहले ठीक तरीके से अपनी बात पेश करूंगा । मेरा कहना है कि इस उद्योग को चलाने के लिये प्रथम तो आप दो अमली नीति को साफ करे । जब पूरा नेशनालाइजेशन करके नहीं होता फिर जो दूसरे तौर से चलना है तो उसकी चोरी को रोकने के लिये उसकी घपले बाजी को रोकने के लिये एक स्पष्ट नीति का ऐलान हो । यह नहीं कि जो पहुंच सकते हैं वह परमिट ले सकें और जिन व्यक्तियों की बस अपनी है वह सड़क पर न चला सकें । यह दुखदाई चीज होगी । तो अपने विचार को स्पष्ट पेश करें ताकि आपके इस उद्योग में लगे हुए व्यक्ति सुन्दरता से अपने कार्य को कर सकें । और जो साधारण तौर से चीजें करने वाली हैं उनपर तुरन्त ध्यान दिया जाय और उनका श्रेय प्राप्त किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहा हूं ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, आज कानपुर के विद्यार्थी अपनी मांगों के लिये सुबह बस से आ रहे थे । आलम बाग थाने की पुलिस ने उनकी दो बस रोक लीं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है । आज विधान सभा के सामने भी विद्यार्थियों का प्रदर्शन हो रहा है । और सैकड़ों छात्रों को पुलिस ने मारा पीटा है । यहां भी विद्यार्थी अन्दर आये थे । आप गृहमंत्री जी को निर्देश दें कि ऐसे विद्यार्थियों के विरुद्ध जो अपनी मांगों को रख रहे हैं, कोई कार्यवाही न करें ।

श्री अधिष्ठाता---

आप लिख कर भिजवा दें ।

*श्री हरी सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि इस परिवहन बजट पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया। और सबसे बड़ा आभारी अपने परिवहन मंत्री का हूं। वह एक ही व्यक्ति सारी मिनिस्टरी में हैं जो उस धन्धे से परिचित है, उसको जानने वाले हैं और भली भांति परिचित भी हैं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

धन्धा क्या है ?

श्री हरी सिंह—

धन्धा है आपका यातायात-निर्यात। अपनी मोटर वगैरह चलाने के परिमिट देना, किसी और को न देना।

श्रीमन् जहां तक इस विभाग का संबंध है, इसमें सबसे बड़ी अगर हकतलफी हुई है तो हरिजन वर्ग की हुई है। क्योंकि जितना गन्दा यह डिपार्टमेंट है शायद उतना गन्दा मुहकमा दूसरा कोई न होगा। जितना परिवहन विभाग है, जितने अधिकारी है एक भी ईमानदार नहीं है। कोई भी ईमानदारी के साथ काम करने के लिये तैयार नहीं है। आज तक हरिजनों का रेजर्वेशन इस विभाग में पूरा नहीं हुआ है जब कि एक मंत्री तक हरिजन हैं मेरा निवेदन है कि विभाग में नियुक्तियां करते समय रिजर्वेशन का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाये।

परमिटों के देने में बड़ी धांधली बरती जाती है। जो पैसा थमा देता है उसको तो परमिट मिल जाता है जो पैसे नहीं थमाता उसको परमिट नहीं मिलता। (व्यवधान) इन परमिटों के देने में भी हरिजनों का खयाल नहीं रखा जाता, उनके रिजर्वेशन की पूर्ति यहां भी नहीं की जाती है। 18 प्रतिशत का जो रिजर्वेशन है उसको अवश्य पूरा किया जाये। सन् 52 से कांग्रेस की सरकार जो करती रही है अगर वही यह जनता पार्टी की सरकार भी करेगी तो मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों का भला होनेवाला नहीं है।

मान्यवर, प्रदेश का कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक प्रदेश का बंटवारा नहीं होगा। इस प्रदेश का दो हिस्सों में कम से कम अवश्य बटवारा होना चाहिये—एक तो पूर्व तथा दूसरा पश्चिम। आज पूर्व का आदमी अगर पश्चिम में जाता है तो वह वहां की भाषा नहीं समझता वहां का खानपान उसे नहीं अच्छा लगता, अगर पश्चिम का पूर्व में जाता है तो वहां भी उसकी यही हालत होती है। इसलिये जब तक बटवारा नहीं होगा प्रदेश का, कल्याण नहीं होगा। (व्यवधान) पुरबियों की तो आदत पड़ गयी है शोर मचाने की। अगर हरिजनों का रेजवशन पूरा नहीं होता तो हमारी आशायें धूमिल हो जायेंगी।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी के भाषण से हमें ऐसा लगा कि हमारी राहें कांग्रेसी हैं और हमारी गति भी तेज नहीं हो रही है। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि अगर हमारे चाल नहीं बदली और गति तेज नहीं हुई तो देश का भला नहीं होगा। 1970 में जब डा0 लोहिया ने गैर सरकारी संगठन की बात देश में की थी तो कांग्रेसी खेमों में चिन्ता व्याप्त हो गयी थी और वे यह समझने लगे थे कि हमारा राज्य जाने वाला है। इसलिये उन्होंने हर विभाग में एक सफेद हाथी तैयार कर लिया। वैसे ही परिवहन विभाग में सफेद हाथी राज्य सड़क परिवहन निगम तैयार किया गया है। मैं मंत्री जी से साफ कहूंगा कि आप जरा आंकड़ों को देखें। इसको सरकार ने सन् 72 में परिवहन निगम को सुपुर्द किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, सन् 70-71 में सरकार ने इस पर जो पूंजी लगायी थी उस पर लाभ 15.51 प्रतिशत था। 71-72 मेंयह लाभ 15.33 प्रतिशत हो गया। और 72-73 में जब इसे राज्य सड़क परिवहन निगम को सौंपा गया तो लाभ घटकर 1.42 हो गया। 1975-76 में घाटा हो गया। यह घाटा 3.93 प्रतिशत था। जब घाटा हो गया तो राज्य सड़क परिवहन निगम नें एक चाल चली। शायद उस समय राज मंगल पांडेय जी मंत्री थे, तो 40 सैकड़ा भाड़ा बढ़ा दिया गया। आज 77-78 में 40 सैकड़ा भाड़ा बढ़ाने के बाद भी आपने अप्रैल से दिसम्बर तक लाभ जो दिया है वह 8.87 प्रतिशत है। हम जो ऋण दे रहे हैं उसका ब्याज 15 सैकड़ा द रहे हैं और लाभ 8.87 प्रतिशत ले रहे हैं तो क्या चलेगा, आपका दृष्टिकोण कहां जा रहा है? मैं साफ कहना चाहता हूं कि आप फिर देखें 71-72 में कुल पूंजी लगायी थी 4 लाख 69,896 रुपये की। 77-78 में आपने 80 लाख रुपया लगाया। यानी 15 गुना पूंजी बढ़ गयी। 71-72 में आय हुई 28 करोड़ की और अब 77-78 में 60 करोड़ की आय हुई। केवल 1.14 गुना आय बढ़ी। 15 गुना पूंजी बढ़ी लेकिन आय 1.14 गुना बढ़ी। आप क्या ख्याल करते हैं, क्या देखते हैं अगर इन कारणों को देखा जाय तो मैं आप से साफ कह देना चहता हूं कि इससे एक दूसरा नतीजा आता है। स्टाफ कैंटीन की नीलामी पर, खराब पुर्जों की नीलामी जो होती है और जो विज्ञापन से पैसा आता है अगर उसको अलग-अलग विवरण दे तो दूसरा हिसाब सामने आता है।

मैं साफ कह देना चहता हूं कि अफसर भोग विलास कर रहे हैं। 71-72 में जो स्टाफ कारें थीं उन पर मात्र खर्च होता था 3 हजार प्रतिमास। अब कितना खर्च हो रहा है, 70 लाख 50 हजार रुपया प्रति मास। आपको ख्याल करा दूं। गांधी जी ने कहा था कि देश का जनतंत्र किसको कहते हैं। जब राहों पर चलने वालों की बात सुनी जाय। अगर कारों पर चलने वालें होंगे तो बिगडेंगे। आप सोचिये भ्रष्ट अफसरों को कारें देकर आपने शराबी बना दिया, भोगी बना दिया और राज्य सड़क परिवहन निगम के भोग विलासित का जीवन व्यतीत हो रहा है। मुझे आश्चर्य है कि आपने चेयरमैन किसको बना दिया। राम बहादुर सक्सेना को। 69 से 74 तक सक्सेना चर्चा के विषय थे। अनेक नेताओं ने उनकी अनियमितता और भ्रष्टता का गुणगान किया है। मेरी समझ में नहीं आता कि स्वच्छ प्रशासन, कुशल प्रशासन दे पायेंगे। जिनके खिलाफ इतने पेम्पलेटस्, पुस्तकें या इतने भाषण दिये गये उनको चेयरमैन बनाकर क्या आप चाहते हैं कि आप कुशल प्रशासन दे पायेंगे।

आप देखेंगे कि बड़ी बसें जो होती हैं उनकी चेसिस खरीदी जाती है, बाडी बनायी जाती हैं और नीलाम होती हैं। 1971-72 में चेसिस सीधे टाटा कंपनी से खरीदी गयीं और इसमें सरकार को एक लाख रुपया इनाम के रूप में टाटा कंपनी देती थी। लेकिन अब मंत्री जी चेसिस खरीदते है टाटा से नहीं बल्कि अब चेसिस कोई मोटर सेल्स कम्पनी, लखनऊ में है उससे खरीदते हैं। इस कम्पनी ने 1972-73 से 1975-76 तक 13 लाख रुपया आपकी बसों से कमाया है। 1972-73 में इस विभाग ने चेसिस का भुगतान पहले कर दिया, जबकि अन्य विभागों में यह होता है कि माल पहले आता है, परीक्षण होता है और तब भुगतान होता है इस विभाग ने मोटर सेल्स कंपनी को 1972-73 में 321 चेसिसों का भुगतान पहले कर दिया जब कि पाया है 270 चसिसें। 1973-74 में भुगतान किया पहल 579 चेसिस का और पाया 475। इसी प्रकार 1975-76 में भुगतान हुआ 641 चेसिसों का और पाया 415 चेसिस। इस विभाग को जो धनराशि मिलती है उस पर ब्याज दे रहे हैं 15 प्रतिशत और लाभकारी रहे है 8.87 प्रतिशत के हिसाब से। मैने इस संबंध में दरख्वास्त दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिये। लेकिन नवम्बर से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। संजय गांधी

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]
भी इसमें आते थे और उनकी तरफ से एक फर्म ने टेन्डर दिया,उनका हाइएस्ट टेन्डर था। लखनऊ की कोई कंपनी है उसका टेन्डर लोएस्ट था जिसको स्वीकार नहीं किया गया लेकिन हाएस्ट टेन्डर को स्वीकार किया गया चूंकि संजय को देना जरूरी था। इसलिये यहां के अधिकारियों ने साजिश करके एक मध्यवर्ती मार्ग निकाला और उन्हीं को दे दिया। इस तरह से विभाग का इसमें 7–8 लाख रुपया चला गया। मैंने इस संबंध में भी मंत्री जी को दरख्वास्त दिया है। इसलिये मैं साफ कहना चाहता हूं कि यदि मंत्री जी आप चाहते हैं कि परिवर्तन की हवा बहे तो आपको घोषणा करनी होगी, सफेद हाथी को समाप्त करना होगा और सरकार को निगम को अपने हाथ में लेना होगा।

मान्यवर,भ्रष्टाचार के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग म भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमारे बलिया जनपद में चुनौती देकर मैं कहता हूं कि बसें, मिनी बसें, ट्रैक्टर आदि 50 प्रतिशत के बाद कोई रूट परमिट नहीं है। बलिया में बांसडीह रोड में 21 बसों के पास कोई परमिट नहीं है। हमारी मान्यता है कि भ्रष्टाचार गंगोत्री से चलता है। इस विभाग में भ्रष्टाचार है। आप अपने हृदय को टटोलें कि भ्रष्टाचार क्यों है ? मंत्री जी यदि इसको न रोक पाये तो इससे जनतंत्र का खात्मा होगा। यदि भ्रष्टाचार रहेगा तो जिसके लिये जनता ने हमको 1977 में यहां भेजा है कि जनतंत्र कि रक्षा हो और भ्रष्टाचार मिटे इसलिये मंत्री जी इस भ्रष्टाचार को मिटायें और जनतंत्र की रक्षा करें। आपको इसमें कठोर होना पड़ेगा। शासन कठोरता से चलता है। आपके बिभाग में यह हो रहा है कि डिपो बढ़ायेंगे। डिपो में खड़े होकर अगर आप देखें तो पायेंगे कि मोटर सेल्स से सप्लाई हुए फरजी पुर्जे बजाय असली के बसों में लगे हुए होते हैं। जिनके खरीदने में अधिकारियों की सांठ-गांठ रहती है। लंबी-लंबी रिश्वतें खा जाते हैं। इन अधिकारियों के लिये अलग गाड़ियां होती हैं, इनकी बीवियों के के लिए अलग और इनकी सुन्दरियों के लिये अलग कारें होती हैं। क्या मजाक सा हो गया है इस विभाग में। इसलिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सफेद हाथी को जिसे कांग्रेसी शासन को मजबूर होकर पालना पड़ा इसको खत्म कीजिये और अपने हाथ में लीजिए तभी आपकी, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी पूरी होगी। इन शब्दों के साथ चूंकि परिवहन विभाग को चलना ही है, इसलिए मैं परिवहन मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

*श्री कासिम हसन (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया। मैं मंत्री जी के समक्ष आपके माध्यम से कुछ सुझाव रखना चाहता हूं।

अपने बजट भाषण में उन्होंने कुछ प्रगति दिखाई है और यह विश्वास दिलाया है कि जनहित को ध्यान में रख कर समस्त कार्य पूरा किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 12 रीजन्स को बढ़ा कर 18 कर दिया जाएगा। चार हजार समथिंग से बढ़ कर 5,076 बसें हो गई हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि इस विभाग में जितना भ्रष्टाचार और बेईमानी है, इसकी मिसाल कहीं ढूंढ़ने से भी नहीं मिलती।

जितनी भी आमदनी इस विभाग से होती है उसका 60 प्रतिशत भाग तो सरकारी खजाने में जमा हो जाता है और शेष 40 प्रतिशत इस विभाग के अधिकारी अपने कर्मचारियों के माध्यम से साफ कर देते हैं। हजारों मामले इस तरह के मंत्री जी की नालेज में है। अभी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी ने बताया कि 72 डिपोज से बढ़ा कर 130 करने जा रहे हैं। मान्यवर, जिन डिपोज और वर्कशाप में बड़ी बेईमानी और भ्रष्टाचार है। जो मोबिल आयल इन बसों के लिये आता है, वह गायब कर दिया जाता है। नई बसों के खरीदने के बारे में मंत्री जी ने फरमाया है: कि नए रूटों पर नई बसें चलाने जा रहे हैं। मैं यह जनना चाहता हूं कि ये बसें कितने दिनों तक नई रहती हैं। आप प्राइवेट बसों को देखें 4—5 साल बाद भी ऐसा मालूम होता है कि वे अभी अभी नई बनी चली आ रही हैं। लेकिन रोडवेज की इन नई बसों को देखें तो पता चलेगा कि ये इतनी खचड़ा हालत में हैं कि इन पर बैठना भी खतरे से खाली नहीं होता। इन गाड़ियों पर हजारों लोग सफर करते हैं। इस विभाग से रेलवे के बाद सबसे ज्यादा आमदनी सरकार को होती है। लेकिन जितनी होनी चाहिये, उसकी कल्पना के अनुसार नहीं हो पाती। बहुत ज्यादा सरकार को नुकसान इस निगम द्वारा पहुंचाया जा रहा है। दिन दहाड़े रोडवेज के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी-बड़ी रकमों पर हाथ साफ कर देते हैं। बसों में डनलप के गद्दों की सीटें लगाई जाती हैं जिनमें न डनलप निकाल कर जूट भर दिया जाता है और इस डनलप के ये लोग तकिये और बिस्तरे बना लेते हैं। वर्कशाप से नई-नई बसों के पुरजे निकाल कर बाजार में बेच दिये जाते हैं और पुरानी बसों के पुर्जे लगा कर काम चलाया जाता है जिससे सरकार द्वारा दी गई नई बस पुरानी में कन्वर्ट हो जाती है। बसों की मेन्टीनेन्स, सफाई और पुर्जों के लिये काफी धन सरकार द्वारा एलाट किया जाता है, वह सब इन लोगों द्वारा साफ कर दिया जाता है।

मैं घाटमपुर बस स्टेशन का जिक्र कर दूं जो कानपुर जिले में आता है, इनको बने हुए दो साल भी नहीं हुए हैं, बारिश में वहां पानी भर जाता है। पता नहीं किस तरह से वहां के इंजीनियरों और मेकेनिकों ने उसे गड्ढेदार बनाया था। बरसात का सारा पानी भर जाता है और जब पबलिक ने चिल्लाया तो फिर मरम्मत करा दी, उसके बाद न बालू डाली गई, न सही मरम्मत कराई गई। उसके बने हुए साल भर हुआ है लेकिन जमीन धंस गई है। ट्रान्सपोर्ट में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक है। मैं नहीं कहता कि सभी बेईमान हैं लेकिन यकीन के साथ कह सकता हूं कि जितना भ्रष्टाचार यहां पर है उतना और कहीं शायद नहीं होगा। क्या आर0एम0 हों क्या स्टेशन आफिसर हो और क्या आर0टी0ओ0, सभी की हालत एक सी है। आर0टी0ओ0 की आमदनी का क्या कहना, अगर उसको आ जरूरत पड़े 20 हजार रुपये की तो वह दिन में रोड पर खड़े होकर पैदा कर सकता है। हमारी बसें कम्फर्टएबुल भी नहीं हैं, जो बसें वर्कशाप से निकल कर आती है वे सही ढंग से, महीने भर भी नही चल पाती हैं। नट बोल्ट भी अगर लूज हो जाता हो तो खड़ी कर दी जाती है, और उस रूट पर बसें कटेल रहती है लेकिन अधिकारी लोग इतना ख्याल भी नहीं करते हैं कि खाली नट बोल्ट ढीला है। उसको फौरन ठीक करवा दिया जाय। कई दिन तक पबलिक को तकलीफ होती है। रोडवेज के अन्दर भ्रटाचार पिछल दिनों से ही चला आ रहा है। आज वह महानुभाव निगम की ऊंची कुर्सी पर हैं जिनक जमाने में 26 बसें इलक्शन के लिए रवाना की गई थी और जिसका कोई रिकार्ड अंकित नहीं किया गया, मेरठ सुल्तानपुर और रायबरेली के चुनाव की बात है। किस ढंग से इन बसों को रवाना किया गया, कुछ पता नहीं लेकिन वही महानुभाव आज सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए हैं। शादी विवाह के लिये जरूरत होती है तो बस भुगतान पर मिलती है लेकिन इलेक्शन के लिये इन्हीं महानुभाव ने फ्री बसें दी।

मैं कुछ संशोधन की बात करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी के लिए कहना चाहता हूं कि रोडवेज एक अहम महकमा है और जो कि आपके पास है, मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ संशोधन

[श्री कासिम हसन]

करें जिससे कुछ आमदनी बढ़े। आपने कहा कि पहले 41 करोड़ समथिंग आमदनी थी और अब 45 करोड़ समथिंग आमदनी हो गई। यह कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, दिन पर दिन आबादी बढ़ रही है, दो तीन या चार मील पर भी किसी को जाना होता है तो बस की आवश्यकता होती है। कानपुर में एक कलेक्टरगंज बस स्टेशन है, उसकी आमदनी के बारे में मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं, 15 विधायकों की तरफसे लिख कर भी दिया गया था, अब से 6 महीने पहले खाली कलेक्टरगंज की आमदनी 38 से 42 हजार रु0 रोज की थी और आज वही आमदनी 18 से 22 हजार रु0 हो गई है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि रोडवेज के कर्मचारी, पुलिस विभाग के लोग तथा कुछ और लोगों की सांठगांठ से, उस रूट पर प्राइवेट गाड़ियां एलाउड नहीं हैं, लेकिन धड़ाके से प्राइवेट बसें चल रही हैं। माननीय सदस्य भी इसको चेक कर सकते हैं। वगैर परमिट के इस रूट पर प्राइवेट बसें क्यों चल रही हैं, इस पर मंत्री जी क्यों खामोश हैं, इनके आफिसर नहीं जानते हैं जो मेन रूट है, कानपुर से लखनऊ, जिस पर माननीय सदस्य हमेशा आते जाते रहते है, उस पर न जाने कितनी ही लारियां गुजरती हैं जो ट्रान्सपोर्ट से अटैच्ड नहीं हैं। बहुत कुछ बसेज अटैच की गई हैं और बाकी वगैर परमिट के चल रही हैं। यह क्यों चल रही हैं। यह सिर्फ एक रूट की बात नहीं है बाकी बहुत से ऐसे रूट्स हैं जहां पर कि प्राइवेट लारीज और बसें वगैर परमिट के चल रही हैं और इससे हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जब वह इस कुर्सी पर बैठे हैं तो आप मंत्री की शक्ल में एक मिसाल पेश करें और आमदनी इस विभाग की बढ़ाकर एक मिसाल पेश करें जिससे कि आप इस सदन के माननीय सदस्यों की तरफ से बधाई के पात्र बनें। मैं चाहूंगा कि परिवहन विभाग की आपके जरिये से इतनी सफाई हो कि जो भी भ्रष्टाचार उसमें फैला हुआ है, वह खत्म हो जाय, साथ ही साथ जो नौकरशाही बढ़ी हुई है, उसको कम करें।

मान्यवर, मैं एक रूट के बारे में और भी बतला देना चाहता हूं। मैं अभी 10 फरवरी को नैनीताल गया था और वहां से पंतनगर होकर रामपुर भी गया था। पंथनगर से रामपुर का रूट बहुत ही बढ़िया रूट है लेकिन वहां पर रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं। मैंने जब मालूम किया तो यह पता चला कि वहां पर 37 प्राइवेट लारियां चल रही हैं लेकिन रोडवेज की एक भी वहां पर उस रूट पर नहीं चल रही हैं। उस रूट पर मैंने देखा कि बहुत ज्यादा पैसेन्जर्स निकलते हैं और प्राइवेट बसों में इतनी भीड़ होती है कि लोग लटक कर और यहां तक कि छतों पर बैठकर चलते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उस रूट पर 4, 6 बसें रोडवेज की चलवा दें जिससे इस विभाग की आमदनी में इजाफा हो सकें। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे रूट्स हैं कि उनको अगर हम ले लें तो . . . .।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें, उनका समय समाप्त हो गया। बस केवल 2 मिनट में ही वे अपना भाषण समाप्त करें।

श्री कासिम हसन—

मान्यवर, मुझे बहुत बोलना है और मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया गया है। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। रूट्स पर बसें और बढ़ाई जायं। जो 5476 बसें हैं, वह बहुत ही नाकाफी हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी 10 करोड़ से भी ज्यादा है। 80 हजार पैसेंन्जर्स का रोज आवागमन होता है और रोडवेज की बसों के सभी रूट्स पर न चलने की वजह से प्राइवेट लारियों के मालिकों को बड़ा फायदा हो रहा है। इस वजह से हमारे प्रदेश को बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ रही है।

मान्यवर, मैं डिपोज के बारे में भी कुछ अर्ज कर देना चाहता हूं। डिपोज का वक्त पर बराबर सर्वे न करना भ्रष्टाचार को बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है। इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि डिपोज का यकायक सर्वे कराने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड्स बनाये जायें और उसमें सर्वे करने के लिए माननीय सदस्यगण भी नियुक्त किए जायें जो कि आर० एम० और ए० आर० एम० को पकड़े और डिपो को चेक करें। मैं यह भी बता दूं कि डिपोज में जुआ भी होता है और चोरी भी बहुत होती रहती है। अगर आप मेरा यह सुझाव मानेंगे तो चोरी बहुत हद तक रुक सकती हैं।

मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि बसों को और भी ज्यादा कम्फर्टेबुल बनाया जाय। जो बसें कि लांग रूट्स पर 150 किलोमीटर से ज्यादा लम्बे रूट्स पर चलती हैं उनको और भी ज्यादा आराम देह होना चाहिये ताकि पैसेन्जर्स को अधिक से अधिक आराम पहुंच सकें। जिस तरह से प्राइवेट लारी वाले अपन पैसेन्जर्स को बेहतरीन सीटें अपनी बसों में देते हैं, उसी तरह से हमारी रोडवेज की बसों में भी आरामदेह सीटें होनी चाहिये ताकि रोडवेज से सफर करने की तरफ पैसेन्जर्स का झुकाव हो और वह रेल या प्राइवेट लारियों मे सफर करना न पसन्द करें। आपको इसके लिए चाहे किराया ही क्यों न बढ़ाना पड़े, आप लम्बे रूट्स पर चलने वाली बसों में आरामदेह सीटों की व्यवस्था जरूर करें।

मान्यवर, मैं एक बात कानपुर के कलेक्टरगंज बस के डिपो के बारे में भी कह देना जरूरी समझता हूं कि माननीय मंत्री जी उस डिपो का मुआइना मेहरबानी करके जरूर करें। माननीय मंत्री जी कानपुर गए थे ....।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री कासिम हसन—

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। कानपुर के कलेक्टर गंज बस डिपो की जो बिगड़ी हुई हालत है, उसको सुधारा जाय। अगर उसकी व्यवस्था इसी बजट में कर सकें तो पैसेन्जर्स को बड़ा आराम होगा, क्योंकि वहां पर पैसेन्जर्स बहुत ज्यादा निकलते हैं।

मान्यवर, दूसरी चीज यह है कि इलाहाबाद के बारे में मैंने माननीय मंत्री जी को बजट भाषण की पार्टी में बताया था। कलेक्टरगंज से जो इलाहाबाद का रूट है, वहां पर आज टिन शेड्स जो बने हैं वे टीन के बने हुए हैं जिसकी वजह से पैसेन्जर्स को गरमी के दिनों में वहां पर बैठने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि वहां पर टीन हटवा कर लकड़ी के शेड्स डलवा दिये जायें और बाकी जब वह ठीक से बनेंगे तो बनते रहेंगे। फिलहाल इतनी व्यवस्था करवा दी जाय। जो हमारे बस स्टेशन्स हैं, वहां पर पैसेन्जर्स को पानी पीने की बड़ी दिक्कत होती है और बैठने के लिए उनके लिए हर जगह पर व्यवस्था भी नहीं है। हालांकि वह कुछ जगहों पर है। इसलिए उसकी भी सुविधा जल्दी से जल्दी करा दें ताकि हमारे पैसेजर्स को कोई कठिनाई रोडवेज से सफर करने में न महसूस हो।

*श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, यह परिवहन विभाग ऐसा विभाग है। जिसका महत्व न केवल हमारे प्रदेश के लिए है बल्कि पूरे देश के लिए है। इसलिए है क्योंकि इसका संबंध और पड़ोसी राज्यों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामधर मिश्र]

से है। लेकिन जितना ही महत्वपूर्ण विभाग है उतना ही टेढ़ा या पेचीदा विभाग है और उतने ही सीधे मंत्री हैं। इतना टेढ़ा विभाग और इतने सीधे मंत्री (हंसी) हमें तो सीधे लगते हैं पता नहीं विभाग बतायेगा कि कितने सीधे हैं। हम तो पहले से जानते हैं कि बड़े सीधे मंत्री हैं। जो दशा दुर्दशा है, हम आशा करते हैं कि ऐसा न हो, लेकिन जो दुर्दशा इस विभाग द्वारा प्रदेश की हुई या हो रही है या पहले हुई उसको बचायें। अभी माननीय शम्भू नाथ जी कह रहे थे यह तो सफेद हाथी है। निगम के बारे में कह रहे थे। मैं तो उनसे सहमत नहीं हूं इस बात मे। अगर व्यापारिक विभाग है तो व्यापारिक विभाग और किस दिशा में, कैसे चलेगा। एक निगम के चलने का प्रस्ताव है। अगर उनका सुझाव सरकार के चलाने स है तो वही सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी चलावें तो वह काला हाथी हो जायेगा और बदरंग हो जायगा, सफेद से भी खराब हो जायगा। कैसे चलायें मैं जानना चाहता हूं।

श्रीमन्, तमाम बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। दो पुस्तिकायें पतली-पतली प्रकाशित की गयी हैं। हमारे सामने हैं। एक हरी और एक सफेद। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि इस में थोड़ा और ब्योरा मिलेगा, कम से कम इस बात का ब्योरा मिलेगी कि जो खर्च हुआ है हमने देखा जहां तक मेरी याददाश्त है इसमें 36 करोड़ तक खर्च हुआ और चीजों को छोड़ कर। इसमें कितना डिजिल पर हुआ और चीजों पर हुआ इसका ब्योरा हमको नहीं मिला। किसी और पुस्तिका में हो तो मुझे मालूम नहीं है। थोड़ा ब्योरा देना चाहिए था।

श्रीमन्, आप देखें इस सफेद वाली पुस्तिका के पेज 5 पर। इसमें कहा गया है कि योजना के चतुर्थ वर्ष यानी 1977–78 के लिए राज्यगत योजना में परिवहन परियोजना के लिए निगम के आन्तरिक संसाधनों से सुलभ धनराशि में से केवल 760 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गयी है। इस धनराशि से प्रतिस्थापनार्थ 347 बसों के क्रय करने तथा 562 पुरानी बसों के जीर्णोद्धार करने की व्यवस्था की गयी है। इस वर्ष के प्रथम 10 महीनों में परिवहन निगम द्वारा 54 बसें क्रय की जा चुकी हैं। अब श्रीमन्, आप देखें जो इन्होंने साल भर के लिए व्यवस्था खरीदने की की वह 347 बसों की की और दस महीनों में खरीदी 54 बसें। मैं जानना चाहता हूं कि 347 में से 54 ही क्यों खरीदीं, क्या दिक्कत थी, क्या पत्र नहीं मिल रहा है या जरूरत नहीं है या पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा तो बजट में था? क्यों लैप्स हो रहा है। क्यों खर्च नहीं हो रहा है? । साथ ही साथ श्रीमन्, पेज 6 पर देखें। इसमें दिया गया है कि कितनी बसें हैं, कितने ट्रक हैं, कितनी टक्सीज हैं। करीब 5500 बसें, 164 ट्रक, 300 टैक्सीज हैं। फिर 76–77 में 30 करोड़ 68 लाख किलोमीटर की बसों ने यात्रा की लेकिन 77–78 में 9 महीने में 23 करोड़ 86 लाख यात्री हुए और 9 महीनों में 12 महीने कों बांट दिया जाय तो ज्ञात होगा कि 75–76, 76–77 में जहां हर साल बढ़ोत्तरी हुई वहां इस साल नहीं हुई। अब आप पृष्ठ 6–7 देखें तो 76–77 में यात्री 35 करोड़ चले और 9 महीने में 77–78 में 27 करोड़ ही चले। इस पुस्तिका में मैंने देखा है कि पहले हर साल करीब-करीब 10 फीसदी यात्रियों की संख्या बढ़ती गयी लेकिन अगर आप हिसाब लगा कर देखें तो पता चलेगा कि जब से आपका आगमन हुआ, क्रान्ति युग आया तथा काला युग गया तब से 10 फीसदी यात्री कम चल रहे हैं। इसमें कहीं लीकेज है। सही बात यह है कि यात्री चल रहे हैं। पहले सख्ती थी जिसे आप नापसन्द करते थे। एमरजेंसी की सख्ती थी जिससे लोग टिकट ले कर चलते थे और अब चलते हैं तो बिना टिकट लिये चलते हैं। या फिर नीचे के लोग मिले जुले हैं। इस तरह से लीकेज बहुत है।

इसी तरह से दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में आप देखें। माननीय सेठी जी ने भी बताया कि दुर्घटनायें बहुत हो रही हैं। मैं अपने नहीं, आपके दिये आंकड़े बतला रहा हूं। आपकी पुस्तिका में लिखा है कि 77–78 में दो लाख कुछ हजार के क्लेम आये जबकि इस साल 10 लाख के क्लेम बने। 77–78 में आपने दो लाख कुछ हजार रुपया दिया और इस साल 10 लाख में 5 लाख दे दिया है और 5 लाख आवंटित करना है। 77–78 में ढाई लाख में पूरा सेटिल

कर लिया। क्लेम ही नहीं आये, क्योंकि एक्सिडेंट नहीं हुये थे इतने। तो क्या कारण है आपके युग में, क्रान्ति के युग में जब से आपका पदार्पण हुआ इतने एक्सिडेंट बढ़ गये। माननीय मंत्री जी से मैं अपेक्षा करता हूं कि इन बातों पर आप थोड़ी रोशनी डालेंगे। सफेद पुस्तिका में आप पन्ना 23 देखेंगे। बड़ी क्लिष्ट हिन्दी लिखी है। मैं इसे नहीं समझता। मैं अयोग्य जरूर हूं। ऐसी क्लिष्ट हिन्दी केवल शतरुद्र प्रकाश ही समझ सकते हैं। वह हिन्दी के ज्ञाता हैं या फिर उप मंत्री जी उसे समझ सकते होंगे या विभाग जानता होगा। कम से कम मैं अयोग्य आदमी नहीं जानता। इतनी क्लिष्ट हिन्दी लिखी है मंत्री जी जानते होंगे मैं नहीं समझता हूं। लिखा है वर्ष 1977–78 में परिवहन निगम के लिये अनेक अनियंत्रित वाह्यचरों के प्रतिकूल प्रभाव का वर्ष रहा है। आन्तरिक चौकसी के बाद भी परिहन निगम का परिचालन इन तत्वों के फलस्वरूप विपरीतत: प्रभावित हुआ है। अन्यथा चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 9 मासों में निगम का शुद्ध लाभ 145.46 लाख रुपये की अपेक्षा काफी अधिक होता। श्रीमन्, पिछले साल 2 करोड़ 88 लाख रुपया शुद्ध लाभ हुआ था। इस साल 9 महीने में वह केवल 1 करोड़ 45 लाख शुद्ध लाभ दिखाया गया है। और इसमें उन्होंने अपनी लाचारी दिखाई है कि बाहर के लोग चर गये। कौन बाहरी लोग चर गये यह तो शतरुद्र प्रकाश जी बतायेंगे। लेकिन यह सब क्या है। हम तो आशा करते थे कि यह विभाग तरक्की करेगा लेकिन 10 फीसदी का 3 फीसदी में आ गया।

श्रीमन्, 50 करोड़ की पूंजी इस संस्थान में लगी हुई है और 57 करोड़ के करीब करीब पिछले साल और इस साल इसमें काम हुआ है। एक की पूंजी और एक का कार्य - शतरुद्र प्रकाश जी एक व्यवसायी कम्युनिटी के हैं वे बतायेंगे कि यदि हम किसी व्यापार में 100 रुपया लगाते हैं तो 200 रुपये होना चाहिए, एक लाख लगाते हैं तो दो लाख होना चाहिये यानी 1:2 होना चाहिये। लेकिन यहां 50 करोड़ के व्यापार में 100 करोड़ होना चाहिये था। यहां केवल 57 करोड़ ही क्यों हुआ ? यह एक लीकेज है। आप कह सकते हैं कि पहले से चला आ रहा है। मुझे इसमें सन्तोष नहीं है। पहले की नालायकी का मैं जवाब नहीं दे सकता हूं लेकिन आपको इसमें सुधार करना चाहिये।

श्रीमन्, बहुत सी समस्यायें 24 वें पन्ने पर दी गई हैं। एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब हम अपने यहां हर जगह देखते हैं तो दुर्भाग्य की बात यह है कि जितने रूट्स हाईवेज प्रदेश में हैं उनमें 2/3 रूट्स पर नेशनलाइड रूट्स हैं और 1/3 पर नान-नेशनलाइज्ड रूट्स हैं लेकिन इन 1/3 नान-नेशनलाइज्ड रूट्स पर उतनी बसें चलती है जितनी कि 2/3 नेशनलाइज्ड रूट पर। इसका पता लगाना चाहिये, कि आखिर यह क्या बात है। इन्होंने एक नयी परम्परा कायम की है। जहां पहले यह तय था कि राष्ट्रीयकरण फैलेगा अब यह हो गया कि राष्ट्रीयकरण सिकुड़ेगा। जहां प्राइवेट बसें चलती हैं वहां आपकी बसें चलनी चाहिए और जहां आपकी बसें चलती है वहां प्राइवेट बसों को न चलने दिया जाय। मैंने जान बूझकर बीच में इन्टरप्रेट किया था कि जहां आपकी और प्राइवेट बसें साथ-साथ चलती हैं नेशनलाइज्ड रूट पर, उनमें आपके ड्राइवर और कन्डक्टर डीजेल बेच लेते हैं। आगे प्राइवेट वाले चलते हैं और पीछे आपके आपरेटर चलते हैं। तो आपकी आमदनी कम हो जाती है और आपका पैसा भी चला जाता है।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, एक दो बातें कह कर खत्म करता हूं। आपको कृपा होगी अगर समय दे दें एक मिसाल के रूप म बताना चाहता हूं आगरा में सिकन्दराबाद जलेश्वर मार्ग है जो 80 कि0

[श्री श्यामधर मिश्र]

मीटर मेटल्ड रोड है। उस पर आपने रोडवेज की बस नहीं चलाई और प्राइवेट बस चलवा दी। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी आखिर क्या नीति है ?

यह खुशी की बात है कि इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं 3 प्रतिशत वाली बात वह पहले से थी वह अच्छी चीज है अवमूल्यन के संबंध में। इसमें 6, 7 करोड़ हर साल जमा होता है यह एक तरह से छिपा हुआ मुनाफा है। लेकिन करप्शन जो है उसको दूर कराईये। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा ड्राईवरों के संबंध में, गाड़ियों के संबंध में और लाईसेंस देने के संबंध में और टूरिज्म के संबंध में, इस पर ध्यान दें। आप ने लाल बत्ती कर दी मैं जल्दी समाप्त करता हूं। हमारे उप मंत्री जी बैठे हैं टूरिज्म के संबंध में बतायेंगे। बड़े जोश से वह भाषण करते हैं पहले भी किया था आज भी हम सुनने को बैठे हैं। मैं कहूंगा यहां आप श्रीनगर और दार्जिलिंग बना दो। इसके लिए कोशिश करिये हम आपको सहयोग देंगे लेकिन प्रयास आपका होना चाहिये। आपकी क्या दिक्कतें हैं इसको आप बताइयें।

एक बात कह कर श्रीमन्, खत्म करता हूं। आपने यात्री कर लिया, माल कर लिया और रजिस्ट्रेशन कर लिया, मुझे समय नहीं है नहीं तो मैं डिटेल में बताता। यहां पर डबुल टैक्सेशन हो रहा है। एक बार बसों पर लेते हैं फिर पसेन्जरसेलेते हैं और माल का अलग लेते हैं। तो 40 करोड़ तो इससे ही हो जाता है। यह डबुल टैक्सेशन है। अगर सरकार के खिलाफ कोई रिट कर देता तो वह मंजूर हो जाती।

मैं यहां के ड्राइवरों को बधाई देता हूं कि जिन परिस्थितियों में वह गाड़ियां चलाते हैं। इस देश में जो परिस्थितियां हैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी की जितनी निकम्मी सड़कें हैं, वह इस वक्त यहां पर नहीं है वह नोट कर लें जब उनका अनुदान आयेगा तो बताऊंगा, हमारे ड्राईवर किन परिस्थितियों में गाड़ी चलाते हैं। बस और ट्रक्स का जो जीवन काल है वह उतना नहीं होना चाहिये। 10, 20 वर्ष तक वह चल रही हैं। इनकी जिन्दगी कम की जाय। यह जो करप्शन हो रहा है यह इसीलिए हो रहा है। शराब पीकर लोग गाड़ी चला रहे हैं। ड्राईवर लोग बड़ी विपरीत परिस्थितियों में हिन्दुस्तान में गाड़ियां चला रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन जो भ्रष्टाचार है वह समाप्त हो।

जौनपुर में बादशाहपुर डिपो खोलने की मंजूरी पिछले साल दे दी थी लेकिन वह अभी तक नहीं खुला है। दो साल हो गये है इसका क्या कारण है ?

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों के समर्थन में अपने विचार रख रहा हूं। प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए सर्वप्रथम 5 जून, 1972 को निगम के रूप में रोडवेज परिवर्तित हो गई। रोडवेज के समय मुख्यालय का जो खर्चा था वह 4 लाख 69 हजार था और इस समय श्रीमन्, उसी मुख्यालय पर करीब 70 लाख का खर्चा हो रहा है। किस तरह स हम तरक्की कर रहे हैं ? उस समय केवल तीन स्टाफ कारें थीं। इस समय लगभग 50 स्टाफ कारें हैं। उस समय मुख्यालय पर तीन अधिकारी थे और इस समय लगभग 50 अधिकारी सेवारत हैं। यही एक ऐसा विभाग है जिसमें कोई नियम ही नहीं है। न कोई कायदा कानून है। मनमाने तरीके से चलाया जाता है। हमारी जो आमदनी है उसक आधार पर हमें खर्च करने का प्रयास करना चाहिए।

परिवहन मंत्री जी का ध्यान मैं दो तीन बातों की तरफ दिलाना चाहूंगा। पिछली सरकार में आपातकाल में जिन अधिकारियों ने संजय गांधीकी मारुति कम्पनी के माध्यम से बसों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाडी बनवाने का काम किया लाखों रुपया जो हड़पा, इस विभाग को लूट खसोट का अड्डा बनाया, उन पर अभियोग है, उसकी जांच चल रही है लेकिन कुछ लोग अब भी मुख्यालय पर सेवारत हैं और कुछ लोगों को तरक्की देकर बाहर भेज दिया गया है। मैं चाहूंगा कि जिस विभाग में वह गये हों, उन पर अभियोग की प्रक्रिया जारी रहे और उन पर कार्यवाही हो। सुना है कि हमारे मंत्री जी कुछ रीजन बना रहे हैं, प्रदेश के कुछ हिस्सों में, नये रीजनों का निर्माण करने जा रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि भूल कर ऐसा न करें। रीजन बनाने के बाद हालत यह होगी कि अधिकारी और कारें बढ़ेंगी और छोटे कर्मचारियों, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का शोषण होगा। आमदनी कुछ नहीं बढ़ेगी। सुना है पांच रीजन बढ़ेंगे। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आमदनी बढ़ी है। अभी एक माननीय सदस्य ने कानपुर की आमदनी की चर्चा की।

लखनऊ में एक रीजन की बात मैं कहता हूं। उसमें एक लाख से अधिक आय थी। वही जनवरी से लेकर अप्रैल तक 30 हजार रुपये का घाटा दे रहा है। किन कारणों से घाटा है मैं आपको केवल सुझाव देना चाहता हूं। (इस समय 2 बजकर 47 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए।) छापा मार दस्ता है, गोदाम सत्यापन का दस्ता है, विजिलेंस का दस्ता है। इनके पास स्टाफ कारें हैं। इस तरह से विभाग की कोई आवश्यकता नहीं है जो केवल खर्चे को जुड़वाये और आमदनी पैदा न करें। आप इसकी जगह पर प्रदेश के स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिये एक सेल कायम कर दीजिये। मुझे अफसोस है कि मंत्री जी के राज्य में लाखों रुपये की चोरी करने वाले का कुछ नहीं होता लेकिन दो, ढाई, तीन दस रुपये की चोरी करने वाला दंडित हो जाता है। दोनों में भिन्नता आनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि जो कर्मचारी दोषी पाया जाता है तीन महीने के अन्दर नोटिस देकर, कार्यवाही करके निस्तारण कर दीजिये। तीसरी बात यह है कि कहा गया था कि आपात काल में जो निकाले गये हैं उनको हम ले लेंगे। मुझे बड़ी तकलीफ है कि आपात काल में निकाले गये लोगों की पलटन खड़ी हुई है। उनकी फाइलें ही नहीं निकलती हैं, उनका निस्तारण ही नहीं किया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप 3 महीने के अन्दर ऐसी व्यवस्था करें जिससे लोगों को न्याय मिल सके।

मान्यवर, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर आपकी बसें भी चलती हैं और प्राइवेट बसें भी चलती हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जहां पर आपके निगम की बसें चलें वहां पर प्राइवेट बसों को चलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। अगर चलती हैं तो उन्हें रोकने की कृपा करें। एक अन्य चीज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो रीजन जितनी आमदनी करे तो उस रीजन के लोगों को उसी हिसाब से प्रोत्साहन देना चाहिये। इस विभाग में सेवारत जूनियर इंजीनियर हैं। 15–15 साल हो गये हैं लेकिन उनका स्थायीकरण नहीं किया गया है। उनको स्थायी कर दिया जाना चाहिये। सभी अधिकारी अपने ढंग से काम करते हैं। कार के सिलसिले में काफी भ्रष्टाचार किया जाता है। तो कार को गैराज में खड़ा करना चाहिये और जब जिस अधिकारी को सरकारी कार्य के लिए जरूरत हो तो उसे मिल जानी चाहिये।

डिपो स्तर पर कल पुर्जा के खरीदने की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसके लिये या तो कोई अधिकारी नियुक्त किया जाये या किसी कमेटी के जिम्मे यह काम सौंप दिया जाय। इसके साथ ही साथ कुछ कल पुर्जे चालक को भी दे दिये जाने चाहिये, जिससे जो बस रास्ते में खराब हो जाती है तो वह चालक उसको ठीक कर सकें। अगर कहीं पर बस का एक्सीडेंट हो जाता है तो चालक को अपने पैसे से मुकदमा लड़ना पड़ता है अतः इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन

[श्री हरिकेवल प्रसाद]

है कि अगर बस का एक्सीडेंट हो जाता है तो विभाग की जिम्मेदारी होनी चाहिये। जितने बड़े-बड़े स्टेशन हैं वहां पर शौचालय और स्नानगृहों की कमी है। वहां पर इनकी सुचारु रूप से व्यवस्था की जानी चाहिये हमारे यहां पर कुशी नगर एक बड़ा पर्यटन केन्द्र है इसकी सजावट में पिछले साल 2 लाख रूपया का प्राविधान था और इस बार 5 लाख का प्राविधान किया गया है। यह रूपया खर्च नहीं हुआ। कुशी नगर भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली है, इसको कम से कम पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनाना चाहिए।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं जहां तक समझता हूं कि माननीय मंत्री जी बड़े भोले हैं या असहाय हैं। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो मंत्री जी जिस कुर्सी पर बैठते हैं और जिस गाड़ी पर बैठते हैं वह उस सीट के नीचे भी हैं। अभी हाल में माननीय, कैबनेट स्तर के एक मंत्री की कार के ड्राइवर को रोडवेज के कुछ लोगों ने मार दिया और उसके बाद सारे के सारे मंत्रियों के ड्राइवरों ने फैसला कर लिया कि हम लोग वर्क शॉप में गाड़ी बनवाने के लिये नहीं जायेंगे और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक या डेढ़ महीने तक जो हमारे मंत्री हैं, उनकी गाड़ियां वर्कशाप में जाकर नहीं बनती थीं और इतना ही नहीं माननीय, बल्कि आप जिस एम्बेसेडर कार में चलते हैं उसमें भी जितने कल पुर्जे हैं वे नकली हैं और फर्जी रसीद तक बनायी जाती हैं। विभाग यहां तक भ्रष्टाचार बढ़ गया है अगर इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को नहीं है तो भोले हैं और अगर है तो वे असहाय हैं या दोनों हैं, मैं नहीं कह सकता।

कभी-कभी भ्रष्टाचार काले कानूनों से भी बढ़ा करता है। आपने 5 कबाल टाउन्स के लिए, बनारस भी उनमें से एक आता है। वहां पर एक आदेश जारी कर दिया कि जितनी भी टैक्सियां चलेंगी उनमें मीटर लगेंगे और बड़े जोर के साथ बनारस में यह नियम लागू कर दिया लेकिन आप जाकर देख लीजिए कि बनारस में एक भी टैक्सी ऐसी नहीं है जिसमें मीटर लगा हो कानपुर में भी नहीं हैं, आगरा में नहीं हैं, लखनऊ में नहीं हैं। इन 5 महा नगरियों में से एक भी ऐसी नगरी नहीं है जहां पर टैक्सियों में मीटर लगे हों। तो क्या फायदा है ऐसे कानून के लागू करने से, भ्रष्टाचार अलग से पनपता है।

आज बिना परमिटस के टैक्सियां प्राइवेट गाड़ियों के रूप में चल रही हैं पेट्रोल महंगा हो गया है, पेट की खातिर उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है लेकिन आप ऐसे काले कानून को लगाये हुए हैं। मीटर की व्यवस्था बनारस में नहीं है, लखनऊ में नहीं चल सकती है लेकिन आप जिद किए हुए हैं, किसी अफसर ने कह दिया कि चला दो, आपने चला दिया, नतीजा यह होता है कि आर0 टी0 ओ0 के दफतर में हिसाब किताब, लेन देन होगा। तो मेरा निवेदन है कि आप इस कानून को बदलें। आपका मोटर विहिकिल्स ऐक्ट है, उसके अन्दर अगर कोई दरोगा किसी टैक्सी वाले से नाराज हो गया तो उसको ले जाकर थाने में बन्द कर देता है और ड्राइवर को जेल में भेज देता है। मेरी प्रार्थना है कि अगर किसी भी गाड़ी का चालान होता है तो थानेदार को उसको रोकने का अधिकार नहीं होना चाहिये और उस टैक्सी वाले की मुचलके के आधार पर जमानत होनी चाहिये।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है अभी तक तो यह सड़क सड़क नजर दिखाई देती था, जो भी माननीय सदस्य बोले उन्होंने ट्रैक्स, टैक्सियों और प्राइवेट बसेज का ही जिक्र किया। लेकिन माननीय मंत्री जी ने तो हवाई जहाज की भी जरूर सैर की होगी क्योंकि मंत्री होने के बाद वे सरकारी हवाई जहाज में जरूर उड़े होंगे। वहां का भ्रष्टाचार कितना है? सरकार की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

असफलता का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि आपातू स्थिति में जिन लोगों ने ज्यादतियां कीं, दमन और भ्रष्टाचार किया वे अभी भी आपके यहां अफसर बने हुए हैं, आप उनके मालिक नहीं बन पाये बल्कि वे आप पर राज्य कर रहे हैं। यहां पर एक हिन्द फ्लाइंग क्लब है उसमें श्री टी0 पी0 टिक्कू साहब एक अधिकारी हैं जो संजय गांधी के बड़े लाड़ले रहे हैं और अब प्रशासक भी हो गये हैं। एक साधारण नियम है कि सरकारी जहाज गैर सरकारी आदमी नहीं चला सकते है। हैदराबाद में एक पाइलट ने गैर सरकारी होने पर सरकारी जहाज को चला दिया तो उस पाइलट को नौकरी से निकाल दिया। यहां पर यह एक प्रभावशाली व्यक्ति था कि उसके खिलाफ आप कोई कार्यवाही नहीं कर पाये। 1 नहीं 2-2 और 3-3 और 4-4 बार संजय गांधी ने उत्तर प्रदेश का जहाज उडाया और टिक्कू साहब उसकी बगल में बैठे रहे। आप इस बात की जांच कीजिये और अगर यह बात साबित होती है तो उसके खिलाफ आप कार्यवाही कीजिए। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का नाम आपने सुना होगा। संजय गांधी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के जहाज "मौल बी0टी0 ई0 ई0 के0" द्वारा लखनऊ आते थे और अकेला नहीं आते थे। कोई न कोई मंत्री साथ में होता था। कभी शिक्षा मंत्री के साथ, कभी सिंचाई मंत्री के साथ जो पहले थे, आज के नहीं कभी भू0 पू0 स्वास्थ्य मंत्री के साथ पहुंच जाते थे और चुनाव का प्रचार होता था। और ऐसे जहाजों को हमेशा संजय गांधी उड़ाया करते थे जो कि गैर कानूनी हैं। इसके अलावा मान्यवर, एक "किंग एयर" ए—90 बी0 टी0 डी0 एक्स0 यू0 जहाज है। अक्सर इस जहाज के साथ संजय गांधी उड़ा करते थे और पी0 पी0 टिक्कू उनकी बगल में बैठ कर उनकी उड़ान देखा करते थे। 20 मार्च को..... 5—7 मिनट और दीजियेगा।

श्री अधिष्ठाता—

दो मिनट और ले लें। 6 मिनट हो गये।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आप जितना बोले उसका आधा तो हमको बोलने दीजिये तो 20 मार्च का लोक सभा का चुनाव.....

श्री अधिष्ठाता —

दो मिनट और आपके हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

2 मिनट में कैसे चलेगा। तो हमारा कहना यह है कि 20 मार्च को जब जहाज लेकर संजय गांधी आये तो खुद जहाज चला रहे थे और कानपुर में जो एक बार फ्लाइट किये तो उसमें भी संजय गांधी चलाकर लाये और भगवान दास पायलट बैठे हुए थे। भू0 पू0 मुख्य मंत्री ने एक लाख रुपया टिक्कू साहब को दिया। उसको उन्होंने क्या किया, इसका कोई हिसाब नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप नोट करिये और जांच कराइयेगा।

और इसके साथ-साथ मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार के पास करीब आधा दर्जन जहाज हैं और दो हेलीकाप्टर हैं। और इस वक्त तीन जहाज शायद चलते होंगे। सारे जहाज बेकार कर दिये गये। अब उनको बेचने की साजिश चल रही है कि किसी को 60 हजार, किसी को 80 हजार में, किसी को 40 हजार में बेच दिया जाय कि जहाज खराब हो गये हैं, जबकि वह ठीक हो सकते हैं।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

मान्यवर, इसके अलावा मैं कहूंगा कि काफी दुर्घटनाएं हो गयी हैं। जार्ज फरनाडीस जोकि उद्योग मंत्री हैं, पहले संचार मंत्री थे, वह बिहार में एक जगह गये थे। उनको जिस जगह उतरना था वहां आधा पौन घटा तक टिक्कू साहब को जमीन नहीं दिखाई दी। ऐसे कुशल पायलट आपके पास में हैं। इसके अलावा "चिपमंक" हवाई जहाज का एक्सीडेंट द्वारा फ्लाइट में सी० ए० टी० सी० बमरौली इलाहाबाद में हो गया और उसे टिक्कू साहब ही चला रहे थे। सो गये या क्या हुआ कि हवाई जहाज किसी मकान के ऊपरी हिस्से के कमरे में घुस गया वह और ट्रेनी पाइलट दोनों घायल हो गये और वह ट्रेनी लड़का बाद में मर गया। और कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। आप जांच कराइयेगा, मैं दे दूंगा।

इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में करीब 20 कामर्शियल पायलट बेकार हैं, बेरोजगार हैं। उनको रोजगार आप दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में, बिहार में और स्थानों पर जितने जहाज हैं करीब-करीब उतने पाइलट हैं और यहां जितने जहाज हैं, हेलीकाप्टर हैं उसके आधे के भी बराबर न पाइलट हैं, न चलाने वाले हैं तो बड़े योग्य, नौजवान, कर्मठ, ईमानदार पाइलट आपके पास हैं, उनको आप मौका दें।

मुझे काफी लम्बा कहना था, लेकिन आपका आदेश हो गया है तो मैं बात को बढ़ाऊंगा नहीं, केवल इतना कहूंगा कि हवाई जहाज के बारे में जो घपला है। एक बार ये टिक्कू साहब हवाई जहाज चला रहे थे तो उसका दरवाजा बाहर आ गया, 50 हजार का नुकसान हो गया। और बड़े-बड़े आरोप भी हैं उनकी जांच कराई जाय। बस के बारे में तो आ गया, लेकिन हवाई जहाज से सम्बन्धित मामला नहीं आया। आप एक जांच आयोग बैठायें और इनको तो तत्काल नौकरी से निकाल दें।

इसके अलावा, मैं आपसे एक बार निवेदन किया था टैक्सी वालों के बारे में। एक बात बस आखिर में कहूंगा कि मिरजापुर के दक्षिणांचल में राबर्टसगंज है, चुर्क, डाला है, चोपन है इनमें यातायात के साधन सिर्फ बस है और यहां पर किराया बहुत ज्यादा है, उसको आप कम कीजिये ताकि गरीब आदमी भी बसों में चल सकें।

एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आज ताजमहल को खतरा उत्पन्न हो गया है, उसकी सुरक्षा को, उसकी वस्तुकला को उसकी नक्कासी को बहुत बड़ा खतरा मथुरा की रिफाइनरी से तथा आगरा की दो मिलों से उत्पन्न हो गया है। इसे बचाइये।

(व्यवधान)

*श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला-चमोली)—

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं (व्यवधान)। मैं अपने क्षेत्र की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा वह क्षेत्र है जहां पर मानव परिश्रम से थक कर राजनीति से असंतुष्ट होकर, व्यापार आदि से थक करके आराम और शान्ति के लिये जाना चाहता है, एक सुख प्राप्त करने के लिये जाना चाहता है। वह क्षेत्र है उत्तराखंड वहां जाने से मनुष्य को एक सुख एवं शान्ति का अनुभव होता है। पर्यटन आदि के लिये एक साल के अन्दर माननीय मंत्री जी ने जो कार्य किया है उसके लिये मैं अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों की ओर से उनको बधाई देना चाहता हूं। पर्वतीय विकास मंत्री श्री जीना साहब के सहयोग से भी वहां जो काम हुये हैं उसके लिये भी हम उनके आभारी हैं।

मान्यवर, पर्यटन के संबंध में जो बजट है वह आज स्वीकृत हो जायेगा, मैं एक दो बातें इस संबंध में कहना चाहता हूं। एक तो यह कि जो रुपया यहां से स्वीकृत हो उसके आदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपके यहां से शीघ्र चले जानें चाहिये क्योंकि जून के आखिर से बरसात शुरू हो जाती है, उधर फिर बरफ गिरने लगती है। साल में इस प्रकार तीन माह का समय ही मुश्किल से मिल पाता है जब कि कुछ काम हो सकता है। आदेश देर से जाने के कारण काम नहीं हो पाता है और रुपया हर साल लैप्स हो जाता है। सरकारी आंकड़े तो बताते हैं कि काम हुआ, मगर जनता कहती है कि सारा रुपया बरबाद हो गया। आप अधिकारियों पर ऐसा दबाव डालिये कि जो भी रुपया जिस वर्ष के लिये स्वीकृत हो वह उस वर्ष में अवश्य खर्च हो और वह काम अवश्य हो। अगर कोई अधिकारी यह न करे तो उसके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की जाय।

मान्यवर, पर्यटन विभाग द्वारा विदेशी यात्रियों के लिये केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमनोत्री आदि तीर्थ स्थानों पर जाने के लिये विशेष सुविधायें प्रदान की गयी हैं। यहां पर आपके वित्त निगम द्वारा 3 स्टार और इससे अधिक स्टार वाले होटलों के लिये तो कर्ज दिया जाता है होटल बनाने के लिये, पर छोटे-छोटे होटल बनाने के लिये, गरीब आदमियों के लिये, कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती है। गांधी जी और माननीय जय प्रकाश जी की मान्यताओं के विपरीत, उनकी भावनाओं के विरुद्ध, बड़े होटल वालों को ही पैसा मिल पाता है, उत्तराखंड के जो गरीब इन्सान हैं उनको यह वित्त निगम सहायता नहीं देता। उनकी मनोकामना के विपरीत उत्तर प्रदेश वित्त निगम काम करता है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम उनको पैसा देता है जो 3,4 स्टार वाले होटल बनाना चाहते हैं। गरीब होटल वाले इन 3,4 स्टार वाले होटलों से मुकाबला नहीं कर पायेंगे। मेरा निवेदन है कि गरीब होटल वालों को इस निगम के द्वारा पैसा दिया जाय। पहाड़ विद्वानों को आकर्षित करते हैं लेकिन उनके पास पैसा कम होता है। चिंतकों को आकर्षित करते हैं, जो समाज की समस्याओं का चिंतन करते हैं उन महा मनीषियों को आकर्षित करते हैं तो इनके लिये आपको सस्ते होटलों का निर्माण करना होगा। सारे के सारे डीलक्स होटल वहां पर हैं, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं लेकिन सस्ते होटलों की व्यवस्था वहां पर जरूर होनी चाहिये।

हमारे पूर्वी भाई सत्तू खाकर, मैं देखता हूं कि जाड़े में रात को वृक्ष के नीचे उसकी पत्तियों को जलाकर रात बिताते हैं और बद्रीनाथ का दर्शन करते हैं। तो उनके लिये भी व्यवस्था होनी चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश 6 महीने के लिये सारे भारतवर्ष का आतिथ्य करता है। सम्पूर्ण भारतवर्ष हमारा मेहमान होता है। लोग हिमालय के दर्शन करने जाते हैं। गंगा का चुल्लू भर पानी पीकर अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं इसके लिये पर्यटन मंत्री जी आप पर्याप्त मात्रा में पैसे की व्यवस्था करें। मैं प्रशंसा करता हूं कि आपने धर्मशालाओं के विकास के लिये पहली बार प्राविधान किया है। वहां पर काली कमली वाले बाबा की हर 9 या 10 मील पर धर्मशालायें हैं। उनकी कीमत आज 15–20 लाख रुपये हैं। लेकिन आज वह धर्मशालायें सुनसान हैं। वहां पर बनियां कुंड धर्मशाला चोगला नामक स्थान पर है। वहां धर्मशाला के दरवाजे आदि टूट गये हैं। वहां पर लोग जाते हैं। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की सारी धर्मशालाओं को पर्यटन विभाग के अंदर लें नंदा देवी के बारे में जहां पर अमेरिका ने प्लाटूनियम रखा था, वहां पर पशुओं के अभ्यारण के लिये स्थान प्रस्तावित किया है। इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। वहां पर नाना प्रकार के जंतुओं के विचरण के लिये स्थान की व्यवस्था होनी चाहिये। हिमालय के पशु पक्षी, इसमें से बरड़ पशु और मुनाल पक्षी बहुत प्रसिद्ध हैं। मुनाल पक्षी अपने सौंदर्य के लिये सानी नहीं रखता है और बरड़ पशु अपनी सींगों की सुन्दरता के लिये प्रसिद्ध है। अगर नंदा देवी क्षेत्र में इनके लिये शानदार विहार बनाते हैं तो मैं आपका आभारी हूंगा।

[श्री प्रताप सिंह पुष्पवान]

एक, दो वाक्य पर्यटन विभाग के बारे में और कहना चाहता हूं। पहाड़ों के अन्दर हमारे यहां आदमी कुछ खर्च लेकर जाता है तो वहां गाड़ियां शानदार होनी चाहिये। इच्छा हमारी होती है कि खूबसूरत गाड़ियों में बैठें। हमारे यहां एक बार हिमांचल प्रदेश से गाड़ियां आयीं थीं। बड़ी शानदार थीं। सजी दुल्हन की तरह सुन्दर थीं, खूब हिचकोले खाती थीं। तो मैं पर्यटन मंत्री जी का आभारी हूंगा कि वह पहाड़ के लिये बढ़िया गाड़ियां बनवायें। जो आपके स्टेशन होते हैं, यात्री वहां पर उतरता है तो वर्षा में कहां बैठेगा, जाड़े में कहां रुकेगा, गरमी में कहां रुकेगा, तो उनके लिये आप लम्बे-लम्बे विश्राम गृह बना दीजिये। अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे मुख्य मंत्री गोपेश्वर गये थे।

श्री अधिष्ठाता—

अब अंत में आयें।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान—

मैं अंत करता हूं। तो मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि मैं चमोली और गोपेश्वर के बीच में एक रोडवेज की बस लगा दूंगा। यह मुख्य मंत्री की घोषणा है। इसलिये अपेक्षा करता हूं कि उनका वचन सत्य होगा। लेकिन 8 महीने बीत गये हैं और अभी तक बस नहीं लगी है। इसलिये निवेदन है कि वहां एक सिटी बस लगाने की घोषणा मंत्री जी करेंगे। धन्यवाद।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मान्यवर, परिवहन विभाग न केवल इस प्रदेश का बल्कि सारे देश की अर्थ व्यवस्था का संचार साधन का एक अच्छा साधन बन सकता है। मैं मंत्री जी का ध्यान एक बुनियादी समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस भावना को लेकर परिवहन निगम और रोड-वेज बस चलाने की परिकल्पना की गयी थी उस दिशा में जो सामग्री हमको प्रस्तुत की गयी है उधर कोई संकेत नहीं मिलता है। मान्यवर, मैं आपको विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप परिवहन निगम की सेवाओं को जनसाधारण तक व्यापक बना दें तो बहुत बड़ी आमदनी लेकर प्रदेश को तरक्की पर ले जा सकते हैं। बुनियादी सवाल है कि क्या व्यक्तिगत रास्ते पर चलने वाली बसों का राष्ट्रीयकरण करेंगे कि नहीं? इसमें कोई संकेत नहीं किया है और जैसा श्री श्याम धर मिश्र जी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ दिनों से जो व्यक्तिगत बसें चलती हैं उन रास्तों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा रहा है और जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उन पर नई-नई बसें व्यक्तिगत चलाई जा रही हैं इससे आपके विभाग की बहुत बड़ी आर्थिक क्षति होती है। अब मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जिनको माननीय सदस्यों ने यहां कहा है।

मान्यवर, अब मैं अपने बुन्देलखंड और बांदा की समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार को इस बुनियादी सवाल को तय करना होगा कि आप राष्ट्रीयकरण के रास्ते को आगे ले जाना चाहते हैं या धीरे-धीरे छोड़ना चाहते हैं या व्यक्तिगत हाथों में सौंपना चाहते हैं। इस संबंध में आपको जल्दी ही गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। मान्यवर, अभी कुछ सदस्यों ने कहा कि यह विभाग सफेद हाथी है, मिश्रा जी ने कहा कि यह काला हाथी हो सकता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वह सफेद हाथी हो या काला हाथी हो किन्तु यह जरूरी हाथी है। इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन इसमें जो कमियां है, समस्यायें है, उनका निराकरण होना चाहिये। यह बात सही है कि कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण इस विभाग में भ्रष्टाचार है। कई माननीय सदस्यों ने इस ओर ध्यान दिलाया है। बहुत से मोटर पार्ट्स बेच दिए जाते है, तेल बेच दिया जाता है और तमाम गड़बड़ियां जो आये दिन होती रहती है, की ओर ध्यान दिलाया है। माननीय शतरुद्ध जी ने आपातकालीन स्थिति के दौरान मारूति कंपनी द्वारा तमाम गड़बड़ियों की ओर ध्यान दिलाया। एक बात माननीय हरि केवल प्रसाद जी ने यहां होने वाले लाखों रुपये के घोटालों के बारे में कहीं जिन्हें अधिकारियों के इशारे पर किया जाता है। ऐसे अधिकारियों को तरक्की दे देते हैं और साधारण कर्मचारी जैसे ड्राइवर और कंडक्टरों को जरा-जरा सी बातों पर सस्पेन्ड और टरमिनेट कर देते हैं। आज की बेरोजगारी के युग में बी0 ए0, एम0 ए0 पास, इंटर किया हुआ नौजवान बड़ी मुश्किल से ड्राइवरी और कंडक्टरी की नौकरी पाता है और मामूली सी गल्ती के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है। मुझे पता चला है कि ऐसे कई ड्राइवरों व कंडक्टरों की अर्जियां लंबित पड़ी है, उनको आप बहाल करें। उनके साथ इस तरह से होने वाले अन्याय से, जब तक कोई जघन्य अपराध न हो जाये, बचाने के लिए आप कोई निश्चित नीति बनाइए ताकि इन लोगों की नौकरी बची रह सके और इन्हें दर-दर की ठोकरें खानी न पड़े। उनकी सेवा-शर्तों में परिवर्तन कीजिए। अगर ऐसा न हुआ तो अशरफियों की लूट और मोहरों पर छाप वाली कहावत हो जायगी।

एक चीज मैं आप से और निवेदित कर दूं जो मेरी जानकारी में अभी थोड़े दिन हुए, आई कि जूनियर स्टेशन इन्चार्ज की एक परीक्षा हुई और इस परीक्षा का ठेका कानपुर की किसी संस्था के एक व्यक्ति को दे दिया गया और कहा गया कि तुम परीक्षायें करा दो, तुम्हारा कमीशन तुम्हें मिल जाएगा। तो मान्यवर, इस तरह से किसी यूनिवर्सिटी, कालेज के किसी व्यक्ति के हाथ ठेका दे देना भ्रष्टाचार को जन्म देना है और जो योग्य व्यक्ति है, वे नहीं आ पाते। इसलिये आप उसके परीक्षाफल को या तो कैन्सिल करा दीजिये और फिर से करायें या स्क्रूटिनी आदि करके सुयोग्य व्यक्तियों को अवसर दें। भविष्य में यह प्रक्रिया न अपनाई जाये, इसको माननीय मंत्री जी स्वयं देखने का कष्ट करें।

मैं बुन्देलखंड की परिवहन सेवाओं के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां की सड़कें इतनी खराब हैं और कई मार्गों पर बसें चलती भी नहीं हैं। इसीलिए मेरा सुझाव है कि परिवहन और सड़क निर्माण विभाग एक ही मंत्री के अंडर में होना चाहिये ताकि वह आवश्यकतानुसार दोनों विभागों में सुधार कर सके। क्योंकि जन-जीवन से इनका सीधा संबंध होता है। मेरा ख्याल है कि इनकी कोआर्डिनेटेड वर्किंग होनी चाहिये जिससे दोनों का समुचित विकास हो सके। प्राइवेट आपरेटरों द्वारा चलाई जाने वाली बसें बिलकुल नई होती है जबकि सड़कें खराब होने के कारण परिवहन निगम की नई बसें इन सरकारी ड्राइवरों के हाथ में पड़ कर खराब हो जाती हैं। मेरा सुझाव है मान्यवर, कि निम्न मार्गों पर यदि बसें चला दी जायें तो जनता को बड़ी राहत मिलेगी। बांदा-झांसी, बांदा-कमासिन, बबेरू-मरका, बांदा-तेन्दुवारी, अतर्रा-ओरन, चित्रकूट-छतरपुर और वाराणसी-गाजीपुर। बांदा के नबाव सन् 1857 में अपनी बेटी कु0 राबिया बेगम के साथ पहली बार हिन्दुस्तान के इतिहास में ब्रिटिश के खिलाफ वहां की धर्ती को आजाद किया था, उन्हीं का नबाव तालाब बहुत आकर्षक है। मैंने निवेदन किया था कि उसको पर्यटन केन्द्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय। हमारे जिले में एक परमानेन्ट समस्या है। चित्रकूट का नाम सभी लोगों ने सुना होगा और चित्रकूट मेला में भी आप लोग गये होंगे। हर अमावस्या को कम से कम 1 लाख आदमी जाते हैं और दीपावली के अवसर पर अमावस्या के दिन 40, 50 लाख लोग आते हैं लेकिन-

[श्री देव कुमार]

ट्रान्सपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं होती है। अगर हर अमावस्या को रोडवेज की बसों का इन्तजाम कर दिया जाय तो कम से कम एक करोड़ रुपया एक महीने में मिल सकता है। इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि चित्रकूट को पर्यटन केन्द्र के रूप में बनाया जाय और बसों का इन्तजाम किया जाय तो बहुत आमदनी बढ़ सकती है। इन शब्दों के साथ उम्मीद करता हूं कि मेरे सुझावों पर समुचित ध्यान दिया जायेगा।

श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और उससे सम्बन्धित कुछ विचार भी रखना चाहता हूं। मान्यवर, अपने देश में सबसे आसान यातायात का साधन बसों का ही है। जिस प्रकार से जनता सरकार ने निर्णय लिया है कि हम गांवों की ओर चलेंगे और हर गांव को सड़कों से जोड़ेंगे और उसी के लिए प्राइवेट बसें या सरकारी बसें इतनी चलाई जायेंगी ताकि हर गांव तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता बन जाय।

मान्यवर, जो कमियां हैं उनकी ओर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां वर्कशाप बने हुये है वहां पर स्थानीय व्यक्तियों को ही भर्ती किया गया है और ऐसा मालूम होता है कि सारी उम्र बिता कर वहां से रिटायर होंगे। उसका असर यह पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार बराबर बढ़ता जा रहा है। सामानों की बिक्री उन्हीं लोगों के द्वारा होती है। जो गाड़ियां निकलती है उनकी मरम्मत कभी नहीं की जाती है, थोड़ी दूर चलने के बाद बसें प्राय: रुक जाती हैं। मेरी मांग है कि जो नियम है, तीन साल के बाद या पांच साल के बाद कोई भी कर्मचारी एक स्थान पर नहीं रह सकता है, उसको कड़ाई से लागू किया जाय।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इलाहाबाद का दोआबा क्षेत्र में तहसील मंझनपुर है, जहां से बुन्देलखंड की शुरुआत होती है। मान्यवर, मंझनपुर तहसील से लकर कर्वी, जिला बांदा के बीच में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, न ही कोई रेलवे लाइन है, केवल बसों का ही साधन है। तहसील मंझनपुर के अन्दर प्रवेश करने के लिए इलाहाबाद से भरवारी, मंझनपुर महेवा घाट, इलाहाबाद से मेहता डिग्री कालेज, करारी शाहपुर, इलाहाबाद, सारयकिन, कोशाम्बी, इलाहाबाद, कनौली, महिला घाट, यह बसों के रूट बने हुए है, लेकिन इन रूटों पर बसें चलाने में सरकार को क्यों कठिनाई महसूस हो रही है? मान्यवर, महेवाघाट जो इलाहाबाद से 78 किलोमीटर दूर है। उसमें प्राय: दिन भर में 4, 6, 10 बसों का ब्रक डाउन अवश्य होता है और उन्हीं सड़कों पर प्राइवेट बसें भी इतनी तेजी से चलती हैं कि वे हमारी सरकारी बसों के आगे, आगे चलती हैं और सारी सवारियां पहले से ही उठाती चलती हैं और नतीजा यह होता है कि हमारी बसें खाली आती है जाती हैं। कभी कभी 2, 3 सरकारी बसे तो एक साथ चलती रहती है और कभी-कभी वे 4, 6 घंटे तक आती नहीं है और रास्ता खाली रहता है।

मान्यवर, मंझनपुर तहसील के हेडक्वार्टर पर सरकार की तरफ से नहीं बल्किरोडवेज की ओर से टाउन एरिया से एक जमीन खरीदी गई है, करीब 60 हजार रुपये लगा कर। वह जमीन इस नियत से खरीदी गई थी कि यहां पर वर्कशाप बनाया जायेगा किन्तु आज तक वह वर्कशाप नहीं बन सका है। अत: मेरी मांग यह है कि सरकारी जमीन पर वर्कशाप फौरन बनाया जाय।

मान्यवर, इलाहाबाद से जमुना नदी के रास्ते स्टीमर के द्वारा इलाहाबाद, कौशाम्बी और पदौसा पहाड़ी होते हुए तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर तक यात्रियों के सफर करने के लिए रास्ता भी बनाया जा सकता है।

मान्यवर, पर्यटन केन्द्र की व्यवस्था की ओर भी, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षिक करता हूं। मेरे ही क्षेत्र में कौऐशाम्बी एक बहुत ही पुराना एतिहासिक और करीब 4 हजार वर्ष पुराना स्थान है जिसके विकास के दृष्टिकोण से आज तक कोई काम नहीं किया गया है। अतः उसका विकास होना चाहिये। उसके पहले बांदा जिले में ऋषियान एक स्थान है जहां पर प्राचीन समय में ऋषियों ने तपस्या की थी। ऋषियान से जल कर कौशाम्बी, कौशाम्बी से चल कर पदोसा पहाड़ी तक जहां पर कि जैनियों के तीर्थ स्थान और मंदिर भी हैं, वहां से अलवारा झील तक जिसका लगभग 5 किलोमीटर का क्षेत्र बेकार पड़ा हुआ है। वहां से चलकर राजापुर जो कि तुलसीदास जी की जन्मभूमि है, हम चित्रकूट पहुंचते हैं। वहां से बांदा-कालिंजर और फिर वहां से महोबा-खजुराहो इत्यादि स्थानों को जाया जा सकता है।

मान्यवर, पर्यटन के केन्द्रों के विकास के साथ ही साथ सारा सामाजिक विकास भी होगा और उस विकास के लिये यह हमारी बसें बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि माननीय मंत्री जी से कि बसों को चलाने की व्यवस्था प्राइवेट वालों को भी दें और उनका रास्ता अलग दें और सरकारी बसों का रास्ता अलग से दें। लेकिन दोनों को ही चलने दें, कारण यह है कि यह आपके सामर्थ्य में नहीं है कि आप सभी स्थानों पर बसों को रोडवेज की चला सकें। इसलिये दोनों का आप रास्ता अलग से बना दें और दोनों को ही चलने दें।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत परिवहन के बजट का समर्थन करता हूं।

*पर्यटन उपमंत्री (श्री शिवदास)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पर्यटन हमारी अर्थ व्यवस्था का आज अभिन्न अंग सिद्ध हो चुका है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा ही अर्जित होती है बल्कि एक देश से दूसरे देश और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक तथा तकनीकी विचारों का भी आदान प्रदान होता है। वैज्ञानिक, तकनीकी विचारों का भी आदान-प्रदान होता है। किन्तु हमारे प्रदेश और देश का यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि इस देश का पर्यटन विदेशी शान-शौकत, शहरी ठाट बाट और धर्म के अंध विश्वास पर आधारित रहा। हम पाश्चात्य सभ्यता का इतना अंधा अनुरकरण किये हैं कि हम विदेशी भाषा, विदेशी भूसा, विदेशी भोजन और विदेशी पाखाना के भी एक दम आदी बन गये है जिसके परिणाम स्वरूप.....

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह विदेशी भेष है या विदेशी भूषा.....भूसा क्या हुआ.....

श्री शिव दास—

आपको जो पसन्द है। मान्यवर, विदेशी प्रभाव इतना जबरदस्त रहा कि आज हमारे राम का वास्तविक स्वरूप बिगड़ गया, आज हमारे कृष्ण का वास्तविक स्वरूप बिगड़ गया, हमारे शंकर का वास्तविक स्वरूप बिगड़ गया। हम राम की पूजा करते हैं। इसलिये पूजा नहीं करते कि राम अयोध्या के राजा दशरथ के घर पैदा हुए, मोर मुकुट धरा करते थे बल्कि राम की पूजा इसलिए करते हैं.....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, ये धार्मिक प्रवचन हो रहे हैं या पर्यटन बजट.....

श्री अधिष्ठाता—

उनकी भूमिका है। विषय पर आने दीजिए उनको। व्यवधान न करें।

श्री शिव दास—

राम की पूजा इसलिये करते हैं कि राम ने अयोध्या के राज्य को ठुकरा मारा, सन्यासी, तपस्वी का रूप धारण किया और शबरी के बेर खाये, अन्यायी राजा रावण का वध किया। इसलिए हम राम की पूजा करते हैं। किन्तु विदेशी शान शौकत, शहरी ठाट-बाट और धार्मिक अंध विश्वास ने हमारे राम के स्वरूप को इतना बिगाड़ दिया कि अगर आज पूरे देश को देखें तो एक भी मंदिर ऐसा नहीं मिलेगा जहां राम का वास्तविक स्वरूप देखने को मिले, जहां तपस्वी के रूप में राम हों और शबरी उनको बेर खिलाती हो। अगर इस तरीके से हमारे राम का स्वरूप होता तो मैं समझता हूं कि इस देश को नई दिशा मिलती। इस देश का सौभाग्य था कि हमारे महात्मा गांधी का वास्तविक स्वरूप बच गया। अगर कांग्रेस सरकार कायम रहती तो आप आज महात्मा गांधी की तपस्वी मूर्ति जो यहां दिखाई पड़ती है उसके स्थान पर (व्यवधान) और कहा जाता कि महात्मा गांधी का वास्तविक स्वरूप यह था। तो मैं इस सदन को बता देना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार लोक भाषा, लोक भूषा लोकतंत्र के आधार पर देश का विकास करना चाहती है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग ने केवल अपने प्रदेश की भाषा में ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों की भाषाओं में भी अपने विज्ञापन दिये हैं..... (व्यवधान).....हमारे पर्यटन विभाग का विकास इस प्रदेश में इसलिए नहीं हुआ कि जो पिछली सरकार थी वह पर्यटन निगम के माध्यम से इस प्रदेश के सारे कार्य करती थी, इस प्रदेश के कर्मचारियों को एकदम निकम्मा समझती थी। जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो उसने फैसला किया कि वह कोई भी काम करेगी तो अपने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से ही करेगी।

यहां पर भ्रष्टाचार की बात कही गयी। हमारे साथी शम्भू नाथ जी चौधरी ने कहा डाक्टर लोहिया कहते थे गंगोत्तरी को साफ करने से गंगा का पानी अपने आप साफ हो जायगा। मैं मानता हूं अगर मंत्री ईमानदार है, चरित्रवान है तो उसके विभाग के कर्मचारी ईमानदार और चरित्रवान हो जायेंगे। आज मैं सदन के सामने यह बात कहना चाहता हूं कि तीस साल के भ्रष्ट कांग्रेसी हुकूमत में एक आम आदत बन गयी (व्यवधान) कि 500 आमदनी तो 5,000 रुपया खर्च करो और 100 रुपये की आमदनी तो 500 रुपये खर्च करो। क्या यह आदत एक साल में दुरुस्त हो सकती है? आप पूछेंगे इसको दुरुस्त होने में कितना समय लगेगा। तो मैं कहता हूं कि एक शराबी को शराब का नशा छुड़ाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय इसमें लगेगा। (व्यवधान) इसके साथ ही मैं भ्रष्ट कर्मचारियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वे अपनी आदत को दुरुस्त कर लें वर्ना इस देश की जनता और जनता पार्टी की सरकार उनको माफ नहीं करेगी और वह चैन से नहीं रहने पायेंगे। हमारे नेता डाक्टर लोहिया अक्सर कहा करते थे गंदा कपड़ा पहनने वाला आदमी डरता है साफ कपड़ा पहनने वाले आदमी से और हिन्दी बोलने वाला आदमी डरता है अंग्रेजी बोलने वाले आदमी से। सभी लोग अपने-अपने घरों में बैठ कर अपने दुख को रोते हैं। काश वे सड़कों पर आकर अपनी तकलीफों को गाने लगें तो देश का नक्शा बदल जाय और आज जब सड़कों पर तकलीफें गाने के बजाय लोग मंत्री के सर पर चढ़ कर अपनी तकलीफों को कहते हैं तो मेरी चेतावनी है कि भ्रष्ट लोग अपनी आदत को दुरुस्त कर लें वर्ना इस देश की जनता तथा जनता सरकार उनको माफ नहीं करेगी। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मेरा निवेदन है कि आप लोग शान्तिपूर्वक सुनें। जितना व्यवधान करेंगे उतना समय जायगा।

श्री देव कुमार—

एक वर्ष के दौरान जनता पार्टी की सरकार ने कौन से काम किये ?

श्री शिव दास—

कांग्रेस सरकार और जनता पार्टी की सरकार में सबसे बड़ा फर्क यह है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार शराब पिला कर पर्यटन का विकास करना चाहती थी और जनता पार्टी की सरकार शराब पर प्रतिबन्ध लगा कर पर्यटन का विकास कर रही है।

एक सदस्य—

पेशाब पिला कर ?

श्री शिव दास—

अब आप भी नहीं पी पायेंगे। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी की सरकार पैसे वालों की सरकार थी, पैसे वालों के द्वारा और पैसे वालों के लिये थी इसलिये वह केवल पैसे वालों की सुख सुविधा की व्यवस्था करती थी। जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार है। जनता के द्वारा और जनता के लिये है। इसलिये वह जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है।

वह केवल पैसे वालों की सुख-सुविधा की बात नहीं सोचती बल्कि वह विदेशी आदमियों का तो ख्याल करती ही है, देशी पर्यटकों की ओर भी विशेष ध्यान देती है और तीर्थयात्रियों की सुख-सुविधा की विशेष व्यवस्था कर रही है। धर्मशालाओं की व्यवस्था करने की बात, जनता पार्टी की सरकार ने की है ताकि वे मैले कपड़े पहनने वाले लोग, फटी धोती पहनने वाले लोग धर्मशालाओं में जाकर आराम से रात्रि बिता सकें। यह जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं बताना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग ही इस देश और प्रदेश का निर्माण कर सकता है। यह देश बनेगा तो केवल सादगी से बनेगा। सादा जीवन उच्च विचार होगा तभी यह देश बनेगा। इस पर्यटन विभाग ने सबसे पहले जो काम शुरू किया है कि वह नैमषारण्य से शुरू किया है। हमें उन लोगों को जो पश्चिमी सभ्यता की नकल करते हैं, दधीचि का पाठ पढ़ाना होगा और यही काम हमारी जनता पार्टी की सरकार कर रही है। असमानता को खतम कर रही है। जो लोग मक्का मदीना की बात करते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक मुसलमान ने खुद गीत गाया है। मानस हों तो वहीं रसखान., बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और उसकी आखिरी लाइन है:—या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुंपुर को तजि डारौ।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

यह रसखान की कविता हो रही है या पर्यटन विभाग का बजट चल रहा है ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी दो मिनट में समाप्त करें क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितने लोग बोलने के लिये खड़े हो रहे हैं।

श्री शिवदास—

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा पर्यटन विभाग जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये इस पर्यटन उद्योग को एक जन उद्योग के रूप में परिवर्तित करना चाहता है जिससे न केवल विदेशी और देशी लोग ही अपितु इक्केवाले, तांगे वाले, रिक्शे वाले, पान वाले, चाय वाले फायदा उठा सके और उनको सुविधा मिल सके।

*श्री ओंकार सिंह (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और इस सम्बन्ध में कुछ अपने सुझाव भी प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं इस परिवहन विभाग को विशेष रूप से दो भागों में विभक्त करते हुए उसकी समालोचना करूंगा। सबसे पहले मैं परिवहन निगम को लेना चाहता हूं जो बहुत बड़ा विभाग है और महत्वपूर्ण है। इसके सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी मंत्री जी को देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वे मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे। इससे पहले मैं उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने राष्ट्रीयकरण की बड़ी हिमायत की है, पूछना चाहता हूं कि जो यह पुस्तक हमारे सामने है और उसमें जो आंकड़े दिये गये हैं वे किस बेसिस पर और किस आधार पर राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं। मान्यवर, इस पुस्तक में दिया हुआ है कि रोडवेज का प्रति किलोमीटर का खर्चा 1 रुपया 79 पैसा है और आमदनी 1 रुपया 86 पैसा है।

आप सब लोगों को विदित है कि निजी बसों वाले ट्रांसपोर्ट विभाग को, परिवहन निगम को 1.30 पैसे से लेकर 1.40 पैसे प्रति किलोमीटर पर नई-नई गाड़ियां उपलब्ध कराने के लिये तैयार है। आप देखेगें कि रोडवेज वाले जो है 7 पैसा इनकम करते हैं यानी उनकी आमदनी 186 और खर्च 179 है। निजी बसों वाले 130 पैसे से लेकर 140 पैसे पर किलोमीटर गाड़ियां देने के लिये तैयार है। इसके 39 पैसे से लेकर 49 पैसा पर किलोमीटर लाभ ट्रांसपोर्ट विभाग को होगा। अपनी गाड़ियों से परिवहन निगम को 7 पैसा मिलता है। मैं उन राष्ट्रीयकरण के हिमायतियों से पूछना चाहता हूं कि 49 पैसा पर किलोमीटर जब हमको प्राइवेट लोग नई-नई बसें देकर सुविधा देने के लिये तैयार हैं तो फिर 7 पैसे परिवहन निगम के लाभ से क्या फायदा है ?

(इस समय 3 बजकर 47 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)।

परिवहन निगम की जब स्थापना हुई थी तो उसका उद्देश्य इस पुस्तिका में दिया हुआ है, 'आरामदेह, सस्ती एवं कुशल परिवहन व्यवस्था सुलभ करने, परिवहन सुविधाओं के संतुलित विकास को आगे बढ़ाने तथा राज्य के चतुर्मुखी आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान देने के उद्देश्य से मई, 1947 में राष्ट्रीयकृत परिवहन, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज सेवाओं का परिचालन प्रारम्भ किया गया। तो क्या यह बात सही है। कि आप महसूस करते है कि रोडवेज बसें कितनी आरामदेह कितनी सुविधाजनक, कितने कम खर्च पर आपको सेवा रोडवेज देता है। आपके सामने आंकड़े हैं आप आसानी से इस बात को समझ सकते है। जितना कर्मशालाओं पर पूंजीगत व्यय है अगर वह भी उसमें जोड़ दिया जाय तो लाभ और भी कम हो जायगा यानी 8.87 प्रतिशत जो दिया है वह शायद उससे नीचे आ जायगा।

जब से मान्यवर, कारपोरेशन बना है 1972–73 के बाद आंकड़े हमारे पास सही रूप में नहीं है। उसमें भी कई अनियमिततायें है जो महालेखाकार से सही होकर आनी है। अगर वहां से सही मूल्यांकन होकर आता है तो खर्च और बढ़ जायगा और लाभ कम हो जायेगा। निगम को इतना नुकसान हो रहा है। तो उसको छुपाने के लिये एक अध्याय यह जोड़ दिया गया है कि परिवहन निगम की प्रमुख समस्यायें। इसमें केवल यही कोसा गया है कि अनधिकृत रूप से बसें चलती है। राष्ट्रीय कृत मार्गों के पिछले वर्ष के आंकड़े दिये गये कि ढाई करोड़ का घाटा अनधिकृत रूप से बसों के चलने से हुआ। इस वर्ष भी वही आंकड़े प्रस्तुत कर दिये है। मैं निगम के अधिकारियों से पूंछना चाहता हूं जब मालूम था कि इतनी हानि हो रही है तो एक साल के अन्दर आपने उसको रोकने के लिये क्या व्यवस्था की, उसके कारणों को क्यों नहीं ढूंढा गया . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसको क्यों नहीं दूर किया जा सकता। उसके लिये मैं अभी सुझाव दूंगा कि किस तरह से इन अनधिकृत बसों को रोका जा सकता है। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, मैं पहली दफा बजट पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष—

कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री ओंकार सिंह—

सारे दोषारोपण और प्रत्यारोपण ट्रॉसपोर्ट विभाग और परिवहन निगम पर होते रहते है, पुलिस हमारा साथ नहीं देती, प्रवर दल साथ नहीं देता गाड़ियां अनधिकृत राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलती हैं। लेकिन यह गाड़ियां चलती क्यों है, इसका कारण खोजने की कोशिश नहीं की गयी। ट्रांसपोर्ट विभाग दोष लगाता है कि परिवहन निगम की सेवायें अच्छी नहीं हैं, इनके पास गाड़ियां नहीं है। मैं इससे सहमत हूं। यात्री को जब बस मिलेगी तब यात्रा करेगा। तो इसका दोषी कौन है? परिवहन निगम दोषी है। इसके पास गाड़ियां नहीं हैं। 1976-77 में परिवहन निगम के पास 5753 गाड़ियां थी। इस वर्ष उनकी संख्या घटकर 5406 रह गयी है। 70 और 237 गाड़ियां कम हो गयी हैं। प्रति वर्ष ट्रेफिक बढ़ता है। नये रूट खोले जाते है तो गाड़ियां बढ़नी चाहिए लेकिन गाड़ियां बढ़ी नहीं। 307 गाड़ियां कम हो गयी। इससे क्या जनता को सुविधा मिली, क्या उनकी सर्विसेज से क्या आराम मिली, इसकी तरफ न माननीय मंत्री जी का और न परिवहन निगम का ध्यान है। इसके अलावा 237 गाड़ियां कम है इसी परेशानी को देखते हुए कुछ प्राईवेट गाड़ियां निगम में लगायी गयीं हैं। उनकी संख्या 121 है। जब सस्ते दामों पर, 1 रुपया 30 पैसे में गाड़ी मिल रही है। और आपके यहां गाड़ियों की कमी है, तो 121 ही क्यों लगायी गयी हैं? इस का स्पष्ट कारण है, कि अगर कोई बुरा न मान लें, कि केवल उन्हीं की गाड़ियां ली गयी है जिनकी पहुंच ट्रांसपोर्ट विभाग में थी। बाकी किसी की गाड़ियां नहीं लगी। मैंने उस टाइम माननीय मंत्री जी से और परिवहन विभाग के अधिकारियों से कहा था कि यह सुविधा सरकारने इस लिये दी है कि फ्री पालिसी के अन्दर बसेज खरीदी गयी थी, उनको रखा जाय। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। केवल जिनकी पहुंच थी उन्हीं की गाड़ियां परमिटों से रिप्लेस होकर परिवहन निगम में लगायी गयीं। अनधिकृत आपरेशन चल रहा है। मैं कहता हूं कि परिवहन निगम स्वयं नहीं चाहता कि अनधिकृत आपरेशन कम हो।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री ओंकार सिंह—

यही मेरा स्पेशल सब्जेक्ट है।

श्री अध्यक्ष—

आपको तभी दस मिनट से अधिक हो गये हैं। आपका पहला भाषण भी है।

श्री ओंकार सिंह—

थोड़ा सा सुझाव दे कर खत्म किये देता हूं। मान्यवर, मथुरा में एक ए0 आर0 टी0 ओ0 आफिस खुलने का प्रोग्राम था पंचवर्षीय योजना में 1979 में, लेकिन वह खत्म होने

[श्री ओंकार सिंह—]
जा रहा है, रायबरेली चला गया। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को भी पत्र लिखा। मथुरा में आफिस के लिये जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए, मथुरा जिला पूरी तरह से फुल फिल करता है। लेकिन माननीय मंत्री और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की मेहरबानी नहीं हुई कि इस वर्ष इस बजट में प्राविधान कर देते।

उसके अलावा मैं कुछ सुझाव दे दूं। लेकिन अभी एक विभाग तो बिल्कुल ही अछूता रह गया।

श्री अध्यक्ष—

ओंकार जी, अब आप समाप्त कीजिये।

श्री ओंकार सिंह—

मान्यवर, मेरे 3 सुझाव हैं। सब लोग दोषारोपण तो करते हैं लेकिन सुझाव कोई नहीं देता। मान्यवर, अनधिकृत आपरेशन्स क्यों होते हैं। एक लाख या 1 1/2 लाख जब एक व्यक्ति खर्च करके गाड़ी लेता है तो अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो वह अपनी गाड़ी कहां ले जायेगा? दूसरे कोई व्यक्ति यदि दूसरे प्रान्त से वह खर्चा करके लायेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन तब तक न किया जाय तब तक कि उसके पास परमिट न हो। यह प्रक्रिया सन् 1953 में भी चलती रही है। अनधिकृत आपरेशन्स नहीं होना चाहिए। दूसरे पुरानी गाड़ियों का जब रिप्लेसमेंट होता है तो पुरानी गाड़ियों के कागज सरेंडर कर दिये जाते हैं और अगर कोई नयी गाड़ी लेता है तो अगर परमिट है तो उसको रिन्यू किया जाय।

इसके अलावा जो चालान किये जाते है सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिये उन पर जुर्माना नहीं करना चाहिए। अगर आपको राजस्व बढ़ाना है तो अनधिकृत बसों को बन्द करना होगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि कानून में सेक्शन 60 के तहत परमिट निरस्त कर दिया जाय। उसमें ओवरलोडिंग के लिये जुर्माना या कम्पौन्ड के लिये ही प्रोवीजन होता है। अगर कोई बस बिना परमिट के राष्ट्रीयकृत मार्ग पर बस चलाता है तो कम्पौन्ड का कोई प्रोवीजन नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

अब आपके 3 सुझाव हो गये हैं, आप समाप्त कीजिये।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं इस विभाग में उपमंत्री श्री शिवदास तिवारी का आभारी हूं कि उनका भाषण सुनने के बाद मेरा बोलने का मूड बन गया। वह भाषण तो क्या कथा और प्रवचन सा मालूम पड़ा। उनका भाषण प्रारम्भ में ऐसा था कि जैसे प्राइमरी स्कूल में पहले प्रार्थना होती है या रामायण की चौपाई पढ़ी जाती हो। उन्होंने अपने भाषण में कुछ विशेष आरोप ही लगाये। उन्होंने कहा है कि जनता पार्टी ने पर्यटन के लिये बहुत ज्यादा काम किया है। पर्यटन में बड़ी रूचि इसलिये दिखायी गयी क्योंकि सत्र के बाद यहां पर एक भी मंत्री दिखायी नहीं देता, पर्यटन ही करते फिरते हैं। 3–3 महीने दौरे पर रहते हैं तो पर्यटन में रुचि तो है ही और यही तिवारी जी का भी कहना है।

श्री अध्यक्ष—

उसका असर भी यहां होता है।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, आप उनकी काफी सुरक्षा करते हैं। हमने अगर गल्ती न की होती तो हम इधर न आते। एक बात उपमंत्री जी ने कहा कि शराब पिलाकर पर्यटन को बढ़ायगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो केन्द्रीय मंत्री हैं उनका एक सर्वे निकला है। सबसे ज्यादा शराब मंत्री पीते हैं और अगर कोई मंत्री शराब नहीं पीता है तो वह दूसरी चीज का इस्तेमाल करता है। जिसको हम लानत कहते हैं।

अब मैं ठोस बात कहना चाहता हूं पर्यटन में कांग्रेस की सरकार ने कई योजनायें बनायी थी, जिनको जनता पार्टी की सरकार ने खतम हीं नहीं कर दिया बल्कि बिल्कुल भुला दिया है। अगर वह योजनायें अच्छी हैं तो उनको कार्यरूप में परिणत होना चाहिये जो उनमें से एक योजना थी कि उत्तर प्रदेश में एक इन्टरनेशनल एअरपोर्ट बनाये जायें। जो प्रसिद्ध स्थान है, जो प्रसिद्ध झीलें हैं, वहां पर एक इन्टरनेशनल एअरपोर्ट हो, जिससे विदेशी वहां पर आसानी से आ सकें। और इसीलिये यह प्रपोजल था कि आगरा में एक इन्टरनेशनल एअरपोर्ट बनाया जाय। मैं समझता हूं कि वह योजना ही गायब हो गयी। परिवहन विभाग के सिलसिले में एक ड्राईपोर्ट की स्थापना की बात थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिये यह योजना थी, लेकिन इस सरकार ने इसको छोड़ दिया है। आगरा के सुन्दरीकरण के लिये यमुना पर बैराज बनाने की योजना थी। यह योजना 7 करोड़ रुपये की थी। इससे खूबसूरती भी बढ़ती और बोटिंग आदि की भी फैसिलिटी होती और पानी की जो समस्या रहती है वह भी समाप्त हो जाती है। एक प्रस्तावित योजना थी कि हमारे प्रदेश में बर्ड सेन्चुरी हो। यह भरतपुर में हैं, जब भरतपुर के महाराज थे तो उनके जमाने में था उन्होंने उसे राजस्थान सरकार को दे दिया है। कीयम झील में बर्ड सेन्चुरी की स्थापना की जाये। दूसरी योजना यह थी कि फतेहपुर सीकरी को आकर्षण का केन्द्र बनाया जाय। जिस तरह से दिल्ली में ऐतिहासिक भवनों में लाइट और साउन्ड प्रोग्राम चलता है उसी तरह से यह प्रोग्राम यहां पर भी चलाय जाय। फतेहपुर सीकरी में भी यहां की विभिन्न इमारतों के इतिहास के शब्दों की ध्वनि और लाइट के द्वारा विदेशियों को उनके बारे में बताया जाय। लेकिन यह सब योजनायें खटाई में पड़ गयी हैं। उपमंत्री जी ने एक भी योजना नहीं बतायी। उनका तो कथा प्रवचन हो रहा था मैं तो यह समझ रहा था कि उनके भाषण के बाद प्रसाद बटेगा। हमारे यहां उत्तर भारत में एक मियां नजीर एक बहुत बड़े शायर हो गये हैं। जिनकी शेरों शायरी में हिन्दुस्तान की मिट्टी की सुगन्ध आती थी। उन्होंने आम चीजों पर शेरों व शायरी की है। बहुत छोटी-छोटी चीजों पर, त्योहारों पर, फलों से लेकर ककड़ी पर, उन मियां नजीर की कब्र पर बाहर से काफी लोग आतेहैं जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं शेर व शायरी में थोड़ा सा दखल रखते हैं। वह आगरे में आते हैं, मिर्जा गालिब का पुराना मकान जिसके जीर्णोद्धार की जरूरत है, उसको ढूंढते हुए आगरे मेंआते हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी कुछ लोग आगरे में आते हैं और ऐसे तो जिनको थर्ड स्टेज पर डाक्टर डिक्लेयर कर देता है उनके रेफरेंस पर आते हैं हमारे यहां का तो कोई होता नहीं है बाहर के ही होते हैं।

दूसरी बात एक हिन्दी साहित्य में तुलसी और सूर दो सितारे हैं। बांदा में तुलसीदास का इतना बड़ा भव्य स्मारक बना, कई लाख रुपया लगा, लेकिन सूर स्मारक जो कोयल में जंगल में स्थित है इतनी खूबसूरत और अच्छी जगह यमुना के किनारे है, उस जगह बहुत से लोग आते हैं जो हिन्दी साहित्य से प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं वह चाहे इस प्रदेश के हों या दूसरे

[श्री गुलाब सेहरा]

प्रदेशों के हों, सस्मारक को देखने आते हैं लेकिन पर्यटन विभाग ने आज तक उसके लिये अनुदान भी नहीं दिया है। जो हुआ है वह सेंट्रल गवर्नमेन्ट की तरफ से प्राप्त हुआ है।

दूसरी बात। बड़े जोर शोर से उपमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस शासन ने हरियाणा गवर्नमेन्ट, हरियाणा ट्रिस्ट विभाग से मदद ली। मैं दावे से कहता हूं हरियाणा गवर्नमेन्ट के अगर जो राज मार्ग पर बने हुए रेस्तरां हैं उनको देख लिया जाय तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां का पर्यटन विभाग उसके मुकाबले में नाकारा है। उदाहरण के लिये दिल्ली से आगरा आने वाले रास्ते पर एक जगह है जिसको डबचिक कहते हैं, वहां कितना शानदार ओपेन एयर रेस्तरां है। दूसरे बटकल में एक आर्टिफिशयाल, कृत्रिम, झील बनाकर उसको सुन्दर किया है। हरियाणा कारपोरेशन हमारे यहां के पर्यटन विभाग से 4 कदम आगे बढ़ा हुआ है। उनकी तेनोरका बाग.....

एक सदस्य—

वहां कुछ नहीं है अगर शराब हटा दी जाय।

श्री गुलाब सेहरा—

जिस पैटर्न को उन्होंने इस्तेमाल किया है तो आपकी कृपा से मैंने विदेशों में भी भ्रमण किया है तो ऐसा लगता है कि टूरिस्ट की ट्रेनिंग उन्होंने वहीं सेली है। लेकर के उन्होंने भारतीय संस्कृति केसाथ यूरोप कीसुविधाओं को भी मिश्रित कर दिया है और एक नयी चीज लाने की कोशिश की है। यह मैं अच्छी तरह से कह सकता हूं।लेकिन मंत्री जी अगर पर्यटन, टूरिज्म के बारे में नहीं जानते तो मैं उनको स्थान बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग से ज्यादा ....

श्री श्याम धर मिश्र—

इन्हें (उप मंत्री को) विदेश भेज दीजिये।

श्री गुलाब सेहरा—

मैं तो चाहूंगा कि वह विदेश जरूर जायं। अब बस खत्म कर रहा हूं। आगरे में टूरिस्ट के निवास करने के लिये गवर्नमेन्ट की तरफ से टूरिस्ट बंगले में 30, 35, 40 से अधिक लोगों के ठहरने के लिये स्थान नहीं है। वहां मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास वालों को कोई स्थान नहीं मिलता, इसपर जरा सोच-विचार होना चाहिये।

परिवहन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्राइवेट बसेज के बारे में एक प्रावीजन किया गया था कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को प्राइवेट बस का परमिट मिलना चाहिये, लेकिन कानून बनाने वालों ने एक पच्चर उसमें लगा दिया रोकथाम का कि अगर शेड्यूल्ड कास्ट के लोग कोआपरेटिव सोसाइटियां बनायेंगे तब परमिट दिया जायगा। न वह 10 इकट्ठा हो पायेंगे, न ले पायेंगे। मैं चाहता हूं कि जो ऐक्ट बना था उसमें संशोधन कर दें कि शेड्यूल्ड कास्ट को आगे व्यक्तिगत बस परमिट भी मिल जाया करेंगे।

इन्हीं बातों के साथ, मैं तो नहीं बोल रहा था, उपमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने पर मजबूर किया।

जय हिन्द।

*श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं अपने क्षेत्र की यातायात सम्बन्धी असुविधाओं की ओर माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे जिले में बसों की जितनी संख्या निर्धारित है उससे 12 बसें कम चल रही हैं। जब मंत्री जी हमारे यहां दौरे पर पधारे थे तो मैंने उनसे बस्ती से इलाहाबाद और बभनान से कानपुर तक बसें चलाने के लिये अनुरोध किया था। मंत्री जी ने इलाहाबाद तक चलाने के तो आदेश दिये और वह बस चली, पर बभनान से कानपुर तक नहीं चली। बभनान एक व्यावसायिक केन्द्र है और वहां से काफी लोग कानपुर आते जाते हैं। इसलिये इस रूट पर भी बसें चलायी जायें।

हमारे यहां एक आर० टी० ओ०, श्री तिवारी के खिलाफ तथा ए० आर० टी० ओ० के खिलाफ काफी कम्पलेन्ट्स की गयी थीं। आपने एक को तो सस्पेंड किया, दूसरे को केवल ट्रान्सफर ही किया, पता नहीं उसको क्यों छोड़ दिया, शायद इसलिये कि वह गोरखपुर का ही निवासी था इसलिये या अन्य किसी कारण से। आपके विभाग में जितना लम्बा चौड़ा भ्रष्टाचार है वह आपसे छिपा नहीं है। आप जानते हैं कि 16—16 बार निकाले गये कन्डक्टरों को भी आपकी कलम से रखा गया है। मैं कहता हूं कि इस संबंध में आप कोई निश्चित नियम क्यों नहीं बना देते और उसके अनुसार कार्य क्यों नहीं किया जाता? आज आपके अधिकारियों पर आपका नियन्त्रण नहीं है, वे आपके आदेशों का पालन नहीं करते। जिस समय आपके विभाग के बारे में आपके पास शिकायतें जाती हैं आप सोचते तक नहीं हैं। पता नहीं आपके अधिकारी आपकी बात क्यों नहीं मानते हैं।

मान्यवर, सेन्ट्रल स्टोर में लाखों रुपये का गबन है। यहां पर उत्तर में एक प्रश्न के, आपने बताया था कि जांच चल रही है, एक आदमी को सस्पेंड भी किया है। पर आपने किसी का ट्रान्सफर नहीं किया। इसलिये भ्रष्टाचार सामने नहीं आ पा रहा है। आप, माननीय मंत्री जी, अपने विभाग से भ्रष्टाचार रोकने में असमर्थ हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप इसको रोकने में अपने को असमर्थ पा रहे हों तो आप कोई दूसरा विभाग ले लें।

आपके पास टूरिस्ट विभाग भी है। मैंने एक मख क्षेत्र मखौड़ा, जहां पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, के विकास के लिये अनेकों बार लिखा, मगर उस पर कोई प्रगति नहीं हो सकी है। आपके निदेशक महोदय जाकर ठहरते तो हैं यू० पी० निवास में, मगर बिल पेश करते हैं होटल का और 3,900 रुपये का। खैर वह किस तरह से ठहरते हैं और चार्ज करते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे एक निवेदन करना है हमारे जिले में लुंबिनी एक स्थान है जहां पर विदेशों से लोग अक्सर आते हैं। इस क्षेत्र में यातायात के लिये सड़कों की व्यवस्था नहीं है। इसमें मैं आपसे चाहूंगा कि सुधार करायें। एक और निवेदन है कि फैजाबाद बाराबंकी रोड पर प्राइवट बसें चल रहीं थीं और 4 रुपये 25 पैसे किराया लेती थीं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने उसका राष्ट्रीयकरण किया और आपने 6 रुपये 50 पैसे किराया कर दिया। तो आप किस बात की सुविधा दे रहे हैं। आप का किराया भी ज्यादा है फिर भी आपको घाटा होता है। म चाहूंगा कि जिस काम में असमर्थ हो उसमें अपना हस्तक्षेप न करें। जो बसें देवरिया से बहराइच को चलती हैं, आपस मैंने इस संबंध में कई बार प्रार्थना की है वहां कटरा एक स्थान है, वहां बुकिंग आफिस होना चाहिये। जो बसें बहराइच से देवरिया जाती हैं वह अयोध्या होकर फिर वापस आती हैं और यात्रियों को 50 पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि देवरिया से बहराइच बसें सीधी चलाई जायें ताकि अयोध्या न जाना पड़े। कटरा में बुकिंग आफिस तथा स्टेशन बनाना चाहिये ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके।

[श्री सुखपाल पाण्डेय]

मैं नियमावली को तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अभी तक आपने कोई नियमावली नहीं बनाई। तो नियमावली तुरन्त बनानी चाहिये। आपके इस विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है आप इसे खत्म नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक चीज की आपको याद दिलाना चाहता हूं हमारे यहां एक बुकिंग क्लर्क है हरैया स्टेशन पर। जिसको आपने इसलिये रोका कि उसने आपके यहां आकर, क्या आपसे बात किया और क्या आपको दिया यह मैं नहीं जानता। लेकिन आपने उसको रोका है। वह वहां खुल्लमखुल्ला लूट किये है, भ्रष्टाचार किये है।

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त कीजिये।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

इस प्रकार से आपके विभाग में भ्रष्टाचार है आप इस विभाग को चलाने में असमर्थ रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर समय नहीं है।

श्री देवबहादुर सिंह—

केवल 5 मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष—

आपकी तरफ से श्याम धर जी बोल चुके हैं।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मुझे भी समय दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

सेठी जी, कृपया 10 मिनट में समाप्त करें।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, इस अनुदान में 13 साथियों ने भाग लिया। 10 तो जनता पार्टी के बोले। एक कांग्रेस (आई0), एक (आर0) और एक सी0 पी0 आई0 के बोले।

श्री अध्यक्ष—

आपने अपने को शामिल नहीं किया। (हंसी)।

श्री अजीतसिंह सेठी—

मैं यह सोच रहा था कि अब जनता पार्टी जब इतनी बोल रही है तो अब इस विषय पर और कोई जरूरत नहीं है लेकिन जितने सदस्य बोले उन्होंने स्पष्ट जो दोष था जिनका मैंने शुरू में वर्णन किया और बताया था कि निगम दुरुस्त नहीं चल रहा है, नीति साफ नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत फैला है गाड़ियां कम हैं करों का अधिक होना प्रतिबंधों का अधिक होना, सड़कों का खराब होना, जिससे एक्सीडेंट अधिक होना आबंटित रूपये का सही उपयोग न होना टैक्सियों पर मीटर न होना बिना परमिट के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर गाड़ियों का चलाना इत्यादि जो त्रुटियां मैंने शुरू में बताया वही सदस्यों ने कही। मैं महसूस कर रहा हूं कि मंत्री जी तो एक हैं लेकिन दुखड़े अनेक हैं। मंत्री जी को मालूम होगा कि जिस विभाग के आप हेड हैं उसके ऊपर जो बादल छाये हुये हैं उनको दूर करना आपका फर्ज है। बादल अनेक हैं चाहे

उनको कहें कि कांग्रेस के जमाने के हैं लेकिन उनको दूर आपको ही करना है। कर्मचारी वर्ग-अधिकारी वर्ग जिनका रूप सदस्यों ने पेश किया कि उनके ऊपर निगरानी नहीं हो पा रही है। इसलिये हमको सोचना पड़ रहा है कि इस सारे रोग का इलाज क्या होगा ? यह विभाग जनता के लिये बड़े महत्व का है। इसलिये यातायात के बिना वह जनता नहीं रह पायेगी। लेकिन इस सारे मसलों पर यही विचार है कि अब कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे यह कहा जाय कि आप के विभाग में त्रुटियां नहीं हैं, भ्रष्टाचार नहीं है गाड़ियों की कमी नहीं है। इसलिये जो नीति है उसमें स्पष्टत: तो यह था कि राष्ट्रीयकरण जब किया तो उसको पूरा किया जाय। इस समय जो नीति हो वह स्पष्ट होनी चाहिये कि निजी बसों को रूटो पर करना है तो ऐसा नहीं होना चाहिये कि जिनकी पहुंच है उन्हीं को परमिट दिये जांए। इसलिये जब रूल बन गये हैं तो उनका एलान होना चाहिये कि विभाग की तरक्की इस प्रकार से करना है।

श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

व्यवस्था का सवाल यह है कि श्री सेठी जी अंग्रेजी में बोल रहे हैं वह हिन्दी बोलें।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, यह न अंग्रेजी समझें और न हिन्दी, प्रश्न तो यह है।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री अजीत सिंह सेठी—

मान्यवर, मंत्री जी से निवेदन है कि जो रोग बताया है वह नीति के आधार पर हट सकता है और आपका विभाग सही तरीके से चल सकता है। इसलिये मान्यवर, नीति स्पष्ट होनी चाहिये ताकि प्रदेश की जनता उसको समझ ले कि आप विभाग को इस तरह से चलायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं श्री हरी सिंह, श्री श्याम धर मिश्र, श्री कासिम, श्री शतरुद्ध प्रकाश, श्री देव कुमार, श्री नत्थू जी का और श्री शिवदास तिवारी का जिन्होंने इस बजट में हिस्सा लिया।

भले ही ट्रांसपोर्ट पर न बोला हो, लेकिन माननीय ओंकार सिंह, गुलाब सेहरा जी, सुखपाल पांडेय जी जिन्होंने इस महकमें में व्याप्त भ्रष्टाचार का नक्शा खींच कर रख दिया इसलिये मुझे अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अब मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में विचार जानना चाहूंगा।

श्री आबिद अली—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का अत्यन्त ही आभारी हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझावों के द्वारा हमारा मार्ग-दर्शन किया। मैं इस आदरणीय सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उनके द्वारा दिये गये सुझावों को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्यान्वित करने में कोई कसर न उठा रखूंगा।

हमारे सेठी जी ने एक मूल प्रश्न उठाया है नेशनलाइजेशन का शायद उन्हें इस संबंध में हमारी नीति स्पष्ट नहीं हो पाई है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी नेशनलाइजेशन की नीति हमेशा से रही है। डीनेशनलाइजेशन का सवाल ही नहीं उठता। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि अभी सितम्बर-अक्तूबर मास में दिल्ली में नेशनल ट्रांसपोर्ट कौन्सिल

[श्री आबिद अली]

की बैठक हुई थी जिसमें केंद्रीय मंत्री जी भी मौजूद थे और पूरे हिन्दुस्तान के ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर साहबान भी मौजूद थे। वहां पर यह तय हुआ था कि इसकी नीति नेशनलाइजेशन की है और रहेगी। उसकी गति कैसी हो, तेज हो या धीमी, इसे स्टेट्स पर छोड़ दिया गया था क्योंकि यह सब उनकी हालत और रिसोर्सेज पर निर्भर है। गति के लिये पहले 68 सी के अन्तर्गत नोटीफिकेशन होता है। उसके बाद आब्जेक्शन आते हैं जो मुन्सिफ कोर्ट से लेकर सुप्रीमकोर्ट तक चलते हैं। जहां 68-डी में आने तक काफ वक्त जाया हो जाता है जिसके बारे में यकीनन नहीं कहा जा सकता कि कब तक क्लिअर हो जायगा। कभी बहुत देर और कभी जल्दी हो जाती है इस वास्ते नेशनलाइजेशन की गति वास्तव में आपरेटर्स पर निर्भर होती है। इस समय करीब 31 स्कीमें 68-सी में चल रही है। हर एक में कार्यवाही किसी न किसी मंजिल पर है। जो स्कीम क्लिअर हो जाती है वह 68-डी में आ जाती है।

अभी मिश्रा जी ने कहा कि मैं बहुत सीधा-साधा हूं इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने काम नरमी से करता हूं। मैं यह कह सकता हूं कि जितने ट्रांसफर और सस्पेंशन दंड मेरे सामने एक साल में किये गये हैं उतने शायद पिछले शासन के जमाने में नहीं किये गये। मेरे सामने अगर कोई करप्शन का मामला आया तो मैंने पहले उसकी इन्क्वायरी कराने की कोशिश की और जब आरोप सिद्ध हो गया तो पनिशमेंट भी दिया। ऐसा नहीं है कि कोई कम्प्लेंट आयी और तुरन्त बर्खास्त कर दिया। पहले जांच होती है, बाद में कोई ऐक्शन लिया जाता है। अगर आरोप सिद्ध नहीं हो पाता तो उसे दोषमुक्त कर दिया जाता है। इसमें नरमी की कोई बात है ही नहीं। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करके विभाग को सुचारु रूप से चलाने को तैयार हूं। उसके बाद हमारे सेठी साहब ने एक बात उठाई कि बैलेंस शीट अभी तक नहीं बनी, यह सही बात है। जब सन् 72 में निगम बना था उसके बाद 78 हो गया, काफी दिन हो गए लेकिन यकीन दिला सकता हूं कि मेरे आने के बाद खासतौर से उस पर तवज्जह दी गयी। पुराने फार्म पर एकाउन्ट बना था, आडिटर जनरल ने कहा कि जब तक नए फार्म नहीं होंगे तब तक आडिट नहीं करेंगे, तो नए फार्म मंगाये गये हैं और उन पर एकाउन्ट लाया गया है। मैं समझता हूं कि तीन महीने के अन्दर आडिट खत्म हो जाएगा, उनका सार्टीफिकेट आ जाएगा और इसी साल के अन्दर बैलेंसशीट मुकम्मल होकर सामने आ जाएगी। मैं समझता हूं कि जब तक बैलेन्स शीट सामने नहीं आती है, उसकी सटीफाइड कापी नहीं आती है उस वक्त तक सही अन्दाजा होना मुश्किल है कि कितना नुकसान है या कितना फायदा है। उसके बाद आपने कहा कि पेट्रोल और डीजल में वेस्टेज हो रहा है। तमाम सूबों के आंकड़े आये उसके हिसाब से यू0 पी0 में जो डीजल और पेट्रोल का एवरेज कन्जम्पशन आता है वह सबसे अच्छा है। दूसरे सूबे वाले ताज्जुब करते हैं कि इतना अच्छा कन्जम्पशन यू0 पी0 में कैसे है। उसके बाद आपने करप्शन की बात कही, मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप केसेज बतलाइए, डिफनिट केस बतलाइए अगर वेग चीज हुई तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं।

उसके बाद हमारे मिश्रा जी ने कहा कि कुछ ट्रैफिक कम हुआ, कुछ इनकम कम हुई। मैंने जो किताब देखी है उसमें यह बात नहीं मिल रही है, बल्कि इनकम भी लगातार बढ़ रही है और ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। पेज 28, 29 पर देखें 75 में इनकम हुई 41 करोड़ 29 लाख, 2568; 75–76 में 52 करोड़ 5 लाख 1749; उसके बाद 76–77 में 57 करोड़ और इस साल जो खत्म हो गया है 77–78 उसमें 61 करोड़ 94 लाख 48 हजार 641। तो इस तरीके से करीब साढ़े चार या पांच करोड़ की इनकम बढ़ी है। यह कहना कि इनकम नहीं बढ़ी है, मैं समझता हूं कि ज्यादती होगी।

उसके बाद आगे आ रहा हूं जिसमें पैसेन्जर की तादाद दी गई है। वह 74 में है 24 करोड़ 76 लाख, 75 में 26 करोड़ 6 लाख, 76 में 27 करोड़ 59 लाख, 77 में 30 करोड़ 67 लाख

और बढ़कर मार्च, 78 में 30 करोड़ 84 लाख हो गई है। तो पैसेन्जर्स की भी तादाद बढ़ी है, ग्रास इनकम भी बढ़ी है।

उसके बाद हमारे शत्रुघ्न प्रकाश जी ने टैक्सियों में मीटर के बारे में कहा।

आपने खुद वाराणसी में मुझसे कहा था कि मीटर नहीं होने चाहिये। तो जब सब लोग कहते हैं कि मीटर नहीं होने चाहिये तो मिनिस्टर क्या करें। ख्वाहिश तो थी कि मीटर लगाये जायं लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मीटर नहीं होने चाहिए इसलिये मैं कमजोर पड़ गया।

उसके बाद आपने ऐन्टी करप्शन की बात कही। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो चार्जेज पहले आये थे उनकी इन्क्वायरी हो रही है। अगर कोई और भी चार्जेज आप ला कर दे दें तो उनकी इनक्वायरी कर लेंगे और दोषी को बक्शा नहीं जायगा।

उसके बाद हमारे सेहरा साहब ने कुछ मूड में आकर कहा। वह ज्यादा बात मूड की थी उन्होंने इण्टरनेशनल एयरपोर्ट की बात कही। इण्टरनेशनल एयर पोर्ट को पहली गवर्नमेन्ट ने अपने वक्त में टेक अप किया लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जब पहले की गवर्नमेन्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो इस गवर्नमेन्ट के द्वारा ऐसा करने का सवाल ही नही पैदा होता चैप्टर क्लोज हो गया तो क्या खुलेगा।

उसके बाद ड्राइपोर्ट की बात कही गयी। इसमें पहले सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की बात रहती है।

इसी प्रकार जमुना पर बैराज की बात उठाई। मुझे कहना तो नही चाहिए लेकिन उसमें ऐसा है कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। नीचे से नोट बना की होना चाहिए और उन्होंने फाइल पर लिखा है कि चूंकि इससे ताजमहल की बुनियाद में पानी भरने का अन्देशा है इसलिए बैराज नहीं बनाया जाय।

श्री गुलाब सेहरा—

ऐसा नहीं था। मैं आपको बता दूं।

श्री आबिद अली—

उसके बाद फतेहपुर सीकरी के बारे में आपने लाइट एण्ड साउन्ड की बात कही। वहां पर जो लोग जाते हैं मैं चाहता हूं कि उनके ठहरने के लिये आवास गृह बनाये जायं। मैं खुद वहां गया था। इस समय हमारे एम0 एल0 ए0 साहब यहां पर नहीं हैं वह भी मेरे साथ थे। तो उसमें जमीन की दिक्कत पड़ेगी। अगर आप जमीन वहां पर दिलवा दें तो आवास गृह बनायेंगे ताकि जो टूरिस्ट जाते हैं उनके लिए वहां ठहरना आसान हो जाय।

उसके बाद आपने मीर नजीर गालिब की बात कही। यह तो प्राइवेट बात हो जाती है। गवर्नमेन्ट बाद में आती है। पब्लिक की तरफ से सुझाव आया तो गौर किया जायगा।

सर्विस कन्डीशन के लिए कहा गया। इम्प्लाईज के सब सर्विस कन्डीशन अधूरे पड़े थे। हमने कोशिश कर के उनको मुकम्मल कराया। उनके यूनियन्स से बात चल रही है कि उन्हें कोई एतराज तो नहीं है। कोई एतराज नहीं होगा तो वह चीज फाइनल हो जायगी। जो लोग गैर मुस्तकिल पड़े हुये हैं हमारी कोशिश यह हो रही है कि वे ज्यादा दिन तक गैर मुस्तकिल न रहें और जल्दी मुस्तकिल हो जायें।

[श्री आबिद अली]

सेठी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वापस ले लें, पुराने दोस्त हैं और इस बजट को पास होने दें।

श्री देव कुमार—

मान्यवर, अपने वक्तव्य में मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान चित्रकूट में हर अमावस्या के दिन जो भीड़ हो जाती है उस सिलसिले में और बबेरु, भरका, अर्त्तरा, ओरन आदि के सिलसिले में आकर्षित किया था। उस सिलसिले में क्या माननीय मंत्री जी कुछ विचार करेंगे ?

श्री आबिद अली—

मैंने जैसा कि निवेदन किया जो इनडिविजुअल केसेज हैं, उनमें जितना कुछ कर पायेंगे जरूर करेंगे।

श्री अजीतसिंह सेठी—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो विचार पेश किये उनसे जो बादल उठे है वे छिपेंगे नहीं इसलिए प्रस्ताव वापस लेने का सवाल नहीं है।

श्री श्याम धर मिश्र—

चूंकि माननीय मंत्री जी ने नाम लिया और वह इस पुस्तिका में है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि वह किस पेज में है। 35 में तो वह चीज छपी नहीं है। 77–78 के आंकड़े मैं पढ़ रहा हूं। उन्होंने गलत छपाया हो यह दूसरी बात है। पृष्ठ 34 पर देखें 76–77 में 2 करोड़ 28 लाख का मुनाफा हुआ लेकिन इस साल 9 महीने में 1 करोड़ 45 लाख रुपये का मुनाफा हुआ जिसका दुख माननीय मुख्य मंत्री जी को स्वतः है। पृष्ठ 23 पर उन्होंने कहा है 'वर्ष 1977–78 परिवहन निगम के लिये अनेक अनियंत्रित वाह्यवरो के प्रतिकूल प्रभाव का वर्ष रहा है। आन्तरिक चौकसी के बाद भी परिवहन निगम का परिचालन इन तत्वों के फलस्वरूप विपरीततः प्रभावित हुआ है। अन्यथा चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 9 मासों में निगम का शुद्ध लाभ 145.46 लाख रुपये की अपेक्षा काफी अधिक होता।' यह प्रतिशत में पहले 5.2 था इस साल वह 3.2 हुआ। इसको मैंने रखा था इस पुस्तिका से....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12—मोटर गाड़ियों, माल तथा यात्रियों पर कर के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12—मोटर गाड़ियों, माल तथा यात्रियों पर कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,99,31,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63—सिविल विमानन के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63—सिविल विमानन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68—सड़क तथा जल परिवहन के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68—सड़क तथा जल परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,68,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69—पर्यटन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69—पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,86,600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के

[श्री अध्यक्ष]

लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 89—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी ने सूचना दी है कि दिनांक 9 मई, 1978 को मेडिकल कालेज, कानपुर के छात्रों द्वारा दैनिक जागरण कार्यालय, कानपुर में तोड़-फोड़ तथा आगजनी के कारण हजारों रुपये की क्षति हुई है। इसी तरह की सूचना श्री बाबूराम शुक्ल ने दी है। मैंने इसको स्वीकार किया है। माननीय गृह मंत्री इस पर कब वक्तव्य देंगे ?

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, कल दे दूंगा, नहीं तो परसों दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। श्री शारदा प्रसाद जायसवाल तथा श्री रवीन्द्र सिंह ने सूचना दी है कि दिनांक 9 मई, 1978 को प्रातः लखनऊ सिटी स्टेशन के पास बैकुन्ठनाथ को गोली मार कर हत्या कर दी गई है। इसे मैं केवल वक्तव्य के लिये निर्देशित कर रहा हूं। बाकी श्री रियासत हुसैन तथा श्री हरिपाल सिंह शास्त्री की सूचनायें स्वीकार नहीं की हैं।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

मान्यवर, कल आपने नियम 51 की एक सूचना स्वीकार की थी और माननीय मंत्री जी अनुपस्थित थे ....

श्री अध्यक्ष—

वह तो आप जानते हैं कि जो सूचना थी उसके लिये निर्देश दे दिया गया और उस पर मंत्री जी ने तारीख भी निश्चित कर दी है।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष—

अब इस वक्त नहीं कह सकते। जब वक्तव्य आयेगा, तब कहियें।

श्री बाबूराम शुक्ल—

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। कानपुर के कई सौ छात्र जो कि डी0ए0वी0 कालेज के हैं, अपनी फरियाद लेकर मुख्य मंत्री के पास आना चाहते थे, लेकिन मुझे सूचना मिली है कि 60 छात्रों को विधान सभा के सामने गिरफ्तार किया गया है, लगभग 150 छात्र आलमबाग थाने में रोक रखे हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उन छात्रों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जायेगा या क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

पहली बात यह है कि जो कोई भी सदस्य कुछ कहना चाहते हैं उसे पहले अध्यक्ष के संज्ञान में लाना चाहिये। जब तक संज्ञान में नहीं लायेंगे तब तक स्वीकार कैसे किया जाय ? इस लिए आज यह प्रश्न नहीं है। कल इसको लाइयेगा।

एक सदस्य—

मेरा भी एक था कि गोली मार कर हत्या कर दी गई.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, इस प्रकार नहीं। यह उसका अवसर नहीं है।

कुछ व्यक्तियों के सदन में घुस आने तथा नारे लगाने के संबंध में 7 दिन के कारावास की सजा का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

आज दिनांक 10 मई, 1978 को अपरान्ह 1.40 मिनट पर सभा मंडप में नारे लगाने की घटना हुई थी जिसके संबंध में मार्शल विधान सभा ने यह रिपोर्ट दी है :—

'आज दिनांक 10 मई, 1978 को अपरान्ह एक बज कर 4 मिनट पर जिस समय विधान सभा की कार्यवाही चल रही थी, शासन पक्ष के प्रवेश द्वार की ओर से दो नवयुवक, जो अपना नाम क्रमशः श्री दिनेश शुक्ल, एम0 ए0 फाईनल, डी0 ए0 वी0 कालेज, कानपुर तथा श्री धनरंजन श्रीवास्तव, बी0 ए0 प्रीवियस, डी0 ए0 वी0 कालेज, कानपुर बताते हैं, भागते हुए सदन में 'चन्दू बाबू मुर्दाबाद' के नारे लगाते हुए घुस आये तथा उनमें से एक व्यक्ति रिपोर्टर्स टेबिल के निकट तक आ गया। द्वार पर खड़े रक्षक उनको इस प्रकार अचानक दौड़ते हुए प्रवश द्वार पर न पकड़ सके तथा एक व्यक्ति जो पीछे था, वहीं द्वार पर पकड़ लिया गया। तुरन्त ही 4,6 रक्षकों ने उन्हें अंदर से पकड़ कर बाहर किया। उपरोक्त दो व्यक्तियों के अतिरिक्त दो अन्य व्यक्ति जोकि अपना नाम क्रमशः श्री विशम्भर सिंह यादव तथा श्री विजय पाल सिंह बतलाते हैं, वह भी नारे लगाते हुए मंडप में घुसने का प्रयत्न कर रहे थे जिससे कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान हुआ। बरामदे में आने के उपरान्त भी चारों व्यक्ति उपरोक्त नारे लगाते रहे। ये व्यक्ति इस समय नोटिस अफिस में हिरासत में बैठाये हुये हैं। इन लोगों के पास से किसी भी प्रकार का विधान भवन प्रवेश-पत्र नहीं प्राप्त हुआ और इनका कहना है कि वह अपने को मंत्रियों के शैडो कहते हुए बिना प्रवेश-पत्र के विधान भवन में प्रवेश कर गये। इन व्यक्तियों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि ये लोग बड़ी संख्या में प्रदर्शन हेतु यहां आये हैं और उनके लगभग डेढ़ दो सौ साथी आलमबाग थाने पर पकड़े हुये हैं। बरामदे में तैनात पुलिस के कर्मचारियों से पूछने पर उन्होंने कहा कि वहां पर मंत्री के शैडो के साथ ही ये लोग भी खड़े थे, इसलिए उन पर किसी प्रकार का संदेह नहीं हुआ। सभा मण्डप के द्वार पर जो रक्षकगण खड़े थे, उनका कहना यह है कि यह लोग द्वार के निकट तक बिना संदेह के चले आये, तत्पश्चात तेजी से नारे लगाते हुए सभा मण्डप में प्रवेश कर गये।

[श्री अध्यक्ष]

इस प्रकार की सूचना मुझे प्राप्त हुयी है। यह एक गंभीर बात है। जिन व्यक्तियों ने आज सभा में घुसकर नारे लगा करके कार्यवाही में व्यवधान डाला यह सदन का अवमान है। यह भी आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से इस मण्डप में नहीं आ सकता है और संविधान के अनुसार हमारे नियमों के अनुसार यदि कोई यहां आकर जहां माननीय सदस्य बैठते हैं, बैठ जाता है तो उस पर पांच सौ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इस प्रकार की कार्यवाही अनधिकृत रूप से करना इस सदन का अपमान है। इसलिए जिन व्यक्तियों ने आज इस सदन का अवमान किया है और सदन में घुस कर अनधिकृत रूप से नारे लगाये है, उनको मार्शल ने अपनी हिरासत में ले लिया है। अब मैं चाहता हूं कि यह माननीय सदन अपने को एक न्यायालय के रूप में परिणत करे क्योंकि यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है जो सदन के सामने हुआ है। मैं माननीय सदन से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न के निस्तारण के लिए अब हम आगे की कार्यवाही करें। जैसा मैंने कहा हमको अपने को न्यायालय के रूप में परिवर्तित कर देना है और गम्भीरता से इस सारे प्रश्न पर गौर करना है। मार्शल, सबसे पहले श्री दिनेश शुक्ल को सदन के समक्ष पेश किया जाय।

(अभियुक्त को सदन के सामने पेश किया गया।)

श्री अध्यक्ष—

आपका क्या नाम है ?

अभियुक्त—

दिनेश शुक्ला।

श्री अध्यक्ष—

यहां पर आप किस प्रकार, किस प्रवेश-पत्र से दाखिल हुए ?

श्री दिनेश शुक्ला—

हमारे पास कोई प्रवेश-पत्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप किस प्रकार यहां पर आये ?

श्री दिनेश शुक्ला—

लोगों ने रास्ते में, किसी ने रोका नहीं। मैं सीधा चला आया।

श्री अध्यक्ष—

आपने यहां आकर 1 बजकर 40 मिनट पर नारे लगाये ?

श्री दिनेश शुक्ला—

जी हां।

श्री अध्यक्ष—

आप जानते हैं कि सदन की कार्यवाही में बाधा डालना और इस प्रकार के नारे लगाना इस सभा का अपमान करना है जो इस प्रदेश की सर्वोच्च सभा है ?

श्री दिनेश शुक्ला—

इस संदर्भ में मैं नहीं जानता। अपनी बात कहने बहुत से साथी कानपुर से चले थे। एक ज्ञापन देना चाहते थे मुख्य मंत्री को। आलमबाग में कुछ लोगों को डिटेन कर लिया, कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। हम लोग अपनी बात कहना चाहते थे। जबरदस्ती हमको रोका गया। सदन को जानकारी देने के लिये आये थे।

श्री अध्यक्ष---

यहां माननीय मुख्य मंत्री का कार्यालय नहीं है। आप जा सकते थे माननीय मुख्य मंत्री के पास उनसे आज्ञा लेकर। लेकिन यहां सदन में क्यों प्रवेश किया ?

श्री दिनेश शुक्ला---

मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी।

श्री अध्यक्ष---

आप जानते है कि आपने अपराध किया है ?

श्री दिनेश शुक्ला---

इस बात की हमको कोई जानकारी नहीं है कि अपराध कर रहा हूं या नहीं। अपनी बात कहने आया था।

श्री अध्यक्ष---

आपको क्यों न दंड दिया जाय ? (श्री दिनेश शुक्ला चुप रहे।)

आप अपने इस कार्य पर पश्चाताप करते हैं, खेद प्रकाश करते हैं ?

श्री दिनेश शुक्ला---

मैं अपनी आवाज की बुलन्दी से कहता रहूंगा। पश्चाताप या खेद की कोई ऐसी बात ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

मार्शल, इनको आप ले जाइये। दूसरे अभियुक्त श्री धनरंजन श्रीवास्तव को पेश कीजिये।

(श्री धनरंजन श्रीवास्तव को सदन में लाने पर)

श्री अध्यक्ष---

आपका क्या नाम है ?

श्री धनरंजन श्रीवास्तव---

मुझे धन रंजन श्रीवास्तव कहते हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप किस प्रवेश-पत्र के आधार पर यहां आये ?

श्री धनरंजन श्रीवास्तव---

किसी प्रवेश पत्र के आधार पर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष---

यहां पर नारे लगाये 1.40 पर ?

श्री धनरंजन श्रीवास्तव---

जी हां, लगाये।

श्री अध्यक्ष—

आप जानते हैं कि आपने यहां सदन की कार्यवाही में बाधा डाली और सदन का अपमान किया ?

श्री घनरंजन श्रीवास्तव—

किसी तरह से मैं मांग पत्र देना चाहता था, अपनी सरकार को जागरुक करना चाहता हूं और अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष—

आपको अपने इस कार्य के लिए अफसोस है ?

श्री घन रंजन श्रीवास्तव—

सर, मुझे अफसोस क्यों होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, इनको बाहर ले जायें और विशम्भर सिंह यादव को लायें ।

(श्री बिशम्भर सिंह यादव को सदन के समक्ष लाया गया)

श्री अध्यक्ष—

आपका क्या नाम है ?

श्री विशम्भर सिंह यादव—

श्री अध्यक्ष—

आपने यहां पर किस प्रकार से प्रवेश किया ?

श्री विशम्भर सिंह यादव—

यहां पर मुझे तो मालूम नहीं है, गेट तक आया और घुसता चला आया ।

श्री अध्यक्ष—

आपने 1.40 पर यहां नारे लगाये ? आप जानते हैं कि नारे लगाना और बिना किसी प्रवेश-पत्र के आना, सदन का अपमान किया है और अपराध किया है ।

श्री विशम्भर सिंह यादव—

जी ।

श्री अध्यक्ष—

बिला प्रवेश-पत्र के आना और नारे लगाना यह सदन का अपमान है और आपने अपराध किया है ।

श्री विशम्भर सिंह यादव—

मैं अपनी आवाज बुलन्द करना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष—

आपको इस बात के लिए अफसोस है या नहीं ?

श्री विशम्भर सिंह यादव---

मैंने अपनी आवाज पहुंचायी, जैसा आप उचित समझें।

श्री अध्यक्ष---

मार्शल, इनको बाहर ले जायं और विजयपाल सिंह को लाया जाय।

(मार्शल श्री बिशम्भर सिंह यादव को बाहर ले गये तथा श्री विजयपाल सिंह को सदन में लाये)

श्री अध्यक्ष---

आपका क्या नाम है ?

श्री विजयपाल सिंह---

विजय पाल सिंह।

श्री अध्यक्ष---

यहां पर किस प्रवेश पत्र के आधार पर आये ?

श्री विजय पाल सिंह---

आपसे ऐसे ही आ गया ।

श्री अध्यक्ष---

यहां पर नारे लगाये ? आप जानते हैं कि आपने सदन का अपमान किया है।

श्री विजयपाल सिंह---

जी हां, बिल्कुल ।

श्री अध्यक्ष---

क्षमा मांगते हैं।

श्री विजय पाल सिंह---

जी नहीं।

श्री अध्यक्ष---

मार्शल, आप इनको बाहर ले जाइये।

(मार्शल श्री विजयपाल सिंह को बाहर ले गये।)

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

संसदीय वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधे घन्टे अर्थात् साढ़े 5 बजे तक बढ़ा दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सदन का समय साढ़े 5 बजे तक बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कुछ व्यक्तियों के सदन में घुस आने तथा नारे लगाने के संबंध में 7 दिन के कारावास की सजा का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

आपने इन चारों अभियुक्तों की बातों को सुना। यह प्रश्न सदन के सामने निर्णय के लिए है। अब म इसको पेश करता हूं।

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, आज इ स सदन के अन्दर 4 लोगों ने अनधिकृत रूप से प्रवेश करने का प्रयत्न किया। दो ने तो सदन में प्रवेश भी ले लिया। मान्यवर, अभी तक तो दर्शकदीर्घा से नारे लगाये जाते रहे और कभी पर्चे फेंके जाते हैं लेकिन मेरी जानकारी में यह पहला अवसर है कि जब इस सदन में इस प्रकार से अनधिकृत रूप से प्रवेश किया और सदन की कार्यवाही में बाधा डाली।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जैसा आज हुआ, जो कुछ भी कहा जा रहा है चाहे इधर के लोगों ने कहा चाहे उधर के लोगों ने कहा। उचित होगा कि जो कुछ हम कहें वह उनकी उपस्थिति में कहें।

श्री अध्यक्ष—

आप यह जानते हैं (व्यवधान)

आप लोग शांति बनाये रहें। चारों अभियुक्तों को अपनी बात कहने का मौका मिला, कोई साक्ष्य का प्रश्न नहीं। आपको विचार करना है कि क्या निर्णय हो, आप तो वकील हैं, यह जानते हैं कि बहस करने के बाद कोर्ट अपना फैसला रिजर्व कर लेता है।

श्री वीरेन्द्र पति यादव—

मैं इस बात को मानता हूं कि साक्ष्य का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

वीरेन्द्र पति जी, अब मैंने निर्णय दे दिया, आप बैठें।

श्री वीरेन्द्र पति यादव—

मान्यवर, मैं आपके निर्णय को मानता हूं।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, इन परिस्थितियों में मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री दिनेश शुक्ला, एम0ए0 फाइनल, डी0ए0वी0कालेज, कानपुर तथा श्री धनरंजन श्रीवास्तव, बी0ए0 प्रीवियस, डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर ने 1 बज कर 40 मिनट पर सभा मंडप में नारे लगाकर तथा श्री विशम्भर सिंह यादव और श्री विजय पाल सिंह ने सभा मंडप में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने का प्रयत्न करके सदन की कार्यवाही में बाधा डाली एवं इस प्रकार सदन का प्रत्यक्ष अपमान किया। अतः सदन यह निर्णय करता है कि इस अवमान के लिये उपरोक्त चारों व्यक्तियों को 7 दिन का साधारण कारावास का दंड दिया जावे और उन्हें जिला जेल, लखनऊ में कारावासित किया जाये। इस प्रसंग में मार्शल, विधान सभा द्वारा उनको गिरफ्तार किये जाने का अनुमोदन करता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ....

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, हम लोगों को भी कुछ कहने का मौका दिया जाय? मान्यवर, आज की जो घटना है इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि यह गम्भीर घटना है परन्तु पेश्तर इसके कि यह सदन अदालत के रूप में कोई निणय ले हमें सोचना पड़ेगा कि इन लोगों के यहां पर आने में कुछ और लोग भी जिम्मेदार हैं। इस सदन में जो आने के रास्ते हैं उन पर सुरक्षा के लिए आपने जगह-जगह पर फाटक लगाये हुए हैं। इन सब चीजों को क्रास करके वे यहां आ गये। मान्यवर, यह कोई नया विषय नहीं है। सूबे भर म डी0 ए0 वी0 कालेज, कानपुर, के सम्बन्ध में चर्चा चल रही है। जब भिन्न-भिन्न प्रकार से यहां इस सदन में भी आ चुके हैं लेकिन आज तक उनका कोई मसला निपटाया नहीं गया है। तो उसका क्या कारण है।

श्री अध्यक्ष —

आप विषयान्तर हो रहे हैं। आप विषय तक ही सीमित रहें। क्या आप इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं?

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं इस बात को बाद में कहता। विरोध मैं इसलिए कह रहा हू कि इस घटना की जिम्मेदारी इन नौजवानों के मुकाबले इस सरकार के ऊपर ज्यादा है। इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं। और ये घटना बराबर होती रहेंगी जब तक बढ़ते हुए असंतोष को खत्म नहीं किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

श्री राकेश। राकेश जी, एक मिनट से ज्यादा नहीं।

*डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मुझे इस बात के लिये खेद है कि मेरे नौजवान दोस्त चार यहां आये और नारेबाजी की और सदन का अपमान हुआ। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नारेबाजी के ही कारण जो हमने यहां की थी हमको 7 दिन का कारावास नहीं दिया गया था। नारेबाजी करना कोई अपराध नहीं है, वह सदन के अन्दर चले आये हैं, यह अपराध किया है। हमको और आपको देखना यह है कि इन नौजवान दोस्तों का अपराध क्या है? कानपुर जनपद को ये नौजवान बिलांग करते हैं और मैं भी बिलांग करता हूं और मैं तहेदिल से इन नौजवान दोस्तों की भावनाओं के साथ हूं। इसलिए मान्यवर, कि उनको एक यह जानकारी आयी थी कि मुख्य मंत्री जी यहां मिलेंगे। 'चन्दू बाबू' एक सदन के अध्यक्ष है। विधायकों को जानकारी है कि विगत 4—5 महीने से कानपुर में क्या हो रहा है। वह मासूम नौजवान दोस्त आये थे मुख्य मंत्री तक, आपके समक्ष, हम तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं जानकारी है कि हमने क्या अपराध किया या नहीं किया। वह एक गेट पर पहुंचे, उस गेट पर अपराध हुआ। दूसरे गेट पर पहुंचे, कुछ दूसरा ही अपराध हुआ, तीसरे गेट पर पहुंचे तो तीसरा अपराध हुआ और चौथे गेट पर भी ऐसे ही अपराध हुआ। मैं यह महसूस करता हूं कि अगर आप इजाजत देंगे तो कहूंगा कि माननीय संस्थागत वित्त मंत्री जी ने जैसा कहा वे पहली बार आये हैं, अगर उचित प्रबन्ध कराया गया होता, कड़ाई के साथ व्यवस्था लागू होती तो यहां वे आते ही नहीं तो सदन का अपमान नहीं होता। इसलिए जहां जिम्मेदारी उन नौजवान दोस्तों की है उतनी ही सरकार की है, इन सरकार के अंग-रक्षकों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश']

की है। इसलिए विनम्र निवेदन है कि माननीय सदस्यों से कि नौजवान दोस्त आये हैं, उनकी आहों के अम्बार जो सजे हुए है आलमबाग में, 4 महीने से जो उनको बहलाया जा रहा है और जो विद्यालय भ्रष्टाचार का केन्द्र बन कर रह गया है....

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिये, बैठ जाइये, स्थान ग्रहण कीजिये।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

तो यह उनका प्रथम अपराध मानकर इन चारों नौजवानों को क्षमा करें।

(श्री रेवती रमण रस्तोगी के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

रेवतीरमण जी, बैठिये।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

मैं प्रार्थना करता हूं कि जो प्रस्ताव किया है उसमें संशोधन करें। कानपुर के चारों विद्यार्थी कुछ विचार लेकर आये हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि केवल सदन बैठने तक उन्हें सजा दी जाय। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस पर ध्यान दें।

श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

मान्यवर, जो 7 दिन की सजा करने का प्रस्ताव रखा गया है इसमें मैं संशोधन चाहता हूं कि यह कम से कम 15 दिन का होना चाहिए...

श्री अध्यक्ष—

(एक सदस्य के खड़े होने पर) आपने अपनी बात कही, माननीय सदस्य को भी मौका दीजिये अपनी बात कहने का।

श्री नरेश चन्द्र—

मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सदस्य श्री चतुर्वेदी जी ने इस बात का दृष्टान्त रखा कि कल हम लोगों ने भी नारे लगाये तो क्यों न हमको 7 दिन की सजा कर दी जाय। यह भी कहा कि कानपुर के रहने वाले थे, वह भी वहीं के हैं। वह अपनी आवाज बुलन्द करने आये थे। आपके माध्यम से सदन में आना चाहते थे....

श्री अध्यक्ष—

अब मैं इस पर बहस की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री नरश चन्द्र—

जिस तरीके से माननीय चतुर्वेदी जी ने केस को रखा है, मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री से चूंकि वह नाराज हैं इसलिए अपनी भावनाओं को इस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है यह भी सदन का अपमान है।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इसमें संशोधन चाहता हूं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, जैसा कि आपने अपने मुखारबिन्दु से स्पष्ट किया, यह ठीक है कि जब यह सदन किसी ब्रीच आफ प्रीविलेज के प्रश्न पर विचार करता है तो वह एक न्यायालय के रुप में बैठता है और उसमें विरोध पक्ष या सत्ता पक्ष का प्रश्न निहित नहीं होता है और हम सभी एक पक्ष के होकर निर्णय लेते हैं। हमें आज यह विचार करना है कि सदन की अवमानना हुई या नहीं र यह सही है कि सदन की अवमानना हुई है। कोई भी बाहर का व्यक्ति इस तरह सदन में आक यदि सदन की कार्यवाही में बाधा डालता है तो निश्चय ही यह सदन का अवमान है। बाहरी कोई भी व्यक्ति सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है। आपने उन लोगों को यहां बुलाया यह आपके स्वविवेक पर था और आपने उनको एक अभूतपूर्व अवसर भी दिया। उन्होंने कहा कि वे अपनी बात मुख्य मंत्री तक पहुंचाना चाहते थे और वे नहीं जानते कि क्या सही है क्या नहीं। अच्छा होता, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां इस समय रहते। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को भी यहां रहना चाहिये था। यह दुख का विषय है कि यहां कोई इस समय नहीं है। यह दायित्व माननीय संस्थागत वित्त मंत्री जी को सौपा गया है। मैं नहीं जानता कि जो स्मरणपत्र वे देना चाहते थे, छात्र लोग, उसको लिया या नहीं लेकिन कहा यह गया कि उनका पत्र नहीं लिया गया। लेकिन नहीं भी लिया गया तो उसका कोई औचित्य यह नहीं हो सकता कि वे यहां सदन में आकर नारे लगाते और इस तरह की धृष्टता करते। इस तरह से अगर आज इनको आने दिया गया तो कल फिर जाने कितने लोग इस तरह से आयेंगे। मैं समझता हूं कि इस वातावरण को हमें खराब नहीं करना है और ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि बाहरी लोग यहां आ पायें। इसके लिये हम सब की भी जिम्मदारी है कि हम राजनैतिक कार्यकलापों द्वारा भी इस तरह की चीजों को कतई प्रोत्साहन न दें। आज इस प्रकार का जो वातावरण बन गया है वह नहीं बनने देना चाहिये। हम अपने को भी इससे अलग नहीं करते, आपको भी, माननीय संस्थागत मंत्री जी, उसमें शामिल करते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी किसी तरह कम नहीं होती है। मगर श्रीमन्, यह अपने ढंग की पहली घटना है। सदन यह कतई पसन्द नहीं करेगा कि उसके कामों में इस तरह से बाधा डाली जाय। लेकिन चूंकि अपने प्रकार की पहली घटना है, इन लोगों का पहला दोष है, इसलिये बजाय इसके कि इनको इतनी लंबी सजा दी जाय, मैं संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इनको कल प्रातःकाल छोड़ दिया जाये, रात भर जेल में रखा जाये। रात्रि भर की सजा पर्याप्त होगी।

सदन के समय में पुनः वृद्धि का प्रस्ताव

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरीनाथ त्रिपाठी)—

मैं श्रीमन्, प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा के लिये और बढ़ा दिया जाय, 6 बजे तक कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय 6 बजे तक बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ व्यक्तियों के सदन में घुस आने तथा नारे लगाने के संबंध में 7 दिन के कारावास की सजा का प्रस्ताव (क्रमागत)

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

स्पष्ट है, श्रीमन्, कि सदन की अवमानना हुई है। इस समय संगत बात यह नहीं है कि मुख्य मंत्री का अन्याय है, या प्रवेश द्वार के प्रहरी लोगों ने कोई गलती की है, या उन लोगों ने गलती की है जिन्होंने यहां आकर नारे लगाये। इस समय तो उन व्यक्तियों को सजा देने का प्रश्न हमारे सामने विचाराधीन है जिन्होंने यहां आकर नारे लगाये।

जहां तक मुख्य मंत्री का सवाल है वह राजनीतिक प्रश्न है उनका निर्णय हमें राजनीतिक रूप से लेना चाहिये। उनकी योग्यता और अयोग्यता के संबंध में पूरे सदन को विचार करना चाहिये। जहां तक प्रहरियों का संबंध है यह सरकार को निर्णय करना है कि उन्होंने कैसे उन्हें आने दिया। वह सदन का सवाल नहीं है। तीनों सवालों को नहीं मिलाना है। सवाल एक है कि 4 व्यक्ति अनाधिकृत रूप से आये और आये भी तो रोष दिखाते हुये आये और क्षमा नहीं मांगी। जब आपने कहा कि आप क्षमा मांगते हैं तो उन्होंने क्षमा नहीं मांगी मैं। तो कहूंगा कि उनको अफसोस जाहिर करना चाहिये था। श्रीमन्, यह विषय राजनीतिक नहीं है। हमें लोकतंत्र और संसदीय प्रणालियों को चलाना है। आज यह सरकार है और कल हो सकता है कि दूसरी सरकार हो। लेकिन अगर इस तरह की प्रणाली चला दी जाय तो यह सदन नहीं चलेगा और न यह सरकार आगे आने वाली सरकार चलने पायेगी।

(मेजों की थपथपाहट)

मैं तिवारी जी के प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। मेरा निश्चित मत है कि एक दिन से अधिक की सजा दी जाय।

(मेजों की थपथपाहट)।

केवल इसलिये कि उन्होंने माफी नहीं मांगी वरना मेरी राय हो गयी थी कि उनको माफ कर दिया जाय। जैसा तिवारी जी ने कहा अगर वह माफी मांगते तो मैं प्रस्ताव करता कि आज ही छोड़ दिया जाय। लेकिन गलत काम करें और माफी न मांगे और खेद प्रकाश न करें तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि आने वाले कल और परसों में, आज तो 4 आये, कल 14 और 40 आयेंगे और हमारा यहां रहना मुश्किल हो जायगा। आपका यहां रहना मुश्किल हो जायगा। मेरा प्रस्ताव है, मेरा संशोधन है कि इन्हें तीन दिन के लिये सजा दी जाय। 7 दिन की नहीं लेकिन एक दिन से अधिक सजा अवश्य दी जाय।

*श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, संस्थागत वित्त मंत्री ने जो प्रस्ताव पेश किया है सदन की भावनाओं को देखते हुये, तो ये चारों लड़के आपके सामने कुछ मन में सोच कर आये। आज जो गरीब संतरी खड़े हुये हैं, कभी-कभी उनको ऐसी स्थिति होती है कि वह किसी को रोकें तो ठीक नहीं और न रोकें तो ठीक नहीं। वह दुर्भावना लेकर आये हैं और जैसा हमारे मिश्रा जी ने प्रस्ताव किया है और कहा है कि आज चार आये, 8 आयेंगे तो यह एक परम्परा बन जायगी और सदन का अपमान होगा। इसलिये मैं संस्थागत वित्त मंत्री के प्रस्ताव का सहर्ष स्वागत करता हूं और अनुमोदन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

आज इस सदन के अंदर एक चौंका देने वाली घटना हुयी। मैं सदन में इस तरह की कोई सिफारिश नहीं करूंगा कि उन नौजवानों की सजा को कम कर दिया जाय। क्योंकि वह तो सोच कर आये होंगें कि इतना दुस्साहस पूर्ण काम कर रहे हैं तो सजा दी जायगी। मैं समझता हूं कि जो संसदीय प्रणाली है हम लोगों को उसका पालन करना चाहिये। यहां पर जो जन प्रतिनिधि चुनकर आये हैं उनको एक आम आदमी की जबान बोलनी चाहिये। विधान सभायें समाज का दर्पण हुआ करती हैं, यह मानकर हमें अपनी भूमिका अदा करनी चाहिये। जब चारों नौजवान आपके सामने बयान कर रहे थे तो मुझे उन तमाम चीजों को छोड़ कर उनकी एक चीज अच्छी लगी कि उन्होंने जो किया हिम्मत के साथ कबूल किया। मेरे कुछ साथी बहुत ज्यादा नाराज हो गये हैं। मैं भी नौजवान हूं, बहुत उम्र नहीं हुई है गुस्ताखी माफ होगी। इस तरह के काम करने की तमन्ना हमारे दिलों में बनी भी, हालांकि उस हद तक नहीं बन पायी। लेकिन इस देश की आजादी की लड़ाई में भगत सिंह जी का नाम जरूर सुना है, देखा नहीं है। भगत सिंह के काम को भी गलत कुछ लोगों ने उस समय ठहराया गया होगा। मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शतरुद्ध जी आप शांत रहिये, कृपया आप विषयांतर न हों। भगत सिंह जी का नाम लेना, आप नहीं समझते हैं, सदन के अन्दर आप प्रोत्साहन कर रहे हैं, सदन का अपमान करने के लिये। आपको मालूम होना चाहिये कि भगत सिंह ने बम कब फेंका था। जब एक सेफ्टी बिल पर पंडित मालवीय ने 3 दिन तक भाषण दिया, पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने सेफ्टी बिल का विरोध किया था। बम फेंक कर कहा था कि जनता के प्रतिनिधियों की आवाज अंग्रेजी सरकार तक नहीं पहुच रही है। जनता की आवाज बिल्कुल डूब गयी है। इसलिये बमों के द्वारा हम सरकार के कान खोलना चाहते हैं। यहां पर एसेम्बली के सदस्य, जहां तक उसका सवाल पैदा होता है तो यह ऐसा इश्यू नहीं है, यदि चाहते हैं कि आज इस देश में विधान सभा भंग कर दी जाय संसदीय प्रणाली को समाप्त कर दिया जाय और शांतिमय विचार धारा का स्थान हिंसा ले तथा हिंसात्मक प्रवृत्तियों को यहां इस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाय। तो जैसा माननीय श्यामधर मिश्र ने कहा कि आप यहां नहीं बैठ पायेंगे और विधान सभा में शांतिमय वातावरण का स्थान नहीं रहेगा। यहां पर केवल आपस में जिसके मसिल्स मजबूत होंगे उसी का स्थान रह जायेगा। आज यह नवजवान आये हैं, कल गोली चलायेंगे परसों पत्थर फेकेगें। शुरू में मैंने जैसा कहा कि न्यायालय की कुछ मर्यादा होती है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप संक्षेप में यह कहें कि आप इसको अपमान समझते हैं कि नहीं। यदि अपमान समझते हैं तो इस सजा का समर्थन करते हैं कि नहीं ? इस पर लम्बे भाषण की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैं इस राय का हूं कि इस तरह की घटना दुबारा नहीं होनी चाहिये। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि उसमें वह दृष्टिकोण शामिल होना चाहिये जो दृष्टिकोण सूबे के जवानों का है। हम उनको दुश्मन न समझें बल्कि उनको नवजवान ही इस सूबे के समझें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। मैं चाहता हूं कि यह घटना दुबारा नहीं हो इसके लिये जरूरी है कि यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वह कड़ी होनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्ध प्रकाश]

मान्यवर, एक बात विधान सभा की गरिमा के सम्बन्ध में और कहना चाहता हूं कि इसकी गरिमा बनी रहे तो यहां विधान सभा के जो रक्षक है उन पर जो सरकार के रक्षक हैं वह हावी हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

इससे यह बिल्कुल पृथक सवाल है। गार्डों की गलती है या अंग रक्षकों की गलती है उसके लिये शासन अपनी तरफ से कार्यवाही करेगा। यदि विधान सभा रक्षकों ने भूल की है तो मैं उसके लिये कार्यवाही करूंगा। यहां पर केवल हमारे सामने विचाराधीन प्रश्न यह है कि उन 4 युवकों ने सदन में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया कि नहीं, अपमान किया कि नहीं। मैं गार्ड वाली बात तथा दूसरी बातों के लिये आज्ञा नहीं दूंगा। इसलिये आप केवल यहां सीमित बात रखें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

म समझता हूं कि उन्होंने जो अपराध किया है, जो अपराध को स्वीकार किया है और जिस अंदाज में किया है उसमें तो ज्यादा उत्तेजित और गुस्से की भावना नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूगा संस्थागत वित्त मत्री मे कि इस संबंध में आपने जो प्रस्ताव रखा है उस परपुनर्विचार करें और इसमें कोई भी ढिलाई कर सकते हैं तो करने की कृपा करें।

*श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, यह सदन एक न्यायालय के रूप में बैठा है। यहां हम विचार कर रहे हैं कि उन नौजवानों ने कोई अपराध किया है या नहींऔर इस सदन की अवमानना हुई है या नहीं और हुई है जो उनको क्या और कितनी सजा दी जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह एक अभूतपूर्व घटना है।इस प्रकार की घटनायें आज तक कभी देखने को नहीं मिली।

यह सही है कि गैलरियों से कुछ परचे फेंके जाते थे और नारे बाजी हो जाती थी लेकिन आज इस प्रकार की घटना हो गई। इस माननीय सदन में घुस करके यहां की कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास किया गया। निस्संदेह यह चिन्ताजनक घटना है और इस पर पूरे सदन को चिन्ता होनी भी चाहिये। हम आवेश में नहीं हैं। उनकी कुछ मांगें हो सकती है। उन पर राजनीतिक तौर से विचार हो सकता है लेकिन इस सदन की कार्यवाही में बाधा पैदा हुई इस सदन की अवमानना हुई इसमें दो राय नहीं हैं। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और लोगों को प्रोत्साहन न मिले फिर से इस प्रकार के कार्य करने की इसलिये मैं समझता हूं कि इन लोगों को अधिक से अधिक सजा दी जाय इसलिये माननीय संस्थागत वित्त मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि सदन की अवमानना हुई है लेकिन एक संशोधन चाहता हूं कि माननीय संस्थागत वित्तमंत्री जी के प्रस्ताव के मुताबिक एक हफ्ते के बजाय इस रूप में कर दिया जाए कि यह सदन उन अभियुक्तों को गंभीर चेतावनी देकर रिहा कर दे। यह सदन प्रदेश की सर्वोच्च संस्था है जहां हम लोग एक अहम और गंभीर तथा पवित्र फर्ज अदा करने के लिए बैठे हुए हैं। सदन यहां अदालत के रूप में बैठा हुआ है इसलिये किसी उत्तेजनावश इतनी गंभीर सजा न दें क्योंकि इससे कोई अच्छा परिणाम निकलने वाला नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि जो अव्यवस्था है, उसको ठीक किया जाए। लेकिन आज नौजवान अभियुक्त के रूप में सदन में आए तो मैं कहना चाहता हूं कि जब मार्शल उन लोगों के बयान ले रहे थे तो किस दर्द के साथ उन्होंने अपनी कहानी सुनाई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि मुख्यमंत्री जी के यहां कोई मिलता नहीं है। जिस व्यक्ति के खिलाफ वे कुछ कहना चाहते थे, उनके उसने हाथ पैर तुड़वा दिए। लेकिन वे मुल्जिम जरूर हैं उसके साथ साथ यह सरकार भी उतनी ही मुल्जिम है क्यों कि वह उनकी जायज मांगों को सुनने के लिये तैयार नहीं है इसलिए एक गंभीर चेतावनी शासन.....

श्री अध्यक्ष—

ये दो अलग चीजें हैं। आप मूल प्रश्न पर बोलें।

श्री देव कुमार —

मैं चाहता हूं कि उन्हें यह सदन उठने तक माफ कर दिया जाए।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि संस्थागत वित्त मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, वह उचित है और जिन लोगों ने सजा में ढिलाई देने की सिफारिश की, मैं समझता हूं कि वह मुनासिब नहीं है।

ज्यादा अच्छा होता जो माननीय संस्थागत वित्त मंत्री पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा का प्रस्ताव करते क्योंकि सात दिन जेल मे रह आने के बाद फिर वही कार्य कर सकते हैं। पांच सौ रुपये का जुर्माना देने से उन्हें धक्का भी लगता। इस सात दिन की सजा के प्रस्ताव से मैं समझता हूं कि ढिलाई हो जाएगी क्योंकि ऐसा करने से आगे भी ऐसा हो सकता है और लोगोंकी हिम्मत बढ़ सकती है। कई तरीके है लोग अनशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मांग-पत्र पेश करते हैं, इससे भी ज्यादा गम्भीर समस्याओं की ओर लोग ध्यान आकर्षित करते हैं लेकिन दूसरे तरीके अपनाय हैं और यह तरीका जो अपनाया गया है बिलकुल गलत है और माननीय संस्थागत वित्त मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है सात दिनों के कारावास का उसका बिलकुल समर्थन करता हूं।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, निश्चित रूप से इन चार युवकों ने सदन में प्रवेश करके सदन की अवमानना की है और मान्यवर, प्रायः इस देश में न्याय पाने के लिये तथा जुर्म से बचने के लिये झूठ बोल कर बरी होना चाहता है लेकिन इनकी तारीफ करनी चाहिये कि जिस तरह से इन्होंने बगैर परदा डाले हुए अपने अपराध को कबूल किया। इसलिये उनके सच बोलने पर तथा अपराध को सच्चाई के साथ कबूल करनेके नाते उनकी सजा कम कर दी जानी चाहिये।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो घटना आज सदन में घटी है उसकेबारे में अनेक माननीय सदस्यों ने अनेक प्रकार के विचार व्यक्त किए। लेकिन वे विद्यार्थी कौन हैं,उनका काम क्या है, क्यों इस तरह से उद्दन्डता करके सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, वे ट्रेन में चल कर गद्दी काट कर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, शीशे तोड़कर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, आग लगा कर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो इससे सदन की मर्यादा या किसी की भी मर्यादा सम्भव नहीं है। माननीय वर्मा जी ने जो 15 दिन की बात कही है, संशोधन के रूप में उसका म समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इन लोगों को सजा 15 दिन से कम नहीं होनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)—

इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि इन जवान लड़कों ने सदन में दाखिल होकर इस सदन को ठेस पहुंचाई है और देखना यह है कि जिस अन्दाज से सच्चाई की बात कही वह अपनी जगह पर ठीक है लेकिन अगर कार्य अच्छा है लेकिन अगर उसकी मंजिल गलत है तो वह कार्य भी गलत हो जाता है। अगर किसी कार्य का तरीका गलत हो जाता है है। तो वह कार्य भी गलत हो जाता है और उस कार्य को भी नुकसान पहुंचता है वे आइन्दा ऐसा कार्य न करें इसलिए उन्हें सजा मिलनी चाहिये लेकिन जमहूरियत में यह बात जरूर है कि लोगों को एजीटेशन करने का अख्तियार है और हुकूमत का फर्ज है कि उसको देखे भी लेकिन मैं कहना चहता हूं कि बाहर जो 150 लोग पकड़े गए हैं तो वह पकड़ने का कौन सा रास्ता है?

श्री केशरीनाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, जैसा माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा कि चूंकि इस समय यह सदन न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा है, न सत्तारूढ़ दल है और न विरोधी दल है, सभी माननीया सदस्य न्यायालय के रूप में कार्य कर रहे हैं। सभी लोग इससे सहमत हैं कि सदन की अवमानना हुई है, कार्य में बाधा पड़ी है। इस पर मतैक्य है कि अपराधी को दण्ड दिया जाय। केवल इस में अंतर है कि कितना दण्ड दिया जाय।

मान्यवर, जब कोई रोग होता है तो कुनैन की दवा देनी पड़ती है। जैसा मैंने शुरू में कहा दर्शक दीर्घा से परचे फेंके गये इस सदन में दो अवसरों पर क्षमा दान कर दिया या चेतावनी दे दी गयी। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसी के कारण इस प्रवृत्ति को थोड़ा बढ़ावा मिलरहा है। आज जो रुख अपराधियों ने अपनाया है उससे यह स्पष्ट है कि किसी सुनियोजित चाल का यह अंग था। उनका अपना अपराध स्वीकार न करना और यह कहना कि उन के मेमोरेन्डम को लिया नहीं गया और वे अपनी आवाज बुलन्द करना चाहते थे, मैं यह जरूर जानना चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं मिले तो शिक्षा मंत्री उन से संबंधित थे उनके पास जाने का प्रयास क्यों नहीं किया या किसी अन्य मंत्री के पास जाकर अपनी मांग प्रस्तुत करने का प्रयास क्यों नहीं किया। लेकिन इस पर सब मौन थे। मुझे लगता है कि यह योजनाबद्ध तरीके से इस सदन के अंदर कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने का उद्देश्य था ताकि उनकी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित हो। उद्देश्य भले ही उनका ध्यान आकर्षित करना रहा हो लेकिन जो तरीका उन्होंने अख्तियार किया उस तरीके को अगर आज हमने क्षमादान करके उनको प्रोत्साहित किया तो जैसी आशंका प्रकट की है माननीय श्यामधर जी ने यह प्रवृत्ति बढ़ जायगी आज चार आते हैं तो कल चालीस आयेंगे। आज वे नारे लगाते हैं तो कल को सदन के अन्दर हथियार भी लाये जा सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि जैसा डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी ने कहा नौजवान है, मैंने इस प्रश्न पर विचार किया, उनके साथ हमदर्दी सभी को है, भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो तो मैंने सात दिन के कारावास का प्रस्ताव किया। इस में कठोर कारावास की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, सात दिन का साधारण कारावास हो। मैं अन्त में समझता हूं कि जो मूल प्रस्ताव मैंने किया है उसे यह माननीय सदन पारित करेगा।

श्री अध्यक्ष—

अब यह जो मूल प्रश्न है उसको मैं ले रहा हूं बाकी मूल प्रस्ताव यदि पारित होता है तो संशोधन अपने आप गिर जायेंगे और मेरे पास कोई लिखित संशोधन भी नहीं है।

एसा करने से पहले मैं एक बात माननीय सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह घटना पहली नहीं है। यह एक श्रृंखला की कड़ी है। जब दीर्घा से परचे फेंके गये तो पहले कई मरतबे सहानुभूतिपूर्वक केवल सदन के उठने तक की सजा दी गयी, दूसरे मरतबा

उसके बाद फिर जब पर्चे फेकें गये तो मैंने चेतावनी दी थी कि अब इस घटना को हम इस प्रकार से सहन नहीं करेंगे और अगर आगे इसकी पुनरावृत्ति होगी तो सदन गंभीरता से विचार कर के इस पर सख्त सजा देगा। तो अंतिम मरतबा आप को याद होगा हमने उन अभियुक्तों को जेल के अन्दर भेज दिया था। तो यह उसी श्रृखंला की कड़ी है। दीर्घा से उतर कर के यहां पर आये। माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने यह उचित ही कहा कि यह दलगत राजनीति का प्रश्न नहीं है। हम यहां न्यायालय के रूप में बैठे हैं और इस का संबंध वास्तव में मूल समस्याओं से है। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हम दोनों पक्षों के लोग महात्मा गांधी के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं। गांधी जी अपने पर प्रतिबन्ध लगा देते थे। गोरखपुर में जब चोरा चोरी का काण्ड हुआ तो महात्मा गांधी ने सारा आन्दोलन स्थगित कर दिया और यह कहा कि मेरी यह हिमालय भूल थी। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन शुरु किया तो कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष और हाई कोर्ट के एक जज श्री शंकरन नैयर ने एक किताब लिखी "गांधी और अनारकी" उसमें लिखा था कि असहयोग की भावना तमाम देश में घर कर जायेगी और देश के लिए इससे बड़ी कठिनाई होगी। तो महात्मा गांधी ने उस समय लिखा था 'मैं जानता हूं कि हम आग के साथ खेल रहे हैं लेकिन हमारे सामने कोई चारा भी नहीं है।' इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि नौजवानों के साथ हमदर्दी हो सकती है, लेकिन यह भी इस सदन का कर्त्तव्य है कि हम नौजवानों में अनुशासन की भावना पैदा करें और देश में ऐसा वातावरण पैदा न हो जिससे हिंसा को प्रोत्साहन मिले। जैसा गांधी जी कहते थे हिंसा का मार्ग तानाशाही की ओर ले जाता है और अहिंसात्मक शान्ति का मार्ग लोकतंत्र की ओर ले जाता है।प्रत्येक सदस्य ने यहां पर संविधान की शपथ ली है कि हम निष्ठापूर्वक संविधान के प्रति सचेष्ट रहेंगे, हम संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान इस तरह के असंवैधानिक कृत्यों को प्रोत्साहित नहीं कर सकता। इसलिये आपने जो शपथ ली है उसके प्रति भी सत्य निष्ठा इस बात की मांग करती है कि हम इस तरह की प्रवृत्तियों को जो हिंसात्मक है, जो व्यवधान डालती है और देश में शान्ति की जगह अशान्ति पैदा करना चाहती हैं, प्रोत्साहित न करें। गांधी जी साधन की पवित्रता पर भी जोर देते थे। अच्छा भी कार्य हो लेकिन अगर उसके लिये साधन अच्छा नहीं है तो वह लक्ष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि संसदीय प्रणाली के प्रति हम सबका आदर होना चाहिये। लिहाजा इस प्रश्न पर गंभीरता से किसी राजनीतिक से परे विचार होना चाहिये। अब मैं संस्थागत वित्त मंत्री के प्रस्ताव को ले रहा हूं।

प्रश्न यह है कि श्री दिनेश शुक्ल, एम0 ए0 फाइनल, डी0 ए0 वी0 कालेज, कानपुर तथा श्री धनरंजन श्रीवास्तव, बी0 ए0 प्रीवियस, डी0 ए0 वी0 कालेज, कानपुर ने 1 बज कर 40 मिनट पर सभा मंडप में नारे लगा कर तथा श्री विशम्भर सिंह यादव और श्री विजय पाल सिंह ने सभा मंडप में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने का प्रयत्न करके सदन की कार्यवाही में बाधा डाली एवं इस प्रकार सदन का प्रत्यक्ष अवमान किया। अतः सदन यह निर्णय करता है कि इस अवमान के लिये उपरोक्त चारों व्यक्तियों को 7 दिन का साधारण कारावास का दंड दिया जाय और उन्हें जिला जेल, लखनऊ में कारावासित किया जाय। सदन इस प्रसंग में मार्शल, विधान सभा द्वारा उनके गिरफ्तार किये जाने का अनुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, उनको जेल ले जायं।

प्रदेश में आठवीं कक्षा के लाखों छात्रों की परीक्षाएं राज्य सरकार के आदेश से पुनः कराये जाने के कारण शिक्षा क्षेत्र में गम्भीर असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य का न लिया जाना

श्री अध्यक्ष—

आइटम नं0 14 पर श्री सोहन वीर सिंह तोमर का प्रश्न नियम 51 के अन्तर्गत है। वह उपस्थित नहीं है इसलिये उसको नहीं लिया जायगा।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे

(इसके बाद सदन 5 बजकर 52 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः
10 मई, 1978।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी "क"

[देखिये नियम 29 (4) के तारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 139 पर]

जनपद देवरिया की तहसील हाटा में निरस्त की गई सरकारी सस्ते गल्ले/चीनी की दुकानों की सूची।

क्र0 सं0 दुकान का नाम	न्याय पंचायत	शिकायत का विवरण
सर्व श्री—		
1—मारकण्डेय सिंह	गिदहावनहा	कुख्याति एवं चीनी वितरण में गड़बड़ी।
2—रहमान	चिरगोडा	सामान्य कुख्याति
3—साधन सहकारी समिति	चिरगोडा	कुख्याति एवं चीनी वितरण में गड़बड़ी।
4—शंकर लाल	अहिरौली	तदैव
5—साधन सहकारी समिति	अहिरौली	तदव
6—लाल बचन केदार प्रसाद	पवार	तदैव
7—राजमंगल प्रसाद गुप्ता	अवरही कूतपुरा	सामान्य कुख्याति
8—महन्थ दूबे	कप्तानगंज	कुख्याति एवं चीनी वितरण में गड़बड़ी।
9—साधन सहकारी समिति	वडहरा	तदैव
10—परमेश्वरी प्रसाद	तवक्कलपुर	तदैव
11—मोहन प्रसाद	कप्तानगंज	सामान्य कुख्याति
12—मेवा लाल गुप्ता	घोडा देसर	कुख्याति एवं चीनी वितरण में गड़बड़ी।
13—नत्थू लाल बंका	कप्तानगंज	तदैव
14—जमुना राम	पुरैनी	सामान्य कुख्याति
15—केशव मिश्र	चूरा पाली	तदैव
16—राम भूषण	अजीज नगर	तदैव
17—चन्द्रिका प्रसाद	रवाटेही	कुख्याति एवं चीनी वितरण में गड़बड़ी।
18—रामचन्द्र प्रसाद त्रिवेनी प्रसाद।	लालाछपरा	सामान्य कुख्याति
19—राम प्रसाद	धआं टीकर	तदैव
20—साधन सहकारी समिति	मोरवन	तदैव
21—जयनरायन गर्ग	रवौटही	तदैव
22—स्वामी नाथ	रामकोला	कुख्याति एवं चीनी वितरण में गड़बड़ी।
23—पारस नाथ	रवोटही	तदैव
24—बेचन प्रसाद	कुसुम्हा	सामान्य कुख्याति
25—अदालत राव	अमवा बाजार	तदैव
26—भभली सिंह	तुरकहा	कुख्याति एवं चीनी वितरण में गड़बड़ी।

(दिनांक 9–10 फरवरी, 1978 को निरस्त की गई)।

नत्थी

[देखिये नियम 38 (2) के तारांकित प्रश्न संख्या

क्रमांक	विद्यालय का नाम	विज्ञापन हेतु स्वीकृत पद				सीधी भर्ती द्वारा पूर्ति		
		प्रवक्ता	एल0टी0,	सी0 टी0, जे0 टी0 सी0		प्रवक्ता	एल0टी0,	सी0टी0
1	2	3		4	5	6		7
1	मुर्तजा हुसैन उ0 मा0 वि0 गोरखपुर ।	..		..	2	..	..	2
2	सेन्ट एन्ड्रयूज इ0 का0, गो0	..		1 गणित	..	..	1 गणित	..
3	एम0जी0इं0का0, गोरखपुर	..		1 ,,	1	..	1 ,,	1
4	एम0 पी0 ,,	2 हिन्दी इति0		1 ,,	..	2 हिन्दी इति0	1 ,,	..
5	अभयनन्दन, ,,	..		..	1	..	..	1
6	डी0 ए0 वी0, ,,	1 अंग्रेजी		..	..	..	..	..
7	टी0 डी0 एम0, ,,	1 अर्थ0		2 गणित	..	..	..	..
8	डी0 वी0, ,,	1 वाणि0		..	..	..	..	..
9	जनता इं0 का0, चरगावां,	..		1 गणित	1	..	..	..
10	राष्ट्रीय इं0 का0, बलिया	..		2 ,,	4	..	..	..
11	उ0 मा0 वि0, माल्हनपार	..		1 ,,	3	..	1 गणित	3
12	इं0 का0, महुआपार	2 भूगोल अर्थ0		..	2	..	..	1

'ख'

1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 143 पर) सूची

एक के क्रमानुसार	नियमितीकरण द्वारा पूर्ति प्रवक्ता एल0टी0	सी0टी0	पद जो अभी तक नहीं भरे गये प्रवक्ता एल0टी0	सी0टी0			विवरण
1	7	8	9	10	11	12	13
1	..	..	..	..	..	..	..
2	..	..	..	..	..	..	..
3	..	..	..	..	..	..	..
4	..	..	..	..	..	..	..
5	..	..	..	..	..	..	..
6	1 अंग्रेजी	..	..	..	..	..	..
7	..	..	1	1 अर्थ0	2 गणित	..	हाईकोर्ट के विचाराधीन है। अतः पद नहीं भरा गया।
8	1 वाणि0	..	..	..	..	..	..
9	..	1 गणित	1	..	..	..	..
10	..	2 गणित	4	..	..	..	..
11	..	..	..	..	..	..	..
12	1	..	1	1	..	..	2 प्रवक्ताओं में से एक भूगोल प्रवक्ता अवकाश से आकर कार्यभार ग्रहण कर लिये। दोनों प्रवक्ताओं का पद अस्थायी रूप से भरने का आदेश दिया गया था। एक अर्थशास्त्र के प्रवक्ता हेतु कोई अभ्यर्थी चुनाव में नहीं आया। पुनः विज्ञापन कराने की अनुमति दी गयी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

		विज्ञापन हेतु स्वीकृत पद		सीधी भरती द्वारा पूर्ति		
क्रम-संख्या	विद्यालय का नाम	प्रवक्ता एल0 टी0 सी0 टी0/जे0टी0सी0		प्रवक्ता एल0 टी0 सी0 टी		
1	2	3	4	5	6	7
13	इं0 का0, गगहा ..	1 विज्ञान	1	..	1 विज्ञान	..
14	उ0 मा0 वि0, कुसमौल ..	..	1	..	..	..
15	,, ,मिश्रौली ..	3 (सा0 मा0 1 गणित)	6	..	2 सा0 मा0	3
16	,, ,रौजादरगाह ..	1 गणित	3	..	..	..
17	इं0 का0, मलांव ..	..	6	..	..	..
18	उ0 मा0 वि0, वहुरीपार ..	1 विज्ञान	2	..	..	..
19	,, ,, ,खानमपर ..	1 गणित	..	..	1 गणित	..
20	,, ,, ,महावीरछपरा ..	2 विज्ञान सामा0	4	..	..	..
21	उ0मा0वि0, मीठावैल ..	..	2	..	..	..
22	इं0 का0, भटहट ..	..	2	..	..	..
23	दयानन्द इं0 का0, खोरा-वार। ..	..	1	..	..	..
24	उ0 मा0 वि0, रतनपुर ..	3 सामा0	13	..	..	..
25	इं0 का0, मछलीगांव ..	2 विज्ञान गणित		..	..	..
26	उ0 मा0 वि0, देवीपुर ..	3 सामा0	7	..	3 सामा0	7
27	इं0 का0, फुलमनहा ..	1 अंग्रेजी	1	..	..	..
28	एस0 ए0 जे0 इं0 का0, आनन्दनगर।	2 हिन्दी भूगोल	2 सामा0	2	..	..

एक के क्रमानुसार क्रम	नियमितिकरण द्वारा पूर्ति प्रवक्ता	एल0टी0	सी0 टी0	पद जो अभीतक नहीं भरे गये प्रवक्ता	एल0 टी0	सी0 टी0	विवरण
1	7	8	9	10	11	12	13
13	..	..	..	..	..	..	..
14	..	..	1	..	..	..	..
15	..	1 गणित	3	..	..	..	..
16	..	1 गणित	3	..	..	..	..
17	..	..	5	..	..	1	विज्ञापनोपरान्त सी0 टी0 (कृषि) प्रार्थना-पत्र के अभाव में चुनाव नहीं हुआ प्रबन्धक ने तब से पुनः विज्ञापन नहीं कराया।
18	..	1 विज्ञान	2	..	..	..	..
19	..	..	..	..	..	..	..
20	..	2 विज्ञान सामा0	4	..	..	..	..
21	..	..	2	..	..	..	..
22	..	..	2	..	..	..	..
23	..	..	..	..	..	..	..
24	..	3 सामा0	13	..	..	..	..
25	..	2 विज्ञान गणित		..	..	..	..
26	..	..	..	..	..	..	..
27	..	1 अंग्रेजी	1	..	..	..	..
28	2 हिन्दी भूगोल	3 सा0 मा0		2	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
29	उ0 मा0 वि0, पुरन्दरपुर	.. 1	गणित 8	..	..	..
30	इं0 का0, बरगदहा	2 सामा0 शा0,अर्थ0	.. 5	2 सामा0 शा0अर्थ0	..	5
31	राजा र0 से0 इं0 का0, निचलौल।	2 अर्थ0 संस्कृत	1 गणित ..	2 अर्थ0 संस्कृत	1 गणित	..
32	जनता इं0 का0 भिटौली,	..	1 सामा0 ..	..	..	..
33	उ0 मा0 वि0, हरखपुरा	..	.. 4	..	..	..
34	उ0 मा0 वि0 बसन्तपुर	..	2 गणित सामा0 2	..	..	..
	योग ..	13	36 86	6	12	23

विधान सभा सचिवालय

7	8	9	10	11	12	13
29	..	1 गणित	7	..	1	.. कुल 1 एल0 टी0 तथा सी0 टी0 अध्यापकों के विज्ञापन हेतु लिखा गया था जिसमें एक एल0 टी0 तथा सी0 टी0 नियमित हुए शेष 1 पद जो तीन साल से अधिक रिक्त होने पर समाप्त हो गया। बाद में पुनः विद्यालय ने पद सृजन कराया विज्ञापन निकाला है जो इस समय राजाज्ञानुसार स्थगित हो गया है।
30	..	..	..	..	..	..
31	..	..	..	..	..	..
32	..	1 सामा0	1	..	..	..
33	..	..	4	..	1 सामा0	1 पद एल0 टी0 का विवाद ग्रस्त है क्योंकि अध्यापक अभी तक निलम्बित है।
34	..	1	2	..	..	शेष एक एल0 टी0 का पद विवादग्रस्त हो गया। अभी इस पर निर्णय अपेक्षित है।
योग	.. 5	20	61	2	4	2 स्तम्भ 7 में पद पर अवकाश से वापस आने के कारण नियमितीकरण दिखाया गया है।

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम 38 (2) के तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 144 पर]

जनपद कानपुर की तहसील घाटमपुर के चीनी रिटेलरों की सूची

क्रम सं०	फुटकर चीनी विक्रेता का नाम	स्थान
	सर्वश्री—	
1	शिव राम संखवार	भदरस
2	रज्जन लाल	राहा
3	देवी दीन सिंह	पारा चांद
4	विश्व नाथ	रामपुर
5	गया प्रसाद	समुही
6	गोपी कृष्ण गुप्ता	दौलतपुर
7	गोविन्द सिंह	मकरन्दपुर
8	रघुवीर सिंह	गडाया
9	देव नारायण सिंह	निमधा
10	शिव नारायण सिंह	स्योदी
11	जय नारायण सिंह	मवई
12	अयोध्या प्रसाद	गोपालपुर
13	जगमोहन तिवारी	गौरा
14	राम कुमार सचान	धीरपुर
15	राम स्वरूप तिवारी (निलम्बित 18-4-78 से)	मडा
16	साधन सहकारी समिति	बरीपाल
17	साधन सहकारी समिति	असगहा
18	राजेन्द्र प्रसाद	सिरसा
19	बाल किशोर	मैधरी
20	वीरेन्द्र कुमार	रेवना
21	राजेन्द्र कुमार	इच्छौली
22	हरी कृष्ण गुप्ता	बीबीपुर
23	शिव लाल	हरदोली
24	राज बिशम्भर सिंह	मैरमपुर
25	गया राम	बंगला परास
26	राम शंकर सचान	फतेहपुर
27	कुंवर लाल	कटरी
28	कैलाश नारायण (निलम्बित 24-12-77 से)	घुघुवा
29	भगौती प्रसाद	साखा जनवारा
30	प्रेम नारायण मिश्र	अकबरपुर बरई
31	दया राम कोरी	गोपालपुर
32	नबी अहमद	बिरहर
33	अवधेश कुमार	बिरही
34	साधन सहकारी समिति	बोहार
35	रोशन सिंह गुर प्रसाद	देवसड़
36	शिव बीर सिंह	बरईगढ़
37	दया राम यादव	मुल्लाखेड़ा

विधान सभा प्रदेश

क्रम सं0	फुटकर चीनी विक्रेता का नाम	स्थान
	सर्वश्री—	
38	चन्द्र पाल यादव	सचौली
39	सत्येन्द्र कुमार (निलम्बित 5–1–78 से)	साढ़
40	हरी शंकर पाण्डेय	धमना
41	रमेश चन्द्र शर्मा	हरबंसपुर
42	विद्याधर अवस्थी	रार
43	आत्मा राम सचान	पनारी
44	सीताराम वर्मा	अस ना
45	उदय नारायण	निबियाखेड़ा
46	बिहारी लाल	परोली
47	रामेश्वर तिवारी	रावतपुर
48	राम कृष्ण अवस्थी	भीतरगांव
49	जंगली प्रसाद कुरील	बेहटा
50	राम स्वरूप यादव	अरजझामी
51	शिव रतन लाल	ढुकुवापुर
52	संतोष कुमार गुप्ता	बरनांव
53	रणधीर सिंह	तरगांव
54	शिव नाथ	बलहापारा
55	चन्द्र शेखर पाण्डेय	तिलसड़ा
56	पूरन लाल	तेजपुर
57	सीताराम कुरील	गिरसी
58	बिशम्भर सिंह	मछेला
59	राम नारायण	दतारी
60	बलबीर सिंह	आगापुर
61	राम खिलावन	मुहम्मदपुर
62	बाल दत्त तिवारी	पडरी
63	राम सनेही सचान	स्योढरी
64	माधव नारायन	पतारा
65	कल्लू पाण्डेय	इटरा
66	भगौती प्रसाद	औरिया

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 147 पर)

शासन द्वारा समय-समय पर जो मुख्य कदम उठा गए हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है:—

(1) प्रदेश की जन वितरण प्रणाली को अधिक से अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावशाली बनाया गया है।

(2) राशन कार्ड धारकों को चावल आपूर्ति की मात्रा बढ़ा दी गई तथा द्वितीय श्रेणी के चावल का फुटकर मूल्य 2.25 किलोग्राम से घटा कर रु0 1.80 प्रति किलो कर दिया गया है।

(3) प्रदेश के तीन लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में प्रत्येक सस्ते गल्ले के दुकानों के दुकानदारों क लिय कम से कम दस कुन्तल गहू व पांच कुन्तल चावल और इससे कम जन संख्या वाले नगरों में कम से कम पांच कुन्तल गेहूं व दो कुन्तल चावल का स्टाक रखना अनिवार्य कर दिया गया है ।

(4) देहाती क्षेत्रों में भी चीनी के सरकारी कोटेदारों एवं अन्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से गेहूं व चावल उपभोक्ताओं को आवश्यकता नुसार उपलब्ध कराये जाने की सुविधा प्रदान कर दी गयी है।

(5) प्रत्येक जिले के फ्लोटिंग जनसंख्या की सुविधा हतु दस किलो ग्राम तक गेहूं प्रति उपभोक्ताओं को बिना राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने की सुविधा दे दी गयी है ।

(6) शासन ने सस्ते गल्ले के दुकानों की जांच व स्क्रीनिंग करने के आदेश दिए हैं।

(7) शासन ने यह भी आदेश दिये हैं कि नये राशन काड के लिये प्रार्थना-पत्र मिलते ही पन्द्रह दिन के लिये नया अस्थाई कार्ड बना दिया जाय तथा पन्द्रह दिन की अवधि में आवश्यक जांच पड़ताल करके इस राशन कार्ड को स्थायी कर दिया जाये।

(8) इस समय सारे ग्रामीण क्षेत्र में राशन कार्ड बनाने के आदेश हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शीघ्र राशन कार्ड बने इसके लिये पंचायत सेवकों को इस कार्य के लिये लगाया गया है।

(9) जिले स्तर पर मानीटरिंग समिति गठित है, जो मूल्यों की बढ़ोत्तरी पर निगरानी रखती है।

(10) ग्रामीण क्षेत्रों मे जन वितरण प्रणाली को सुदृढ करने के उद्देश्य से प्रत्येक ब्लाक पर एक पूर्ति निरीक्षक, हाट निरीक्षक, एक कामदार तथा एक चपरासी को नियुक्त किया गया है। इनका मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्डों को चेक करना, छूटे हुए कार्डों को बनाना तथा वहां की चीनी सस्ते गल्ले की दुकानों को सुचारु रूप से चलाने का प्रबन्ध करना है।

(11) क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, कार्यालय में गठित उड़न दस्तों को दूकानों का आकस्मिक निरीक्षण करने हेतु अधिक गतिशील किया गया और व्यवस्था भी की गई कि वे अपनी निरीक्षक आख्या परगनाधिकारी को देंगे।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 149 पर)

मांगें	कृत कार्यवाही
1—बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नया वेतनमान रु0 165–215 के वेतनक्रम में वेतन भुगतान कराया जाय।	1—इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि इस श्रेणी के पूर्णकालिक एवं नियमित कर्मचारियों को रु0 165 प्रति मास नियत वेतन दिया जाय। प्रसंगत आदेश निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
2—तीन वर्षों से अधिक कार्यरत कर्मचारियों को राजाज्ञानुसार स्थायी किया जाय।	2—स्थायी पदों पर ज्येष्ठतानुसार कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है।
3—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बिलों का सही एवं समय से भुगतान कराने की व्यवस्था किया जाय।	3—वित्तीय वर्ष 1977–78 में यात्रा भत्ता मद में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण मई, 1977 से कर्मचारियों को यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं किया जा सका था। प्रसंगत भुगतान के बिल तैयार करके कोषागार को भेजे जा चुके हैं। वर्ष 1978–79 के बजट के पारित हो जाने पर आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने की स्थिति में भुगतान हेतु आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।
4—अनिवार्य जमा के प्रथम एवं द्वितीय किश्त का भुगतान तत्काल कराया जाय।	4—अनिवार्य जमा योजना की प्रथम एवं द्वितीय किश्त का भुगतान हो चुका है। दूसरी किश्त के ब्याज का भुगतान बाकी है जिसके बिल पारित किये जाने हेतु कोषागार को भेजे जा चुके हैं।
5—अतिरिक्त महंगाई भत्ते की 28, 32 एवं 36 प्रतिशत के बढ़ोत्तरी का अवशेष भुगतान अविलम्ब कराया जाय।	5—महिला शाखा की कर्मचारियों को छोड़कर शेष को यह भुगतान किया जा चुका है। महिला शाखा के कर्मचारियों को अविलम्ब भुगतान किये जाने हेतु भी आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।
6—राजाज्ञानुसार भविष्य निर्वाह निधि के लेखे में रख रखाव के लिये पास बुक प्रणाली को लागू किया जाय।	6—भविष्य निर्वाह निधि के लेखों के पास बुक राजकीय मुद्रणालय से अभी प्राप्त नहीं हुये हैं। समस्त कर्मचारियों के व्यक्तिगत लेजर खुले हैं जिन पर विधिवत लेखा जोखा रखा जा रहा है।

मांगें	कृत कार्यवाही
7—विद्यालय कर्मचारियों को भी द्वितीय शनिवार को अवकाश प्रदान किया जाय।	7—यह मांग अव्यवहारिक है क्योंकि विद्यालय द्वितीय शनिवार को खुले रहते हैं।
8—समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जाड़े तथा गर्मी की वर्दी एवं चौकीदारों को कम्बल प्रदान किये जांय।	8—चौकीदारों को कम्बल दिया जाता है। जिन कर्मचारियों को वर्दी देय है उन्हें उपलब्ध प्राविधान के अन्तर्गत वर्दी दे दी गई है।
9—राजकीय जुबली इन्टर कालेज के जिन पांच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा पंजिका गायब हुई हैं, उन्हें उपलब्ध कराया जाय तथा दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जाय।	9—इन कर्मचारियों की सेवा पंजिकायें बना ली गई हैं।
10—श्री फुल्लर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की सेवा पंजिका में हुई गड़बड़ी को ठीक कराया जाय तथा छूटे हुये प्रविष्टियों को जोड़ा जाय।	10—श्री फुल्लर पर्वतीय मंडल से बदल कर आये हैं। इनकी सेवा पंजिका की प्रविष्टियों को अविलम्ब पूर्ण कराने हेतु आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।
11—संघ को सुचारुरूप से चलाने हेतु कार्यालय की व्यवस्था की जाय, जैसा कि अन्य विभागों में वह प्रणाली लागू है।	11—विभाग के पास समुचित भवनों के अभाव में संघ को कार्यालय हेतु स्थान देना संभव नहीं है।
12—प्रत्येक माह में अधिकारियों एवं संघ के पदाधिकारियों की एक निश्चित तिथि पर एक बैठक आहूत किया जाय जिससे जिले के कर्मचारियों का समाधान हो सके।	12—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मांगों पर संबंधित कार्यालय के अधिकारी वार्ता करके समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। यह पद्धति समस्याओं के समाधान हेतु अधिक उपयोगी है।
13—संघ द्वारा किये गये पत्र-व्यवहार का उत्तर अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जाता है। संगठन को उत्तर दिया जाय।	13—संघ द्वारा भेजे गये पत्रों का उत्तर दिया जाता है।
14—समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा पंजिका का सत्यापन प्रत्येक वर्ष कराया जाय।	14—समस्त कर्मचारियों की सेवा पंजिका का सत्यापन 31 मार्च तक कर लिया जाता है।

मांगें	कृत कार्यवाही
15—हाई स्कूल उत्तीर्ण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति तृतीय श्रेणी में किया जाय।	15—हाई स्कूल उत्तीर्ण चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की पदोन्नति उप शिक्षा निदेशक, सप्तम मंडल, गोरखपुर द्वारा उनके लिये निर्धारित योग्यता के आधार पर कर दी गई है। ऐसे कुल पांच कर्मचारियों को लिपिक पद पर पदोन्नति दी गई है।
16—छटनी शुदा कमचारियों को विभाग में रखा जाय।	16—इस संबंधमें नियमांतर्गत कार्यवाही हेतु आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।
17—मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को राजाज्ञानुसार सेवा में रखा जाय।	17—प्रसंगत राजाज्ञा का पालन न किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।
18—मृतक एवं सेवा निवृत्ति कर्मचारियों के पेन्शन, ग्रेच्युटी, जीवन निर्वाह एवं जीवन बीमा का भुगतान तत्काल कराया जाय।	18—यह कार्यवाही तत्परता से की जाती है। राजकीय कर्मचारियों का कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से लम्बित न रहने पावे इस आशय के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।
19—उप विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, गोरखपुर क चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी श्री बैजनाथ प्रसाद के माह अक्तूबर 1974 के निलम्बन वेतन के 1/2 के औसत वेतन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, तत्काल भुगतान कराया जाय।	19—श्री बैजनाथ प्रसाद के संबंध में प्रशासनिक कार्यवाही के अधीन अक्तूबर, 1974 का आधा वेतन दण्ड स्वरूप काटा गया था। अतः नियमांतर्गत भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 46 का उत्तर पीछे पृष्ठ 158 पर)

वर्ष	अनुरक्षण अनुदान	क्षतिपूर्ति अनुदान का 15 प्रतिशत या 20 प्रतिशत भाग
	रु0	रु0
1973–74	4,54,388.00	9,217.90
1974–75	7,11,243.72	6,7,65.75
1975–76	7,52,750.00	11,544.00
1976–77	7,25,312.00	9,518.00
1977–78	8,65,810.00	10,084.00

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 1976–77 में वर्ष 1971–72 के पूर्व के वेतन के अवशेषों के भुगतान हेतु रुपया 18,220.00 मात्र का अनुदान विद्यालय को दिया गया था।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 166 पर)

झांसी मण्डल के प्रत्येक जनपद के उन माध्यमिक बालक/बालिका विद्यालयों की सूची जहां विगत वर्षों से पी0 टी0 अध्यापक/अध्यापिका के स्थान रिक्त हैं।

जनपद	विद्यालय का नाम	सत्र
1	2	3
1—झांसी ..	1—पुरुषोत्तम दास टण्डन उ0 मा0 वि0 झांसी,	1976—77
	2—डी0 ए0 वी0 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, झांसी।	,,
	3—गांधी ग्रामोद्योग उ0 मा0 वि0, भरोसा (झांसी)।	,,
	4—लोकमान्य तिलक उ0 मा0 वि0, इसकिल (झांसी)।	,,
	5—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, करगवा, (झांसी)।	,,
	6—आदर्श इण्टर कालेज, मोठ।	,,
	7—भागीरथ भारद्वाज उ0 मा0 वि0, पूंछ	,,
	8—रघुनाथ दास बुन्देलखंड विद्या मंदिर उ0 मा0 वि0, मऊरानीपुर, झाँसी।	,,
	9—महर्षि वाल्मीकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बबीना।	,,
	10—सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पूंछ	,,
	11—गोस्वामी तुलसीदास उ0 मा0 वि0, एरच	,,
	12—शिक्षक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, झाँसी।	,,
2—ललितपुर ..	1—छत्रसाल जिला परिषद्, उ0 मा0 वि0, नारहट।	1977—78
3—हमीरपुर ..	1—राजकीय बालिका इण्टर कालेज, हमीरपुर	1977—78
	2—राजकीय बालिका इण्टर कालज, महोबा	1975—76
	3—राजकीय बालिका इण्टर कालेज, रांठ..	1976—77
	4—मुकुन्द लाल उ0 मा0 वि0, महोबा	1976—77
	5—श्री राजा राम उ0 मा0 वि0, झलोखर	1974—75
	6—श्री भसमानन्द उ0 मा0 वि0, लोदीपुर-नवादा।	1977—78
	7—बुन्देलखंड उ0 मा0 वि0, चिल्ली ..	1977—78
	8—आनन्द उ0 मा0 वि0, बिलवई ..	1977—78
	9—नेशनल इण्टर कालज, मौदहा ..	1977—78
4—जालौन स्थान उरई	1—श्री गांधी इन्टर कालेज, गढ़गवां ..	1977—78
	2—जालौन बालिका इण्टर कालेज, जालौन	1977—78
5—बांदा ..	1—इण्टर कालेज, चन्दवारा ..	1976—77

परिशिष्ट 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 168 पर)

जनपद बस्ती के नौगढ़ तहसील के विद्यालयों की सूची जिनके पास भवन नहीं हैं।

वि0 स0, नौगढ़	नवीन विद्यालय जो फरवरी, 1978 में खुले
1—नवगढ़	1—पलिया बकधर
2—धनसने नानकार	2—पिपरा पान्ड
3—परसाहिया	3—अन्दवा बाजार
4—राहदीला	4—शाहा
5—पारा नानकार	
6—नक्षवनी	
7—जगदीशपुर राजा	
8—जगदीशपुर ग्रान्ड	
9—सनई लूडो	
10—नगवा महंदहवा	
वि0स0, बर्डपुर	**1—बर्डपुर नं0 9 (इधिहंवा)**
11—अलीदापुर	2—बर्डपुर नं0 1 (टाला पिपरहवा)
12—नरकल	3—बर्डपुर नं0 12 (टाला आमा)
13—दलहाखुर्द	
14—नागचौरी	
15—सिसवनिया	
16—सिंकर विखरिया	
17—सिसहनिया	
18—अलीलदापर कन्या	
19—काशीपुर कन्या	
20—भगतपुर कन्या	
वि0 स0, योगिया	
21—गगवल	
22—नउरी	1—खरहरियां
23—बिसरा	2—थम्हवा बुजुर्ग
24—रबरा	3—रुद्रपुर
25—बड़हरघाट	4—अशागवा तप्पा काड़री
26—हंतकाल	
27—जम्हारिया	
28—परसाहिया	
29—जुखा लिया	

विधान सभा पुस्तकालय प्रदेश

वि० स०, नौगढ़	नवीन विद्यालय जो फरवरी, 1978 में खुले
30—खिलाली	
31—सन्तारा	
32—अहड़ी	

वि० स० बढ़नी।—

33—दुवख्या कन्या	1—अगया
34—आदही कला कन्या	2—धारही उर्फ रानहिया
35—इफरा	3—माहन काला
36—परिगवा	4—सहती
37—अहिराली	
38—भानपुर	
39—खरा	
40—सहिलबार	
41—महती	
42—चलरासख	
43—भदरहना	

वि० स०, उस्का—

44—छतरा पार कन्या	1—महदइया
45—गंधरपुर कन्या	2—खजगहा
46—साहास	3—खटवा बनगवां
47—काल्हआ	4—सजनीं
48—बनियाडीह	
49—सनआ	
50—नटवातल	
51—उड़वलिया	
52—सिंहलिया	
53—खखरा बुजुर्ग	
54—रमवापुर	
55—कसारी	
56—मदनपुर	
57—भडिला	
58—बनरइया	
59—बलाहा	
60—उसका राजा	
61—छितरापार	
62—महलानी	
63—लौटना	
64—सराली काटी	
65—नतवर	
66—साहास	

अमर पहचान संस्था

नत्थी 'झ'

[देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 173 पर]

स्वीकृत योजनाओं का विवरण

क्रम-संख्या	योजनाओं का नाम	योजना की लागत (लाख रु0)	क्षेत्र जिसकी सुरक्षा होगी (हेक्टेयर में)	कितना प्रतिशत कार्य हो चुका है।	कब तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य है
1	2	3	4	5	6
1	कुन्हारा धौधी बांध का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार	43.46	8093.89	90%	जून 78
2	गोबरधनपुर बांध का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार	14.36	2913.80	..	जून 78
3	बान गंगा हेडवर्क्स के अप-स्ट्रीम पर कटाव निरोधक कार्य तथा सीमांत बांध का निर्माण।	8.34	222.85	66%	वर्ष 1978-79 के अन्त तक।
4	उस्का लखनापार बांध का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार	13.92	437.07	40%	तदैव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 176 पर)

1977–78 में जनपद सीतापुर में खोले गये 135 नवीन मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों में नियुक्ति अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, स्वतंत्रता तथा जनतंत्र संग्राम सैनानी, अपंग तथा सेना के व्यक्तियों की सूची ।

अनुसूचित जाति

क्रम-संख्या	नाम
1	श्री श्याम लाल
2	श्री राम चरन
3	श्री सेवकराम निर्मल
4	श्री पंचम लाल
5	श्री मोहन लाल
6	श्री बिन्द्रा प्रसाद
7	श्री रामेश्वर दयाल
8	श्री अम्बारी लाल
9	श्री सन्तराम
10	श्री राम गोपाल
11	श्री श्रीराम
12	श्री श्रीकृष्ण
13	श्री मैकूलाल
14	श्री सीताराम
15	श्री राम शरन
16	श्री कामता प्रसाद
17	श्री कैलाशदीन
18	कु0 भगवती देवी
19	श्री छोटेलाल
20	श्री राम लोटन
21	श्री गजाधर प्रसाद
22	श्री कन्हैयालाल
23	श्री राम विलास
24	श्री सुन्दर लाल
25	श्री रामपाल
26	श्री बदलूराम
27	श्री यदुनाथ
28	श्री मोतीलाल राजवंशी
29	श्री बाबूराम
30	श्री हीरा लाल
31	श्री रामपाल
32	श्री राजेन्द्र सिंह
33	श्री गोविन्द प्रसाद
34	कु0 गांगी देवी ।

पिछड़ी जाति

क्रम-संख्या	नाम
1	श्री लालजी प्रसाद वर्मा
2	श्री ज्वाला प्रसाद
3	श्री राजेन्द्र कुमार पुष्पष्ठ
4	श्री रामकुमार वर्मा
5	श्री कुसुमलता बसवार
6	श्री दृगपाल
7	श्री श्रीराम यादव
8	श्री चरन्जू लाल
9	श्री बसन्तलाल यादव
10	श्री ओम प्रकाश यादव
11	श्री ज्वाला प्रसाद
12	श्री स्वामी दयाल
13	श्री गया प्रसाद

क्रम-संख्या	नाम

पिछड़ी जाति (समाप्त)—

14 कु० आशादेवी रस्तोगी

15 श्री बालक राम वर्मा

16 श्री शिवसागर लाल

17 श्री नरेन्द्र कुमार

18 श्री महेश प्रसाद

19 श्री मुनई लाल

20 श्री शम्भू दयाल

स्वतंत्रता तथा जनतंत्र संग्राम सेनानी :—

1 श्री अशोक कुमार सिंह

2 श्री अमरनाथ सिंह चंदेल

3 श्री जनार्दन सिंह

4 श्री शिवसरनलाल अवस्थी

अपंग (समाज के अक्षम व्यक्ति):—

1 श्री जकी उल्ला खां

भूतपूर्व सैनिक:—

श्री यदुनाथ प्रसाद

श्री वीरेन्द्र कुमार शुक्ल

श्री रामनरेश मिश्रा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 177 पर)

मेसर्स कटलर-हैमर तथा मेसर्स अजीत एशोसिएट्स स्टार्टरों तथा उनके पुर्जों के क्रय के विवरण

क्रय करने वाले अधिकारी का पद	स्टार्टरों की क्षमता	मेसर्स कटलर हैमर		मेसर्स अजीत एसोशियेट्स	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
		स्टार्टर का क्रय			
अधीक्षण अभियन्ता, केन्द्रीय सज्जा मंडल, सिंचाई विभाग, लखनऊ।	15	140	97,300.00	..	..
	17.5	40	42,000.00	..	..
	20 से 25	160	1,54,000.00	..	..
	27.5	80	2,07,250.00	..	..
	30	53	1,82,000.00	..	..
योग ..		473	6,82,550.00	..	..
अन्य यांत्रिक अधीक्षण अभियन्ता (पूर्वी) क्षेत्र।	12.5 से 15	22	5,040.00	..	..
	17.5	87	83,850.00	..	..
	25 से 30	45	1,69,950.00	..	..
योग ..		154	2,58,840.00	..	..
अन्य यांत्रिक अधीक्षण अभियन्ता (पश्चिम क्षेत्र)।	12.5 से 15	..	..	20	13,950.00
	15 से 17.5	45	38,375.00	35	31,425.00
	17-5 से 20	41	35,595.00	..	..
	27-5 से 30	14	91,970.00	..	..
योग ..		100	1,25,940.00	55	45,375.00
		स्टार्टर के पुर्जे का क्रय			
अधीक्षण अभियन्ता, केन्द्रीय सज्जा मंडल, सिंचाई विभाग, लखनऊ।	10 से 30	..	82,190,00	..	..
योग ..			82,190.00	..	..
अन्य यांत्रिक अधीक्षण अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र)	12.5 से 20	..	55,006.33	..	..
अन्य यांत्रिक अधीक्षण अभियन्ता (पश्चिम क्षेत्र)।	12.5 से 15	..	..	..	1,304.00
	15 से 30	..	58,536.00	..	51,848.30
योग ..			1,13,542.33	..	53,152.30

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 178 पर)

संलग्नक

वर्ष	वर्ष 1967 से 1977 तक कार्यरत एडहाक सहायक अभियन्ता (सिविल) (प्रोग्रेसिव योग)	वर्ष में की गयी नियुक्तियां	अवर अभियन्ता पद से प्रोन्नति द्वारा नियुक्त तदर्थ सहायक अभियंता
1	2	3	4
1967	4	6	..
1968	9	4	4
1969	12	78	2
1970	41	94	..
1971	134	93	93
1972	204	70	17
1973	355	151	1
1974	423	68	30
1975	432	9	5
1976	511	79	25
1977	759	248	70
1977 के अंत की स्थिति	759	892	247

विधान सभा

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 46 का उत्तर पीछे पृष्ठ 179 पर।)

सूची

वर्ष 1977–78 से पार्लियामेंट्री स्कीम के अन्तर्गत फैजाबाद जनपद में निर्माणधीन मार्गों के नाम :

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम	लम्बाई किलोमीटर
1	इल्तफातगंज-महतबगंज मार्ग	3.00
2	मालीपुर-भोरावा मार्ग	3.00
3	गोसाईंगंज-शेरवा घाट मार्ग	3.00
4	हंसवर-डांटा मार्ग	3.00
5	रफीगंज-दलाहपुर-न्योरी मार्ग	3.00
6	खडवारिया-अहरन-सुवेरा मार्ग	3.00
7	चौरा-हैदरगंज-भीटी मार्ग (हैदरगंज की तरफ से) ..	5.00
8	दर्शन नगर-भरतकुण्ड मार्ग	2.00
9	सुचेतागंज-दौलतपुर मार्ग	4.00
10	तारून-हैदरगंज-कूड़ेभार मार्ग	4.00
	कुल योग ..	33.00

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 67 विधान सभा–16-9-78–(2112)-1978–810(प्रो0)।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश